राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या: 17

बुधवार,

28 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम-राम, साहब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): होली की राम-राम, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप सबको होली की ठिठोली। खूब ठिठोली मनाओ, पर विधान सभा को ठिठोली का मंच मत बनाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चितोली का जरा स्पष्टीकरण हो जाए। हमें पता नहीं चितोली कहते किसको हैं। होली की चितोली। आपने कहा न कि होली की चितोली मनाओ।

श्री अध्यक्ष: होली में ठिठोली ही होती है और क्या होती है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये कब-कब होती है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में अपहरण एवं फिरौती के दर्ज प्रकरण

294. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत तीन वर्षों में बच्चों और महिलाओं के खोने/अपहरण होने के कितने प्रकरण कब-कब दर्ज किये गये? वर्षवार, जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में अब तक कितने प्रकरणों को सुलझाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है एवं कितने प्रकरणों में अब तक पुलिस असफल रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

(3) क्या यह सही है कि कई प्रकरणों में पुलिस द्वारा सही समय पर प्रकरण दर्ज नहीं करने एवं समय पर खोजबीन नहीं करने के कारण कई अपहृत बच्चों एवं महिलाओं को हत्याओं का शिकार होना पड़ा है? यदि हां, तो उक्त समस्या के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में बढ़ रहे अपहरण एवं फिरौती जैसे प्रकरणों को गम्भीरता से लेकर कोई विशेष कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में अब तक 476 बच्चों के खोने के व 8056 अपहरण के प्रकरण दर्ज हुए हैं तथा 21869 महिलाओं के खोने के व 6683 अपहरण के प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनकी वर्षवार व जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में बच्चों के खोने/अपहरण के 7995 एवं महिलाओं के खोने/अपहरण के 24777 प्रकरणों को सुलझाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। बच्चों के 537 एवं महिलाओं के 3775 प्रकरणों में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। पुलिस द्वारा प्रकरणों को सुलझाने में सफलता का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है व जिन प्रकरणों में पुलिस असफल रही उनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) विगत तीन वर्षों में ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

(4) राजस्थान के समस्त 42 पुलिस जिलों मे मानव तस्करी विरोधी यूनिट एवं गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ (ए.एच.टी.यू.) यूनिट खोली जा चुकी है जो जिला पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में काम करती है। इसका नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। गुमशुदा बच्चों की तलाश एवं अन्वेषण एवं पुनर्वास हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ए.एच.टी.यू.) राजस्थान द्वारा स्टैण्डर्ड ओपरिटिग प्रोसीजर एस.ओ.पी. का परिपत्र जारी किये हैं। विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-1

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार एवं दुष्कर्म करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? क्या सरकार ऐसे कृत्य से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए इन्हें पर्याप्त मुआवजा अथवा सरकारी नौकरी देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रकार के प्रकरणों में जो सफलता हमें प्राप्त हुई वो मैंने आपके सामने रखी है। आपका कहना है कि उनको मुआवजा दिया जाए तो उनको मुआवजा देते हैं। जो हमारा समाज कल्याण विभाग है इसके नोर्म्स के आधार पर इस प्रकार के जो होते हैं, विशेषकर जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उसका कंपेंसेशन दिलाते हैं और जिला कलक्टर इसके लिए अधिकृत है। जो राशि उनकी तय है वो राशि उनको मिलती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-2

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग द्वारा ज्यादातर अपहरणों के प्रकरणों को टालने की प्रवृत्ति रहती है ताकि उनकी नाकामी का रिकार्ड कम रहे। क्या गृह मंत्रीजी ऐसे प्रकरणों में तुरन्त प्रकरण दर्ज हो तथा त्वरित कार्यवाही हो ऐसा विचार रखते हैं? माननीय गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करें कि अन्य अपराधी गिरोह की तरह राजस्थान में अपहरण एवं फिरौती वाले गिरोह चिन्हित किये गये हैं? विवरण मेज पर रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फीगर भी बताया कि राजस्थान में बच्चों के गुम होने के कितने प्रकरण दर्ज हुए, कितने बच्चे वापस मिले, कितने बच्चे अपहरण हुए, कितने उसमें से वापस मिले। 2015 में हमारा सफलता का परसेंटेज 97 परसेंट बच्चों को हमने ढूंढ करके उनके माता-पिता को दिया है। 2016 में हमने 93.06 परसेंट सफलता हासिल की है और 2017 में हमने 91.51 परसेंट सफलता हासिल की है। कुल इन तीनों सालों का योग मिलायें तो 93.85 परसेंट हमको इसमें सफलता मिली है बच्चों के गुम होने में। इसी तरह से महिलाओं के बारे में भी जो 2015 में हमको सफलता मिली है वो 90.82

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

परसेंट मिली है। 2016 में हमको मिली 90.34 और 2017 में मिली है 85.75, कुल मिला करके इन तीन वर्षों में हमें 89.06 परसेंट बच्चों या महिलाओं को वापस उनके घर तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। बाकी जो मिसिंग है वो निश्चित रूप से अभी-भी हम उसकी ट्रेकिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिलायें। विशेषकर के भिक्षावृत्ति में जो बच्चे हमको मिल रहे हैं, हम 'आपरेशन मुस्कान' चला करके भी निरन्तर उन बच्चों को उनके परिवारों को सुपुर्द करने का काम कर रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि अब हमारे पास प्रदेश में प्रत्येक जिले में ये जो यूनिट है ये हमारी बन गयी है। 2011 में हमने केवल 6 जिलों में बनाई केन्द्र की सहायता से। फिर 2012 में फिर 6 जिलों में बनाई और बचे हुए जो 20 जिले थे स्टेट और सेंटर दोनों के सहयोग के कारण से हमने ये जो एंटी ह्युमन ट्रेकिंग यूनिट है यह बना दी है और यह यूनिट काम करती है। समय-समय पर हम इसके विभिन्न अभियान चला करके भी और बच्चों को ढूंढने के लिए अभियान चलाते हैं। अभियान जो मुस्कान के नाम से है यह सेन्टर गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रहा है। यह पहला अभियान हमने जुलाई, 2015 में किया। इसमें हमने 373 बच्चों को ढूंढा। उसके बाद 'ऑपरेशन मुस्कान' में 2016 में हमने 554 और 81 अलग स्टेट में, 2017 में हमने ये जो 450 बच्चों को ढूंढा तो 1452 'ऑपरेशन मुस्कान' चला करके हमने किया। ये जो 'स्माइल' है यह राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। हम जनवरी में इसको करते हैं और इसमें भी हमने दो सालों में 816 बच्चों को ढूंढ करके उनके परिवार के पास पहुंचाया। इसके बाद 'मिलाप' अर्थात् जो बच्चे भीख मांगते हुए हमको दिखते हैं तो 'आपरेशन मिलाप' के द्वारा उन बच्चों को हम पकड़ करके वापस उनके घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें कुछ जिले अभी भी काफी पीछे हैं। कुछ जिलों में तो अच्छा काम हुआ। कुछ जिलों में अभी-भी भिक्षा मांगने वाले बच्चों को उनके परिवार तक पहुंचाने में जितनी अच्छी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। विशेषकर के आपके चित्तौड़ जिले में हम इन तीनों अभियानों में केवल 25 बच्चों को ही पहुंचा सके, जबकि राजस्थान में हमने 2567 बच्चों को वापस उनके घर पहुंचाया, लेकिन चित्तौड़ जिला इसमें जरूर कमजोर रहा है। उसमें केवल और केवल तीनों सालों में मिलाकर इन तीनों अभियानों में केवल 25 बच्चों को ढूंढ करके उनके माता-पिता तक पहुंचा सके हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-1 श्री रामहेत सिंह।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से अलवर में अपराध बढ़े हैं...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये आप।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अलवर में अपराध बढ़े अपहरण, बाल अपहरण के, महिला अत्याचार के तो जो बाल अपहरण के प्रकरण हैं अब तक जिनको पुलिस ढूंढ नहीं पायी, क्या इसमें कोई मानव तस्करी करने वाली गैंग या इस तरह का आपकी जांच में आया है? आया है तो ऐसी गैंग्स दुबारा इस तरह से राजस्थान में एंट्री करके यहां पर अपहरण की घटना नहीं करे, बच्चों का अपरहण करके नहीं ले जा सके, इसके लिए आपने क्या पुख्ता इंतजाम किये हैं उसके बारे में बतायें?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): देखिये ऐसा नहीं है। अलवर जिले में 15 जून, 2017 के 'आपरेशन मिलाप' में हमने तीन बच्चे जो गुमे थे उनमें से एक को पकड़ा है। दो अभी वहां मिसिंग है। ऐसे ही हर जिले की महिलाओं के बारे में, सबके बारे में मेरे पास पूरी सूची है, लेकिन चूंकि अलवर जिले का मेरे सामने नहीं था इसलिए मैंने इसकी डिटेल निकाल करके नहीं रखी थी। बाकी मेरे पास हर जिले का, कहां कितने बच्चे गये हैं और कितने हम वापस लाये हैं, कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ, कितनी हम वापस लाये हैं, जिलेवाइज सूची भी मेरे पास है। कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में इस प्रकार से जो गुमशुदा बच्चे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी डाइरेक्शन है कि जो बच्चों के बारे में हम केवल गुमशुदा की रिपोर्ट डालते थे वो कोर्ट के फैसले के कारण से सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन से 2013 से लेकर हम अब बच्चों के गुमने की सीधी ही एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करके ही उस पर कार्यवाही करना शुरू करते हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी कि माह फरवरी, 2000 में...

श्री अध्यक्ष: 2000?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सन 2000 में मेरे चचेरे भाई दीपक पुत्र शाहबरा का अपहरण हो गया था। उस वक्त उसकी उम्र 5 वर्ष की थी,

(श्रीमती सोनादेवी)

आज 17 वर्ष हो गये हैं, गजसिंहपुर थाना लगता है, विधान सभा क्षेत्र करणपुर में हमने एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस की सरकार थी इसलिए हो सकता है हमारा भाई नहीं मिला। वर्तमान सरकार से मुझे आशा है कि मेरे भाई को आप ढूढेंगे क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरे पास एकदम तुरन्त तो उत्तर नहीं है क्योंकि इतना पुराना केस है। लेकिन इनकी भावना का ध्यान रखकर इस मुक़दमे के आधार पर अब तक हमने क्या काम किया है और क्या कर सकते हैं, उसके लिये फिर प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप विशेष रूप से आश्वस्त कीजिए, वह भावुक भी बहुत हो गई। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह, दोनों में से कोई भी एक खड़े हो जाओ, तीसरा पूरक प्रश्न है, आप ही पूछ लो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि थानों में महिलाओं की गुमशुदा की जो रिपोर्ट लिखी जाती है, पहले तो रिपोर्ट लिखाने में दो-तीन दिन थाने वाले आगे पीछे कर लेते हैं, उसके बाद अगर दो दिन छुट्टियां आ गई, तो क्या आप एक आदेश निकाल सकते हैं कि जैसे ही महिलाओं या लड़कियों की गुमशुदा की रिपोर्ट आई, तीन दिन के अन्दर-अन्दर कम से कम काल डिटेल तो निकलवा ली जाए। काल डिटेल से आधे केसेज सॉर्टआउट हो जायेंगे। नहीं तो क्या होता है कि 7 दिन बाद वह काल डिटेल निकालने के लिये जाता है, फिर दो दिन बंद हो जाता है, 10 दिन में वह लड़की कहीं न कहीं दूर चली जाती है। इसलिए आपके माध्यम से एक आदेश निकले कि रिपोर्ट पर तीन दिन के अन्दर-अन्दर काल डिटेल निकल जाये।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस सुझाव को ध्यान में रखकर हम अपने सारे एसपीज को इसका डाइरेक्शन देंगे, अगर कहीं कमी रह गई, वैसे रहनी नहीं चाहिये, फिर भी अगर कहीं कमी है तो उसको सुधारेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री शैतान सिंह।

राजकीय महाविद्यालय पोकरण में व्याख्याताओं के रिक्त पद

295. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शैतानसिंह)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय पोकरण में व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) विधान सभा क्षेत्र पोकरण में राजकीय क्षेत्र में 01 सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, पोकरण एवं 01 महिला शिक्षा का राजकीय कन्या महाविद्यालय, पोकरण संचालित है। इसके साथ ही विधान सभा क्षेत्र पोकरण के अन्तर्गत उपखण्ड भणियाणा में श्री करनी कालेज, काजोय निजी क्षेत्र में संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र पोकरण के उपखण्ड मुख्यालय भणियाणा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र पोकरण के राजकीय महाविद्यालय, पोकरण में वर्तमान में व्याख्याताओं के 11 पद रिक्त हैं।

नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे पोकरण विधान सभा क्षेत्र में दो कालेज हैं, एक बालिका और एक सामान्य। दोनों कालेजों में एक में 11 हैं, एक में शायद 7 पद हैं। बालिका में मात्र एक शिक्षक है, शायद दो हैं, एक प्रधानाचार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरें और कब तक भरेंगे, यह मेरा विशेष निवेदन रहेगा। क्योंकि हमारे उस क्षेत्र में लोगों को पढ़ाने के लिये कालेजें हो गईं, यह सरकार की विशेष कृपा रही है कि पोकरण उपखण्ड पर दो कालेज हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। पहले 2003 से 2008 वाले कार्यकाल में हुई और अबकी बार महारानी महोदया की कृपा से 2017 में कालेज चालू हो गई, पर उसमें शिक्षक नहीं है। इसकी व्यवस्था आप

(श्री शैतानसिंह)

तत्काल करें, यही मेरा निवेदन रहेगा और उस बालिका कालेज में कब तक आप व्यवस्था करेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): पोकरण से आने वाले माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह हम लोगों की भी चिंता है। पोकरण जैसे क्षेत्र में सबसे पहले तो जो कालेज भारतीय जनता पार्टी के शासन में खुला वही अपने आप में एक संवेदनशीलता का प्रतीक है कि हम लोग चाहते हैं कि वहां कालेज खुले, वहां पर बच्चे अच्छी शिक्षा पायें। इस दृष्टि से कालेज खोले गये लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि पिछले समय में जो लैक्चरर्स की भर्ती होनी चाहिये थी, वह भर्ती पूरी हो नहीं पाई। इस कार्यकाल में हम जो भर्ती कर रहे हैं उसमें 1248 आरपीएससी को हमने अर्थना भेजी है जिसमें काफी पद हमको मिले भी हैं, इंटरव्युज भी हुए हैं, अब उसमें डिक्लेयर भी होना है। 133 तो हमारे पास आ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जो हमारे पास लैक्चरर्स आये, उसमें इकोनोमिक्स का इंटरव्यु होकर जो लैक्चरर्स आये, उसमें हमने आपके यहां इकोनोमिक्स का लैक्चरर्स लगा दिया, शशांक दवे हैं जिनको हमने आपके ब्वायज एण्ड गर्ल्स कालेज में लगाया है। इसके साथ गुरुमुख हैं जो फिलोसोफी में लैक्चरर सलेक्ट आरपीएससी से और तुरन्त हमने पोकरण में लगाया। हमारे पास जैसे-जैसे लैक्चरर्स आ रहे हैं, हम इनके यहां पोस्ट करते जा रहे हैं। मैं आज भी आपके माध्यम से उन्हें यही आश्वस्त करूंगी कि जैसे-जैसे हमारे पास आरपीएससी से लैक्चरर्स की लिस्ट आती जायेगी एज पर योर रिक्वार्यमेंट, हम लोग उसको भरते जायेंगे। यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि पोकरण के संदर्भ में हम भी इसमें बहुत ध्यान रखते हुए, उस एरिया में जो पद रिक्त हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): हां, दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: कीजिए, कीजिए।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): वैसे इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी कालेज से संबंधित है और मैं वैसे ही स्पेशल रिक्वैस्ट करूंगा।

श्री अध्यक्ष: रिक्वैस्ट कर दीजिए आप।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): आपके मार्फत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन

(श्री शैतानसिंह)

है कि महाविद्यालयों में शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का क्या सरकार विचार रखती है, अगर नहीं तो कब तक करेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, अलग सवाल है, अलग सवाल है।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): यह कालेज शिक्षा से संबंधित है इसलिए मैं मैडम से यह आश्वासन चाहूंगा, एक बार लाभ दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिए आप, अलग सवाल है। श्री नवनीत लाल।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय तक 50 विद्यालय हैं।

श्री अध्यक्ष: यह सवाल पोकरण से संबंधित है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): हां, हां मेरा महाविद्यालयों से संबंधित ही है।

श्री अध्यक्ष: पोकरण के महाविद्यालय से संबंधित है, वह पूछ लीजिए आपको अगर कुछ पूछना है तो, बाकी नई बात आयेगी तो उसका जवाब नहीं दिया जायेगा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा टाइम दें।

श्री अध्यक्ष: हां आप बोलिए, बोलिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेढ सौ विद्यालय हैं, जिनमें 9000 छात्र संख्या है। क्या घाटोल विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, मंत्री महोदय, जवाब दे दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि अभी भी लगभग ऐसे 124 एसडीओ हैड क्वाटर्स हैं जहां पर गवर्नमेंट कालेजेज नहीं हैं। कांग्रेस के समय में लगभग 178 ऐसे एसडीओ हैड क्वाटर्स थे जहां पर गवर्नमेंट कालेज नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने लगभग 54 ऐसे एसडीओ हैड क्वाटर्स हैं जहां पर कालेज की स्वीकृति दी। आपका जो घाटोल क्षेत्र है,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उसमें भी मैं यह कहना चाहूंगी कि वास्तव में यहां पर कालेज की आवश्यकता है और इस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री छोटू सिंह।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): आप घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: कर दी घोषणा, श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, यह जैसलमेर जिले का है, पोकरण पहले आता है और फिर जैसलमेर आता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां बालिका महाविद्यालय है और दूसरा बालक महाविद्यालय है, दोनों ही महाविद्यालयों में अभी 40 परसेंट स्टाफ है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कब तक उस स्टाफ को भरेंगे। करीब दो साल हो गये हैं, लगातार हमने लिखकर दिया है। मंत्रीजी यह उत्तर दें ...

श्री अध्यक्ष: हां, उत्तर दे दिया मंत्री जी ने, विराजिए। अगला सवाल श्रीमती द्रोपती।

पीलीबंगा के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की योजना

296. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्ष 2018-19 में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा में एस.आई.क्यू.ई. के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। जिसमें सुधारात्मक रूप से एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा निर्धारित आउटकम के आधार पर राज्य में सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) निर्धारित किये

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

गये हैं, जिसमें प्रत्येक बच्चे के शैक्षिक स्तर की स्तरानुसार प्राप्ति हेतु योजना बनाकर शिक्षण एवं आकलन किया जाता है।

जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा-5 हेतु) में बी, सी, डी ग्रेड प्राप्त विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 'अधिगम प्रतिफल उन्नयन सामग्री' के आधार पर कक्षा-6 के विद्यार्थियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (70 दिवसीय) का प्रावधान है। जिनके आधार पर शिक्षा में सुधार किया जा रहा है।

बच्चों के शैक्षिक स्तर सुधार हेतु समुदाय व अभिभावकों को प्रेरित कर जागरूकता हेतु लीफटलेट/पैम्पलेट बनाने गये हैं तथा जिलेवार एन.ए.एस. परिणामों के आधार शैक्षिक उन्नयन की योजना बनाई जाती है।

शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिकतम विद्यार्थियों तक शिक्षा मुहैया कराना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने का रहा है, इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक स्तर पर सुधार हेतु अनेकानेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किया जाना है। इस लक्ष्य के तहत जिन ग्राम पंचायतों में उच्चतम स्तर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, उन्हीं का राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना है। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा का कोई भी ग्राम पंचायत इस श्रेणी में नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रामावि पीलीबंगा गांव, रामावि डीगवाला, रामावि खेदासरी, रामावि भेरूसरी, रामावि कनवानी, रामावि गांधी नगर में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने बाबत प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में जवाब बताया कि

(श्रीमती द्रोपती)

जिन पंचायतों में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, उन्हीं को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोनत किया जाना है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लगभग 8 से 10 गांव आते हैं और एक गांव से पंचायत मुख्यालय की दूरी 6 से 10-12 किलोमीटर तक है। अध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे गांव हैं, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिंहपुरा, खूनीचक के विद्यालय में 169 बच्चे वर्तमान में अध्ययनरत हैं। सिंहपुरा से ग्राम पंचायत खोतावाली की दूरी 10 किलोमीटर है, इसी तरह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 एचएलएम में 172 बच्चों की संख्या है और ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ावाली तक दूरी 11 किलोमीटर है। सेम प्रभावित क्षेत्र है। बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी भर जाता है। सेम होने की वजह से, और सेम नाला भी बना हुआ है। ऐसे में बच्चों को दूरी तय करने में बहुत कठिनाई होती है। इसी तरह से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 35 एलएलडब्ल्यू के विद्यालयों में 191 छात्रों की संख्या है। स्कूल में कमरे भी पूर्ण हैं। बच्चे ढाणियों से आते हैं। पंचायत मुख्यालय की दूरी छह किलोमीटर है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिंहपुरा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 एचएलएम और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 35 एलएलडब्ल्यू को 10वीं तक कब तक कर दिया जायेगा? मंत्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्कूल खोलने के साथ-साथ स्कूलों के बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए हमने स्कूलों का समन्वय और प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक शिक्षा एक ही स्थान पर मिले। उसको बार-बार टी.सी. लेकर न घूमना पड़े, इसके लिए आपने जो स्कूलों के क्रमोन्नयन की चर्चा की। आज मैं कह सकता हूं कि एलीमेंट्री एजुकेशन में राजस्थान कक्षा तीसरी में तीसरे स्थान पर, कक्षा पांचवीं में सैकिण्ड स्थान पर, कक्षा आठ में देश भर का जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे आया है, उसमें पहले स्थान पर राजस्थान आया है। यह हमारे लिये बड़ी सुखद बात है, इसलिए बच्चों की

(श्री वासुदेव देवनानी)

एजुकेशन बढ़ाने में, मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान में जब यह अचीवमेंट सर्वे हुआ और हमने सारा मूल्यांकन किया तो आज राजस्थान में जो मिडिल-प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें 91 परसेंट बच्चों ने 'ए प्लस' 'ए' और 'बी' ग्रेड प्राप्त किया है। केवल 9.67 प्रतिशत ही बच्चे हैं जो 'सी' और 'डी' ग्रेड में हैं। हमने जो स्कूलों का आपस में समन्वय किया, उसके आधार पर और टीचर्स की हमने पोस्ट भरी, उसके आधार पर यह बढ़ा। इसके लिये कक्षा 1 से 12 तक, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि जहां पर एक ग्राम पंचायत पर बालिका स्कूल खुले और जहां पर अभी दसवीं का नहीं है, तो पहले आठवीं वाले को दसवीं तक बढ़ाएंगे और फिर दसवीं के बाद वह बारहवीं में क्रमोन्नत होगा। कहीं कुछ पंचायतों में जो नवसृजित हैं, उसमें पांचवीं तक था, उसको हमने पिछली बार आठवीं कर दिया। तो छठी, सातवीं आ गया, अगली बार आठवीं आयेगा, उसको भी दसवीं में करेंगे। यानी क्रमोन्नयन करना, हर बच्चे को उपलब्ध कराना। जैसा कि आपने कहा कि दूरदराज से आते हैं। इसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था है। इस बार तो एस.एस.ए. के माध्यम से छोटे बच्चों के लिये भी हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था की है, आने-जाने की व्यवस्था सरकार करेगी, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन के नियम हैं, जो दूरियां हैं, उसके तहत आज राजस्थान में स्कूल हैं और जहां पर भी आवश्यकता होगी, उसमें निश्चित रूप से, 12वीं के स्कूल के लिये जैसा कि मैंने कहा 6 जगहों पर नहीं हैं, उन 6 जगहों पर इस बार निश्चित रूप से हम स्कूलों को क्रमोन्नत करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी? कीजिए, जवाब तो पूरा आ चुका है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): हां। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी बजट में स्कूलों को क्रमोन्नत के लिए घोषणा की है। उसके माध्यम से मैं स्कूलों के क्रमोन्नत की बात करूंगी। जिस तरह से बच्चों की स्कूल की दूरी है, वह भी देखें और सेम प्रभावित क्षेत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पीलीबंगा क्षेत्र सेम प्रभावित है। उसमें सेम नाला भी आता है, दूरी भी ज्यादा होती है। वे गरीब बच्चे हैं, वे इतना नहीं पोसा रहे कि साधन की व्यवस्था हो। सारी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे स्कूल और भी हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये। बार-बार रिपीट कर रही हैं। सारा जवाब तो आ गया।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, महोदय बजट भाषण में भी दिया है। तो मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 2सीएडी के अन्दर हाल ही में बच्चों की संख्या 51 है और डेढ़ सौ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे स्कूल में उसी ग्राम पंचायत में पढ़ने जाते हैं। उस ग्राम पंचायत की दूरी है, वह सात किलोमीटर है तो क्या सरकार ऐसे स्कूल, जहां दूरी तय हो, तीन किलोमीटर दूरी हो, चार किलोमीटर दूरी हो, उसके बाद क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव रखते हैं? मंत्रीजी, यह बतायें कि कितनी दूरी पर दूसरा स्कूल हो, जिससे वह क्रमोन्नत हो जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): राइट टू एजुकेशन के तहत व्यवस्था है कि 1 किलोमीटर के अन्दर प्राइमरी स्कूल हो या पढ़ने की व्यवस्था हो, दो किलोमीटर के अन्तर्गत आठवीं तक पढ़ने की व्यवस्था हो और पांच किलोमीटर के अन्दर सैकण्डरी एजुकेशन मिले। हमने तो सीनियर सैकण्डरी तक करने का निर्णय कर लिया है। जैसे हम 9वीं की बच्ची को साइकिल देते हैं, क्योंकि आठवीं के बाद वह पैदल चलकर नहीं जा सकती। दूरदराज के क्षेत्र हैं। इसलिए हर बच्ची को बिना कास्ट क्रीड के कोई बच्ची 9वीं में एडमिशन लेती है, उसको हम साइकिल भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए सर्व शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। आप स्कूल खोलते जाओ और अध्यापक नहीं हो, उस स्कूल खोलने का कोई लाभ नहीं होता।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इनकी दूरी तो ज्यादा है। 10-10 किलोमीटर...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): जब 22 परसेंट स्कूलों के पद रिक्त थे। इसलिए मैंने इनको कहा कि स्कूलों के प्रावधानों के अनुसार नये स्कूलों की व्यवस्था की है और उसके तहत हम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। कहीं दूरी अधिक है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर भी है, साइकिल भी है। फिर भी कोई प्रस्ताव आयेगा तो निश्चित रूप से नियमानुसार उस पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने किलोमीटर बता दिया। मेरे यहां किलोमीटर भी तो ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा में भी किया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। नो, नो। जवाब पूरा आ गया। आप बता देना। विराजिए। अगला पूरक प्रश्न, श्री सुरेश धाकड़। यह पीलीबंगा से संबंधित है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कक्षा 5वीं तक के स्कूल और 8वीं के स्कूलों को क्या सरकार क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? अगर हां, यदि उसकी कोई सरकारी नीति है तो उसका नियम बता दें और एक लालाखेड़ा स्कूल है। अभी आपने कहा कि दो किलोमीटर पर उसको बंद कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: पीलीबंगा से करिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पीलीबंगा का ही बोल रहा हूं। मैंने पीलीबंगा का दो बार नाम बोला है। क्या आप उसको वापस स्टार्ट करने का ध्यान रखेंगे, या सरकार उसमें कोई मदद करेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक बच्चे को 12वीं तक पढ़ने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और उस 12वीं के स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन भी दी जाती है, उसमें मिडिल स्कूल की एजुकेशन भी दी जाती है। प्राइमरी का अर्थ है कि केवल कक्षा 1 से 5 वाला स्कूल, मिडिल का अर्थ 6 से 7, लेकिन जब कक्षा 1 से 12वीं की चर्चा करता हूं तो उसमें प्राइमरी की यूनिट भी है, मिडिल की यूनिट भी। जैसा कि मैंने कहा कि 1 किलोमीटर पर प्राइमरी एजुकेशन, 2 किलोमीटर पर मिडिल एजुकेशन और 5 किलोमीटर पर है, यदि कहीं इस तरह का कोई प्रावधान आयेगा। हमने राजस्थान में एक भी स्कूल बंद नहीं किया है। केवल स्कूल का पास के स्कूल में समन्वय किया है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री राजेन्द्र सिंह भादू। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि स्कूलों का पढ़ाई का सारा सिस्टम बड़ा अच्छे से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: ये पीलीबंगा से संबंधित होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): हां, सीधा-सीधा प्रश्न मेरा यही है कि जिन विद्यालयों के अन्दर चाहे वो बारहवीं तक के हैं, चाहे आठवीं तक के हैं, चाहे पांचवीं तक के हैं, जहां शिक्षकों की इतनी कमी है, उन शिक्षकों की कमी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

को कब दूर किया जाएगा? विशेष रूप से यही मूल प्रश्न है, तभी हमारी शिक्षा का विकास होगा। माननीय मंत्री महोदय बताएं कि शिक्षकों की कमी कब तक दूर कर दी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें तो विरासत में 52 परसेंट पद खाली मिले। लेकिन समन्वय और नयी नीतियां, जिसमें हमने लगभग 67000 हजार पदों को भरा है, नये लोगों को। 1 लाख 9 हजार का प्रमोशन किया, वह तो अलग विषय है। अभी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में 77100 पद नए सृजित करने की घोषणा की है। जब यह 77100 पद भर जाएंगे, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं 5-6 महीनों में हम भर दें तो राजस्थान के अन्दर किसी भी श्रेणी का एक भी पद खाली नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरा सवाल आ गया महोदय।

श्री अध्यक्ष: आ गया सवाल। अगला सवाल श्री धीरज गुर्जर।

भीलवाड़ा जिले में मनरेगा योजना के नियमों की अवहेलना

297. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभागीय योजनाओं में नरेगा अनुमत 20 प्रतिशत कार्यों में श्रम की राशि नरेगा से लेने के प्रावधान हैं तथा उसी अनुपात में प्रत्येक कार्य में सामग्री लेने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है तथा विभागीय गाइड लाइन के अनुसार कन्वर्जेन्स के प्रत्येक कार्य में 60 प्रतिशत श्रम तथा 40 प्रतिशत सामग्री का अनुपात का संधारण किया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो संबंधित परिपत्रों तथा कन्वर्जेन्स के बारे में समय-समय पर दी गई शिथिलताओं संबंधी गाइड लाइन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिलाधिकारियों द्वारा कन्वर्जेन्स के प्रावधानों के विपरीत सीसी रोड व आंगनबाड़ी भवन आदि के कार्यों को स्वीकृत करके, योजना राशि से अधिक, मनरेगा से राशि का प्रावधान किया

(श्री धीरज गुर्जर)

गया है? यदि हां, तो 01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक किन-किन कार्यों में, किस-किस आधार पर शिथिलता प्रदान की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों में से अनेक कार्यों में मनरेगा से श्रम से अधिक, सामग्री राशि का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रावधानों में विभागीय परिपत्र दिनांक 09 मार्च, 2015 के निर्देशों की किस प्रकार से पालना की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार प्रत्येक कन्वर्जेन्स कार्यों में 60:40 की पालना नहीं करने वाले दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना) मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.11.2015 के अनुसार "ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल राशि की कम से कम 20 प्रतिशत राशि को महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य अनुमत होने की स्थिति में आवश्यक रूप से कन्वर्जेन्स कर ही स्वीकृति किये जाने एवं नियमानुसार श्रम सामग्री अनुपात 60:40 संधारित करते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना से वित्त पोषित करने" के निर्देश हैं।

विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेन्स के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 09.03.2015, 10.09.2015, 08.10.2015 एवं 04.11.2015 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी योजना है।

विभागीय योजनाओं एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के कन्वर्जेन्स दिशा-निर्देश दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु संख्या 3 भाग-अ के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमत समस्त कार्य लिये जा सकेंगे, जिसमें कार्य पर अकुशल श्रम व सामग्री का 60:40 का अनुपात संधारित करते हुए कराये जावे, यदि कार्य में शामिल सामग्री राशि (अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक व्यय सहित) निर्धारित श्रम सामग्री अनुपात 60:40 से अधिक हो तो अतिरिक्त सामग्री राशि भाग-ब में वर्णित अन्य योजनाओं से वित्त पोषित की जायेगी।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना) मंत्री)

सम्बन्धित परिपत्र एवं गाइड लाइन संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार ही है।

(3) आंगनबाड़ी भवन निर्माण में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार रु. 5.00 लाख तक का व्यय महात्मा गांधी नरेगा योजना से तथा शेष व्यय आई.सी.डी.एस. से किये जाने का प्रावधान है। पेयजल एवं शौचालय निर्माण के लिए राशि विभाग की 14वें वित्त आयोग योजना से लिये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए स्वीकृतियां जारी की गयी हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2016 को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 20 में किया गया संशोधन है, जिसमें ग्राम पंचायत एवं अन्य सभी कार्यकारी संस्थाओं द्वारा स्कीम के अधीन किये गये सभी कार्य के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया।

उक्त के परिपेक्ष्य में सी.सी. रोड निर्माण के कुछ प्रकरणों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से सामग्री मद में अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

(4) जी हां। दिनांक 09.03.2015 को जारी निर्देश, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 20 के तत्समय प्रावधान के अनुरूप, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए सभी कार्य के लिए सामग्री मद में 40 प्रतिशत व्यय ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2016 को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 20 में किये गये संशोधन, जिसमें ग्राम पंचायत एवं अन्य सभी कार्यकारी संस्थाओं द्वारा स्कीम के अधीन किये गये सभी कार्य के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान किया गया। अधिनियम की अनुसूची-1 के इस प्रावधान के दृष्टिगत जिला स्तर पर सामग्री मद की सीमा 40 प्रतिशत रखते हुए कार्य स्वीकृत किये गये।

(5) जी नहीं। जिला अधिकारियों द्वारा मूल रूप से महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के उद्देश्य तथा प्रावधानों की पालना की गई है, इसलिए कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत

(ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना) मंत्री)

सरकार द्वारा दिनांक 22.06.2016 को अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 20 में किये गये संशोधन के दृष्टिगत कन्वर्जेन्स दिशा-निर्देशों में पुनर्विचार विभागीय स्तर पर विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, जवाब के अनुसार इन्होंने यह कहा है कि 09.03.15 के बाद में जो सर्कुलर निकले हैं, उन सर्कुलरों के आधार पर हम प्रत्येक कार्य की जगह पर जिला स्तर पर इसको संधारित करेंगे। जबकि 09.03.15 के परिपत्र में स्पष्ट लेवल पर यह लिखा हुआ है और यह सिर्फ नरेगा के लिए लिखा हुआ है। कन्वर्जेन्स के लिए कही, जो डवटेल के काम है, उसके अन्दर कहीं नहीं लिखा गया है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है 09.03.15 में कि 60:40 का अनुपात पंचायत के आधार पर रखा जाए और कन्वर्जेन्स के मामले में मनरेगा से केवल श्रम लिया जाएगा। उस श्रम के 2/3 अनुपात में ही सामग्री ले सकेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो भीलवाड़ा के अन्दर जो जवाब दिया है, भीलवाड़ा के अन्दर अधिकारी 50-50 लाख रुपये की सीसी सड़कें अपनी मनमर्जी से ग्राम पंचायतों में नरेगा से दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मंत्री महोदय कह दें हमारे को कि हम विधायक मद से 2 लाख रुपये नरेगा में दे देंगे और 50 लाख रुपये आप नरेगा से हमारे को सामग्री के अन्दर डाल देना और उसके आधार पर आप हमारे को सड़कें बनाने के लिए दे देना एमएलए को। बाद के सर्कुलर का भी हवाला जवाब में दिया है, उन सर्कुलरों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 09.03.15 के अन्दर जिसमें नरेगा के अन्दर ग्राम पंचायत व जिला स्तर पर और कन्वर्जेन्स के कामों में प्रत्येक कार्य के आधार पर डवटेल करने का प्रावधान है। या तो आप इसके अन्दर फुल करें और मंत्री महोदय बताएं कि अगर 09.03.15 के आधार पर प्रत्येक काम में श्रम लेने का है तो फिर भीलवाड़ा के अन्दर जिला स्तर पर यह लोग कैसे 50-50 लाख रुपये की सीसी सड़कें प्रत्येक ग्राम पंचायत में दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर के खण्ड एक में स्पष्ट किया है कि 09.03.2015 को राज्य सरकार ने जो योजना चलाई "शामलात पहल" योजना, उसके पीछे एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हेतु यही था कि जो नरेगा के अन्दर कन्वर्जेन्स के माध्यम से हम राज्य में अधिक से अधिक परिसम्पत्तियां बनाएं। यह सही है कि जिस 04.11.2015 के सर्कुलर की बात आप कर रहे हो, उसके अन्दर ग्राम पंचायत स्तर पर पहले 40:60 का रेशो था। उसके बाद अध्यक्ष महोदय 22.06.2016 को भारत सरकार ने अनुसूची के पैरा 20 के अन्दर संशोधन किया और 40 परसेंट का जो सामग्री का रेशो का संधारण जो ग्राम पंचायत स्तर पर होता था, वह जिला स्तर पर होना प्रारम्भ हो गया और इसी के अनुरूप जो बाकी सर्कुलरों का मैंने जिक्र किया अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: श्री पप्पू बन्डा, बातचीत नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसके अनुसार अलग-अलग योजनाओं में किस प्रकार खेल मैदान का काम किया जाएगा, किस प्रकार अन्न भण्डार का काम किया जाएगा, किस प्रकार आंगनबाड़ी का काम किया जाएगा, इसके बारे में जिन सर्कुलर का जिक्र मैंने मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में किया है, उसके अनुसार इसको जारी किया गया है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि भीलवाड़ा में इस प्रकार का काम हुआ है कि सामग्री मद का ध्यान नहीं रखते हुए सीसी रोड की स्वीकृति 50-50 लाख की जारी की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भीलवाड़ा जिला है, उसमें सामग्री व्यय के निमित्त 2015-16 में 16 परसेंट, 40 परसेंट होना चाहिए था, 2016-17 में 29 परसेंट और 2017-18, ये दिसम्बर तक के आंकड़े हैं, उसमें 32 परसेंट सामग्री व्यय पर खर्च किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर आज मान लो कोई सीसी सड़क स्वीकृत की जाती है, उसमें 40:60 के रेशो से जितनी राशि नरेगा में हम बुक कर सकते हैं, अनुमत है। सीसी रोड अनुमत भी है, उसमें कर सकते हैं। कन्वर्जन से अगर माननीय विधायक महोदय, आप विधायक विकास कोष से पैसा देना चाहो और सीसी रोड के अन्दर सामग्री मद के अन्दर जो अतिरिक्त पैसा आएगा, उसको अगर सप्लीमेंट आप विधायक विकास कोष से कर देंगे तो सीसी रोड स्वीकृत करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): तीन देंगे न आप सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं, दूसरा पूरक प्रश्न सिर्फ।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं यह कहता हूं कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 22.06.2016 के आधार पर छूट मिली है। मंत्रीजी सुनना 22.6.2016

(श्री धीरज गुर्जर)

के आधार पर अगर आप यह कहते हैं कि जिला स्तर पर संधारित 60:40 का करने की छूट मिली है तो वर्ष 2014-15 और 2015-16 के अन्दर टोंक जिले में जो आपके तत्कालीन सीओ वहां थे, उन्होंने कैसे वहां पर नरेगा के अन्दर डवटेल करते हुए सीसी सड़कें दे दीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 22.06.16 का भारत सरकार जो परिपत्र केवल नरेगा कार्यों के लिए है, कन्वर्जेन्स का कोई हवाला नहीं दिया गया, उसके अन्दर। इसलिए कन्वर्जेन्स के कार्यों पर लागू नहीं होता है और अगर कन्वर्जेन्स के कार्यों पर लागू होता है तो...

श्री अध्यक्ष: कालीचरण जी। यह उचित नहीं है। मेरे निर्देश के बाद यह उचित नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): विभाग ने उसके बाद में 09.6.17 ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साहब, सत्ता पक्ष अनुशासनहीन हो गया है। आसन के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहा है। प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। मैं बैठा हूं यह डायरेक्शन देने के लिए। क्या मतलब है? आपस में बातचीत नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्री महोदय मैं वापस दोहरा देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुन लिया। अध्यक्ष महोदय, यह जो नरेगा है, यह नरेगा एक्ट है। नरेगा एक्ट में एक संशोधन किया था भारत सरकार ने 04.11.2015 को और उसमें उन्होंने किया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो अलग-अलग योजनाएं होती हैं, उसकी कुल राशि जो ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में जो स्वीकृत राशि है उसमें कम से कम 20 परसेंट राशि कन्वर्जन से नरेगा में काम कराओ, परन्तु इसका रेशो 60-40 का रहना चाहिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): प्रत्येक काम में हो। मंत्री महोदय, प्रत्येक काम में।

श्री अध्यक्ष: अब आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अभी तो मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ और बीच में खड़े हो गए। (व्यवधान) मैं सवाल पूरा कर दूं।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिए, मिस्टर धीरज यह तरीका ठीक नहीं है, आप बैठ जाओ, वह जवाब दे रहे हैं, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, आप बैठो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अभी मैने प्रश्न किया ही कहां है।

श्री अध्यक्ष: कर लिया न आपने, उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि यह 4.11.2015 का सर्कुलर था उसमें प्रत्येक कार्य में 40-60 का रेशो करते हुए 20 परसेंट राशि पंचायत राज विभाग के अन्य विभागों से कंवर्जेंस करने का एक संशोधन भारत सरकार ने किया। इसके साथ 9.3.2015 का आपने उल्लेख किया उसके अन्दर यह था कि इसमें भी 40-60 का रेशो रहेगा पर यह ग्राम पंचायत स्तर पर रहेगा। 26.6.2016 को भारत सरकार ने, जब अन्य राज्यों ने कहा और हमने भी पत्र लिखा कि आप इसका जिला स्तर पर संधारित करें क्योंकि हम देखें कि किसी पंचायत समिति में सामग्री का पैसा कम खर्च होता है, जबकि किसी में ज्यादा खर्च हो जाता है। जिला स्तर पर संधारण होने के पश्चात नरेगा के काम को गति मिली है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हमने 22 करोड़ से ज्यादा मैन डेज क्रियेट किया। इस बार हमने 4557 करोड़ रुपये व्यय किए। 20 करोड़ मैन डेज स्वीकृत थे जो मूल एस्टिमेट दिया, हमने उसको बढ़ाकर 22 करोड़ की परमिशन ली है।

अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूं कि कई प्रकार के पुरस्कार, अच्छा कंवर्जेंस करने पर कंवर्जेंस लाइवली हुड आगमन्टेशन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पूरे देश में राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। कंवर्जन में सबसे अच्छे और सर्वाधिक काम हुए।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री अजीत सिंह। श्री अजीत सिंह मेहता।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल बाकी है।

श्री अध्यक्ष: आप पूछ लो। बात कर लेना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, दूसरे सवाल के लिए तो मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष: नो, दोनों ही हो गए। नो, दोनों ही सवाल हो गए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष: दो पूरक प्रश्न हो गए। आपने दो पूरक प्रश्न कर लिए, तीसरा अलाउ नहीं करूंगा, बैठिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे टोंक ज़िले में डवटेल के कार्य में पंचायत को इकाई मानना चाहिए था, ज़िले को इकाई माना गया। उसकी वजह से मेरे ज़िले में पंचायतें विकास से वंचित रह गई। लेबर कम्पोनेंट का रेशो गड़बड़ा गया। उसकी वजह से अभी तक, इसी मार्च में लेबर कम्पोनेंट का पैसा कमप्लीट हो रहा है, उसके बाद काम होगा। दो साल के पीरियड में जो पंचायतें विकास से वंचित रह गई थीं, जिन अधिकारियों ने यह चूक की है, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने टोंक का जानना चाहा है और यह कहा है कि टोंक के अन्दर 60-40 का रेशो मेंटेन नहीं किया गया और अब मुश्किल से वह रेशो मेंटेन हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों ने मुझे जो सूचना दी है, अगर गलत होगी तो मैं पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा माननीय सदस्य से। पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, अगर मुझे गलत सूचना दी है तो निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में 2015-16 में सामग्री मद में कुल व्यय 18 फीसदी हुआ। 2016-17 में 49 फीसदी हुआ। अब दिसम्बर तक 29 फीसदी हुआ है। इसलिए टोंक के ज़िले में भी हमारा रेशो 40-60 का था उसी के अनुसार व्यय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह इतर बात है कि किसी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में इस प्रकार की स्थाई परिसम्पत्तियों के निर्माण में सामग्री का व्यय कहीं अधिक हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अच्छा हुआ माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया, सभी माननीय सदस्य अगर कन्वर्जन के माध्यम से सहायक विकास कोष से सामग्री मद को 40 प्रतिशत तक रखने के लिए अगर सप्लीमेंट करते हैं, अपना पैसा देते हैं तो निश्चित रूप से उतने ही काम स्वीकृत कर दिए जाएंगे। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसमें सीमा रख रखी है। जितना पैसा हम देंगे उसका 2/3 ही आप उसके अन्दर सामग्री से लेंगे ...(व्यवधान) हमारी लड़ाई इसी बात की तो है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नागौर में पैसा ही नहीं गया ...(व्यवधान) कहते हैं कि पैसा नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, बैठिए। (व्यवधान) श्री घनश्याम।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम यह पैसा देते हैं हमारे मद से ... (व्यवधान) हमारी लड़ाई इसी बात की है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसके अन्दर यह क्या करते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घनश्याम को पुकारा है मैंने। घनश्याम को ...(व्यवधान) घनश्याम, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी पूछना चाहूंगा कि कैटेगरी फोर में एसटी, एससी, बीपीएल के परिवार हैं आप उनको नहीं देकर, उनको जनरल से भर रहे हैं। जिला परिषद, ऐसे बहुत सारे प्रदेश में आदेश निकाल दिए गए हैं, सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो अलग सवाल है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह नरेगा का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री भवानीसिंह राजावत।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मेरी मूल बात को आप सुनने की कोशिश करें। 60-40 नरेगा का पैसा है उसमें सामग्री का पैसा सरकार नहीं दे रही। सिर्फ चूरू, सरदारशहर, अलवर में तो आपने सामग्री का पैसा दे दिया, पूरे राजस्थान में क्यों नहीं दिया। इनमें आपने कितना पैसा दिया, पूरे प्रदेश में कितना पैसा दिया ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सीकर में है ही नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर श्रवण, No. This is not the way. बैठ जाइये ... (व्यवधान) This is not the way, बार-बार खड़े हो जाते हैं। कोई स्प्रिंग लग रही है क्या? बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) No. Please sit down.

श्री घनश्याम (टोडाभीम): चूरू और सरदारशहर से तो मंत्रीजी चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए वहां पैसा दे दिया। अलवर और अजमेर में उप चुनाव हुए थे इसलिए पैसा दिया है। पूरे प्रदेश में पैसा नहीं दिया, इसके क्या कारण हैं। मंत्रीजी यह बता देंगे कि चूरू सरदारशहर में कितना पैसा दिया है और बाकी में कितना पैसा दिया है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अब तक 4557 करोड़ 44 लाख रुपये कुल व्यय किए हैं, उसमें 20 करोड़ 76 लाख रुपये मैन डेज क्रिएट करके हम देश के अन्दर दूसरे स्थान पर हैं। अभी भी लेबर का पेंमेंट है वह हमारा 250 करोड़ का बकाया है। मैटीरियल कम्पोनेंट का 500 करोड़ बकाया है। यह पैसा लगभग पिछले 5 महीने का है। हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य को यह भ्रम है कि जिस जिले से मैं आता हूं, हालांकि मुझे गर्व है कि मैं उस ज़िले से लगातार आ रहा हूं। उसके अन्दर भी मैं आपको बता दूं चूरू जिले में मैटीरियल कम्पोनेंट के अन्दर 2015-16 में 16 फीसदी खर्च हुआ। 2016-17 में 16 फीसदी पैसा खर्च हुआ। 2016-17 में 32 फीसदी खर्च हुआ। 2017-18 में 36 फीसदी खर्च हुआ। झुन्झुनूं के अन्दर निश्चित तौर पर, जहां से आप आते हो, पूरे राजस्थान में एक झुन्झुनूं जिला ऐसा है, इसलिए हमने उनका पेमेंट भी रोका है, जिन्होंने 52 फीसदी पैसा मैटीरियल कम्पोनेंट में खर्च कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चूरू, सरदारशहर पंचायत समिति को पैसा दे दिया बाकी राजस्थान को नहीं दिया, वह बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नरेगा एक्ट बना हुआ है इसमें पैसा सरकार सैंक्शन नहीं करती है। आनलाइन पैसा जाता है। हम फीड करते हैं कि इतना पैसा इनका है। आनलाइन पंचायत समिति अपना पैसा ड्रा करती है। झुन्झुनूं जिले के अन्दर किसके दबाव से कैसे यह 52 फीसदी खर्च हुआ है इसकी जरूर जांच करेंगे ...(व्यवधान) इसके अन्दर भी सूरजगढ़ पंचायत समिति है उसके अन्दर भी मैटीरियल कम्पोनेंट का ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। उसकी जांच जरूर करेंगे कि उसमें पैसा ज्यादा क्यों खर्च हुआ ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चूरू, सरदारशहर पंचायत समिति, अजमेर जिला और अलवर जिले में ही सामग्री का पैसा दिया, अपने चुनाव के लिए ...(व्यवधान) आपने बाकी प्रदेश में सामग्री का पैसा नहीं दिया, मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है। केवल भवानी सिंह राजावत। (व्यवधान) बार-बार खड़े हो जाते हो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्रीजी के स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए गांव में महानरेगा के तहत हर पंचायत में दो सफाई कर्मचारी रखे गए थे, ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। लेकिन अभी पता चला कि पिछले हफ़्ते भर से महानरेगा के तहत जिन सफाई कर्मचारियों को भुगतान हो रहा था, वह सरकार ने विदड्रा कर लिया। गांव में बहुत गंदगी है। गांव में बहुत सड़ांध है। क्या यह स्वच्छता अभियान को गति देने का काम था या माननीय प्रधान मंत्रीजी के अभियान की सरकार धज्जियां उड़ा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): गांव में स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। महानरेगा की तरफ से जो सफाईकर्मी रखे गए थे, सरकार क्या उनको दुबारा रखने का विचार करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण सवाल है। मंत्री महोदय से जवाब चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, यह सही है कि पूरे देश में, राजस्थान में नरेगा के अन्तर्गत 150 घरों पर 2 सफाईकर्मी रखने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत हमने 18 हजार के लगभग सफाईकर्मी रखे थे। यह भी सही है कि भारत सरकार ने अभी आपत्ति की है और उन्होंने कहा कि हम इसको अनुमत नहीं करते। हमारा पत्राचार जारी है। मुख्य मंत्री महोदया की तरफ से भी चिट्ठी लिखवा रहे हैं। मैं भी चिट्ठी लिखूंगा। मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अब तब जिन्होंने भी अपनी मजदूरी की है उनकी एक-एक की मजदूरी लौटाई जाएगी, किसी की मजदूरी कम नहीं की जाएगी। यह सही है कि भारत सरकार ने, पूर्व में यह कार्य अनुमत था उसमें एक बार रोक लगाई है, हम भारत सरकार से पत्राचार करके उसको ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री हबीबुर्रहमान।

नागौर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शय्याओं में वृद्धि करने की योजना

298. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

क्या यह सही है कि नागौर शहर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मरीजों के लिए 300 बैड स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, नागौर में वर्ष 2014 से 2017 तक आउटडोर एवं इनडोर में पंजीकृत मरीजों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर में वर्तमान में 150 शैयाएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैयाओं का वर्ष 2014 में 56.10, वर्ष 2015 में 51.71, वर्ष 2016 में 55.53 एवं वर्ष 2017 में 58.80 प्रतिशत उपयोगिता (बी.ओ.आर.) रही है। अत: जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय नागौर की शैयाओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे नागौर जे.एल.एन. हॉस्पिटल में जो विभाग हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, शिशु रोग है, स्त्री रोग है, हड्डी रोग है, नाक-कान-गला है, चर्म रोग है, मानसिक रोग है और फीजियोथैरेपी भी है। इन सभी को मिलाकर यहां पर 150 बैड मंत्रीजी कह रहे हैं और, एम.सी.एच. के सौ बैड हैं। कुल मिलाकर जो अभी काम हो रहा है, वह ढाई सौ बैड के हिसाब से चल रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि रोज का 1100 का आउटपुट है, रोज के 1100 मरीज आते हैं। आपने जो यह प्रतिशत बताया है, अभी भी इसका 58.80 आया है। फिर आप इतनी अच्छी बिल्डिंग होते हुए भी, जब तक आप बैड नहीं बनाएंगे तो वहां लोगों को फैसेलिटी कैसे मिलेगी? चाहे एक्सीडेंट हों, चाहे कोई आपरेशन का मामला हो, वहां रोज हमेशा रेफर कर देते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाकर अगर आप उसकी शैयाएं नहीं बढ़ाएंगे तो मरीजों को कैसे फायदा मिलेगा? मंत्री महोदय इसका भी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि वहां उपयोगिता 58.80 प्रतिशत है। अब आप यह

(श्री कालीचरण सराफ)

देखिये कि 2014 में इनडोर मरीजों की संख्या 29647 थी, 2015 में 27455 थी, 2016 में 29597 थी और 2017 में 31491 थी। अब जैसे-जैसे उपयोगिता बढ़ेगी, उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो बैड्स बढ़ाए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो ये आंकड़े बताये हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कुल 52 डाक्टरों के पद हैं और उनमें से 37 डाक्टर कार्यरत हैं। वहां सभी डाक्टर एम.ओ. बैठा दिये गये हैं। अभी तक, जो सीनियर डाक्टर हैं, उनके पांच पद हैं। मैं यह चाहूंगा कि आप सीनियर के पद बढ़ायें और वहां पर डाक्टरों की भी कमी है। हमारे यहां एक सर्जन थे, वह भी पिछले महीने रिटायर हो गये। जब ये बड़े पद रिक्त होंगे तो अपने आंकड़े कहां से बढ़ेंगे? मंत्री महोदय, आप डाक्टर भी लगायें, पद भी बढ़ायें। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि डाक्टर कब तक लगा देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, जहां तक डाक्टर्स लगाने का सवाल है, अगले 15 दिन में आपके यहां डाक्टर लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता। यह नागौर और जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय से सम्बन्धित है, सीधा-सीधा आपको बता दिया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): साहब, प्रदेश से सम्बन्धित तो पूछ सकती हूं न?

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रदेश से सम्बन्धित आप नहीं पूछ सकते।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, शैयाओं से सम्बन्धित ही है, साहब, इससे आउट नहीं जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि वर्ष 2012 से अब तक किस-किस सी.एच.सी. में शैयाओं की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा घोषणा की गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई जवाब देने की जरूरत नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): और किसको पूरा नहीं किया गया। यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, Not allowed. Not allowed, जवाब देने की जरूरत नहीं। चन्द्र भान सिंह 'आक्या'। यह सीधा-सादा एक प्रश्न है उसमें बेकार आड़ा-टेढ़ा, No, I will not allow. जवाब नहीं आयेगा।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में।

श्री अध्यक्ष: हां नागौर का बोलिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): नागौर जिले में लम्बे टाइम से जो बैड्स बढ़ा नहीं रहे हैं। इस तरह बैड्स बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है। क्योंकि बहुत कम शैयाएं हैं और काफी मात्रा में बैड्स लग रहे हैं तो वह बढ़ाने की कैसे-क्या प्रक्रिया है, हमको बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जैसा मैंने बताया कि उपयोगिता के आधार पर बैड बढ़ाये जाने पर विचार किया जाता है। अभी वहां केवल 58.80 प्रतिशत उपयोगिता है। यह यदि बढ़ेगी तो बैड बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना है।

श्री अध्यक्ष: आपको नहीं। शकुन्तला रावतजी को तीसरा। (व्यवधान) ना, ना, बिलकुल नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं, छोटा-सा नहीं। आप बड़ा-सा करते हैं। आपका छोटा-सा भी बड़ा होता है, बैठिये। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्षजी, ये नागौर की हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: नागौर और जवाहरलाल नेहरु अस्पताल।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): क्या पता, नागौर देखा भी है क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जो मंत्री महोदय ने कहा है कि आवश्यकता के आधार पर, तो क्या नोर्म्स हैं कि इतने पेशेंट होंगे, आउटडोर इतना होगा, तभी शैयाएं बढ़ाई जाएंगी, कौनसा नियम है आपका, वह बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये, जैसा मैंने कहा कि उपयोगिता देखी जाती है। यदि 100 प्रतिशत उपयोगिता है तो बढ़ाने पर विचार करेंगे। अभी तो 58 परसेंट है, इसलिये बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरे यहां पौने दो लाख मरीज साल के हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह मेरे यहां नहीं, इसलिये मना किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इससे सम्बन्धित सवाल पूछें।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। (व्यवधान)

जालौर जिले में शुभ शक्ति योजना के तहत प्राप्त आवेदन

299. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले में गत दो वर्ष से शुभ शक्ति योजना के तहत कब-कब कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त में से कितने आवेदन स्वीकार किये गए एवं कितने निरस्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहौर में गत दो वर्ष में श्रम हिताधिकारी के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए व उक्त में से कितने लोगों को लाभ दिया गया एवं कितने लोग किन कारणों से लाभ से वंचित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के श्रम हिताधिकारी के तहत वर्तमान में

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा उनका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) जालौर जिले में गत दो वर्षों में शुभ शक्ति योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कुल 725 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 264 आवेदन स्वीकार किए गए तथा 50 आवेदन निरस्त किए गए। विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न हैं। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के तहत कुल 1863 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 474 आवेदन स्वीकार किए गए तथा 21 आवेदन निरस्त किए गए। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहौर के तहत पंचायत समिति आहौर में गत दो वर्षों में योजनाओं के कुल 2574 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त में से 749 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। 1758 आवेदनों में आवेदनकर्ताओं द्वारा योजना के प्रावधानानुसार वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाने, आवेदन अपूर्ण भरे जाने के कारण लम्बित हैं तथा 67 आवेदनों में हिताधिकारी की पात्रता नहीं होने पर आवेदन निरस्त हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र आहौर के तहत पंचायत समिति आहौर में वर्तमान में 1134 आवेदन विकास अधिकारी के स्तर पर तथा 624 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर लम्बित हैं। विकास अधिकारी के स्तर पर लम्बित आवेदनों का निस्तारण कराने हेतु श्रम विभाग के प्रतिनिधि को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आवेदन पत्रों का निस्तारण आनलाइन FIFO (First in First out) आधार पर किया जाता है। आवेदकों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर देने पर प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को प्रदान किए जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि श्रमिक हिताधिकारी के अन्दर किस-किस श्रेणी के मजूदर या कारीगर आएंगे, एक बात। दूसरा यह है कि जैसा जालौर जिले का आपका उत्तर है, उसमें सबसे अधिक मजदूर और कारीगर

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

मेरे आहौर में हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट होना पड़ता है। इसलिये उनको ज्ञान नहीं मिलता है। उनके ज्ञान के लिये एक नवीन आई.टी.आई., इससे सम्बन्धित नहीं है, लेकिन आखिर मजदूरों को हमको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: सम्बन्धित नहीं है तो क्यों पूछ रहे हैं। खुद जान रहे हैं। सवाल पूछिये, सम्बन्धित सवाल कीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): श्रमिक हिताधिकारी के किस-किस श्रेणी के मजदूर और कारीगर आयेंगे और इसमें आहौर की शुभ शक्ति योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने स्वीकृत हुए, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति आहौर के अन्दर शुभ शक्ति के कुल 555 आवेदन प्राप्त हुए, भुगतान 99 का हुआ। जिनका भुगतान स्वीकृत होना बाकी है, वे 456 हैं। इनका इसी वीक के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा।

निर्माण श्रमिक कौन हैं, ये हमारे 33 तरह के काम जो लोग करते हैं, वे हमारे श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं, हमारे यहां पंजीकृत करवा सकते हैं, जिनमें 1. पत्थर काटना, तोड़ना और पीसना, 2. बढ़ई-कारपेंटर का जो काम करते हैं, 3. कुएं में गाद, छलकट हटाने वाले गोताखोर, 4. स्प्रेमैन या मिक्सचर मैन जो सड़क बनाने में लगे रहते हैं, 5. पुताई करने वाले पेंटर, 6. सड़क या पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर,.... 8. इलेक्ट्रिशियन का जो मकान के अन्दर काम करते हैं, जो नये मकान बनते हैं, वे आते हैं इसमें, 9. कएं में खोदने वाले, वैल्डिंग करने वाले, 10. मुख्य मजदूर या मैट, 11. मजदूर या बेलदार आते हैं, 12. राजमिस्त्री मेसन, 13. फिटर या बारवेंडर, 14. हथोड़ा चलाने वाले, 15. छप्पर डालने वाले, 16. मिस्त्री और लौहार, लकड़ी को चीरने वाले, चौकीदार पम्प आपरेटर, मिक्सचर चलाने वाले, रोलर चालक, बड़े यांत्रिक कार्य करने वाले।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: आप और अब लिखकर भिजवा दीजिए, जो-जो भी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपके इनकी एजुकेशन के लिए आई.टी.आई. भी खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो। प्रश्नकाल समाप्त।

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थिति अनुमति

गोतमलाल, श्री, को 28 फरवरी, 2018 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री गोतमलाल, सदस्य विधान सभा ने अपने पुत्र के विवाह के कारण दिनांक 28 फरवरी, 2018 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर तथा विजयनगर में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के संबंध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पेयजल की समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

(3) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान पथ परिवहन निगम की खस्ता-हाल स्थिति एवं उदयपुर-ईडर व उदयपुर-अहमदाबाद बस सेवा का बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ट्रैक्टर-ट्राली एवं व्यावसायिक वाहन ट्रोले के रजिस्ट्रेशन के लिए 01 अप्रैल, 2018 से नियम ए.आई.एस.-113 को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में डी.आर.डी.ए. से छंटनीशुदा कार्मिकों को ग्राम सेवक के पदों पर समेकित वेतन पर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज प्रकरणों को वापस नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देने एवं नि:शुल्क जांच योजना के संविदा कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में।

(8) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नगर परिषद, नागौर के आयुक्त द्वारा नियमों के विपरीत पट्टे जारी करने एवं की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की ग्राम पंचायत झडवासा में जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी पाइप लाइन को वापस निकालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय बुहाना पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से हिंगौनिया गौशाला को निजी संस्था को दिये जाने के उपरांत भी गायों की मौतों में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आर.टी.डी.सी. द्वारा संचालित कई होटलों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामनारायण, श्री श्रवण कुमार, श्रीमती अंजू देवी धानका एवं श्री नन्दकिशोर महरिया को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से बाड़मेर-जैसलमेर जिले के किसानों को कर्ज माफी में विशेष रियायत दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में नत्थूसर गेट से रानीसर बास तक के क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री कंवर लाल, सदस्य की ओर से मनोहरथाना की अकलेरा नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकानों का आबंटन किये जाने के संबंध में।

(4) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंकों के कर्मियों के वेतन समझौते को शीघ्र लागू करवाये जाने के संबंध में।

(5) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से चिमनपुरा, उनियारा एवं सवाईमाधोपुर की जनता के लिए पृथक कृषि महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(6) श्री प्रेम चन्द बैरवा, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी को रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(7) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर के कोचिंग विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कोचिंग थाना खुलवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से सादुलपुर निवासी श्री सुनील कुमार शर्मा की बी.एड. डिग्री को अमान्य घोषित कर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

(9) श्री रामपाल, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के एकीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली में इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक कालेज खोले जाने के संबंध में।

(11) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(12) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के पेरेफेरी क्षेत्र में आबादी भूमि का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूं कि आज बहुत महत्वपूर्ण मांग है चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य की और बोलने वालों की संख्या भी 40 से ऊपर है, हमारे इधर भी और मेरे ख्याल से कल छुट्टी भी है इसलिए यह नियम 295 पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव को पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 29 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1.	श्री कैलाश भंसाली	जोधपुर शहर के पुरा-महत्व के तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों के पानी की निकासी की व्यवस्था नगर निगम, पी.एच.ई.डी. से कराये जाने के संबंध में
2.	श्री पूरणमल सैनी	प्रदेश के विभिन्न जिलों में शूद्र वर्ग की महिलाओं के साथ अत्याचार व दलित वर्ग के दूल्हों को घोड़ी से उतार देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3.	श्री श्रीराम भींचर	ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां, पंचायत समिति-मकराना की सरहद में आने वाले स्कूलों में किचन शैडों के भुगतान में हो रहे विलम्ब के संबंध में।
4.	श्री मेवाराम जैन	बाड़मेर तहसील व नगर परिषद में अधिकारियों के रवैये से जनता के कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री रामनारायण।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

झड़वासा (नसीराबाद) में जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी पाइप लाइन को वापस निकालना

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में टेंडर हुए और ठेकेदार को वर्क-आर्डर दे दिया गया। टेंडर हुए थे झड़वासा ग्राम पंचायत में बीसलपुर योजना से जोड़ने के लिए। काम चालू हो गया, ठेकेदार ने तीन-साढ़े तीन किलोमीटर की लाइन डाल दी, उसके बाद पता नहीं कि जलदाय विभाग और ठेकेदार के बीच क्या आपस में घालमेल हुई कि उन्होंने 2014 के छठे, सातवें महीने में वापस लाइन को निकाल लिया। ठेकेदार का पूरा बिल पेमेंट हो गया। लाइन निकालकर कहां पर खुर्द-बुर्द की या कहां पर नए ठेकेदार के जो टेंडर हुए थे, वहां पर डाली गयी, आज तक पता नहीं है। गांव के लोग आज भी पानी से वंचित हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं सदन में? यह बोल रहे हैं और यह माननीय मंत्री महोदय बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सब शांति से बैठिये, आपस में बातचीत नहीं। बिलकुल बातचीत नहीं। हबीबुर्रहमानजी

श्री रामनारायण (नसीराबाद): गांव के लोग पानी से वंचित हैं। फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इस भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे जो चरम सीमा पर हुआ है? साथ ही, माननीय मंत्रीजी, लोक सभा चुनाव में, लोक सभा चुनाव होने से पहले आपने अजमेर अधिकारियों की और जन-प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें लोहरवाड़ा के सरपंच ने शिकायत की थी कि पंचायत समिति श्रीनगर टी.एफ.सी., एस.एफ.सी. फंड से हैंडपम्प खोदे गये, कुछ जगह पर हैंडपम्प खोदे ही नहीं और गांव रामपुरा, लोहरवाड़ा पंचायत का गांव है, वहां पर दो हैंडपम्प खुदने थे, एक हैंडपम्प खुदा ही नहीं, एम.बी. भर दी गयी, पूरा पैसा उठा लिया गया।

इसी तरह दूसरा हैंडपम्प 320 फुट नहीं खोदा गया जबकि टेंडर की शर्तों के मुताबिक खुदना था और न ही बढ़िया किस्म के पाइप, राड और

(श्री रामनारायण)

दूसरा सामान डाला गया, घटिया सामान डाला गया। पूरी पंचायत समिति श्रीनगर में करीबन ढाई सौ हैंडपम्पों का ठेकेदार को पेमेंट हुआ। अब कितने हैंडपम्प खुदे हैं और जो खुदे हैं वह कितने गहरे खुदे हैं? क्या जांच करवायेंगे और जांच करवाकर एम.बी. भरने वाले ए.ईएन., बी.डी.ओ., प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल स्थगन प्रस्ताव था, वह तो नसीराबाद की ग्राम झाड़ावास में जलदाय विभाग द्वारा डाली गयी पाइप लाइन के बारे में था। अब इन्होंने उसके साथ रामपुरा की बात भी कह दी कि हैण्डपम्प खोदे नहीं गये, एम.बी. गलत भर दी गयी और 320 फीट की जगह कम खोद गये, घटिया पाइप लाइन डलवायी गयी और श्रीनगर पंचायत समिति की बात भी कह दी। इन्होंने जो स्थगन दिया उसके मूल में यह है, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि झाड़ावास के अन्दर पाइप लाइन डाली गयी और पाइप लाइन वापस निकाली गयी। सही बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे विभाग ने सूचित किया है कि यह बीसलपुर योजना से अभी तक लाभान्वित हुआ ही नहीं। इसको बीसलपुर योजना से लाभान्वित किये जाने के प्रस्ताव जो 198 लाख के हैं, वह तैयार किये गये हैं। अभी उनका परीक्षण हो रहा है और वित्तीय उपलब्धता के साथ उस पर गुणावगुण आधार पर उसको स्वीकृत किया जायेगा। वर्तमान में यह जो गांव है, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, दो जी.एल.आर. बने हुए हैं, दो नलकूप हैं, सात हैण्डपम्प हैं और गांव के अन्दर पेयजल सुचारु रूप से जारी है। माननीय सदस्य ने 2013-14 की जो बात कही, मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वही बात हुई कि बिना स्वीकृति के यह पाइप लाइन डलवाने की बात उसी समय तत्कालीन सरकार ने की होगी, जिसके बाद में जब ठेकेदार को महसूस हुआ कि स्वीकृति भी नहीं है और पाइप लाइन डलवा भी दी और पैसे मिलेंगे नहीं, इसलिये वह अपने पाइप निकालकर ले गया होगा। पर मेरी सूचना के अनुसार जिस गांव की बात आपने की, यह झाड़ावास गांव बीसलपुर पेयजल योजना से अभी जुड़ा हुआ नहीं है। यह अभी प्रस्तावित है, इसकी तकनीकी स्वीकृति 198 लाख की बनायी गयी है और इस पर विभाग विचार कर रहा है और संसाधन उपलब्ध होने पर इसको निश्चित तौर पर जोड़ा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री श्रवण कुमार।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): सर्टिफिकेट दिला दूं गांव वालों से साहब। सर्टिफिकेट दिला दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए-विराजिए। आपका जवाब आ गया।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): आपकी सरकार के टाइम में उखड़ी है और आपकी सरकार के टाइम ही डाली गयी है। एफिडेविट दे दें, फिर तो कार्यवाही करोगे?

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवणकुमार।

(12.12 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूरजगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय बुहाना पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 79 पंचायतें हैं और 2 पंचायत समिति बुहाना और सूरजगढ़ हैं। बुहाना में पंचायत समिति भी है, डी.एस.पी. कार्यालय भी है, उपखण्ड कार्यालय भी है, बिजली बोर्ड का ए.ईएन. भी बैठता है, पी.एच.ई.डी. का ए.ईएन. भी बैठता है। सभी प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। वह पूर्व में एस.सी. का क्षेत्र रहा हुआ है। हरियाणा से लगता हुआ डेजर्ट एरिया है और यही हालात सूरजगढ़ के हैं और आपकी सरकार ने यह घोषणा की थी कि उपखण्ड कार्यालय में कालेज होगा। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी घोषणा एक उपखण्ड कार्यालय की थी, मैं दो उपखण्ड कार्यालय के बीच में एक कालेज खुलवाना चाहता हूं। आपके प्रधान मंत्रीजी 8 तारीख को आ रहे हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के अभियान में ...(व्यवधान) प्रधान मंत्रीजी आ रहे हैं झुन्झुनूं 8 तारीख को, हमारे भी हैं, पर कुछ करें तो सही। हमारे-हमारे लगाते रहोगे क्या? मैं यह कह रहा हूं कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का अभियान बहुत जोरों से बीजेपी का है और यह होना भी चाहिये। पर बेटी पढ़ाओगे कहां, जब कालेज ही नहीं है। कालेज होगा तब बेटी पढ़ेगी न। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) पढ़ाना नहीं चाहते।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह बुखार किसको है, आपको बुखार है क्या? डाक्टर के पास जाओ न, तीन-चार डाक्टर बैठे हैं। मैं यह कह रहा हूं, मैं यह बताना चाह रहा हूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि कालेज की मंत्री भी महिला हैं और महिलाओं के प्रति इनकी भावना बड़ी अच्छी भी है, उत्तरदायी भी हैं और इनकी भावना भी अच्छी है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि सदन में आज ही घोषणा करें कि दो उपखण्ड कार्यालयों के बीच में एक भी कालेज नहीं है तो वहां एक कालेज खोलने की बड़ी मेहरबानी होगी और बातें करने से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। बातें करने से हमारा धरातल का काम नहीं होगा तो मजा नहीं आयेगा। हम तो एक बात सीख गये -

'वसूलों पर अगर आंच आये तो टकराना भी जरूरी है,
और जिंदादिल है तो जिंदा सिद्ध करना भी जरूरी है।'

हमारी तो भावना है कि बीजेपी पूरे देश-प्रदेश में इस प्रकार की बातें करती रहती है कि विकास के नाम पर नम्बर है। मैं तो तभी समझूंगा आपका विकास, आपकी भावना, आपकी उत्तेजना, इन्हीं बातों से प्रदर्शित होगा कि आज ही, और मैंने तो यह भी सुना है कि मंत्रियों के तो कुछ हाथ में ही नहीं है। मुख्य मंत्रीजी करती हैं और हाथ में नहीं है तो क्यों बेकार में गाड़ियों से दौड़ा रहे हो फिर? आपके हाथ में कुछ बता ही नहीं रहे हैं। अगर आपके हाथ में है तो एक कालेज की घोषणा करो और कुछ हाथ में नहीं है तो इनोवा गाड़ियों को क्यों तोड़ रहे हो बेकार में? क्या आज आपकी इस बार भावना जगेगी? मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि आज ही कालेज की घोषणा करें और एक उदारता का प्रतीक चिह्न पेश करें कि हमारी किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। पक्ष-विपक्ष नहीं, यह केवल राजस्थान की जनता की भावना है, सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता की भावना है, बुहाना की जनता की भावना है और पूरे प्रदेश में अगर आपने इस प्रकार का प्रदर्शन किया तो आपकी हो सकता है 40-50 सीट फिर आ जायेगी वरना अगर यही कहोगे हमने तो पोकरण में खोल दी। पोकरण में दो कालेज हैं। वहां अध्यापक हों या न हों, पर दो कालेज हैं। और बड़े दु:ख की बात है कि सूरजगढ़ में, बुहाना में एक भी नहीं है। आप पूरे राजस्थान में कालेज खोल रहे हो। एक कालेज की मेहरबानी करेंगे। मैं समझता हूं मंत्रीजी जवाब देंगे और एक कालेज की घोषणा भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आदेश दो न, करो न घोषणा। मेहरबानी करो। सरकार बड़ी ऊंची-ऊंची बातें करती है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): शिक्षा का राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा यदि कोई शिक्षित क्षेत्र है तो वह झुन्झुनूं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और वह सैनिक जिला है, सैनिक जिला।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसमें एक कालेज की घोषणा कर दो, प्रतिपक्ष आपके चार साल की घोषणाएं मान लेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सैनिक जिला है, शहीद होते हैं और जब सूर्य उगता है और हम जब बाड़मेर की तरफ देखते हैं तो हमारी बेटी सुई लगाते हुए नजर आती है और जैसलमेर में देखते हैं तो हमारा बेटा पढ़ाता हुआ नजर आता है। पूरे राजस्थान में नंबर वन पर है झुन्झुनूं और मैं समझता हूं कि राजेन्द्र जी चूरू जिले से आते हैं, यह हमारी सिफारिश करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सब लोग सिफारिश कर रहे हैं, आप बैठें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने अपनी बात यहां पर रखी और कहा कि बुहाना में एक गवर्नमेंट कालेज के बारे में यहां पर बात रखी। मैं आपके माध्यम से उन्हें यह जानकारी देना चाहूंगी कि 178 ऐसे उपखण्ड मुख्यालय हैं, जहां पर कालेज नहीं था, जब हम सरकार में नहीं आये थे। उसके बाद में यही सरकार है जिसने 54 उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज खोले। इसलिये ऐसा नहीं है कि हम लोग उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज नहीं खोल रहे हैं, हम लोगों ने जो घोषणा की थी कि हम सब उपखण्ड मुख्यालय पर कालेज खोलेंगे, यह घोषणा जारी है और उसी के अन्दर हम लोग खोल भी रहे हैं। आपकी जानकारी में देना चाहूंगी माननीय सदस्य कि 17 उपखण्ड मुख्यालय अभी भी ऐसे हैं, जहां पर न सरकारी कालेज है, न प्राइवेट कालेज है। लेकिन आपका उपखण्ड उसमें नहीं आता है, क्योंकि आपके उपखण्ड में बुहाना पर लगभग निजी क्षेत्र में 20 महाविद्यालय अभी वर्तमान में संचालित हैं। सूरजगढ़ के उपखण्ड बुहाना में वर्तमान में निजी क्षेत्र में 20 महाविद्यालय संचालित हैं और आप ही के पास में यानी जो हमारे नोर्म्स हैं, वह 30 किलोमीटर का नोर्म्स है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि 30 किलोमीटर के रेडियस में कोई कालेज न हो तो हम उस पर विचार करते हैं। लेकिन यहां 27 किलोमीटर दूरी पर ही खेतड़ी आता है और खेतड़ी में एक सह-शिक्षा का राजकीय महाविद्यालय संचालित है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): खेतड़ी 35 किलोमीटर है। आपको गलत

(श्री श्रवण कुमार)

आंकड़े दिये गये हैं, खेतड़ी 35 किलोमीटर है और आप यह कह रहे हो निजी संस्थाएं, निजी दुकानों से हमारा क्या लेना-देना है?

श्री उपाध्यक्ष: एक बार आप जवाब तो पूरा सुन लें। Let her reply.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): और इनके 27 किलोमीटर में एक सह-शिक्षा का राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में संचालित है। फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि सूरजगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय पर जो बुहाना और आपके बीच में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है, इसके लिये हम लोग इस संबंध में गुणावगुण के आधार पर और वित्तीय संसाधनों के आधार पर उनकी उपलब्धता के आधार पर हम लोग इस पर विचार करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सुनते-सुनते 35 साल हो गये। मुझे 30 साल हो गये, राजेन्द्र जी के भाषण सुन-सुनकर डवलपमेंट पर और डी.पी.आर. ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। पूरी विधान सभा क्षेत्र 125 किलोमीटर लंबा है और अरावली के सहारे आयी हुई है। एक महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन में खोलने की मांग करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: You want to react or more or less conclude?

हिंगोनिया गौशाला को निजी हाथों में दिये जाने के बावजूद स्थिति में सुधार का अभाव

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने हिंगोनिया गौशाला की नाकामी से डर कर और हिंगोनिया गौशाला पर राजनीति करने वालों का मुंह बन्द करने के लिए इसे निजी संस्था को सौंप दिया लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हिंगोनिया गौशाला में 00.1 परसेंट का भी फर्क नहीं पडा है। जैसे पहले चल रही थी राज्य सरकार के समय, वैसी ही निजी संस्था भी चला रही है। आज भी वहां गायों के मरने की संख्या 25 से 30 है। इसका कारण सिर्फ बीमारी नहीं है। बीमारी बहुत कम है। भूख से आज भी वहां गायें 25 से 30 मर रही हैं क्योंकि वहां पर बाड़े नहीं हैं और जो शक्तिशाली पशु है, वह कमजोर पशुओं को चरने नहीं देते हैं इसलिए उससे वह और कमजोर होकर मौत का ग्रास बन जाते हैं।

इसके अलावा राज्य सरकार ने निजी संस्था को देने के बाद वहां पर

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

पशुपालन के 70 कर्मचारी लगा रखे हैं जिससे पूरे जिले की पशु चिकित्सा की सुचारु व्यवस्था हो सकती है। नगर निगम आज भी छोटे पशुओं का 35 रुपये और बडे पशु का 70 रुपये का अनुदान दे रहा है। राज्य सरकार अनुदान दे रही है और जमीन भी दी है और दानदाता, भामाशाह लाखों का नहीं, इस निजी संस्था को करोड़ों का अनुदान दे रहे हैं यानी कि राज्य सरकार इतना फायदा इस संस्था को पहुंचा रही है, बावजूद इसके संस्था की उसके अन्दर कोई भागीदारी नहीं है। गायें आज भी 25 से 30 के बीच में मर रही हैं। इसके अलावा इतने अनुदान के बाद भी, जिसकी जरूरत नहीं है, राज्य सरकार इतना क्यों मदद कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इस मुद्दे को शांत करने के लिए। तीस हजार प्रति लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादित होता है यहां पर। हरा चारा गौशाला में उगाया जाता है जो कि उनके लिए काफी है। फिर भी गायें भूख से मर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो 70 कर्मचारी पशु चिकित्सा के जो लगा रखे हैं, वह अब तक नहीं हटाये जिससे पूरे जिले की चिकित्सा व्यवस्था हो सकती थी। क्यों सरकार उनको अनुदान दे रही है? अगर अनुदान दे रही है तो कभी भी उसकी मानीटरिंग नहीं हुई। कभी सरकार वहां जाकर देख नहीं रही है कि गायों की क्या हालत है। वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और लिखकर मेरे पास आया है मामला, वह वहीं के कर्मचारियों में से डाक्टर्स में से लिखकर मुझे दिया है कि गायों की हालत देखकर के आंसू आते हैं। सरकार ने सिर्फ मुद्दा शांत करने के लिए निजी संस्था को तो दे दिया है लेकिन फिर पलट कर नहीं देखा कि गाय मर रही हैं या जी रही हैं। गायों से कोई लेना-देना नहीं था। सिर्फ राजनीति नहीं हो, इसलिए निजी संस्था को दे दिया। इसके अलावा निजी संस्था को उनको सारी फेसिलिटी प्रोवाइड करवा रही हैं। खूब पैसा दिया जा रहा है। जमीनें दी जा रही हैं। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि सिर्फ मुद्दा शांत करने की ही बात थी या गायों को लेकर संवेदनशीलता भी थी? दूसरी बात इसमें यह है कि ऐसी क्या सांठगांठ है राज्य सरकार की, क्योंकि इसमें न तो इसमें राज्य सरकार को कोई फायदा हो रहा है, न इसके अन्दर गायों को कोई फायदा हो रहा है। पूरा फायदा निजी संस्था को पहुंचा रहे हैं। अगर मंत्रीजी हों तो दो प्रश्नों का जवाब आप मुझे दिलवा दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

देना चाहूंगा। हिंगोनिया, जिसके बारे में माननीय सदस्या ने अपने विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि हिंगोनिया की आज के साल दो साल पहले की स्थिति माननीय सदस्य ने देखी होगी और आज जयपुर के ही नहीं राजस्थान के कई लोग उस हिंगोनिया को आदर्श गौशाला के रूप में देखने के लिए जाते हैं। पता नहीं आप गये या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मेरे क्षेत्र में है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपके क्षेत्र में है लेकिन आप गये नहीं, मुझे लगता है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): और वहां काम करते हैं, वह भी मेरे ही क्षेत्र के हैं। वह पूरे गांव से घिरी हुई है। वह भी मेरे ही क्षेत्र में है। तो मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं पता होगा उसके बारे में आपको। जिसने आपको फीड बैक दिया है, गलत दिया है। आपने न तो कभी इसकी मानीटरिंग की है और न जांच करायी है। आज भी 25 से 30 गायें डेली मर रही हैं। बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, रोज उनको डाल दिया जाता है उसमें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी कौनसी तारीख को गये थे आप?

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): वहां पर जो काम करते हैं, वह मेरे ही क्षेत्र के लोग हैं और वह जो गांव से घिरा हुआ है, वह ही मेरे क्षेत्र में है। पूरी जानकारी वहां पर रहने वालों ने दी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ये गये ही नहीं साहब वहां पर। आप मेरे को वह तारीख बता दो, जिस दिन गये थे। उसकी जांच तो कर लूं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): वहां रोज काम कर रहे हैं, वह बता रहे हैं। वे गलत बता रहे होंगे क्या?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप तो नहीं गये, कुल मिलाकर यह है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मेरे जाने से क्या? वहां काम कर रहे हैं। गांव के बीच में है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): चलो ठीक है। मेरे को यही जानकारी लेनी थी।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): आप कब गये थे? आप अपनी तारीख बता दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं तो जाकर आया था। तारीख बताता हूं आपको अभी। (व्यवधान)

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मैं भी आपको बाद में तारीख बता दूंगी। आप देखिए मंत्रीजी, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है और न ही पोलिटिक्स है। गायों का मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको मंत्रीजी से जवाब चाहिए या आप अपना वक्तव्य ही देते रहेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं सुन रहे हैं ये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दोनों की तारीख मुझे बता दें। वह किस दिन गयीं हिंगोनिया में वह तारीख और मंत्रीजी गये वह तारीख। इन दोनों की तारीख मैं लेकर बता दूंगा आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): राजेन्द्रजी, मैं तो मुख्य मंत्रीजी के साथ गया हूं। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है वहां...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरे को पता है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): उसी क्षेत्र के लोग मुझे दे रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है वहां। बीस हजार लोग थे उस कार्यक्रम में। मुख्य मंत्रीजी खुद गयीं हैं वहां पर।

उपाध्यक्ष महोदय, गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया गौशाला की गौवंश की मृत्यु दर में कमी और अन्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए 28 सितम्बर, 2016 को हरे कृष्णा मूवमेंट अक्षयपात्र एवं 01 अप्रैल, 2017 से श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट अक्षयपात्र एवं नगर निगम, जयपुर के मध्य 19 वर्ष का एमओयू किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया को जिस समय निजी संस्था को दिया गया उस समय लगभग 7500 गौवंश सुबह-सुबह मौजूद था और वर्तमान में, शायद अंजूजी को ध्यान नहीं है, आज की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

तारीख में 21500 गौवंश है वहां पर। पहले 7500 ही थे। आप कह रहे हो न, मर रहे हैं रोज। तीन गुना हो गये गौवंश वहां पर।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): मरे कितने वहां पर, यह भी बता दो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सब बताता हूं अभी आपको। संख्या बढ़ी है, इसकी जानकारी है या नहीं आपके आदमियों को?

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सब जानकारी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कहां जानकारी है?

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): जो वहां डाक्टर्स हैं, यह लिखा हुआ है वह वहां डाक्टर का ही लिखा हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हमने जब एग्रीमेंट किया, जब हमारा एमओयू हुआ, उस समय गौवंश 7500 था और आज 21500 है। इसका मतलब हिंगोनिया गौशाला में अक्षयपात्र वाले अच्छा काम कर रहे हैं।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): फिर आगरा हाईवे पर पर कैसे मर रहे हैं? आगरा हाईवे पर रोजाना पशुओं का एक्सीडेंट हो रहा है। उसी हिंगोनिया गौशाला के बराबर से हाईवे जा रहा है। उस पर रोज पशु मर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को जवाब नहीं देने दे रहे हैं। इन्होंने दो-चार नौकर रख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट पर बोल रहे हैं ये।

उपाध्यक्ष महोदय, गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में जयपुर नगर निगम की सीमा के कुपोषित, गम्भीर बीमारियों से ग्रसित एवं दुर्घटनावश घायल एवं पालीथीन एवं कचरा खाया हुआ घायल, बीमार, असहाय गौवंश को भेजा जाता है। ऐसे गौवंश की प्राकृतिक मृत्यु होना स्वाभाविक है। आप भी समझते हो इस बात को। गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया को निजी संस्था को दिये जाने के उपरान्त गौवंश की मृत्यु दर में अपेक्षित कमी आयी है और गौवंश पुनर्वास केन्द्र में उपस्थित पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक उपचार किया जाता है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि उप निदेशक, बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय, हिंगोनिया, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार 01.01.2014 से 31.12.2017 तक 901 पोस्टमार्टम किय गये, जिसके अनुसार कचरा एवं पालीथीन खाने में 417 गौवंश की मृत्यु हुई। गौ पुनर्वास केन्द्र, हिंगोनिया को दिये जाने के समय पुनर्वास केन्द्र में मौजूद गौवंश की मृत्यु दर लगभग 15 प्रतिशत थी और वर्तमान में मृत्यु की दर 7 प्रतिशत है। और कम हुई है। आप उल्टा कह रहे हो कि बढ़ गया है। आपके पास बिलकुल गलत जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, गौ पुनर्वास केन्द्र, हिंगोनिया गौशाला केन्द्र के पशुओं के उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। मैं यह भी कह सकता हूं कि जबसे हमने इस ट्रस्ट को दिया है, अब तक 25 करोड़ रुपये नगर निगम वहां पर खर्च कर चुका है। हर महीने तीन करोड़ रुपये वहां पर खर्चा कर रहे हैं। गौ पालन से भी हमने दस करोड़ रुपये दिये हैं और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेली ऐसी सरकार है जो गौ को माता मानकर सेवा कर रही है।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अभी हर जिले में एक-एक नन्दी शाला खोलने का निर्णय किया है। अंजूजी, आपको मुख्य मंत्रीजी का इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। हिंगोनिया हो, चाहे छोटी से छोटी गौशाला हो। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनसे धन्यवाद दिलाओ कि राजस्थान की हर गौशाला को हमने अलग से पैसा भी दिया है। हर जिला स्तर पर हम नन्दी शाला भी खोल रहे हैं और हिंगोनिया का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं। मृत्यु दर में भी कमी आयी है और गौवंश की वृद्धि भी हुई है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दकिशोरजी महरिया।

प्रदेश में RTDC द्वारा संचालित होटलों के बंद करने से उत्पन्न स्थिति

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 50 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रदेश में सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को सुविधा देने के लिए हमेशा गम्भीर होने का दावा करती है और घोषणा पत्र में भी पर्यटन स्थलों के विकास एवं रख-रखाव की योजनाओं की बातें हुई थीं।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

हेरिटेज सर्किट, हेरिटेज होटलों के रख-रखाव और प्रोत्साहन की बातें हुई थीं। अन्तरराष्ट्रीय नक्शे पर राजस्थान को लाने की बातें भी हुई थीं। पांच वर्षों में होटल कमरों की संख्या में तीन गुणा वृद्धि करने की बातें हुई थीं, बजट में होटलों को बढ़ाने की बातें हुई थीं।

अपने यहां पर्यटन के मामले में आर.टी.डी.सी. की होटलें हैं, मोटल्स हैं। प्रदेश में 40 होटलें थीं, 15 को बंद कर दिया गया, 22 मोटल्स थीं, उनमें से 19 बंद कर दी गयी हैं। बड़ी अच्छी लोकेशन पर थीं, बहुत बढ़िया होटलें और मोटलें बनी हुई थीं। जिनको पहले बंद किया था दो, तीन, चार साल पहले चूरू में किया, सालासरजी में किया, लोग उनके गेट-खिड़कियां तक उतार कर ले गये, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हो गया। हमारे शेखावाटी क्षेत्र में सीकर जिले की एक मात्र होटल हवेली है, जो भारत सरकार की जमीन दी हुई थी, उसको बनाने के लिए भारत सरकार के पैसे दिये थे और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी माननीय भैरोंसिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था और अपने हाथ से लिखा था कि यह स्थापत्य कला का बेहद खूबसूरत नमूना है। उस होटल को भी बंद कर दिया गया। जिसने पिछले तीन-चार साल में 15-16 लाख रुपये हर साल आमदनी भी दी है, खर्चे भी हुए हैं। खर्चे अब भी होंगे क्योंकि दो-तीन कर्मचारी थे इसलिए आमदनी थोड़ी कम थी, वो कर्मचारी अब भी रखने पड़ेंगे अगर नहीं रखेंगे तो करोड़ों की सम्पत्ति वैसे खराब हो जायेगी। तो यह जो हालात हैं और वो जो होटल बंद भी हुए हैं वो बिना सक्षम अनुमति के हुए हैं। एक अदने से आफिसर के लैटर से वो होटल बंद हुए हैं।

इन होटल्स, मोटल्स पर एक बार दोबारा विचार करना चाहिए और इनको चालू रखना चाहिए क्योंकि इनसे इनडाइरेक्ट इन्कम भी बहुत हो रही है। पूरे क्षेत्र में देशी-विदेशी पर्यटक हमारे फतेहपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में हवेलियां देखने आते हैं, वो ओपन आर्ट गैलेरी के रूप में मशहूर है। तो काफी इनडाइरेक्ट इन्कम भी हो रही है सीधी इन्कम के अलावा।

तो ऐसे में सिर्फ यह कहकर कि, होटल घाटे में है, उपाध्यक्ष महोदय, अब घाटे में तो सरकार भी है, अपन ने बंद तो नहीं की। इसको पुन: चालू करवाया जाय। इस पर विचार किया जाय। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित कई होटलों के बंद होने का जिक्र किया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इसी 10.11.2017 को एक नीतिगत निर्णय लेकर उन 15 इकाइयों को बंद किया जो लगातार घाटे में थीं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं सिर्फ इन 15 इकाइयों की बात करूं तो 2013-14 में 24 करोड़ 15 लाख का कुल घाटा आर.टी.डी.सी. को हुआ, 2015-16 में फिर 14 करोड़ 59 लाख का हुआ, 2014-15 में 22 करोड़ का हुआ, यानी आज की तारीख में कुल 154 करोड़ का घाटा है।

इससे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो और होटलें थीं, लगभग 40 ऐसे मोटल और होटल, इनको भी अलग-अलग समय पर बंद किया गया।

अब जिस होटल का जिक्र आप कर रहे हैं, फतेहपुर की होटल है, जो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने उसका उद्घाटन किया था, 2007-08 में 6 लाख 67 हजार का घाटा, 2008-09 में 10 लाख 96 हजार का घाटा, 2009-10 में 18 लाख 2 हजार का घाटा, 2010-11 में 15 लाख 25 हजार का घाटा, 2012-13 में 16 लाख 9 हजार का घाटा और 2013-14 में 17 लाख का घाटा, फिर 2014-15 में 18 लाख का और 2015-16 में 9 लाख का। उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर लगातार यह घाटे पर घाटा और इनमें पर्यटक कम आ रहा था इसलिए इनको बंद किया गया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने होटल बंद हुए हैं इसमें 363 अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे थे, एक भी कर्मचारी को हटाया नहीं जायेगा। इनको विपरीत प्रतिनियुक्तियों पर, इनसे आप्शन लेकर दूसरे विभागों में समायोजित किया जायेगा।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी होटल बंद हुए हैं, चूंकि निरन्तरता से आर.टी.डी.सी. घाटे में चल रहा है और आर.टी.डी.सी. में इन होटलों में हमारे पर्यटक थे उनकी आवक भी कम हुई है, इसके कारण से बंद किये गये हैं और इनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहे इसलिए वहां आवश्यक चौकीदार तैनात किये गये हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा निवेदन यह था कि वहां कर्मचारी की 9 पोस्ट सैंक्शन हैं और दो रहेंगे, कूक नहीं है, रसोइया नहीं है तो फिर पर्यटक कैसे टिकेगा? कर्मचारी नहीं होने की वजह से ये घाटा हुआ। मेरा एक निवेदन है कि मंत्रीजी इस पर पुनर्विचार जरूर कर लें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 अध्यक्षीय व्यवस्था के हिसाब से पढ़े हुए मान लिये गये।

पर्ची के माध्यम से श्री कैलाश भंसाली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर शहर के पुरामहत्व के तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों के पानी की निकासी की व्यवस्था

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा यह सौभाग्य है कि रोज स्लिप, पर्ची लगाता हूं, आज खुल गयी है उसके लिए मैं भाग्य को सराहा रहा हूं।

हमारे जोधपुर में जल स्वावलम्बन अभियान जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने प्रारम्भ किया, जिसका तीसरा चरण हो रहा है। उसमें जनाना बाग़ जो उम्मेद पब्लिक पार्क में स्थित है, उसमें एक बावड़ी है, बावड़ी तीन मंजिला है और उसमें शिवजी का मन्दिर है, बीच में गणेश जी विराजमान हैं तथा एक मजार भी है। लाखों लोग आते हैं और जनाना बाग़ में घूमने वाले लोगों की संख्या बहुत है जिसमें बहुत सारे न्यायाधीश घूमने आते हैं, मैं भी जाता था।

वहां पर सब लोग गणेश पूजा शिवजी के मंदिर में दर्शन करके घूमना शुरू करते हैं, उसी तरह हर शुक्रवार को मजार पर हजारों मुस्लिम भाई-बहन नमाज पढ़ने आते हैं। ऐसे ऐतिहासिक को हमारे नगर निगम ने लिया है, नगर निगम अच्छा काम कर रही है। मेरा निवेदन है कि नगर निगम के पास संसाधनों की कमी है, राज्य सरकार विशेष पैकेज देकर इसको अच्छी गति दे सकती है।

दूसरा, बाईजी तालाब, जो शहर के मध्य में स्थित है, चारों तरफ बहुत बड़ी बस्ती है और पास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बालिका विद्यालय में 1250 बच्चियां पढ़ती हैं परन्तु गंदगी का यह आलम है कि सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। पानी साफ नहीं है, उसकी नहर को तोड़ दिया गया है तो जो प्राकृतिक आवक बरसात से होती थी, वो भी नहीं हो रही है और उसमें चारों तरफ गाय और भैंसें बैठ जाती हैं और गंदगी और गोबर के कारण लोगों का जीना हराम हो रहा है। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से, विशेषकर यू.डी.एच. मिनिस्टर साहब से कि जे.डी.ए. को अच्छा अनुदार देकर इस कार्य को गति प्रदान की जाए।

(श्री कैलाश भंसाली)

जोधपुर में गुलाब सागर शहर के मध्य है, उसके साथ में एक छोटा तालाब है जिसको गुलाब सागर का बच्चा कहते हैं, बहुत ऐतिहासिक जगह है, सात मंजिला है और नौकायन नगर निगम ने जरूर शुरू किया। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 2013 में इसका उद्घाटन किया था और सूर्यकान्ता जी उनको लेकर आयी थीं, मुझे ध्यान है, उसमें उन्होंने कहा था यहां एक रिवाल्विंग रेस्टोरेंट बनेगा, पर्यटकों के लिए कमरे सहित होटल बनेगा परन्तु अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए जे.डी.ए. को दिया जाए। उसका एक मास्टर प्लान भी बना हुआ है जो अहमदाबाद के कांकरीया झील की तरह ही मास्टर प्लान बना है, जिसमें बच्चों के लिए रेल गाड़ी, पर्यटकों के लिए और बच्चों के लिए अच्छे से झूले, घूमने के लिए अच्छे से साधन तथा तरह-तरह जानवर जैसे बकरी है, भेड़ है, खरगोश है, बत्तक है और बहुत अच्छा पानी है तो मेरा निवेदन है इस कार्य को नगर निगम को कुछ विशेष अनुदान देकर गति प्रदान की जा सकती है।

फतेहसागर एक ऐसा शहर के बीच में तालाब है जिसमें रामानुज कुट में ठाकुर जी विराजमान हैं, हजारों लोग रोज सुबह-शाम दर्शन करने आते हैं। मंगला आरती से लेकर रात्रि विश्राम तक लोगों का आना रहता है। पानी खूब है, नौकायन कभी चलती है कभी नहीं चलती है और वहां पर शिवजी का मंदिर है परन्तु उसके पास की सड़क इतनी खराब है, गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं खुद गया हूं, तीन जगह गिरता-गिरता बचा, ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं, तुरन्त जे.डी.ए. अच्छी सड़क बनावे और नगर निगम सीवर लाइन का काम पूरा कराये ताकि गंदगी नहीं आये।

इसी तरह से हमारे रानीसर पदमवास में जो बावड़ी है मोंट्रिक पोल के पास में, बहुत सुन्दर और तीन मंजिला बावड़ी है, उसका पानी पीने लायक है और हमारे पूर्व हिज-हाइनेस यहां से पानी मंगा कर पीते थे, इतना अच्छा पानी है।

नौचौकिया का बेरा, वो भी इसी तरह का पानी है, लाड़जी का बेरा को पहले से अच्छा कर दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे 15 स्थान हैं। पुलिस लाइन में जो बावड़ी है, बहुत बढ़िया है, परन्तु आजकल उसमें बाहर से पानी आ जाता है। मालूम नहीं पड़ रहा है और वह खचाखच भरी हुई रहती है और इतना पानी होता है। सारा अंडरग्राउंड में चला गया है। पुलिस वाले बड़े

(श्री कैलाश भंसाली)

परेशान हैं। इसी तरह से जोधपुर की जो कासमण्डी है, उसमें इतना पानी कहां से आ रहा है, मालूम नहीं पड़ रहा है। 24 घंटे 5-5 हार्स पावर की मोटर चलाकर दुकानदार पानी को खाली करते हैं और नालियों में डालते हैं, व्यर्थ जा रहा है। उस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता और इसके लिए तीन कमेटियां बनीं, एक अपने दिल्ली से, एक कलकत्ता से और एक हैदराबाद से, तीनों ने कहा, इस पानी का स्रोत मालूम नहीं पड़ रहा है। पानी बहुत अच्छा है। टेस्टी है, पीने के लायक पानी है। झालरा में रईस हवेली है, हजारों हवेलियां बन गई हैं। हैरिटेज के संबंध में मैंने थोड़े दिन पहले इस बात को रखा था और कहा था कि इसको हैरिटेज लुक दिया जाए। पत्थर की सड़कें बनाई जाएं, रंग-रोगन किया जाए और अच्छा मेंटीनेंस किया जाए तो पर्यटकों के लिए बहुत सुन्दर स्थान है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार इसके बारे में ध्यान दे, यह बात मैंने 2008 में पहली बार अशोक गहलोत साहब की सरकार के सामने रखी थी और उन्होंने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो उसको क्रियान्वित किया जाए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पर्ची के माध्यम से जोधपुर शहर के कुओं-बावड़ियों के संबंध में जो निकासी की बात की है और पुराने तालाब, कुओं और बावड़ियों की भी आपने अपनी समस्या का यहां पर जिक्र किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के पुरामहत्व के तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों में पानी की निकासी का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य के अन्तर्गत 48 तालाबों, कुओं एवं बावड़ियों का पानी पंप के माध्यम से जल वितरण व्यवस्था से जोड़कर उद्यानों एवं अन्य कार्यों के उपयोग में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 तालाबों पर पंप के माध्यम से पानी की निकासी सीवर लाइनों से की जा रही है।

मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में भी वाटर लागिंग की समस्या के समाधान हेतु जोधपुर के लिए विशेष रूप से डीपीआर तैयार कराई जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभियान के प्रथम चरण

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

में भी जितनी भी जोधपुर की ऐतिहासिक बावड़ियां थीं। भंसाली साहब, आपको ध्यान होगा कि पुनरुद्धार का कार्य उसका किया गया, हम खुद भी आए थे वहां पर और अच्छा कार्य हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने गुलाब सागर और फतेहसागर की मेंढ़ों की सफाई और सीवर को मुक्त करने हेतु भी नगर निगम की जो आपने बात की, उसमें एक करोड़ रुपया हमारा अभी तक व्यय हो चुका है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यहां-यहां आवश्यकता है, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे थे, उसकी भी मैं जानकारी ले लूंगा और प्रयास करेंगे कि उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ कार्य को हम आगे बढ़ा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई चीजें इन्होंने, जो विषय में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने उठाईं, शहरी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान में जो बावड़ियां प्रथम चरण में ठीक नहीं की जा सकीं, उन सभी शेष बावड़ियों का पुनरुद्धार हम द्वितीय चरण में कर देंगे। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मेरा निवेदन है कि समय का निर्धारण करें कि कितने समय तक यह काम हो जाएगा, डीपीआर कब बन जाएगी और उसकी क्रियान्विति कब हो जाएगी?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जो पुरानी बावड़ियां हैं, उनकी तो डीपीआर बन चुकी है, काम भी प्रारंभ हो गया है, द्वितीय चरण का। आप जो अब बताएंगे, उसकी मैं तैयार करवाता हूं और शीघ्र करेंगे उसको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा है कि जोधपुर का प्रश्न उठा है और मैं खुद जोधपुर की हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में कुआं-बावड़ियों की भरमार है। इसी तरीके से जोधपुर में एक गंगलाव तालाब है, उसके लिए मैं बार-बार निवेदन करती हूं, उस गंगलाव तालाब को कचरे से भर दिया गया है। हर कोई काम करता है, कचरा वहां डाल देता है। वह एक ऐसा तालाब था, उसके अन्दर चार बेरियां थीं। उन बेरियों का पानी इतना जबरदस्त था कि एक बेरी से अगर आप समझते हो तो मैं बता दूं, लापसी तो सभी लोग समझते हैं, उस पानी से लापसी बनती थी, तो बहुत बढ़िया तैयार होती थी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एक बेरी ऐसी थी कि उससे पानी लेकर कपड़े धोते थे तो सफेद कपड़ा जैसे कि हमारे मंत्री के सफेद ड्रेस पहनी हुई है, तो एकदम ही उजाला हो जाता था, साफ हो जाता था। इसी तरह से चार ही बेरियों का एक बहुत बड़ा तालाब था और किसी तरीके से राजा-महाराजाओं ने क्या सोच-समझकर ये बावड़ियां बनाई हैं, स्टेटों के टाइम की। आज उनकी क्या दुर्दशा है, उस पर सोचने का विषय है। मैं बार-बार इस गंगलाव तालाब के लिए, बाइजी तालाब के लिए, गुलाब सागर, फतेह सागर, नाजाजी की बावड़ी, जत्ताबेरा.., जत्ताबेरा तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक जमाने में वहां पुलिस का पहरा लगता था, कोई भी वहां से पानी नहीं ले जा सकता था, सिर्फ किले के अन्दर पानी जाता था, दरबार के यहां। उस बैरे का पानी इतना जबरदस्त था। अब आजकल इतिहास ही खतम हो गया है, तो ये कुओं-बावड़ियों के बगैर अपन जिंदा कैसे रहेंगे, आप इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो।

राजा-महाराजाओं ने यह इसलिए बनाया था कि जोधपुर की जनता को पानी की असुविधा नहीं हो, कभी हो तो ये कुएं-बावड़ियां हैं, आज वे कचरे से भरी हुई हैं। नगर निगम में 15 साल तक तो कांग्रेस का बोर्ड रह गया, 5 साल हमारे बोर्ड को आए हो गए, पर हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है। सही बात तो यह है। इस बात को बहुत सोचने का विषय है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं और इनका नाम बड़ा अच्छा सुन्दर है। जैसा नाम है, वैसा ही काम होना चाहिए, लंबाई अच्छी है इनकी, बोली अच्छी, मगर अब ये काम करके बता दें कि गंगलाव तालाब को कैसे सुधारा जाए। चारों तरफ तो encroachment हो गया और वह सारा encroachment से भर गया, यह समझ लो आप। रोज उसकी तार बंदी करें। कितने ही कलक्टर आ गए और कितने ही गए, कितने ही आफिसर आ गए, गए, न तो कोई नाजाजी की बावड़ी का होता है, न बाईजी तालाब का होता है और न गंगा तालाब का होता है। कुछ भी नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि टाइम तो बताओ आप कि 15 दिन में करें, महीने भर में करें, इसकी सफाई करवाओ। अब जो कुछ भी बचा हुआ है, उसकी तो कम से कम संभाल करवाओ और कुछ नहीं तो हमारे जोधपुर दरबार का स्टेटों के टाइम का नाम तो रहे इस गंगलाव तालाब का, यह तो करवाओ। बाईजी का तालाब जो महाराजा उम्मेद सिंह जी की लड़की ने इस तालाब को बनाया, स्कूल बनाई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

उस जमाने में, इस बाईजी के तालाब का भी बहुत भारी इतिहास है, क्योंकि सवासणी का है और सवासणी के घर का कोई खाता नहीं है, तो एक ऋषि-महात्मा ने श्राप दे दिया कि 6 महीने से ज्यादा पानी नहीं रहेगा। वहां पानी 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता, फिर भी वह सब पीने के काम में आता है। आज भी वहां मशीनें लगी हुई हैं। कहां तो मशीनें गईं, कोई पता नहीं है।

ऐसे ही तूरजी का झालरा है, मशीनें और वहां के पंप आप देखें तो मेरे खयाल से आज अरबों रुपए खर्च कर दो तो वैसी मशीनें और पंप नहीं मिल सकते।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप देखें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जीजी को आपने मौका दिया, हालांकि इन्होंने आपसे परमिशन नहीं ली...

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आपकी तारीफ की है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरी तारीफ तो नहीं की, पता नहीं तारीफ की या बुराई, मुझे ही समझ में नहीं आया, लेकिन, जीजी, आपने विशेष रूप से गंगा तालाब के बारे में बात की यहां पर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): गंगलाव तालाब।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): गंगलाव तालाब। गंगलाव तालाब के चारों ओर आपने भी देखा होगा कि लोगों द्वारा अतिक्रमण करके मकान बना लिए गए। सही है, गलत है यह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ...और कांग्रेस शासन में वहां पर कुछ लोगों को पट्टे भी दे दिए गए थे। गंगलाव तालाब की सीमा का निर्धारण राजस्व विभाग व सैटलमेंट द्वारा हम करा रहे हैं। इसका सैटलमेंट होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, निश्चित रूप से हम उसका उद्धार करने का प्रयास करेंगे और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात समझना चाहती हूं, मुझे एक बात समझा दो आप कि तालाबों के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

ऊपर पट्टा कैसे दे देते हैं, चाहे भले ही कांग्रेस सरकार दे, चाहे बीजेपी सरकार दे, चाहे कोई भी हो...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नहीं, बीजेपी सरकार नहीं देती है, कांग्रेस सरकार ने ही दिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तालाबों के अन्दर पट्टा दे दिया, पट्टे कैंसिल कर दो। पट्टे दे दिए तो क्या हो गया। पट्टे दे दिए सरकार ने तो आप कैंसिल कर दो। गलत पट्टे दिए हैं तो उसको कैंसिल कर दो। और उनको रहने के लिए कहीं भी आवास दो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह कमाल तो कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है तालाब में पट्टे देने का।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पहला, राजस्व द्वारा इसकी हम जांच करा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं, अगर गलत पट्टे दिए गए हैं तो उसकी कार्यवाही हम करेंगे। दूसरा, जिस तरह हमारी जीजी दिखने में बुजुर्ग, तरोताजा नजर आ रही हैं, वैसे ही इस बावड़ी को भी तरोताजा कर देंगे। अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ गए आप। तीसरा, आपको राजस्थान की मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि पहली बार राजस्थान में कोई मुख्य मंत्री है, जिन्होंने मुख्य मंत्री....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब अंकित हो रहा है क्या जो मंत्रीजी कह रहे है, दीदी तरोताजा दिख रही हैं और ऐसे ही कर देंगे बावड़ियों को...

श्री उपाध्यक्ष: पूरा स्पष्ट रूप से अंकित हो रहा है यह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यही पूछ रहा था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जिस तरह डोटासरा जी जवान होते हुए भी बुझे हुए दिख रहे हैं पर हमारी जीजी बुजुर्ग होते हुए भी तरोताजा दिख रही है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह हमारे मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान चलाया और पूरे राजस्थान में, आपके जोधपुर की कितनी बावड़ियों का जीर्णोद्धार हुआ है, तो बची हुई जो भी बावड़ियां हैं और जिन तालाबों का आपने जिक्र किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही इनकी डी.पी.आर. बनाकर इनका भी पुनरुद्धार हम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

प्रदेश में शूद्र व दलित वर्ग पर अत्याचार

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस जीरो आवर में पर्ची के माध्यम से जो मैंने विषयवस्तु दी उस पर मैं अपनी बात सदन को अवगत करवाऊं इससे पहले मैं अपनी पार्टी की ओर से संविधान और राष्ट्र के निर्माताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर, 1949 हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इस दिन हमारी संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था और डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डाक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माने जाने वाले प्रिएंबल में सावरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में राष्ट्र के स्वरूप की घोषणा की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाद में 42वें संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द भी जोड़े गये। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी के मूल्यों के साथ भारत के संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया। इस तमाम बातों के बीच में बाबा साहब डाक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ इस देश के अन्दर आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक समरसता कायम करने का एक बहुत बड़ा सपना देखा और देश के संविधान में कानूनी दृष्टि से समायोजन किया। लेकिन गणराज्य के 68 वर्ष बाद भी प्रदेश की सरकार पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना पड़ रहा है कि राजस्थान प्रदेश के कुछ जिले और उन जिलों के थाना क्षेत्र में मुकदमा किये लोग विभिन्न जगह चक्कर लगाकर चाहे वो माननीय मंत्री महोदय रहे हों या इस प्रदेश के डी.जी.पी. महोदय रहे हों, मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद समस्त जगह चक्कर लगाया उसके बावजूद भी राष्ट्र और इस संविधान के निर्माताओं के मन की इच्छाएं थीं वो आज भी हम पूर्ण रूप से इस देश और प्रदेश में लागू नहीं कर पाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग पीड़ित रहे हैं वो विभिन्न जगह चक्कर लगाकर मेरे पास आये उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे झुन्झुनूं का ही झुन्झुनूं थाना है जिसमें एक शूद्र वर्ग की महिला उर्मिला पत्नी सुमेर सिंह जाति मेघवाल निवासी चारणवास के साथ

(श्री पूरणमल सैनी)

बलात्कार हुआ और उन्होंने जब मुकदमा दर्ज किया और विरोधियों को, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उनको पता चला तो पता चलने के बाद उनके घर में आग तक लगाई गई। उसकी सूचना भी पुलिस थाने में दी गई और 13.01.2018 को झुन्झुनूं के थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आग लगाने वालों और रेप करने वालों का पता है लेकिन आज दिनांक तक हमारा झुन्झुनूं थाना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके का एक मामला बालेश्वर, जोधपुर में मजबूत लोगों के द्वारा शूद्र वर्ग के दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया। उनके खिलाफ पुलिस में सूचना दी गई, मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन आज दिनांक तक उस दूल्हे को किसी प्रकार का प्रोटोकाल जोधपुर में प्रोवाइड नहीं कराया गया। आज भी वो सहमे से बैठे हैं। इस गणराज्य को अंगीकार कर लेने के 68 वर्ष बाद भी और इस देश की आजादी के 71 वर्ष बाद भी हमारी यह हालत है।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान प्रदेश की राजधानी में पूरणसिंह जाटव जो ग्राम धारेड़ा के रहने वाले हैं और हाल आबाद हैं जयपुर में। उनकी बेटी पूजा, जिनकी उम्र 17 वर्ष है, दिनांक 4.12.2017 को मुकदमा मुहाना थाना, दक्षिण में दर्ज किया लेकिन आज 2 महीने पूरे बीत चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक उसकी बेटी का सुराग नहीं लग पाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मानते हैं कि लड़कियां सहमति से जाती होंगी लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के थानों में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा और जब भी कोई बात करता है और लड़की अगर मेच्योर है तो उन प्रार्थियों को इस तरीके से समझाया जाता है कि देखो आपको लड़की को समझाना चाहिए था और अब यह चली गई तो हम भी क्या कर पायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात सही है लेकिन वो इसके बजाय यह कर सकते हैं कि उनको पकड़कर तो लेकर आएं और उसके बाद अगर उनकी सहमति है मेच्योरिटी के बाद तो वो जहां चाहते हैं वहां उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, निर्बाध रूप से छोड़ दें। लेकिन वो लड़की का पीड़ित परिवार जो महीनों तक पीड़ा सहन करता रहता है इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अविलम्ब इस पर भी कार्यवाही फरमाई जाए।

चौथा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान

(श्री पूरणमल सैनी)

प्रदेश के ही पुलिस थाना फलौदी के सम्बन्ध मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक राशन डीलर, जिसमें प्रार्थिया दिनांक 15.2.2018 को राशन लेने गई तब राशन डीलर विशाल व उसके पिता भैयालाल ने प्रार्थिया के साथ, एक ही महिला नहीं, जो भी महिलाएं वहां जाती हैं, इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ समय-समय पर शिकायतें होती रहीं और माननीय उप खण्ड अधिकारी, फलौदी के यहां जब उस डीलर की शिकायत हुई तो धारा 3 में कार्यवाही करके उनको जो लाइसेंस दिया था उसमें उपखण्ड अधिकारी, फलौदी में उसके खिलाफ फैसला भी कर दिया लेकिन राजनीतिक प्रभावों के चलते आज दिनांक तक उस डीलर या उस परिवार के खिलाफ जो विभिन्न महिलाओं को यातना देते रहे हैं, न तो उनके व्यवसाय की दृष्टि से कोई कार्यवाही फरमाई गई और न उनको प्रोटोकाल देने के लिए कानूनी कार्यवाही फरमाई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आपकी इस राजधानी के थाना ब्रह्मपुरी में पिछले दिनों एक आदमी को एक युवक जो पिछड़ी जाति का था, युवक का नाम था चेतन, 24.11.2017 को नाहरगढ़ की पहाड़ी पर हत्या करके लटका दिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोकना तो नहीं चाहता लेकिन कितना बड़ा स्कोप है। यह तो गृह विभाग की डिमांड पर कहते।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे विषय में लिखा है कि राजस्थान प्रदेश के विभिन्न.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप इनकी पर्ची का मुलाहिजा फर्माएं। इतना बड़ा स्कोप और पूरे राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मैं आपसे निवेदन करूं, आपका बेसिक यह था कि दलित महिलाओं के उत्पीड़न के सम्बन्ध में। या तो आप पूरा टोपोग्राफिकल चार्ट प्रस्तुत करते कि इतने प्रतिशत पहले था और अब बढ़ गया या घट गया। अगर आप एक-एक एफ.आई.आर. का करेंगे तो न तो मंत्री महोदय को उन एफ.आई.आर. की सम्पूर्ण जानकारी है। It is not possible कि आपके मन में क्या है उस बात का पहले ही उनको पता पड़ जाए और वो सारी चीज करें।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप बेसिकली यह बता दें कि पिछले इतने वर्ष के अन्दर महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न और उसमें खासकर महिलाओं के उत्पीड़न के क्या ऐसे मामले थे जिनमें आपकी बढ़ोतरी हुई है या घटे हैं। अगर आपके पास में स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो वो आप लिखित में दे दें जिसका आपके पास में उत्तर आ जाए। इस मौके पर तुरन्त इनका उत्तर देना मेरे हिसाब से तो सम्भव नहीं है फिर भी अगर मंत्री महोदय को जानकारी है तो वो दे देंगे। अब चूंकि आपने अपने स्कोप को इतना वाइड कर लिया, Probably you will use all sources of examples from all over Rajasthan. Be very specific and conclude it.

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई महीनों से नहीं और मेरी विषय वस्तु में भी जीरो आवर्स में ये दोनों चीजें लिखी हैं कि यातनाएं किस-किस तरीके से है। मैंने मेरी बात रख दी फिर भी अगर कोई बात है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये विभिन्न जगह के पीड़ित लोग मेरे पास आये तो ये सदियों या दशकों का इकट्ठा किया हुआ नहीं है, एक-दो दिन में जो लोग आए उनका है। मेरा कल-परसों अवसर नहीं लगा और आज अवसर लगा है तो मैं मांग कर रहा हूं। आपकी यह बात सही है कि समस्त बिन्दुओं का हमारे प्रदेश के गृह मंत्रीजी एक दिन में जवाब नहीं दे पाएंगे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंतजार करूंगा क्योंकि इतने दिनों से जब लम्बित हैं तो दो दिन बाद इनकी कार्यवाही करवाकर मुझे व्यक्तिगत अवगत करा दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन समस्त बातों को आपके माध्यम से रखते हुए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मैंने निवेदन किये हैं इन समस्त मुद्दों पर कार्यवाही फरमाकर राजस्थान प्रदेश के उन दलित और शोषित महिला और पीड़ितों को न्याय दिलवाने का काम करें। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय को इतना लम्बा किया है फिर भी मेरे पास उत्तर है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझा। मैंने कल भी बहुत विस्तृत कहा है कि महिलाओं के सभी प्रकार के अपराध में, शिड्यूल्ड कास्ट में भी, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में भी और बाकी महिला अत्याचार में भी राजस्थान में लगातार 2015, 2016, 2017 में कमी हुई है और इन वर्षों में सभी महिलाओं के मामलों में माइनस 21 परसेंट कमी एफ.आई.आर. में हुई है। फिर भी मेरे पास एस.सी. अत्याचार के सारे आंकड़े हैं....

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(13.00 बजे)

हत्या के प्रकरण में क्या है, गम्भीर चोट में क्या है, बलात्कार में क्या है। यह जो एस.सी. की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हैं, आप चाहो तो मैं ठेठ 2012 से लेकर बता सकता हूं पर आपने 2014 से पूछा। 2014 में 348, 2015 में 318, 2016 में 327 और अभी इस वर्ष 282 है, यानी इनमें रिडक्शन है।

अगर आप यह चाहो कि टोटल एस.सी. की महिलाओं के साथ विभिन्न केटेगरीज में जो अपराध हुए हैं, उनकी दृष्टि से अगर आप लेना चाहें तो 2014 में 6,734, 2015 में 5,911, 2016 में 5,135 और अभी केवल 4,046, यानी इनमें रिडक्शन है।

अगर आप इसको एस.टी. के साथ कहना चाहते हैं क्योंकि उसमें दोनों ही वर्ग आ गये तो एस.टी. की दृष्टि से भी बलात्कार की दृष्टि से 2014 में 85, 2015 में 80, 2016 में 71 और इस बार 62 है, लगातार उसमें रिडक्शन है।

अगर आप इनको टोटल में लेकर चलें तो एस.टी. में 2014 में 1,681, 2015 में 1,409, 2016 में 1,196 तथा इस साल 975, उसमें गिरावट है। तो सभी प्रकार के महिला अपराध में गिरावट है।

एक मुख्य विषय जो आपने अपने क्षेत्र के बारे में कहा है, झुंझुनूं के बारे में कहा है तो झुंझुनूं में भी और विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, दोनों को मिलाकर 2014 में 66 प्रकरण दर्ज हुए हैं, 2015 में 36, 2016 में 40 और इस बार 44, ये आपके यहां के दर्ज हैं।

फिर आपने कहा कि घोड़ी पर से कितने लोगों को उतारा राजस्थान में इन वर्षों में? तो इन वर्षों में 2014, 2015 और 2016, इनमें 38 प्रकरण हुए हैं। 2014 से लेकर 2017 तक दलित लोगों को घोड़ी से उतारने के कुल 38 प्रकरण राजस्थान के विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। उनमें से 28 में हमने मुलजिम गिरफ्तार करके चालान पेश कर दिया, छह में हमने एफआर दी है, एक में अभी मुलजिम तो हमने गिरफ्तार किया है लेकिन अभी हमारा चालान पेश करना बाकी है और तीन अभी मुकदमे अनुसंधान के अन्दर है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब, कमजोर वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा और उनकी इज्जत को बचाना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको इसी काम के लिए भेजा है और मैं बराबर इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें रिडक्शन कैसे आये और जिसने भी अपराध किया है, वह चाहे किसी भी जात और बिरादरी का हो, हमने न उसकी जात देखी, न बिरादरी देखी। अगर अपराध किया है तो अपराधी की तरह से उसके खिलाफ हमने कार्यवाही की है।

यह जो एफआर लगाई है, वह भी मेरे पास सूची है कि मैंने कौन-कौनसे केस में एफआर लगाई है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से जिस भावना से इसको पूछा है, मैंने उसी भावना से कार्यवाही की। व्यक्तिगत किसी केस में कोई कमी-खामी रह गई है तो आप इंडिविजुअल कागज पर मुझे बता दें, मैं आपको हरेक का जवाब दूंगा और कार्यवाही नहीं हुई तो कार्यवाही कराकर जवाब दूंगा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): यह बात तो सही है, इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने कंट्रोल फरमाया। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि घोड़ी से दूल्हे को उतारने के 38 प्रकरण इस प्रदेश में इस वर्ष हुए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस वर्ष नहीं है। 2014, 2015, 2016 में।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 वर्ष बाद में 38 प्रकरण, कोई एक भी प्रकरण क्यों हो? समानता के इस देश में मैं तो चाहता हूं, जब सामाजिक समरसता की जरूरत है तो कोई एक भी क्यों हो? इसके लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस तरीके से कंट्रोल हो क्योंकि ये तो चाहकर किया जा रहा है तो इस तरीके का कानून, मैं तो चाहता हूं कि इस कानून को प्रोटोकोल करने के लिए कोई श्वेत पत्र हमारी सरकार जारी करे कि इस तरीके की बात है। चलो, सहमति से कोई हो रहा है लड़कियों का, यह अलग बात हुई लेकिन घोड़ी से उतारने वाली जो बात है, इसमें 38 भी क्यों माननीय उपाध्यक्ष महोदय? यह मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपकी भावना है कि कहीं राजस्थान में अपराध हो ही नहीं। आप और हम सब चाहते हैं कि कहीं मर्डर हो ही नहीं, कहीं चोरी हो ही नहीं, कहीं डकैती हो ही नहीं, कहीं बलात्कार हो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ही नहीं। ये एक आदर्श वाक्य हो सकता है लेकिन इस आदर्श वाक्य तक पहुंचने के लिए आप और मुझे और सम्पूर्ण समाज को सहयोग करेंगे तब वह आदर्श का दिन आएगा। जो आज वस्तुस्थिति है, वह आपने और मैंने अपनी आंखों से देखी है और उसको कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीराम भींचर।

मकराना की पंचायत समिति डोबड़ी कलां के विद्यालयों में किचन शेड्स के भुगतान में विलम्ब

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां, पंचायत समिति मकराना की सरहद में आने वाले ग्रामों की स्कूलों में कितने किचनशेड्स के निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि, कब-कब व किन-किन स्कूलों में जारी की गई तथा स्वीकृत कितने शेड्स की स्वीकृति जारी करने के बाद में अब तक कितने-कितने किचन शेड्स का भुगतान किया गया व कितनी राशि बाकी है? अगर बाकी है तो भुगतान के विलम्ब में कौन अधिकारी दोषी है तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ में क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? तथा शेष भुगतान कब तक करायेंगे?

जो प्राइमरी और मिडल स्कूलें हैं, जिनके अन्दर मिड-डे-मील के अन्दर कार्यकर्ता खाना बनाती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का और आशा सहयोगिनियों का, सबका मानदेय बढ़ाया गया है लेकिन स्कूलों के अन्दर जो मिड-डे-मील के अन्दर खाना बनाती हैं, उनका मानदेय नहीं बढ़ा तो उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि क्या मंत्री महोदय या मुख्य मंत्रीजी इसमें इनका मानदेय बढ़ाने का विचार रखते हैं? कृपया बतायें।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रदेश में 66,300 विद्यालयों में से 62,971 विद्यालयों में रसोईघरों का निर्माण हो चुका है। 2,191 विद्यालयों में रसोईघर निर्माण प्रक्रियाधीन है।

जहां तक आपके क्षेत्र का मुद्दा है, मकराना के अन्दर 259 एमडीएम संचालित सरकारी विद्यालयों की संख्या है, जिनमें से 245 में रसोईघर का

(श्री वासुदेव देवनानी)

निर्माण हो चुका है, निर्माणाधीन छह हैं और आठ पर भी हम शीघ्र ही कार्यवाही करने जा रहे हैं। जिस पंचायत का आपने जिक्र किया। ग्राम पंचायत डोबड़ी कलां, पंचायत समिति मकराना, उसमें 10 विद्यालय हैं, 10 में ही निर्मित किचनशेड का निर्माण हो चुका है और प्रत्येक को 82,000 रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी और यह वित्तीय स्वीकृति वैसे तो 4.8.2009 को हुई। इसके बाद पूर्णतया प्रमाण-पत्र दिनांक 6.10.2015 को जारी किया गया है। इनके भुगतान के बारे में निश्चित रूप से जो आपने कहा, मैं आश्वस्त करता हूं सदन को आपके माध्यम से कि इनका भुगतान आगामी 15 दिनों में हम करवा देंगे। लेकिन साथ ही जो इसके दोषी अधिकारी हैं, क्योंकि यह सारा भुगतान यह हमेशा बीडीओ, विकास अधिकारी के माध्यम से होता है तो इसमें जो भी दोषी बीडीओ है। पंचायती राज मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए, चाहे इनको सस्पैंड करना पड़े, अन्य जो भी आप उचित समझें और तुरन्त कार्यवाही कर यह मैसेज दें कि आखिर तीन साल भुगतान में क्यों लगे, इसकी भी जांच की जाये और संबंधित अधिकारी, बाकी के खिलाफ भी आप कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई, यह एक ग्राम पंचायत का मामला था और यह बात जब जानकारी में आई। यह बात भी सही है, 4.8.2009 को 10 किचनशेड बने और जिनकी यूसी सीसी 6.10.2015 को जारी हो गई, लम्बा समय बीतने के बाद जारी हुई और उसके बाद भुगतान अब तक नहीं हुआ। इन सारी चीज को गम्भीरता से देखते हुए मैं संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक को निलम्बित करता हूं, पंचायत समिति के बीडीओ को एपीओ करता हूं और उनको 16 सीसीए की चार्जशीट भी देंगे।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मानदेय का नहीं बताया। सबका मानदेय बढ़ा दिया है और ये गांव की औरतें गरीब हैं, खाना बनाती हैं तो इनका भी मानदेय बढ़ाने की बात करो। मंत्री महोदय आप तो सक्षम हैं, आपका ही डिपार्टमेंट है। मानदेय बढ़ाओ इनका।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर नगर परिषद् में अधिकारियों का उदासीन रवैया

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के

(श्री मेवाराम जैन)

माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी एवं स्वायत शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर मुख्यालय, बाड़मेर तहसील और बाड़मेर विधान सभा का क्षेत्र एक है जहां पूरे भारत का 28 परसेंट तेल, बाड़मेर तहसील में क्रूड आयल निकलता है। लिग्नाइट के अथाह भण्डार है और बाड़मेर तहसील में तहसीलदार का पद करीबन इन चार साल में आधे समय से ज्यादा रिक्त रहा। कई तहसीलदारों की पोस्टिंग हो गई। दो-दो, तीन-तीन महीने पोस्टिंग रही और उसके बाद में उसके आर्डर निरस्त हो जाते हैं और वहां सब-रजिस्ट्रार है, वहीं का लोकल, उसी विधान सभा का रहने वाला है जो चार साल से वहीं पोस्टेड है। नायब तहसीलदार है, वह भी इसी विधान सभा के, इसी तहसील के रहने वाले हैं, वही वहां रहे हैं और उनको चार्ज दे दिया जाता है। जितना भी महत्वपूर्ण काम हो। जिला मुख्यालय पर इतना महत्वपूर्ण बाड़मेर, उस पर तहसीलदार नहीं लगना और जिस तरह से वहीं के लोकल तहसीलदारों को चार्ज देना। इससे जनता के काम निष्पक्ष कैसे होंगे? मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि कितने आज तक जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर लग गये हैं? जितने भी राजस्व से संबंधित हैं, वे काम सारे अटके पड़े हैं, और तो और भारत सरकार का जो चुनाव का कार्यक्रम आता है, नाम पुनर्निरीक्षण का, इलेक्शन कराने का, उसमें भी वहां के लोकल तहसीलदार और अफसर, वे वहीं के लगे होने की वजह से क्या निष्पक्षता से काम होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं कि जब पुनर्निरीक्षण का काम हुआ एक मतदाता का दो-दो जगह नाम, बाड़मेर अकेली तहसील में 10 हजार से ज्यादा डबल नाम, मैंने लिस्ट दी है। 2000-1800 की लिस्ट भी दी, ये लिस्ट भी मेरे पास है। डबल नाम, क्रम संख्या सब कुछ देने के बाद भी वे नाम नहीं हट रहे हैं, क्योंकि वे वहां के लोकल हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी तत्काल तहसीलदार की नियुक्ति करें और उसको ज्वाइन करवाएं। खाली आदेश करने से कुछ नहीं होता, आदेश आपने 10 बार किये, पर वे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।

हमारे मंत्रीजी भले आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितने

(श्री मेवाराम जैन)

दिन में तहसीलदार की पोस्टिंग कर उसको ज्वाइन करवाओगे। लोकल जो भी हैं, कम से कम उस विधान सभा के, उस तहसील के अधिकारी तो नहीं रहे, ताकि जनता का काम निष्पक्ष हो, यह मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा।

स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर नगर परिषद, कितनी महत्वपूर्ण नगर परिषद है और उसके अन्दर भी कम से कम इन चार साल में 12-13 अधिकारी लगे। तीन-चार महीने, छह महीने से ज्यादा कोई अधिकारी टिका नहीं। आज भी पद खाली है। राजस्व का तहसीलदार का भी खाली है और आपके कमिश्नर का पद भी खाली है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा जितनी भी योजनाएं, जन कल्याणकारी शिविर लगे, जनता को कोई फायदा नहीं मिला। आज की तारीख में देख लो, पूरे राजस्थान की नगरपालिकाओं की तुलना कर लो, पट्टा किसी को मिला नहीं, भवन स्वीकृति किसी को मिल नहीं रही है। कोई बेचारा गरीब, या कोई भी पुराना मकान, जो सौ साल से बना हुआ भी हैं, अगर वो बैंक से लोन लेना भी चाहता है तो उसको एन.ओ.सी. दे नहीं रहे है और विकास की बात तो आप छोड़ें, कच्ची बस्तियों के क्या हालात हैं?, सफाई व्यवस्था के क्या हालात हैं? इस प्रकार खाली पद होने से बाड़मेर नगर परिषद की बुरी हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक अच्छे, भले और ईमानदार अधिकारी को लगाएं। अब चुनाव का समय भी ज्यादा लम्बा चौड़ा नहीं है, 8-10 महीने से कम रहा है। आप मेहरबानी कर तत्काल एक कमिश्नर लगाएं और तत्काल ज्वाइन करवाएं। ताकि, नगरपालिका में जनता का जो रोजमर्रा का काम है, उसका जनता को लाभ मिल सके।

जितनी भी योजनाएं हैं आज तक पट्टे नहीं मिलें, फाइलों के ढेर पड़े हैं। आज भूमाफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, रोकने वाला कोई है नहीं, दलाल पैदा हुए बैठे हैं। वे दलाल सिर्फ जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पट्टे मिल नहीं रहे हैं, इजाजत नहीं मिलने से दलाल ही पैदा होंगे और वे उनको लूटेंगे।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और राजस्व मंत्री तहसीलदार की घोषणा करवाएं और तत्काल ज्वाइन करवाएं, दोनो को ही।

(श्री मेवाराम जैन)

मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा, जनता के हित का मामला है। आप इसमें उदार दिल रखकर और जल्दी ही आज इस सदन में घोषणा करावें। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य ने जो बात रखी। मैं आपके माध्यम से इनको जानकारी देना चाहता हूं कि तीन-चार महीने से आपके यहां तहसीलदार का पद खाली है और इस दौरान हमने इकबाल को भी लगाया और दो-तीन आदमियों के आर्डर भी किये। लेकिन, आपको जानकारी यह देना चाहता हूं कि हाल ही में हमने 12.02.2018 को मंगतू राम, चूरू से स्थानांतरण कर दिया। चूरू से कार्यमुक्त करवाकर, आपके यहां बाड़मेर में लगेगा। (व्यवधान) हां, चूरू से राजेन्द्र जी के यहां से।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नाम क्या है। किसको लगाया है?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मंगतू राम...मंगतू राम

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मंगतू राम, ठीक है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): भई, राम लगने में ऐतराज हो तो, आप बता देना। परन्तु, अभी तहसीलदार, बाड़मेर हमेशा आपके समय भी, जो एस.आर. होता है वह लोकल होता है, वह आपको भी ध्यान है और आज दिन तक बाड़मेर में एस.आर. लोकल लगे हुए हैं (व्यवधान) एक मिनट सुनो, आप। कार्य करने के लिए जो तत्कालीन एस.आर. लगे हुए हैं और वो ही, नानगा राम जो 18.10.2017 से वहां बाड़मेर में एस.आर. लगा हुआ है। 2017 में लगाया...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं-नहीं, नौकरी से लगाकर आज तक वे वहीं हैं, उसकी नौकरी से लगाकर आज तक वहीं है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): सुनो, प्रमोशन हो गया होगा...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): प्रमोशन का मुझे पता नहीं, सर्विस....

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अच्छा। एक मिनट, नायब तहसीलदार के पद पर हेमराज चौधरी 24.08.2016 एवं मोतीराम चौधरी जनवरी, 2018 से नियमित पद स्थापित होकर कार्यरत हैं। उसके लिए आपका कहना है कि तहसीलदार है, वो मंगतू राम को न तो मैं जानता हूं और न ही आप जानते हो। इसलिए बाड़मेर का रहने वाला नहीं यह, यह बाहर का आदमी, वो ज्वाइन...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आज तक तो आपने की नहीं, मैं कह रहा हूं...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): 12 तारीख को कार्य मुक्त हो गया, और हम आपकी भावनाओं के बारे में जानते हैं कि वह आपके यहां जल्दी ज्वाइन आज-कल में कर देगा, ठीक है।

इस प्रकार से हमने हमेशा कोशिश यही की है कि जनता के कार्य सुचारु रूप से चलें और किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके लिए जिला कलक्टर, बाड़मेर को जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, सुनिश्चित करने के लिए, मैं आज उनको भी निर्देशित करता हूं। आपका अगर झगड़ा है, आपकी नगर परिषद, चैयरमैन आपका, झगड़े वो करते हैं। हमारा रेवन्यू विभाग, हमारे अधिकारी कोई झगड़ा नहीं करते हैं। आपका काम सुचारु रूप से चले उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा और जिला कलक्टर भी वहां मौजूद है।

अभी महीने में एक बार हम मिलते हैं, मीटिंगें होती हैं, लेकिन आपने अब हाउस में ये बात कह दी है, तो जरूर जो है, जैसा माननीय उपाध्यक्ष जी निर्देश फरमाएंगे। हम जरूर इनकी भावनाओं की कद्र करेंगे। यही बात कहते हुए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): तीन साल से ए.डी.एम. वहां बैठा है, कलक्टर ने दो बार उसके पावर सीज किये। साढ़े तीन साल से उसी ए.डी.एम. को लेकर आप बैठे हैं, कलक्टर काम नहीं कर पा रहा है। यह आपको भी पता है और सबको पता है क्या किया आपने? यह भी बता दो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): देखिए, एडीएम के बारे में। यह हमारा...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साढ़े तीन साल से वहां बैठा है, कलक्टर ने दो बार पावर सीज की है, चिट्ठियां लिखीं कि काम नहीं हो रहा है, काम बाधित हो रहा है, फिर भी आपने क्या किया? ये बता दो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ए.डी.एम. आपके समय से लगाकर के और आपके अनुसार ही वहां बैठा है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो विषय रखा है। उसमें उन्होंने एक विषय नगर परिषद का भी रखा है।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि नगर परिषद आपकी है। आपने अधिकारियों के रवैये के बारे में बातचीत की और आप कह रहे थे कि अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में नगरपालिकाओं में, चाहे नगर परिषद हो, जो कार्य जिस तरह से चल रहे हैं, निश्चित रूप से बाड़मेर उसमें कहीं पीछे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: Just sit down. थोड़ा आप पेशेन्स तो रख लो Let the Minister complete his statement. Are you going somewhere? You want to go somewhere?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम फेज में दो कार्य सोहननाड़ी, मीणासर नाड़ी का काम पूर्ण कराया गया।

द्वितीय चरण के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और टैण्डर प्रक्रियाधीन है। 1187 जन्म प्रमाण पत्र, 1193 मृत्यु प्रमाण पत्र, 662 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं, आप कह रहे हो कि कोई काम नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में डोर टू डोर कलेक्शन प्रारम्भ कर दिया गया है। 10 आटो हमने खरीदे हैं जिनसे डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है और 1507 शौचालयों का निर्माण अभी तक बाड़मेर में हो चुका है। नगरीय विकास कर में नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा 18 लाख रुपये की वसूली की गयी। 11747 भामाशाह कार्ड बनवाये गये जिससे आम जनता को चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्य मंत्री शहरी जन कल्याण शिविर जिसके लिए आप कह रहे थे न कि एक भी पट्टा वहां पर नहीं बंटा है। कच्ची बस्ती के 27 पट्टों का वहां पर नियमन किया गया है और स्टेट ग्रांट के 354 पट्टे वहां पर, आपके हाथ से वितरित नहीं कराये गये, मुझे लगता है, वितरित वहां किये गये, बोर्ड तो आपका है, एवं कृषि भूमि का 64 पट्टों का वितरण किया गया है। भूखंडों के नाम हस्तांतरण, उप विभाजन के 32 प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। स्ट्रीट लाइट के संबंध में मेरा निवेदन है कि शहर में 8305 एलईडी लाइटें हमने नयी लगाई हैं। लगभग चार करोड़ के विकास कार्य और सम्पन्न कराये गये हैं। नगर परिषद द्वारा जनहित के जितने भी कार्य माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं जितने कार्य बाड़मेर में हुए, हुए तो कर्मचारियों की वजह से ही हैं,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अधिकारी भी काम कर रहे हैं, कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। हो सकता है आपका बोर्ड काम नहीं करता हो या आपस में सामंजस्य नहीं हो, उसकी व्यवस्था हम करायेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि कच्ची बस्ती में 27 पट्टे दिये और 300 पट्टे स्टेट ग्रांट के दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दस हजार पट्टे फाइलों में पेंडिंग हैं। तो आपने 27 पट्टे दिये ये कोई विकास की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कमिश्नर का पद तो आज भरने की घोषणा करो। उसको कब तक ज्वाइन कराओगे? यह तो आप बताओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरी बात सुनिये। मुख्य मंत्री जन कल्याण शिविर जो हमने प्रारम्भ किये थे उसकी तारीख हमने 31 मार्च तक कर रखी है आप पट्टे लो न। बोर्ड आपका है कांग्रेस का।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पर नहीं दे रहे हैं। अधिकारी नहीं देगा तो क्या करेंगे। वहां अधिकारी तो है नहीं, देगा कौन। आप अधिकारी भेजोगे तब देगा न। अधिकारी फिरे भग रहे हैं। 13 अधिकारी, चार महीने से ज्यादा कोई रहा नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कांग्रेस का है। आप लो न पट्टे, कौन मना कर रहा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह जरूरी नहीं है कांग्रेस का बोर्ड है तो, अधिकारी आपके काम करने दे रहे हैं। अधिकारी हैं ही नहीं, काम क्या करेंगे। अधिकारी हों तो काम करेंगे न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अगर कोई रिक्त पद पड़ा है तो पन्द्रह दिन में वो भी भर देंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, कमिश्नर का पद खाली पड़ा है न।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आपने सुना, मंत्री महोदय ने क्या फरमाया? Because you don’t want to listen. Now you sit down. आप रिपीट कर दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई रिक्त पद पड़ा है तो पन्द्रह दिन में वो पद भी भर देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन साल से पड़ा है और मैं विधान सभा में बार-बार रख रहा हूं। एक बाबू काम कर रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बन हुआ है। करो घोषणा आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। You are on a point of information.

सूचना

रामगंजमण्डी में कराहेढ़ही नदी व ताकली नदी पर अवैध खनन से दो व्यक्तियों की मृत्यु

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय खनन मंत्रीजी का और गृह मंत्री जी दोनों का ही ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि लगातार थाने में मैं खुद भी 15-20 दिन से फोन कर रही हूं कि अवैध खनन बड़ा जोर-शोर से हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप इन्फोर्मेशन दे दें, आज क्या बात हुई।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जी-जी, मैं आज की घटना बताना चाहती हूं कि अवैध खनन करते समय वहां पर जो कराहेढही नदी के अन्दर ताकली नदी के अन्दर दो की मृत्यु हो चुकी है और तीन जने घायल भी हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो अधिकारियों के द्वारा अवैध खनन करवाया जा रहा है। मैं फोन कर रही हूं थाने में कि इसको रोका जाए माइनिंग अधिकारी से मैंने बोल दिया, लेकिन उनका कहना है कि ऊपर से इसमें इतना जबरदस्त हमारे ऊपर दबाव है अधिकारियों का तो इसको रोका जाए। कितने लोगों की जानें इसमें जा सकती हैं लगातार अवैध खनन हो रहा है। वन विभाग के क्षेत्र में भी टाइगर रिजर्व...।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आप विराज जाएं। आपका उद्देश्य था आज जो हादसा हुआ उसमें जो लोग हताहत हुए या जिनकी मृत्यु हो गयी और वो खनन अवैध है तो दोनों मंत्री महोदय अपने-अपने स्तर पर जांच कराकर इस पर आगे कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सहायता राशि भी सरकार की तरफ से दी जायेगी तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अलका सिंह, सदस्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बांदीकुई में पीने के पानी की समस्या

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के तहत विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पीने के पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पीएचईडी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तदर्थ रूप से आकर्षित होते हुए तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हूं।

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में कुल 180 ग्राम हैं। सभी ग्राम विभिन्न विभागीय पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। पाइप्ड योजना से 5, पम्प एवं टैंक योजना से 11, जनता जल योजना से 4, क्षेत्रीय योजना से 14 और हैंडपंप योजना से 146 गांव लाभान्वित हैं। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पेयजल आपूर्ति पूर्णतया भूजल स्तर पर निर्भर है तथा विगत वर्षों में भूजल स्तर नियमित रूप से गिरता जा रहा है। इसके कारण से नलकूल और हैंडपंप में जल की आवक कम होती जा रही है तथा काफी संख्या में हैंडपंप और नलकूल अनुपयोगी होते जा रहे हैं। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार सूखे नलकूप एवं हैंडपंपों के स्थान पर नये नलकूप एवं हैंडपंपों का निर्माण कराया जा रहा है। जिन स्थानों पर भूजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से परिवहन कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

विधान सभा खेत्र बांदीकुई के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु वर्ष 2017-18 में 14 हैंडपंप, 14 ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर नलकूल निर्माण व पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। माह मार्च, 2018 तक स्वीकृत कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में 16 आर.ओ. स्वीकृत कराये गये हैं, जिनमें से 5 आर.ओ. को स्थापित कर 3 आर.ओ. चालू कर दिये गये हैं, शेष का कार्य प्रगति पर है। बांदीकुई शहर के लिए 5 नलकूप स्वीकृत करवाकर, 3 नलकूपों को चालू कर दिया गया है, शेष 2 नलकूपों को माह मार्च, 2018 तक चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दौसा जिले एवं बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ईसरदा बांध बनाने का निर्णय लिया जाकर इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 19.9.2013 को राशि 530 करोड़ की जारी की गयी थी। जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरांत नये भूमि अवाप्ति एक्ट 2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856 करोड़ रुपये होना अवगत कराया गया है। इस परियोजना के चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण की योजना में संशोधित प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 199वीं बैठक में दिनांक 28.6.2017 को 1038 करोड़ रुपये की जारी की गयी है। इस परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50.50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है तथा जल संसाधन विभाग द्वारा बांध के निर्माण हेतु राशि की मांग करने पर आवश्यक राशि हस्तांतरित की जायेगी।

ईसरदा बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बांध निर्माण एवं भण्डारण क्षमता की गणना संबंधी सम्भाव्यता रिपोर्ट, बांध से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु विकसित किये जाने वाले पेयजल तंत्र की संभाव्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के प्रपत्र बनाने का कार्य मैसर्स वैपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य दिनांक 31.3.2018 तक पूर्ण करना अपेक्षित है।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई सहित दौसा जिले के पांच शहर क्रमशः दौसा, बांदीकुई, महुआ, बसवा, लालसोट एवं 1079 ग्रामों (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार) की पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु उक्त योजना के निर्माण एवं पूर्ण क्रियान्वयन के उपरांत ही सम्भव हो सकेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में विभाग द्वारा भू-जल की उपलब्धता पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जल योजनाओं का संवर्द्धन, पुनर्गठन एवं नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा सतत प्रक्रिया के अधीन किया जा रहा है तथा इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्रीमती अलका सिंह)

पूर्णतया असत्य है, जो भी इन्होंने डिटेल दी है और पूरी तौर पर लीपापोती की गयी है। फुलप्रूफ लीपापोती है। वास्तविक स्थिति इसके बिलकुल उलट है। जनता आंदोलन कर रही है और स्थिति यह है कि लॉ एंड आर्डर की स्थिति भी खराब हो सकती है। आपने बताया कि टैंकर से आपूर्ति हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि पिछले दस दिन से टैंकर बंद हैं। इसके अतिरिक्त पहले जो पानी की सप्लाई होती थी। हर 11वें या 12वें दिन बांदीकुई शहर में खारे पानी की सप्लाई होती थी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही स्थिति पिछले वर्ष गर्मियों में भी थी, लेकिन इतने ही टैंकर आते थे। इतने ही सोर्सेज थे लेकिन फिर भी पांचवें दिन पानी की सप्लाई हो जाती थी। मैं यह कहना चाहती हूं कि लीकेज की जो व्यवस्था है वो भी ऐसा है कि पांच जगह पर लीकेज पिछले तीन महीने से है। मैं विभागीय अधिकारियों को बता चुकी हूं। मंत्रीजी के यहां जाकर मंत्रीजी को इसकी सूचना दे चुकी हूं। वे चीफ इंजीनियर से बात करा देते हैं, लेकिन वो लीकेज आज तक ठीक नहीं हुए हैं। एक्सईएन को कहते हैं तो वो कहता है कि नीचे का स्टाफ नाकारा है। एईएन और जेईएन कहता है कि एक्सईएन पैसा नहीं देता है हम अपनी जेब से कब तक पैसा लगायें और स्थिति यह है करप्शन का आलम यह है कि वहां एक ट्यूबवैल है जहां मीठा पानी आता है वहां जो कार्मिक लगा हुआ है उसने खेल कर रखा है कि पैसा दो कनेक्शन लो। खुलेआम लूट इस विभाग के द्वारा की जा रही है और मेरे यहां पर दूसरा एक बड़ा कस्बा है बसवा। सेम स्थिति वहां पर है। टैंकर्स बंद हैं और टैंकर्स जिस संवेदक के नाम से है उसकी बजाय उसने सबलेट कर रखा है और ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों को इसकी जानकारी है। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कल जब मैंने यह ध्यानाकर्षण लगाया तो एक दूसरे संवेदक के द्वारा उन्होंने पानी की आपूर्ति बसवा में तो कराई है लेकिन बांदीकुई शहर में स्थिति ज्यों की त्यों है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि चुनावी वर्ष है, सरकार द्वारा स्वीकृतियां पूरी हैं, सरकार द्वारा टैंकर सप्लाई के पूरे टेंडर्स है लेकिन चूंकि जो अधिकारी वहां लगे हुए हैं, वह वहां के लोकल है। जानबूझ कर सरकार छवि खराब करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। जब भी मैं बात करती हूं मुझे यही कहा जाता है कि सात दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, वह सात दिन आज तक नहीं आये हैं। इन सब का कारण यह है कि हमारे जो माननीय पीएचईडी मंत्री हैं, उनके

(श्रीमती अलका सिंह)

पर्सनल स्टाफ का वरदहस्त वहां जो एक्सईएन और एसई लगे हुए हैं, उनके ऊपर है और इस वजह से सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। मैं आपके मार्फत मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि या तो इसकी व्यवस्था आप सुधारें और ऐसे अधिकारियों को हटा कर जो व्यक्ति वहां काम करना चाहें, उनको वहां अपाइंट करे क्योंकि दौसा में पहले भी बहुत जांच हो चुकी है। हमारी पूर्व पीएचईडी की माननीय मंत्री यहां बैठी हैं, इनके समय इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और वहां पर जांच करके जो इस तरह के अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही की थी। आपके मार्फत मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि इस तरह के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और जनता को पीने का पानी सुचारु रूप से उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था करें वर्ना जनता अगर इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करती है तो उसकी जिम्मेदारी इन विभागीय अधिकारियों की ही होगी। मैं यही माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं कि कब वह इस तरह के अधिकारियों को वहां से रवाना करेंगे और जो हमारी सरकार ने योजनाएं दी हैं, हमारी सरकार ने जो जनता के भले के लिये व्यवस्था की है, उनका पूरा काम हो पाएगा ताकि आम जन को पीने के पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके बिना हम पानी कहीं पैदा भी नहीं कर सकते। पीने के पानी की व्यवस्था सुचारु करने के लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मैंने मेरे मूल उत्तर में कहा कि बांदीकुई और बसवा, इस पूरे क्षेत्र में पानी की जो उपलब्धता है, वह नीचे का भू जल है और निश्चित ही भू जल भी उस मानकता के साथ नहीं है जिसके कारण से अगर इसको यूज भी करे तो भी उसमें कई प्रकार के फ्लोराइड, नाइट्रेट और इन्ग्रेडिएंट्स, इस तरह के हैं। इसीलिए इन सब को देखते हुए राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यहां ईसरदा बांध के माध्यम से इस योजना को बनाकर इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछली सरकार थी तब 4 अक्टूबर को आचार संहिता लगी और आचार संहिता से 15 दिन पहले 19.9.2013 को 530 करोड़ की ईसरदा बांध की परियोजना इन्होंने कागजों में स्वीकृत की और उसके बाद जब सरकार बदली और हम लोग आये, उस समय आपको ध्यान होगा यह भू अवाप्ति अधिनियम, 2013 आ गया और जो बीएसआर थी वह भी 2012 से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बदलकर 2014 पर आ गई। उस कारण से अनुमानित लागत जो पहले 530 करोड़ थी, वह बढ़कर 1856 करोड़ हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, अभी 28.6.2017 को जो पीपीसी की मीटिंग होती है, विभागीय नीति निर्धारण समिति की मीटिंग, उसमें 1038 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है और इसकी डीपीआर को भी जिस तरह मैंने कहा, मैसर्स वैपकोस भारत सरकार का उपक्रम बना रहा है, इसी 31 मार्च तक वह डीपीआर बनकर तैयार हो जायेगी। मूल रूप से इस समस्या का समाधान जब होगा जब ईसरदा बांध से इस क्षेत्र को पानी पहुंचेगा। पर जिस प्रकार मैंने मेरे उत्तर में कहा कि इस बार 2017-18 में जो 34 हैंडपम्प लगाये गये, उसमें से अभी 27 हैंडपम्प लगे हैं, बाकी लगे नहीं। मैं आज निवेदन करना चाहूंगा कि 15 दिन में जो यह शेष हैंडपम्प बचे हैं, इनका काम वह तुरन्त चालू कर दें। जो 14 नलकूप ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये थे, जिनको मार्च 2018 यानी 31 दिन के अन्दर अन्दर यह 14 नलकूप का काम पूरा कर देंगे। जो 16 आरओ प्लांट थे, उसमें से 5 इंस्टाल हुए हैं, इन 5 को तो हम अभी 31 मार्च तक चालू करवा देंगे, शेष जितने भी आरओ प्लांट हैं, एक चरणबद्ध तरीके से इसको करके यह आगामी दो महीने चालू हो जाये, इसका निश्चित तौर पर प्रबंध करेंगे।

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा कि वहां पर जो टैंकर से सप्लाई थी, वह भी बाधित है। निश्चित तौर पर पिछले कई वर्षों से बांदीकुई और बसवा में टैंकर से सप्लाई हो रही है। 19 फरवरी को निश्चित तौर पर यह बंद हुई है। मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहूंगा बसवा में 70 से 75 ट्रिप प्रतिदिन के हिसाब से टैंकर आ रहे हैं। बांदीकुई में 70 से 140 ट्रिप के हिसाब से आ रहे हैं। जो मुझे सूचना दी है 27.2.2018 को टैंकर की परिवहन व्यवस्था सुचारु रूप से हो गई है। मैं आज ही मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को इन दोनों शहरों में भेजूंगा और इसमें जिस प्रकार का आपने आरोप लगाया कि एक ट्यूबवैल है, उस पर एक कर्मी है। वह कर्मी वहां पानी को विक्रय करने का काम कर रहा है। हम आज ही उसको स्थानांतरित करेंगे, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आपने कहा कि किसी मंत्रीजी के किसी निजी स्टाफ का इसमें हाथ है, मैं इसका खंडन करता हूं और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य अभियंता जब खुद जा रहे हैं, आप तिथि तय कर दें, उस दिन आप स्वयं दौरा कर लें, ईसरदा का पानी आने में तो वर्षों लग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जायेंगे, पर वैकल्पिक व्यवस्था इसकी टैंकर है, टैकर्स सुचारु रूप से वहां चले, इसकी भी व्यवस्था करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, वहां बांदीकुई शहर में कुल 19 ट्यूबवैल हैं, 8 चालू हैं, 11 सूख गये। हम इसकी वैकल्पिक रूप से अगर नीचे पोर्टेबल पानी होगा, तो इनकी भी स्वीकृति जारी करेंगे। बसवा में भी जो 2 सूख गये, उनको भी करेंगे। आपके 78 हैंडपम्प खराब हैं और 112 हैंडपम्प सूख गये। जो खराब है इनको 15 दिन में ठीक करवायेंगे और 112 हैंडपम्प का विकल्प अगर वहां पानी होगा तो निश्चित तौर पर इसको दुबारा करायेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार संवेदनशील है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं इसीलिए मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी आपसे तारीख तय करके, इन्हीं दो-तीन दिन में वहां दौरा करेगा और जो भी समस्या है, उसका समाधान करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि लीकेज का मेंटीनेंस का पैसा कहां जाता है। मेरे यहां आज तक तीन महीने से लीकेज ठीक नहीं हो रहे। मंत्री महोदय, बसवा में बताया गया है कि ट्यूबवैल काम कर रहे हैं, मैं आपकी सूचना के लिये बता दूं कि बसवा में आज की तारीख में एक भी ट्यूबवैल चालू हालत में नहीं है। वहां के ही कर्मचारियों के द्वारा उनकी मोटर नीचे गिरा दी गई है। दो ट्यूबवैल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन के लिये जो होता है, वह खराब पडा हुआ है। ट्रांसफार्मर ठीक नहीं कराया जा रहा है। बांदीकुई पूरी तौर पर खारे पानी की सप्लाई हो रही है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। पूरे टैंकर्स की व्यवस्था है, ट्यूबवैल पास हो गये हैं लेकिन जो अधिकारियों की वजह से गड़बड़ हो रही है, क्या सरकार उनका भी कुछ इलाज करेगी ताकि ऐसे अधिकारी आगे से इस तरह के काम करने की हिम्मत नहीं करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा निश्चित तौर पर जो नीचे का पानी है, उस पानी में नाइट्रेट्स हैं, फ्लोराइड्स हैं और अन्य ऐसे इन्ग्रेडिएंट्स जिसके कारण से पानी खारा है। इसीलिए सरकार ने इस बार वहां 16 आरओ प्लांट स्वीकृत किये हैं। मेरा प्रयास रहेगा, मैं हिदायत दे रहा हूं कि यह 16 हैंडपम्प जल्दी लग जाएं। मुझे जो विभाग ने सूचना दी है, उसके अनुसार आपके बसवा शहर में आज की हालत में 2 ट्यूबवैल चालू हैं, 2 सूखे हैं, एक कालैप्स हुआ है। अगर यह बात गलत है, मैं आप ही से कहूंगा और मैं सदन में जिम्मेदारी से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात कह रहा हूं, जब मुख्य अभियंता जायेंगे और आप जांच से साबित कर देंगे कि एक भी ट्यूबवैल बसवा में नहीं चल रहा तो निश्चित तौर पर सक्षम अधिकारी से इस पर कार्यवाही भी करेंगे ताकि विधान सभा में इस प्रकार का गलत उत्तर देने की किसी की हिम्मत नहीं हो, मुझे जो सूचना दी गई है, वह मैंने आपको पढ़ कर सुना दी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): लीकेज के बारे में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): लीकेज के बारे में अगर वह कोएंडम पर किसी दूसरी पार्टी को दिया गया है तो उसको तुरन्त कहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लीकेज का एक कैंपेन चलाकर तीन दिन में इन दोनों शहरों में जितने भी लीकेज हैं, उनका कैंपेन चलायेंगे, सारे लीकेज को एक साथ दुरुस्त करायेंगे ताकि इस समस्या का स्थाई समाधान हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 25 (2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह जी।

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट एवं आडिट अनुपालना रिपोर्ट वर्ष 2016-17

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 (14) के अन्तर्गत निम्नांकित आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट एवं आडिट अनुपालना रिपोर्ट वर्ष 2016-17, एवं

(श्री अजय सिंह)

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

दी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन, श्री नाना लाल अहारी।

याचिका

खैरवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय (संस्कृत) की स्थापना

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खैरवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय (संस्कृत) खुलवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। वर्ष 2014-2015 की अतिरेक मांगों में कोई दत्तमत्त राशि नहीं है।

मुख बंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2017-18) का पारण

मांग संख्या 1 – राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1-राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,68,03,000/- (आठ करोड़ अड़सठ लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 2 – मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2-मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,60,00,000/- (तीन करोड़ साठ लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 4 – जिला प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,20,11,000/- (चार करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 5 – प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,63,63,000/- (चौदह करोड़ तिरेसठ लाख तिरेसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 6 – न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,93,19,000/- (बीस करोड़ तिरानवे लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 7 – निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7- निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,99,99,000/- (उनतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 8 – राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,08,64,000/- (इकसठ करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 9 – वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9-वन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 66,07,33,000/- (छियासठ करोड़ सात लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 10 – विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10-विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,70,29,59,000/- (एक अरब सत्तर करोड़ उनतीस लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 – विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,95,14,000/- (आठ करोड़ पचानवे लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 – अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12-अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,90,36,43,000/- (दो अरब नब्बे करोड़ छत्तीस लाख तियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13 – आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13-आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,57,23,000/- (छह करोड़ सतावन लाख तेईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 – बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14-बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 68,50,11,000/- (अड़सठ करोड़ पचास लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,87,71,25,000/- (सात अरब सतासी करोड़ इकहत्तर लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 – कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,44,87,000/- (सत्ताइस करोड़ चवालीस लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18 – जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,05,58,000/- (एक करोड़ पांच लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 – लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20 – आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20-आवास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,47,61,000/- (तीन करोड़ सैंतालीस लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23 – श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,65,82,000/- (बीस करोड़ पैंसठ लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 24 – शिक्षा कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,96,60,27,000/-(छह अरब छियानवे करोड़ साठ लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25 – कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25-कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,83,56,000/- (आठ करोड़ तिरासी लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 26 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

11,03,60,93,000/- (ग्यारह अरब तीन करोड़ साठ लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27 – पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,48,59,83,000/- (एक अरब अड़तालीस करोड़ उनसठ लाख तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 – ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,29,72,000/- (एक अरब चौबीस करोड़ उनतीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,43,36,49,000/- (अठारह अरब तियालीस करोड़ छत्तीस लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 33 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,01,25,90,000/- (दो अरब एक करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,25,38,39,000/- (तीन अरब पच्चीस करोड़ अड़तीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 35 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,28,46,02,000/- (एक अरब अट्ठाइस करोड़ छियालीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36 – सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,58,23,97,000/- (पांच अरब अठावन करोड़ तेईस लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 – कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 – लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38-लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,57,08,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तावन लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 39 – पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,73,43,04,000/- (एक अरब तिहत्तर करोड़ तियालीस लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40 – राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40-राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,99,000/- (सत्ताइस लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41 – सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,82,87,000/- (छिहत्तर करोड़ बयासी लाख सतासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42 – उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,67,71,000/- (सत्ताइस करोड़ सड़सठ लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 43 – खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,33,02,000/- (सत्रह करोड़ तैंतीस लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 45 – राज्य कर्मचारियों को ऋण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45-राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,000/- (उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 – सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,04,50,000/- (अठावन करोड़ चार लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47 – पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47-पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,92,46,000/- (छब्बीस करोड़ बानवे लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48 – विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48-विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,77,53,96,000/- (पन्द्रह अरब सतहत्तर करोड़ तिरेपन लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 49 – स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में

(श्री उपाध्यक्ष)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,000/- (अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50 – ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,39,49,31,000/- (सत्रह अरब उनतालीस करोड़ उनचास लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 51 – अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,79,49,06,000/- (तेरह अरब उन्नासी करोड़ उनचास लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। राजस्थान विनियोग संख्या-1 विधेयक, 2018 । श्री राजपाल सिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था। आप अभी अनुपूरक मांगों का पारण करा रहे थे तो आफिसर्स दीर्घा से दो अधिकारी उठकर चले गए। आसन पैरों पर था। मैंने आपके चेहरे पर तैरता हुआ गुस्सा देख लिया, उपाध्यक्ष महोदय। अगर आप उचित समझें तो दोनों को नामित करके आपके कार्यालय में मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वयं लेकर उपस्थित हो जाऊं। आप अगर कल की तरह गुस्सा नहीं करें। दो जने गए हैं। मैं समझता हूं जब परम्पराएं अच्छी हैं तो आप जैसी आज्ञा करें। उन दोनों को नामित करके आपके कार्यालय में मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जो भी काम करें और प्रशासनिक स्तर पर कोई भी आपको इसमें निर्णय लेना हो, उनको प्रताड़ित करना हो, वह करें। उसके पहले डिसिप्लिन और मैनर्स और पार्लियामेंट्री प्रोसिजर और प्रैक्टिस के संबंध में एक पाठ्यक्रम और ओरिएंटेशन प्रोग्राम इनका जरूर करा दें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह रोजाना की घटना है। इसकी पुनरावृत्ति रोजना हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा संसदीय कार्य मंत्रीजी की अक्षमता पर या सक्षमता पर सवाल उठाता है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपको तो बस यहीं चीजें नजर आती हैं। हम और आप सब सदस्य हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी आपने सुबह कहा था कि संसदीय कार्य मंत्रीजी को लेना और अब मैं जब नाम लेने लगा तो आप ...(व्यवधान) बात चली थी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैंने कहा आपको। यहां इसको पढ़ दो ईमानदारी से। यह लिखा है। मैंने तो आपके दर्शन ही अब किए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाएं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): कम से कम इस हाउस में तो असत्य मत बोलो। वैसे भी भूत-प्रेत और पता नहीं क्या-क्या चीज आ रही है। कहीं कोई ऐसी चीज आ जाए वास्तव में आपकी सुन ले। सच्चाई।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ।

विधेयक पर विचार

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किए गए।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह जी।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

(14.00 बजे)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

आय व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री कालीचरण जी सराफ

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले

(श्री कालीचरण सराफ)

वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,66,32,25,000/- (अक्षरे एक सौ एक अरब हियासठ करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 26 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह अवगत कराना है कि तकरीबन 50 सदस्य हैं जो अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हरेक सदस्य को अपना पूरा समय मिले इसलिए हमको अनुशासित रहकर, अपनी-अपनी समय सीमा में अपनी बात कहनी है। आसन दस मिनट से ज्यादा बोलने की किसी को भी इजाजत नहीं देता। आसन निर्देश भी करता है कि सात मिनट पर आसन उनको एक बार वार्निंग देगा, दसवें मिनट बाद जो कुछ भी वह कह रहे हैं, वह वाक्य कमप्लीट होने के बाद, उसके बाद वह अंकित नहीं होगा। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घंटी मत बजाना, मैं अपने आप ही बैठ जाऊंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में मुझे विचार रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज हमसे कोई गलती हो गई क्या ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो, विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जोधपुर शहर की चिकित्सा के संबंध में काफी कुछ जानकारी चाहूंगी। जोधपुर के अन्दर सबसे बड़ा हॉस्पिटल स्टेट के टाइम का, महाराजा उम्मेदसिंह जी ने बनवाया था, उसको भीण्डम हॉस्पिटल कहते थे। उसके साथ ही एक महिला बाग़ हॉस्पिटल भी था। जब यह भीण्डम हॉस्पिटल बना तो महारानी साहिबा भटियानी जी ने बड़ा एतराज किया कि आदमियों के लिए तो हॉस्पिटल बनवा दिया लेकिन महिलाएं कहां जाएंगी, तो महाराज उम्मेदसिंह जी ने उम्मेद हॉस्पिटल भी बनवाया, वह भी आज तक कायम है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

निवेदन करना चाहूंगी कि अब वह भीण्डम हॉस्पिटल के नाम से नहीं है, अब वह गांधी हॉस्पिटल के नाम से पहचाना जाता है। गांधी हॉस्पिटल की यह दशा कर दी है कि वह सैटेलाइट हॉस्पिटल के बराबर ही नहीं रहा। उसके अन्दर तीन या चार यूनिट रहे हैं, बाकी सारे मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में ले गए। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना। भले ही कितना ही बड़ा बना हो लेकिन जो गांधी हॉस्पिटल है इसकी महत्ता कम क्यों की गई, यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इस हॉस्पिटल को किस जमाने में बनाया, किस सोच के साथ बनाया कि स्टेशन पास है, शहर के बीच में है, लोगों को आने जाने की सुविधा हो, यह सोचकर यह हॉस्पिटल बनाया गया। अपन उस हॉस्पिटल की तरक्की करें कोई दिक्कत नहीं, मगर गांधी हॉस्पिटल की महत्ता कम नहीं करें इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी। इस हॉस्पिटल की महत्ता कम मत कीजिए। इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी बनाने के लिए आठ साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है, वह भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। लोग खण्डे उठाकर ले जाते हैं, ऐसी स्थिति है, इस पर भी विचार करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में जिस जगह से मैं आती हूं वहां पर सैटेलाइट हॉस्पिटल के नाम से पहचाना जाता है। एक हाउसिंग बोर्ड सैटेलाइट हॉस्पिटल बना हुआ है। एक प्रतापनगर के अन्दर है। प्रतापनगर के अन्दर सैटेलाइट बन गया मगर उनको अभी तक सैटेलाइट की कुछ भी सुविधा नहीं है। न तो 24 घंटे खुला रहता है, ना ही पर्याप्त डाक्टर है, न ही नर्सेज है। मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत कच्ची बस्तियां हैं, बहुत लोगों को सुविधा मिल सकती है, उस पर विचार करें। सैटेलाइट हॉस्पिटल बना तो दिया मगर दर्जा नहीं देने से उसमें काफी असुविधा हो रही है उसकी पूर्ति करने में आप योगदान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि चांदपोल के अन्दर मास्टर खींवराज कच्छावा नाम से डिस्पेंसरी है। वह बहुत वर्षों से बनी हुई है, उस डिस्पेंसरी को भी सैटेलाइट करने की भी मंत्री महोदय से मांग करती हूं।

(14.06 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जब से जोधपुर बसा है, उस समय से नवचौकियां और मण्डी के अन्दर भी, यूसन मण्डी और नवचौकियां डिस्पेंसरी है। नवचौकियां डिस्पेंसरी जोधपुर बसा तब से है, मगर आज तक क्रमोन्नत नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करती हूं कि ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम शहर की और एक सूरसागर की, इन दो डिस्पेंसरियों को तो आप जरूर क्रमोन्नत कर दीजिए। सदन की नेता बहुत दयालु हैं, वह इस बात को जानती हैं कि उस जगह मध्यम श्रेणी के लोग रहते हैं। आप उन डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत करने में सहयोग करेंगे, मेरी मांग को स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय, सूरसागर विधान सभा के अन्दर एड पोस्ट कालीबेरी सूरसागर में क्रमोन्नत करने की बात कहना चाहूंगी। सूरसागर के अन्दर पूरा माइंस एरिया है। अगर एड पोस्ट है, उसको क्रमोन्नत करेंगे तो लोगों को काफी राहत मिलेगी। बहुत दूर-दूर तक लोगों को जाना पड़ता है, लोगों को दूर-दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। आप उसको क्रमोन्नत करने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, नवचौकियां डिस्पेंसरी के अलावा भी एक और डिस्पेंसरी है, सूरसागर के अन्दर इन डिस्पेंसरियों को क्रमोन्नत करके जोधपुर की जनता को राहत दिलवाने की बात कहना चाहूंगी। मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल इतना बड़ा बन गया यह बात सही है, बहुत अच्छा बना है। सभापति महोदय, आप तो अंग्रेजी में क्या बोलते होंगे पर मैं मेरी भाषा में बोलना चाहूंगी कि इतनी मशीनें खरीदी हुई हैं लेकिन वह पेटी पैक पड़ी हुई है। या तो उसको कोई चलाने वाला है, या वह चला नहीं सकते। लोगों को दूर-दूर तक जाना पड़ता है। लोगों को पैदल जाने में असुविधा होती है। बैटरी की गाड़ी चलती है उनको मैंने मेरे फण्ड से धनराशि दी। मगर वह धनराशि वह उपयोग नहीं ले सके, कहा कि हमारे पास इस गाड़ी को चलाने वाला भी कोई नहीं है। मशीनों को चलाने वाला नहीं है, गाड़ी चलाने वाला नहीं है, तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखते हुए आप इस व्यवस्था को कायम करें कि अगर मशीन चलाने वाला ही नहीं है तो हॉस्पिटल कैसे चलेगा। जो भी मशीनें पैक पड़ी हैं उनको काम में लिया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, गांधी हॉस्पिटल सबसे पहले खुला, मेरे ससुर जी वहां डाक्टर थे। सबसे पहली तो मेरी यही मांग है, मैंने स्टार्ट से यही

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कहा है कि गांधी हॉस्पिटल को आप एक डिस्पेंसरी का रूप नहीं देकर, उस हॉस्पिटल में जो भी वार्ड वगैरह गए हैं उनको वापिस वहीं स्थापित करें। इसकी महत्ता कम नहीं करें। जोधपुर के अन्दर जो भी डिस्पेंसरी है उनको क्रमोन्नत करने के लिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाना चाहती हूं। हॉस्पिटल के अन्दर डाक्टर्स की कमी है उसकी भी पूर्ति करें।

उम्मेद हॉस्पिटल है, मैं आपको सही बता रही हूं। सबसे ज्यादा मेरा पाला उम्मेद हॉस्पिटल से पड़ता है। क्योंकि मैं कभी भी रात को, कोई भी महिला अगर गर्भवती होती है और उनको हॉस्पिटल ले जाना होता है तो मैं आधी रात को भी उनको लेकर जाती हूं। वहां पर सिस्टर की कमी रहती है, उनकी पूर्ति करें। महिलाएं वहां चिल्लाती रहती हैं, 'सिस्टर आओ', 'सिस्टर आओ'। ऐसा नहीं हो। जहां-जहां भी, जिस वार्ड के अन्दर जितनी सिस्टर्स की मांग है, जितनी नर्सों की मांग है, वह मांग पूरी करें। ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो। चूंकि उम्मेद हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की भी महत्ता कम नहीं करके ऐसी व्यवस्था करें। जो मांग है, वह पूरी करें, नर्सों की हो तो वह पूरी करें। पूरी करके हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार लायें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक मैं और कहना चाहूंगी कि वहां जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिये बताते हैं कि छह हजार देते हैं, चार हजार देते हैं। लेकिन वे बिलकुल भी देते नहीं हैं। वे तड़पते रहते हैं, कहां से काम करें। उसके लिये व्यवस्था करें। जो उनकी मान्यता है और जो आपके मापदण्ड हैं कि उनको पांच देने हैं, छह देने हैं, वे उनको पूरे पैसे दें। चाहे आनलाइन दो, चाहे बैंक से दो, किसी तरीके से दो। इस तरीके से करके करें।

आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, सफाई पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये आभारी हूं।

(श्रीमती अलका सिंह)

सभापति महोदय, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, पेयजल आज के जीवन की महत्ती आवश्यकताएं हैं। आज के समय में जबकि आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है और देश में प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, आबादी बढ़ने के साथ-साथ पोल्यूशन, पर्यावरण का असंतुलन, और जिसकी वजह से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इस विभाग का महत्व और भी अधिक हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य की यह बात है, दुर्भाग्य ही कहूंगी मैं कि हमारे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके अन्दर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डाक्टर्स हैं। उस हॉस्पिटल के विकास के लिये हमारी सरकार भी बहुत काम कर रही है। डाक्टर्स को तनख्वाह भी बहुत मोटी मिलती है। लेकिन हॉस्पिटल के समय में ज्यादातर जो डाक्टर हैं, जो ज्यादातर चिकित्सक हैं वे अपने घर पर मरीज देख रहे होते हैं। एक चीज और है कि ये डाक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते हैं। मैं कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय, कि ऐसे डाक्टर्स की लिस्टिंग करके उनके विरुद्ध जरूर कुछ न कुछ कार्यवाही की जाए। ताकि जिम्मेदारी से जो डाक्टर्स काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले।

इसके अतिरिक्त, रात के समय मरीज पहुंच जाए तो इस भगवान को छोड़कर, भगवान भरोसे मरीज रहता है। क्योंकि रात्रि के समय उपस्थिति सबसे कम होती है, तो मरीज के साथ ज्यादातर मिसबिहेव होता है। डाक्टर्स प्राइवेट दवाएं लिख देते हैं, प्राइवेट जांचें लिख देते हैं। कारण है कि 50 परसेंट तक कमीशन इसके अन्दर डाक्टर्स का होता है। तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए।

मंत्री महोदय, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम सभी चाहते हैं कि चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, जो कि आजकल बहुत जरूरी हैं, आम आदमी तक पहुंचे। कांग्रेस के समय भी नकली दवाओं के जखीरे पकड़े गये थे। अलवर में पकड़े गये, अजमेर में पकड़े गये। हालत तो यह थी कि उस समय जो हमारे मुख्य मंत्री थे, उनका गृह क्षेत्र था जोधपुर, वहां पर नकली ग्लुकोस की वजह से प्रसूताओं की मृत्यु हुई थी। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिये जो कड़े से कड़े कानून हैं, वे अपनाये जाएं। जैसा कि विदेशों में है कि इसके लिये मृत्यु तक का दण्ड दिया जाता है। हमारे यहां थोड़ी-बहुत जांच करके, फिर वह प्रवृत्ति चालू हो जाती है। जब तक इसके खिलाफ उचित दण्ड की व्यवस्था नहीं होगी, यह प्रवृत्तियां चलती रहेंगी।

(श्रीमती अलका सिंह)

सरकारें कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती हैं। कांग्रेस के समय भी नि:शुल्क दवा योजना चली थी और हमारे समय भी चली है। कांग्रेस के समय जहां 200 से 225 दवायें थीं, आज 606 दवायें हैं। 322.11 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर खर्च कर चुकी है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की है। बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए, आम जन तक, गरीब तक, कोई बीमार व्यक्ति, चिकित्सा के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, इस सोच के साथ हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने यह योजना चालू की है। आज बहुत से प्राइवेट हास्पिटल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि जो हास्पिटल्स भामाशाह योजना के अन्तर्गत इलाज के स्वीकृत हैं, अगर वे उचित इलाज इन गरीब व्यक्तियों को नहीं देते हैं, सरकार की भावना के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो जैसा कि नियमों में प्रावधान है कि उनकी मान्यता रद्द करने और उनको जो सस्ती दर पर जमीन अलाट हुई है, वह भी समाप्त की जाए। तो इसका कड़ाई से पालन किया जाए। ताकि सरकार की जो भावना है, उसके अनुरूप आम जन को उचित दर पर इलाज मिल सके।

भामाशाह योजना के अन्तर्गत अभी 4.5 करोड़ रुपये हमारी सरकार खर्च कर चुकी है। और 67 परसेंट आबादी को भामाशाह कार्ड की सुविधा मिल रही है। 1715 बीमारियां कवर हो रही हैं तो यह हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया की बहुत बड़ी, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। यह उस सोच के साथ है कि आम जनता को भी, जो आम गरीब वर्ग है उसको भी चिकित्सा सर्वसुलभ हो। जितने भी मंहगे इलाज हैं, वे भी उनकी पहुंच तक रहें।

सभापति महोदय, प्राइवेट हास्पिटल्स को जमीन अलाट होती है, ज्यादातर उसके अन्दर ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी होता है। सेठ होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, डाक्टर्स होते हैं। ये जमीन अलाट करा लेते हैं लेकिन उसके बाद काफी समय तक वहां पर हास्पिटल्स नहीं बनते हैं। धीरे-धीरे उसकी रेट बढ़ाकर उसके कंवर्जन का ये प्रयास करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह की जो भी प्रवृत्तियां हैं, उनको रोकने के लिये एक समयबद्ध हम इस तरह की व्यवस्था करें कि सस्ती दर पर जमीन दी जा रही है, और इस समय तक अगर यहां अस्पताल का निर्माण नहीं होता है तो उसका अलाटमेंट है, वह स्वत: ही कैंसिल हो जायेगा।

(श्रीमती अलका सिंह)

प्राइवेट हॉस्पिटल जिस हिसाब से लूट मचाते हैं उसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। हमारे यहां चंदवाजी के पास एक निम्स हॉस्पिटल है। कई बार उसकी मान्यता रद्द हो चुकी है, वापस मान्यता ले लेते हैं। सरकारी जमीन पर बहुत-सा कब्जा भी उनका था जो अभी हटाया भी गया है। अभी थोड़े समय पहले उस हॉस्पिटल का भामाशह से भी अटेचमेंट था, वह हटा दिया गया है। मैं यह सिर्फ इसलिये बताना चाहती हूं, छोटा-सा उदाहरण, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अंधता निवारण के अन्तर्गत एक आई-कैम्प लगा था। वहां, एक जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी का गरीब व्यक्ति है, उसको कहा गया कि आपको आंखों के आपरेशन के लिये सहाय हॉस्पिटल में ले जाया जायेगा। उसके अटैंडेंट ने साथ आना चाहा तो मना कर दिया गया कि नहीं, हमारी पूरी व्यवस्था होती है और तीन दिन बाद यह व्यक्ति वापस आपके घर पर पहुंच जायेगा। पांच दिन बीतने के बाद, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगी कि पांच दिन पश्चात वह व्यक्ति तो नहीं आता है लेकिन बांदीकुई थाने में चंदवाजी थाने से सूचना जाती है कि मिस्टर छाजूरामजी, जो आपरेशन के लिये गये थे, उन्होंने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, सभापति महोदय, आंखों के आपरेशन के लिये मरीज जाता है और खिड़की से कूदकर मर जाता है।

परिजन यहां पर आये, कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया गया। मुझे बुलाया, मैं वहां गई। मेरे पति यहां से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, काफी लोग जानकार हैं। बहुत भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। डिप्टी एस.पी. वहां आ गये, ए.डी.एम. वहां आ गये। निम्स हॉस्पिटल के प्रशासन ने, कांच का उनका दरवाजा है उसको बंद कर लिया। मैंने हैल्थ मिनिस्टर साहब से वहीं से बात की कि जनता उग्र हो रही है और हो सकता है यहां तोड़फोड़ हो जाये। मैं पूरा प्रयास कर रही हूं। उसके बाद डा. बी.आर. मीना, जो पहले यहां हैल्थ डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर थे, उनको उन्होंने वहां रिटायर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है, वे आये। फिर जाकर कोई ढंग से वहां बैठकर बात हो पाई। परिजनों ने आशंका जताई कि इस हॉस्पिटल का इतिहास यह है कि यह हो सकता है कि पोस्टमार्टम करके अंगों को भी निकाल लें। हमने एक कमेटी बनाई और उस मृतक का पोस्टमार्टम एस.एम.एस. हॉस्पिटल में करवाया। अब हास्यास्पद स्थिति देखिये, सभापति महोदय, पोस्टमार्टम होता है एस.एम.एस. हॉस्पिटल में, मृत्यु होती है निम्स हॉस्पिटल में और पोस्ट मार्टम

(श्रीमती अलका सिंह)

रिपोर्ट में डाक्टर लिखता है कि खिड़की से कूदने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। पहली बार ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, जहां कि उसको संजय की तरह से दूर से दिख गया कि हां, खिड़की से कूदा है। हमेशा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह लिखा हुआ होता है कि ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हुई। लेकिन उसने बताया कि खिड़की से कूदने से मृत्यु हुई और नौ और साढे नौ बजे के बीच में मृत्यु हुई।

मतलब, उन्होंने इतना भी मैनेज कर लिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मैनेज हो जाए तो मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगी कि मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया था और मुझे यह जवाब मिला कि राज्य स्तरीय कमेटी 14.09.2017 को बना दी गयी है और उसमें जांच प्रक्रियाधीन है। अब यह जांच की प्रक्रिया मंत्री महोदय, कब तक चलेगी? इसको थोड़ा टाइम बाउंड करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में मेरी बात ही समाप्त कर रही हूं। इसके बाद मुझे भी बहुत धमकाया गया। मेरे पास रिकार्ड है, साहब, मुझे ट्वीट करके धमकी दी गयी, मुझे व्हाट्सएप करके धमकी दी गयी लेकिन मैं गुर्जर की बेटी हूं, किसी से नहीं डरती हूं।

इस बारे में मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहती हूं कि आप इसमें टाइम-बाउंड जांच करवा दीजिए ताकि इस तरह की संस्थाएं जिन्होंने चिकित्सा को व्यापार बना लिया है, वह व्यापार की प्रवृत्ति खतम हो और यह जो नोबल प्रोफेशन है, यह नोबल प्रोफेशन ही रहे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। चार वर्ष में मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेढ़ करोड़ के भवन निर्माण के काम स्वीकृत हुए हैं, जो कि अभी तक का एक रिकार्ड है। वहां से मंत्री भी रह चुके हैं दो-दो बार लेकिन अभी तक इतना काम स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुआ है। प्रतापपुरा, बसवा, गोलाड़ा और गुढ़ाकटला, यह वैलनेस सेंटर के रूप में डवलप हुए हैं। बहुत अच्छे भवन और वहां जांच की सुविधा भी है। मैं मंत्री महोदय से बस एक बात कहना चाहूंगी कि एक्स-रे की सुविधा और वहां पर उपलब्ध करवा दें ताकि आम जनता को लाभ मिल सकें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने कहा कि मुझे धमकी मिल

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

रही है, धमकी तो इन माननीय सदस्य को खाली एन.एस. गुर्जर के अलावा कोई और नहीं दे सकता।

श्री सभापति: आप बैठिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उनकी धमकी तो साहब, मेरे लिए एक आशीर्वाद है लेकिन बाकी जो अपराधियों की धमकी थी, उसके बारे में मैं कह रही हूं।

बांदीकुई में जो मेन हॉस्पिटल है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह मेरे यहां पर एक आगरा फाटक की समस्या है, रेलवे लाइन बीच में आती है। उधर से कोई मरीज आता है, अगर फाटक बंद हो तो फाटक खुलने में आधे घंटे का समय लग जाता है तो जो वह सी.एच.सी. है, उसके लिए मैं चाहती हूं कि सी.एच.सी. को सिटी हॉस्पिटल बना दिया जाए और जो मेन हॉस्पिटल है, वह हाई-वे पर शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि दिल्ली रोड है और भिवाड़ी तक वहां से बहुत से व्हीकल्स जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं।

एम्बुलेंस मेरे यहां पर है, वह ठीक नहीं है, उसको ठीक करवा दिया जाए और ब्लड-बैंक की घोषणा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी करके आए थे, उस ब्लड-बैंक को चालू करवा दिया जाए। बसवा में मेरे यहां पर बहुत अच्छा भवन बन रहा है, वहां पर सी.बी.सी., ई.सी.जी. और एक्स-रे की सुविधा, माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करती हूं कि वह कर दी जाए और पुंदरपाड़ा में जो चिकित्सा भवन बनने वाला है, पुंदरपाड़ा पंचायत में यह जलालपुर एक जगह है, वहां पर भूमि उपलब्ध है। पुंदरपाड़ा में भूमि उपलब्ध नहीं है तो उसको जलालपुर में बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

आपने मुझे बोलने की परमिशन दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने के लिए मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा हमारे जीवन के लिए एक महती आवश्यकता है। हम कैसे स्वस्थ रहें और कैसे हमारा जीवन अच्छा निर्वहन हो, इसके लिए जिस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के लिए खाना जरूरी है, उसी प्रकार मैं

(श्री हरिसिंह रावत)

समझता हूं कि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए चाहे वह आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो या चाहे कोई भी पद्धति हो, यह हमारे जीवन के लिए एक अभिन्न अंग है और इसी के अन्तर्गत हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसकी तरफ ध्यान दिया और चिकित्सा के अन्तर्गत हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाईं।

आज सबसे ज्यादा समस्या डाक्टर्स की होती है जो हमारे राजस्थान में ही नहीं अपितु मैं समझता हूं कि शायद, पूरे भारतवर्ष में इसकी समस्या है और इस समस्या को किस हद तक पूरा किया जाए, इसके लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कालेज खोलीं। सात कालेज, चिकित्सा महाविद्यालय खोले हैं, यह उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में यह एक चिकित्सा के रूप में क्रांति पैदा होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो शायद कभी इलाज करवाने के लिए सोच भी नहीं सकते थे, जिनके कभी कोई कैंसर हो जाए या कोई ऐसा बड़ा असाध्य रोग हो जाए तो मैं समझता हूं कि वह हॉस्पिटल तक जाना भी अपने आपको शायद उचित नहीं समझता था लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने भामाशाह चिकित्सा सुविधा दिलवाई और इसमें 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक का प्रावधान रखा जिससे हमारे गरीब तबके के लोग, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत महती यह योजना बनाई। उसके अन्तर्गत भी मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र में ऐसे-ऐसे रोगी थे कि जिनके फेफड़ों में शिकायत थी, किडनी फेल थी, इस तरह की कई बीमारियां, कम से कम छह-सात इस तरह के जो घातक रोग थे, उनकी सुविधा के लिए मैं उन्हें उदयपुर लाया, जयपुर लाया और अजमेर में भी मैंने व्यवस्था करवायी तो मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने यह योजना लागू की।

साथ-साथ ही, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार हमारे यहां पर आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक है, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि राज्य में इलेक्ट्रोपैथी एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की मान्यता के लिए हमारी एक फाइल चल रही है। चिकित्सा मंत्रीजी शायद यहां पर नहीं हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति एक सम्पूर्ण हर्बल

(श्री हरिसिंह रावत)

चिकित्सा पद्धति है, जिसकी दवाइयां पेड़-पौधों के अर्क से बनाई जाती हैं। साथ ही इलेक्ट्रोपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पद्धति हानि रहित कारगर सिद्ध हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे अनेक गम्भीर रोगों का भी इलाज हुआ है। अगर इसको मान्यता दे देंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर एक जो किसी जमाने में कहा करते थे, आयुर्वेदिक तो शायद, हमारा विश्वविख्यात भारतवर्ष रहा है। अगर हम इसको मान्यता दें और इसको हम क्रियान्वित करें और इसको लागू करें तो मैं समझता हूं कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के साथ-साथ यह इलेक्ट्रोपैथी भी अगर हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि गरीब लोगों को इससे काफी निजात मिलेगी और जो काफी असाध्य रोग है, उनसे भी इनको फायदा मिलेगा तो इस पर भी विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, अब आप ज्यादा समय नहीं देंगे तो मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा। 2005-06 के अन्दर हमारी सरकार के द्वारा ही एक ट्रोमा हॉस्पिटल की हमारे भीम सी.एच.सी. में स्थापना हुई थी। मेरा विधान सभा क्षेत्र 150 किलोमीटर की रेंज में है। ब्यावर से लेकर गौमती तक पड़ता है यह पूरा एक्सीडेंट जोन है और इस एक्सीडेंट जोन में आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बचता है कि आज एक्सीडेंट्स नहीं हुए हो। हमारे यहां पर रेलवे की लाइन नहीं होने से गुजरात को हमेशा डेली रात को कम से कम 200 से 250 बसें गुजरती हैं और आये दिन कोई न कोई एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। जिसकी वजह से मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि उन्होंने ट्रोमा हॉस्पिटल प्रारम्भ किया और ट्रोमा हॉस्पिटल के अनुरूप भवन की जो समस्या थी वह पूर्ण हुई। उससे संबंधित जो भी ऐपरैटर्स चाहिए थे, वह मुहैया हुए लेकिन अफसोस है कि आज तक आर्थोपेडिक और एनेस्थिसिया के डाक्टर्स नहीं होने की वजह से हमारे ऐपरैटर्स और वह बिल्डिंग धूल चाट रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल दो डाक्टर, आर्थोपेडिक और एनेस्थिसिया के डाक्टर अगर मेरे यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि जो आए दिन असामयिक मृत्यु के आगोश में जो जाते हैं उनकी जान

(श्री हरिसिंह रावत)

बचेगी। इसलिए विशेष ध्यान देकर तत्काल अगर हमारे यहां पर डाक्टर्स की नियुक्ति करेंगे तो मैं समझता हूं काफी लोगों की जान बचेगी, भगवान उनको दुआ देंगे तो चिकित्सा मंत्रीजी इस पर ध्यान दें।

इसके साथ-साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र चार-चार जिलों का संगम है और उसके साथ-साथ ही मैं समझता हूं कि अगर चिकित्सा की दृष्टि से सैटेलाइट हॉस्पिटल की मेरे भीम विधान सभा क्षेत्र में स्थापना हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि कई गरीब और आस-पास की जनता को उसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए भी सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। हमारे डी.एम.एफ.टी. के फंड से मैंने अभी गत महीने भर पहले बजट आबंटित किया है और दस बीघा जमीन मैंने अलाट करवा दी और उसके साथ-साथ ही भवन निर्माण हेतु साढ़े पाँच करोड़ रुपये भी मैंने डी.एम.एफ.टी. से दे दिये तो यह भवन शायद मैं समझता हूं कि पांच-छह महीने में कमप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा सैटेलाइट संबंधी कोई भी, चाहे आई.सी.यू. वार्ड बनाना होगा, जो भी ऐपरैटर्स इसका होगा...,

हमारे पास 200-300 करोड़ का फण्ड है, अगर वह भी आप कह दें, आप केवल हमें स्वीकृति प्रदान कर दें, अगर हमारे यहां स्वीकृति प्रदान हो जायेगी तो जो भी उससे सेट-अप संबंधित चीजें चाहिये, वह हम हमारे डी.एम.एफ.टी. के माध्यम से मुहैया करा देंगे। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सैटेलाइट की आज ही आप घोषणा करायें ताकि आपको कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता को इसका पूरा फायदा मिलेगा।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, भीम और देवगढ़, मेरे दो सी.एच.सी. हैं और दोनों सी.एच.सी. में कनिष्ठ विशेषज्ञ से लेकर एम.ओ. और सीनियर एम.ओ. की पोस्टें हैं 14-14, लेकिन आज तक के इतिहास में जब से यह सी.एच.सी. बने हैं, मैं समझता हूं कि आज तक पूरे डाक्टर्स नहीं लगे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना तो आग्रह कर ही सकता हूं कि कम से कम एक आर्थोपैडिक और एक सर्जन और एनेस्थेसिया के डाक्टर अगर लग जायेंगे तो कम से कम फर्स्ट एड के लिये तो सुविधा हो सकती है। इससे उनको अंतरिम

(श्री हरिसिंह रावत)

राहत मिल सके, तत्काल उनको सुविधा मिल सके ताकि उनको चाहे उदयपुर ले जाना हो, चाहे जयपुर ले जाना हो, चाहे अजमेर ले जाना हो, चाहे अहमदाबाद ले जाने की समस्या से हम निजात पा सकेंगे। इसके लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ ही मेरे क्षेत्र में जो 108 और 104 एम्बुलैंस हैं, वह भी कंडम हो चुकी हैं। आये दिन एक्सीडेंट होने की वजह से हमें गाड़ी मुहैया नहीं हो पाती जिससे लोग असमय ही मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 108 और 104 एम्बुलैंस जो कंडम हो चुकी, उनको रिप्लेस करके नई गाड़ी प्रदान करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ-साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी के लिये भी हमने पांच बीघा जमीन अलाट करा रखी है। अगर उनके भवन के लिये आप स्वीकृति प्रदान करें तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां जो एक ही छत के नीचे आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी के डाक्टर एक साथ बैठ सकेंगे तो इस पर थोड़ा विचार करें। मुझे आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री रामनारायण गुर्जर।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26- चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई के बारे में चर्चा के लिये आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिये धन्यवाद। नसीराबाद हॉस्पिटल 150 बैड का हॉस्पिटल है और यह आपकी सरकार की मेहरबानी से नहीं है माननीय मंत्रीजी, यह कांग्रेस के टाइम में 150 बैड का हुआ था। आप इसका रख-रखाव भी नहीं कर पा रहे हैं। 150 बैड के हॉस्पिटल का यह हाल है, 18 से 20 डाक्टर हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, मरीज की एक ही पर्ची बनती है रैफर टू जे.एल.एन.। जे. एल.एन. हॉस्पिटल में कुछ मरीज जाते हैं। डाक्टर यह कहते हैं कि वहां डॉक्टर बैठे हुए हैं या कोई हज्जाम बैठे हुए हैं। वह छोटी-छोटी सी बीमारियों के लिये भी रैफर अजमेर कर देते हैं। माननीय मंत्रीजी, बहुत बार आपको भी अवगत कराया, मीटिंग में भी बताया। जे.डी. साहब वहां इंचार्ज हैं, उनको भी बताया, पर इसका समाधान नहीं हुआ। कुछ मरीज, जो अजमेर जाने में असमर्थ बताते हैं, उनको भर्ती कर लिया जाता है। भर्ती करने के बाद रात्रिकालीन जिस

(श्री रामनारायण)

डाक्टर की ड्यूटी लगती है, वह उनको करीबन 9.00 बजे एक आदेश फरमाते हैं कि आप लोग घर जाओ, सवेरे आ जाना। अभी आपकी तबीयत ठीक है। बेचारे कुछ मरीज चले जाते हैं, तबीयत खराब हो तो रात को वापस आते हैं। डाक्टर और स्टाफ अपने कमरे में रात भर आराम से सोते हैं। यहां तक कि रात को आने वाले नये मरीज डाक्टर को ढूंढते ही रहते हैं। मीटिंग में बार-बार जे.डी. साहब को कहा रिलीफ सोसायटी की मीटिंग में, पर कोई समाधान नहीं हुआ।

इसी तरह आज करीबन 10 दिन से सोनोग्राफी करने वाला डाक्टर छुट्टी पर है। 20 से 30 मरीज रोज सोनोग्राफी के लिये पहुंच रहे हैं, डाक्टर रिकमंड कर रहे हैं। जब रिलीफ सोसायटी के सदस्यों ने बात की तो जे.डी. साहब जवाब देते हैं कि प्राइवेट करा लो, हमारे पास अभी टेम्परेरी डाक्टर लगाने को नहीं है, 5-6 तारीख को आ जायेंगे। उसको देखते हुए डाक्टर लोग हर मरीज को किसी को 7 तारीख, किसी को 8 तारीख, किसी को 9 तारीख दे रहे हैं। वह डाक्टर आये तो क्या वह 30-40 आदमियों की सोनोग्राफी एक दिन में कर देंगे? इस तरह की व्यवस्था खराब कर रखी है। वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है।

माननीय मंत्रीजी, दवा के चार काउंटर लगे हुए हैं, जहां पर दवा दी जाती है। उसमें केवल एक काउंटर खुला हुआ है और उससे मरीजों को परेशानी हो रही है। वहां पर लाइन लंबी लगी रहती है, दवाइयां मिलती नहीं हैं और डाक्टर कमीशन के चक्कर में बाहर की दवाइयां लिख देते हैं। इस तरह से इतनी व्यवस्था खराब हो रही है। हॉस्पिटल में सफाई के नाम पर शिकायतें होती हैं। एस.डी.ओ. साहब को शिकायत की तो एस.डी.ओ. नसीराबाद ने जाकर देखा तो वाकई में वहां पर टाइम से सफाई नहीं हो रही है। जिस तरह से वहां पर सफाई होनी चाहिये, उस तरह से नहीं हो रही है। एस.डी.ओ. साहब खुद दो घंटे बैठे, ठेकेदार को बुलाया फिर जब सफाई हुई। अब एस.डी.ओ. रोज तो बैठ नहीं पायेगा। सफाई के लिये इतना ज्यादा पैसा ठेके का दिया जा रहा है तीनों हॉस्पिटल में, श्रीनगर, पीसांगन और नसीराबाद, इन हॉस्पिटल में सफाई की व्यवस्था इतनी खराब हो रही है कि लोग वहां बाथरूमों में घुस ही नहीं पा रहे हैं।

आज वहां पर 15 से 16 डाक्टर रोज अप-डाउन कर रहे हैं। बार-बार

(श्री रामनारायण)

मीटिंग में शिकायत होती है। जे.डी. साहब से मैंने रिलीफ सोसायटी की मीटिंग में शिकायत की कि 15 डाक्टर अप-डाउन कर रहे हैं, यह आपको पता है। डाक्टर सीटों पर मिलते नहीं हैं। रात को मिलते नहीं हैं। इनके आप एड्रेस ले लो, आप जांच करवा लो कि यह रहते कहां हैं? यह पांच-छह महीने पहले की शिकायत है। धीरे-धीरे मालूम पडा कि एक डाक्टर को बताया गया कि आपको करीबन 5 से 6 हजार रुपये किराये के मकान में नसीराबाद रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छा है जे.डी. साहब को हर महीने इकट्ठा पैसा दो किराये का और आराम से अप-डाउन करो। साथ ही सफाई ठेकेदार हैं, वह पैसा दे देते हैं। एम्बुलैंस हॉस्पिटल की है, वह काम में नहीं आती है, 108 में मरीज आते-जाते हैं। केवल डीजल के लिये गाड़ी की लॉग-बुक भर देते हैं और उस पैसे को डाक्टर खुर्द-बुर्द कर देते हैं। मतलब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई देखने वाला ही नहीं है।

साथ ही श्रीनगर पंचायत समिति, पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है। आस-पास करीबन 15-20 पंचायतें हैं, मरीज आते हैं, वहां पर केवल नाममात्र का एक डाक्टर लगा हुआ है। 24 घंटे एक डाक्टर ड्यूटी दे नहीं सकता है, न स्टाफ दे सकता है, वहां पर स्टाफ की भी कमी है। इससे रात को हॉस्पिटल के ताले लग जाते हैं।

महिलाएं जाएं तो जाएं कहां? रात्रिकालीन बसें नहीं हैं। महिला डाक्टर नहीं है। आप बार-बार कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसके नारे देकर आपने लोगों के कान बहरे कर दिये। पंचायत समिति पीसांगन हैड क्वार्टर का भी यही हाल है। चार साल से महिला डाक्टर की मांग कर रहे हैं। आप डाक्टर लगा ही नहीं पा रहे हैं। अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर 40 किलोमीटर दूर है। अजमेर का जनाना हास्पिटल करीब 60 किलोमीटर दूर है। वहां के लिए भी पीसांगन से रात्रिकालीन बसें नहीं हैं। माननीय मत्रीजी, आप बताइये कि मरीज जाए कहां, महिलाएं जाएं कहां रात को? बसें नहीं हैं, टैक्सियां नहीं मिलती हैं। मरीजों के पास पैसा नहीं है। इस तरह से हास्पीटल्स का हाल है।

आपने देखा होगा कि जेडी साहब की हर महीने, दो महीने में शिकायतें आती रहती हैं। वह इन्चार्ज बने हुए हैं। नसीराबाद से सफाई के ठेकेदारों से, डाक्टर्स से करीब एक लाख खुले में ले लेते हैं और अब ले कहां जा रहे हैं, कोटा ले जा रहे हैं, पूरे जिले से आठ या दस लाख जेडी साहब

(श्री रामनारायण)

लेकर जाते हैं। कोटा जाते हैं या जयपुर आते हैं, जयपुर एपीओ किया हुआ इसलिए जयपुर में आ जाते हैं। जांच आपने की नहीं। जांच कई बार करवायी। अब करें क्या? जब भी बात करो, कहते हैं कि ऊपर वाले को देते हैं। अब ऊपर तो करतार है, नीचे आपकी सरकार है। आप ही इसका फैसला करो कि पैसा जाता कहा हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। आसन ने पहले ही व्यवस्था दे दी। दस मिनट बाद में किसी का भी अंकित नहीं होगा। यह पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है। अब आप बोलेंगे तो अंकित होगा नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, अंकित तो चार साल में ही नहीं हुआ, अब क्या होगा।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): सभापति महोदय, स्वाइन फ्लू में पहले पायदान पर आप हैं।

श्री सभापति: आज 50 माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए आसन की व्यवस्था है, उसकी पालना करें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, पचास तो सदन में ही मौजूद नहीं हैं। कहां से बुलवाओगे?

श्री सभापति: सूची है न। आपकी भी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही तो गड़बड़ है। जो रहता ही नहीं है सदन में। उसकी सूची दे देते हैं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): मैं मंत्री पर थोड़े ही लगा रहा हूं। मैं तो बता रहा हूं कि ऊपर करतार, नीचे सरकार। हो क्या रहा है, यह तो ये ही बतायें। अंकित हो या नहीं हो, मंत्रजी तो सुन रहे हैं। कब से व्यवस्था सुधारेंगे। आठ महीने हैं अभी तो।

साथ ही आठ विधान सभा क्षेत्र हैं, पूरे अजमेर जिले में, और आठों में बड़े-बड़े हास्पिटल्स हैं। विधायक और मंत्री बोल नहीं पाते हैं, सरकार में बैठे है इसलिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठें। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): 000

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली। सत्ता पक्ष का एक भी सदस्य दस मिनट से एक मिनट भी ऊपर नहीं हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सत्ता पक्ष के पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि जोधपुर में स्वाइन फ्लू से सर्वाधिक करीब 42 मौतें हुई हैं। मुझे याद है कि एक बार फंगस होने के कारण 29 डिलेवरी वाली महिलाओं की डैथ हुई थी। बहुत गम्भीर समस्या है। कलक्टर साहब की मीटिंग में भी यह तय हुआ, हालांकि प्रिंसीपल साहब ने कहा कि हमने टैस्टिंग के पूरे इन्तजाम कर दिये हैं और लोगों की जांचें बराबर हो रही हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि इस मशीनरी को और अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि आगे से लोगों में यह रोग न फैले।

सभापति महोदय, केके कालोनी में जो डिस्पेंसरी आठ महीने से लगी हुई है। चालीस से पचास हजार लोगों की बस्ती है परन्तु सीएमएचओ साहब कहते हैं कि इसको बासनी गांव में ट्रांसफर करेंगे। बासनी गांव में सिर्फ हजार पन्द्रह सौ की आबादी है। चालीस, पचास हजार की बहुत कम आय वाले लोगों के स्थान से वहां ट्रांसफर करना उचित नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से व्यक्तिगत भी निवेदन किया था कि इसको कायम रखें और इसको एडिशनल डिसपेंसरी घेषित कर दी जाए।

सभापति महोदय, जोधपुर का महिला बाग़ अस्पताल जिला अस्पताल है। बहुत जगह है। पूर्व कलक्टर साहब ने काफी अच्छी मेहनत करके, मैंने भी उसमें एक वार्ड के लिए पैसा दिया परन्तु वहां पर सैटेलाइट अस्पताल की घोषणा की जाए। पूरा स्टाफ दिया जाए। विशेषकर गायनी का बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया को वह कवर करती है और उसमें अमूमन महीने में सौ-डेढ़ सौ डिलेवरीज होती हैं।

मधुबन डिस्पेंसरी बहुत बड़े एरिये में आयी हुई है। मेरा निवेदन है कि वहां पर 30 बैड का गायनी का अस्पताल खोला जाए और डाक्टर्स और नर्सेज का स्टाफ दिया जाए। नवचौकिया डिस्सपेंसरी में मैंने अपने विधायक कोष से वार्ड बनवा दिया, इक्विपमेंट्स आ गये परन्तु डाक्टर्स का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से, कि वहां पर डेन्टिस्ट जल्दी से जल्दी लगाया जाए और वहां पर गायनी में जो थीं, वह रिटायर हो गयी हैं, उसके स्थान पर एक अच्छी महिला डाक्टर को लगाया जाए।

(श्री कैलाश भंसाली)

यूसन मण्डी डिसपेंसरी 1952 से चल रही है। बिलकुल जर्जर हालत में है। उसकी एक बार तो छत ही गिर गयी। अच्छा हुआ लाइन में लगी हुई महिलाओं को चोट नहीं आयी। मेरा निवेदन है कि उसको तुरन्त प्रभाव से पूरा ठीक करवाया जाए। रिनोवेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर नया निर्माण करवाया जाना हो तो भी करवाया जाए क्योंकि वह बहुत पुरानी डिसपेंसरी है और मरीजों की संख्या वहां बहुत ज्यादा आती है।

उम्मेद अस्पताल में लेबर रूम में बहुत भीड़ रहती है। मेरा निवेदन है कि एक बड़ा हाल बना दिया जाए और उसमें एसी, पंखे या कूलर्स की व्यवस्था करके महिलाओं को राहत दी जाए।

जिलाधीश महोदय अभी तीनों अस्पतालों का काम देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतनी खराब हालत में सफाई व्यवस्था मैंने कहीं देखी नहीं। अब जरूर उनके प्रयास से महात्मा गांधी अस्पताल में और एमडीएच और उम्मेद में तीनों में सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। मेरा निवेदन है कि एक पूरी टीम बनायी जाए। दूसरा, निर्माण कार्य जैसे रेजीडेंसी की डिस्पेंसरी जो है, उसका निर्माण कार्य दिया गया है परन्तु ठेकेदार बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। उसको टाइट किया जाए और पीडब्ल्यूडी से इस कार्य को जल्दी करवाया जाए।

सती माता डिस्पेंसरी जो कि रातानाड़ा में है। सती माता के नाम से लोग आते हैं परन्तु वहां डाक्टर ही नहीं है, न नर्स है। केवल उसके साथ एक आयुर्वेद अस्पताल है, उसमें एक डाक्टर और एक नर्स है। तो यह कार्य किया जाए।

महात्मा गांधी अस्पताल में कैन्टीन के बाहर बैठने की व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसके पास जगह बहुत है। कोटा स्टोन लगाकर, पंखे लगाकर, कुर्सियां लगाकर व्यवस्था की जाए ताकि लोग आराम से चाय पानी कर सकें, बैठ सकें। ठण्डे पानी की मशीन डोनर्स ने लगा दी है। उसके लिए डोनर्स को धन्यवाद।

आपरेशन थियेटर जो शरद भण्डारी को दिया हुआ है, इतनी सुन्दर व्यवस्था है परन्तु उसके पास में जो दूसरा मेल वार्ड है, उसमें भी पूरी व्यवस्था है। इसी तरह से डाक्टर लाखोटिया की वार्ड में बहुत अच्छी व्यवस्था है। शाम को भी वे व्यक्तिगत रूप से वार्ड लोगों को देखते हैं। मेरा निवेदन है

(श्री कैलाश भंसाली)

कि दूसरा जो वार्ड है, उसको भी उसी तरह से क्रमोन्नत किया जाए। दानदाता से दान दिलाकर उसको अच्छा किया जाए।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया है परन्तु इसकी पब्लिसिटी नहीं हुई है और कुछ संस्थाएं आगे आकर चौराहों पर इसके लिए लिखना चाह रहे हैं, उनको अनुमति प्रदान की जाए।

तीनों अस्पताल में डाक्टर्स की बहुत कमी है, विशेषज्ञ डाक्टर्स बहुत कम हैं। मेरा एक विशेष निवेदन है कि कार्डियोलोजी विभाग में सिर्फ दो डाक्टर, डाक्टर सांघवी और डाक्टर विनीत, पवन शारदा जी को जयपुर एस.एम.एस. में डेपुटेशन पर लगाया, उनको तुरन्त जोधपुर में लगाएं, वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, भीलवाड़ा में उनकी बहुत ख्याति थी इसलिए पवन शारदा जी को वापस जोधपुर परमानेंट लगाया जाए।

वैसे जोधपुर की चिकित्सा व्यवस्था हमारे पूर्व हिज हाइनेस उम्मेद सिंह जी के समय से बहुत अच्छी है, तीनों अस्पताल उन्होंने बनाये, दो उन्होंने बनाये एक महात्मा गांधी अस्पताल उन्होंने बनाया उम्मेद, अब जो मथुरा दास माथुर है वो हमारी सरकार ने बनाया, इसमें खूब अच्छी सुविधा दी है, खूब वार्ड, ट्रोमा सेन्टर्स और बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें अभी ट्रोमा सेन्टर में एक वार्ड की और आवश्यकता है, वो भी पूरी की जाए।

जोधपुर शहर में जो गंदगी है उस कारण से भी बहुत बीमारियां होती हैं। हालांकि जब बरसात आती है तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, वार्ड-वार्ड में केरोसीन से छिड़काव किया जाता है परन्तु मच्छर मरते नहीं हैं और उसी से मलेरिया की मौसमी बीमारी प्रारम्भ हो जाती है।

हमारा जोधपुर ऐतिहासिक नगर है और ब्रह्मपुरी किले की घाटी, इसी तरह जालोरिया का बास में बहुत संकरी गलियां हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए गधों के द्वारा ही कचरा ढोया जा सकता है, उसकी व्यवस्था हो और जोधपुर का जो कचरे का संग्रह हो, जोधपुर से 10 किलामीटर बाहर है परन्तु शहर में जगह-जगह डिपो खुल गये हैं, उनको समय पर उठाने से बहुत सारी अव्यवस्था होती है, लोग बदबू में गुजरते हैं, बड़ी शर्म आती है।

ब्लड बैंक का काम बहुत अच्छा है उम्मेद अस्पताल में और हमारे यहां दानदाताओं ने बहुत, डेली, आजकल हर संडे को दो-तीन जगह ब्लड डोनेशन के कैम्प होते हैं, लोग खूब ब्लड डोनेट करते हैं। नेत्र दान का भी

(श्री कैलाश भंसाली)

बहुत अच्छा काम चल रहा है और आजकल अंग दान का काम भी बढ़ रहा है। यह सब बातें हैं। हमारी मुख्य मंत्रीजी जब स्वयं आयी थीं तो उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल के वार्ड का उद्घाटन करते हुए कहा था जोधपुर चिकित्सा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सभापति जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है धन और माया, तीसरा सुख है उत्तम नारी, चौथा सुख है सुत आज्ञाकारी। इस सब में यदि मानते हैं तो स्वास्थ्य ही जीवन का एक अभूतपूर्व है, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण ही एक पूंजी माना गया है। इसमें हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजे जी ने प्रदेश की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई योजनाएं चलायी हैं। जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य राजस्थान, जिसके अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में सभी करीब 9898 पंचायत मुख्यालयों पर आशा सहयोगिनी और एएनएम द्वारा उनकी स्वास्थ्य की जांच करवाकर करीब 3.73 करोड़ लोगों का और करीब 95 लाख परिवारों की स्वास्थ्य जांच कर आनलाइन साफ्टवेयर तैयार करवाया है।

इसके साथ-साथ प्रदेश में दो चरणों में जो 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे उनको आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोषित किया है और इस बजट में देश की मुख्य मंत्री महोदया ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में सेंट्रलाइज्ड आक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था करने की घोषणा के साथ-साथ 27 जिला चिकित्सालयों में फायर फाइटिंग एवं फायर डिटेक्शन सिस्टम स्थापित करना, 27 जिला चिकित्सालयों में बिजली बचत हेतु रूफ टाप सोलर विद्युत सेन्टर की स्थापना और प्रदेश में 28 नवीन पी.एच.सी. और 16 सी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं, मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

(श्री अर्जुन लाल)

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आज अपनी रिप्लाई में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा करेंगे। हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि,

'किसी हुकूमत की नहीं जन-जन के दिलों में बसने की चाह रखी है,
सेवा को समझ निज धर्म सम्पूर्ण राजस्थान पर निगाह रखी है,
अंधेरे सफर को करने हौसलों के चिरागों से रोशन,
अपने नाम की नहीं अपने काम की परवाह रखी है।''

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ मांग रखना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने गत वर्ष बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के लिए ट्रोमा सेन्टर की घोषणा की गई और 21 अप्रैल, 2017 को घोषणा के तुरन्त बाद 21 अप्रैल, 2017 को माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास किया गया और मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के अथक प्रयासों से जो हमने जन सहयोग से करीब दो करोड़ की लागत से उस ट्रोमा सेन्टर भवन का निर्माण भी कर दिया है। हम चाहते हैं कि 21 अप्रैल, 2018 तक उनका आपके कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी हो जाए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कर देंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): इसके लिए आप प्रयास करें कि मुख्य मंत्री महोदया को भी उस उद्घाटन स्थल पर लेकर पधारें।

इसके साथ-साथ मैं मांग करना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर स्थित पावटा सैटेलाइट अस्पताल है, जो इस विधान सभा में 2008 में मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि बिलाड़ा को सैटेलाइट अस्पताल घोषित करेंगे, 100 बैडेड का जिला चिकित्सालय घोषित करेंगे, सरकार बदल गयी, सरकार बदल गयी, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने जो बिलाड़ा का स्वीकृत सैटेलाइट अस्पताल था उसको अपने विधान सभा क्षेत्र पावटा सैटेलाइट में ले गये और उस ट्रोमा सेन्टर को भी वहां स्थापित कर दिया जबकि जोधपुर के अन्दर एम्स, एम.डी.एम., एम.जी.एच., उम्मेद जैसे इतने बड़े-बड़े अस्पताल हैं और गत पांच-सात सालों से वहां पर ट्रोमा यूनिट में एक भी पेशेंट नहीं गया है क्योंकि वो सीधे जोधपुर के अन्दर ही है, सीधे एम.डी.एम., एम्स या एम.जी.एच. ले जाते हैं। तो वहां जो मशीनरी और वहां का स्टाफ था, मैं मंत्री

(श्री अर्जुन लाल)

महोदय से निवेदन करूंगा कि हमने जो जन सहयोग से दो करोड़ की लागत से ट्रोमा सेन्टर बनाया है, उसमें स्थापित करवाएं ताकि सुचारु रूप से यह ट्रोमा सेन्टर चालू हो सके।

इसके अलावा बिलाड़ा रैफरल चिकित्सालय में जब ट्रोमा सेन्टर के अन्दर भी 16 बैड हो जायेंगे, क्योंकि 84 बैड का अभी वो रैफरल चिकित्सालय चल रहा है, 16 बैड इस ट्रोमा सेन्टर में हमने कर दिये तो अब वो 100 बैड का चिकित्सालय हो गया है, तो उसके लिए भी आप आज अपनी रिप्लाई में 100 शैयाओं वाला चिकित्सालय करने की घोषणा करें।

(15.00 बजे)

उस दिन भी आपने शिलान्यास किया, उस दिन भी घोषणा की थी, आज घोषणा करेंगे। मेरे पीपाड़ शहर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसको रैफरल चिकित्सालय घोषित करवाएं। इसके साथ ही साथ बिलाड़ा क्षेत्र में एक सीएचसी बोरूंदा है, जिसका भी दानदाताओं द्वारा निर्माण कराया गया था। उस समय उसको सीएचसी घोषित किया था और पीएचसी थी, तब वहां तीन डाक्टरों के स्वीकृत पद थे। सीएचसी होने के बाद भी जब बाकी पूरे प्रदेश में सीएचसी के अन्दर 11 से 15 तक डाक्टर्स होते हैं, वहां अभी तक 3 डाक्टरों के स्वीकृत पद हैं। कम से कम आप वहां पर 15 नहीं तो 11 पद स्वीकृत करके वे रिक्तियां भरें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर्स की कई जगह पीएचसीज में रिक्तियां पड़ी हैं, उनको पूरा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे दानदाताओं द्वारा लगभग पूरे प्रदेश में ही पूर्व में जितने भी पीएचसीज, सीएचसीज के जो भवन बने हैं, वे दानदाताओं और भामाशाहों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन लंबे समय के बाद तक उनका रेनोवेशन नहीं होने के कारण कई ऐसे भवन जर्जर अवस्था में हैं। उनके रेनोवेशन के लिए भी आप आज घोषणा करेंगे। अंतिम में मैं सभी विराजमान सदस्यों को मेरे साथी सदस्यों की ओर से सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा-

बुलंद हौसले रखकर खुशहाली का गान गाने निकले हैं,
इतिहास के अमर पन्नों पर शान बनाने निकले हैं,
वक्त के भाल पर लिखने सेवा की अमर कहानी,
हम नवीन राजस्थान का निर्माण करने निकले हैं।
जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सम्माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा की मांग पर मैं अपने क्षेत्र की उपलब्धियां और आवश्यकताओं पर चर्चा करना चाहता हूं, आपने इसके लिए मुझे जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। हमारे भीलवाड़ा शहर में मेडिकल कालेज खुला है और लगभग 200 करोड़ रुपए लगकर वहां बिल्डिंग तैयार है। जो डाक्टरों की कमी है, पूरे राजस्थान में 7 नए मेडिकल कालेज खुले हैं, तो इन डाक्टरों की कमी इन मेडिकल कालेजज में पूरी होगी, यह पूरा विश्वास है, लेकिन मेरा इतना-सा निवेदन है कि जो Medical Council of India है, जो भी उसकी जांच होती है, उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को अगर हमने समय रहते पूरा कर दिया तो अगले सैशन से हमारे भीलवाड़ा का मेडिकल कालेज स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि हमारे मेडिकल कालेज के स्टाफ में अगर कोई कमी है या सुविधाओं में कोई कमी है तो उनको समय रहते पूरा करें, जिससे अगले सैशन से हमारा यह कालेज शुरू हो सके।

भीलवाड़ा जिला अस्पताल में एमसीएच की एक नई यूनिट बनी है और बहुत शानदार इमारत बनी है, अभी उसका उद्घाटन भी बाकी है, लेकिन वह शुरू हो चुकी है तो मैं आदरणीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इतनी बढ़िया-बढ़िया आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं हमारे जिला अस्पतालों में, उनका उद्घाटन भी समय पर पूरा करें, जिससे यह उपलब्धि सरकार के खाते में जुड़े। सीसीयू की पूरी नई इकाई बनी है। आईसीयू के बाद हमारे Cardiac Care Unit भीलवाड़ा में बनी है और राजस्थान में जिला चिकित्सालयों में सर्वश्रेष्ठ यूनिट बनी है, तो सरकार ने इस तरह की उपलब्धियां दी हैं। एक नया 30 बैड का वार्ड बना है। 3 नई पीएचसी मेरे भीलवाड़ा शहर को मिली थीं, इन सबके कारण हमारी चिकित्सा सुविधाओं में बहुत विस्तार हुआ है और मैं सरकार और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को, पहले हमारे चिकित्सा मंत्री जी राठौड़ साहब थे, अब कालीचरण जी सराफ हैं, दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे भीलवाड़ा पर विशेष मेहरबानी करके मेडिकल कालेज सहित जिला अस्पताल में इतनी सारी सुविधाएं शुरू करवाई हैं।

महोदय, मैं जो वास्तव में कमियां-खामियां हैं और बहुत आवश्यक जरूरतें हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भीलवाड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर पुर कस्बा है, जो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र में लगभग 40 हजार आबादी है और 40 हजार की आबादी के अलावा

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

आसपास के क्षेत्र, जिसमें छोटे-छोटे गांव लगते हैं, उन्हें मिलाकर लगभग 70-80 हजार की आबादी उस एरिये में लगती है। वहां 35 साल पुरानी पीएचसी है। 35 हजार की आबादी में 35 साल पहले एक पीएचसी खुली थी, वह अभी तक उसी स्तर पर चल रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि नेशनल अर्बन हैल्थ प्रोग्राम में हमारी इस पीएचसी को क्रमोन्नत करके आप सीएचसी बनाएं, जिससे उस एरिये में जनता को लाभ मिल सके, क्योंकि शहर से 15 किलोमीटर दूर है आबादी और गम्भीर रोगियों को शहर में आने में बहुत समय लग जाता है और अब बाई-पास निकलने से साधनों का अभाव उस कस्बे में हो गया है, जिससे कई लोग परेशान हैं।

जब माननीय मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प यात्रा में वहां पधारी थीं, तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि मैं इस कस्बे की पीएचसी को क्रमोन्नत करके सीएचसी बनाऊंगी तो सुराज संकल्प यात्रा का भी उनका यह आश्वासन है, इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपा करके इतनी बड़ी आबादी है, 35 साल पुरानी सीएचसी है और 70 हजार की आबादी जिससे लाभान्वित होती है और शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, उधर गंगापुर जाता है तो 40 किलोमीटर पड़ता है। वास्तव में परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए पुर कस्बे में हमारी पीएचसी को क्रमोन्नत करके सीएचसी बनाया जाए। मेडिकल कालेज में पैरा-मेडिकल कोर्सेज स्टार्ट करने की आवश्यकता है, जिससे पूरा लाभ हमारे क्षेत्र को मिल सके।

रेडियोग्राफर का, लैब टैक्निशियन का, ईसीजी टैक्निशियन का, डायलिसिस टैक्निशियन का कोर्स हमारे यहां चालू किया जाए और हमारे यहां पर जीएनएम के नर्सिंग कालेज को बीएससी लेवल का कराया जाए, जिससे मेडिकल कालेज के लेवल की व्यवस्थाएं वहां हो सकें। आज हमारे हॉस्पिटल में, पिछले आए बजट सैशन में मैंने निवेदन किया था कि डाक्टर्स की कमी है। 90 की कुल हमारे संख्या है डाक्टर्स के स्टाफ की, लेकिन उसके विरुद्ध केवल 35 डाक्टर लगे हुए हैं, जिससे कई बार पब्लिक को परेशानी होती है और आए दिन वहां जनता द्वारा एक तरह से आंदोलन किया जाता है, कई बार वहां झगड़े होते हैं, तो अब यह मेडिकल कालेज खुला है तो डाक्टर तो आएंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेडिकल कालेज में थोड़ा टाइम लगेगा तो इस दरमियान आप थोड़े 5-10 डाक्टर्स हमको दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

चिकित्सकों को काल ड्यूटी पर बुलाने के लिए जो वाहन हमारे यहां है, वह बहुत पुराना हो चुका है और लगभग नाकारा है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि काल ड्यूटी पर चिकित्सकों को लाने के लिए जो वाहन की व्यवस्था है, उसको एक नया वाहन हमारे हॉस्पिटल में दिलाएं।

आई.सी.यू., मेडिकल वार्ड में एक आई.सी.यू. वार्ड की और आवश्यकता है। इसके अलावा जो वहां रोगी आते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उन अटेंडेंट के बैठने की वहां पर कोई माकूल व्यवस्था नहीं है तथा रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी नहीं है। एक धर्मशाला थी जो बहुत जर्जर अवस्था में है, लगभग गिरने की अवस्था में है तो वहां जो रोगी आते हैं उनके अटेंडेंट के बैठने और ठहरने की व्यवस्था के लिए धर्मशाला की जरूरत है। इसलिए आप कृपा करके हमारे वहां धर्मशाला के लिए राशि प्रदान करायें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बैठने की सुविधा के लिए वहां हॉस्पिटल के परिसर में एक हॉल की आवश्यकता है जिससे दिन में जो अटेंडेंट आते हैं और जब डाक्टर राउण्ड पर होते हैं तो उन सबको बाहर निकाला जाता है जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी होती है इसलिए उनके बैठने की व्यवस्था के लिए एक जगह की आवश्यकता है। परिसर में जगह की कमी नहीं है, केवल सुविधाओं का अभाव है तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो भीलवाड़ा का जिला अस्पताल है वो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पतालों में से एक है और वहां की व्यवस्थाओं को जानकर, चिन्ता करके सुधारने का प्रयास करते हैं।

मेरे विधायक कोष से डायलिसिस की वहां पर व्यवस्था शुरू करवाई थी जिसको अब पीपीपी मोड पर दिया गया है। पीपीपी मोड पर अभी तत्काल ही दिया गया है तो थोड़ी अव्यवस्थाएं हो रही हैं इसलिए जो भी इसको लेने वाले लोग हैं उनको पाबन्द किया जाए कि जो पहले से व्यवस्थाएं चल रही हैं उन्हीं व्यवस्थाओं को सुचारु करके करें क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं है, उनको जमी-जमाई यूनिट मिली है तो वो उन व्यवस्थाओं को बिगाड़े नहीं। आज ही मेरे पास फोन आया था कि वहां व्यवस्था नहीं है और मरीज इकट्ठे हो रहे हैं इसलिए इनको पाबन्द किया जाए जिससे ये व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं।

चिकित्सा मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पुर कस्बे की पीएचसी को तो आप कृपा करके आप ही क्रमोन्नत करके सीएचसी बनायें जिससे 35 साल पुरानी डिमाण्ड की भरपाई हो सके। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26....

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, आज कटौती प्रस्ताव दिया है तो कोई सद्बुद्धि दी है या कोई गलती हो गई। पहली बार कटौती प्रस्ताव दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो बैठ जाओ, आपकी टिकट कट रही है माननीय सदस्य। आज मांग संख्या-26 के ऊपर मुझे बोलने के लिए आसन ने नाम पुकारा है। आप में से 100 की कट रही है इसलिए मैं शंका कर रहा हूं और नहीं कटे तो बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति: आप अपनी बात करो न।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, यह विषय तो मजाक में कह दिया इसलिए इसको डिलीट कराएं। किसकी कटेगी किसकी रहेगी यह तो....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने आपका नाम ही नहीं लिया न, आप चिन्ता मत करो लेकिन यह सत्य है। (व्यवधान) मुझे पूछकर ही करती है बीजेपी काम। अभी देखना, मंत्रीजी कितनी घोषणाएं करेंगे मेरे कहने पर।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग के ऊपर चर्चा है और हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे और अच्छे तरीके से मंत्रीजी काम करें इसके लिए निश्चित रूप से कुछ सुझाव भी दूंगा, कुछ उलाहना भी दूंगा, कुछ कमियां-खामियां भी गिनाऊंगा और कुछ धन्यवाद भी दूंगा। इसलिए आप पहले तो जैसे डीजे पर नाचते हैं वैसे खड़े होकर डांस मत करना। बस मुझे आराम से बोलने दो, गलत हो तो सभापति महोदय कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, ये मंत्री महोदय के लिए कह रहे हैं कि डांस नहीं करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किशनगढ़ उप चुनावों में देखा था, आप पधारे थे। 15 दिन मैं भी वहीं था और आप भी वहीं थे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या देख लिया आपने? कुछ नहीं है। आपको भी 21 पर समेट कर भेजा है और वो हमारा गुबार निकल गया इसलिए चिंता मत करो आप और ज्यादा इतना भी मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, 3 बजकर 14 मिनट पर मेरा भाषण शुरू हुआ है आप नोट कर लीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से काम होना चाहिए उसमें क्या कमियां-खामियां रह गई उन पर चर्चा करने के लिए और क्या अच्छा होना चाहिए उसके लिए हम सब यहां आए हैं और अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे मौका दिया। निश्चित रूप से जो तीन साल का समय निकला है, पहले 12 महीने का तो पता नहीं चलता क्योंकि केवल यही कहते रहे कि आप हार गये, आप हार गये, हम जीत गये तो हमने कहा कि कोई बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में महामारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है, स्वाइन फ्लू फैल रहा है तो आप कर क्या रहे हैं? आपको थोड़ा बहुत यह देखना चाहिए कि आपको जनता ने 163 का मेन्डेट दिया तो क्या महामारियों की रोकथाम करने के लिए नहीं दिया? आज आप कह सकते हैं और बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वाइन फ्लू से एक विधायक की मौत हो गई, एक विधायक के कल-परसों फिर हो गया, हर जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़े हैं। डेंगू के समय 12 महीने पहले डेंगू के मरीज बढ़े थे। आप कोटा पधारे थे तो आपके चार विधायकों ने कहा कि मंत्री महोदय डेंगू से मौतों के आंकड़े झूठे दे रहे हैं और हमें शर्म आती है, आपको डूबकर मर जाना चाहिए। ये इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगतीं, हमको भी नहीं लगती। क्योंकि जब मुख्य मंत्री कह चुकीं कि हम 200 सारे मिलकर, प्रदेश की सारी जनता मिलकर सब साथ चलें और टीम राजस्थान है तो निश्चित रूप से हमें भी तकलीफ होती है अगर आपके ऊपर कोई अंगुली उठाता है। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा जब आपसे जवाब मांगा। 32 हजार एक साल में मौतें हॉस्पिटल में, नवजात की मौतें, उसके ऊपर कौन जवाब देगा?

आपने कहा था, आप ही का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं कि 1 जुलाई, 2018 से हम सातों मेडिकल कालेज शुरू कर देंगे। आप ही का था और आप अपने उसमें जवाब दे देना। आपने एक भी की क्या? आप बताइये कि 1200 करोड़, 1000 करोड़ के बावजूद भी आप एमसीआई से नहीं ला सके। आपका समय समाप्त होने वाला है। जैसे सभापति महोदय तीन मिनट पहले घंटी बजाते हैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

न वैसे जनता ने उप चुनावों में घंटी बजा दी और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

निश्चित रूप से आप फैकल्टी पूरी नहीं कर सके जिसकी वजह से 1200 मेडिकल सीटों का प्रदेश को नुकसान हुआ है। आपने जान-बूझकर डाक्टरों की मांगें नहीं मानीं कि ये हड़ताल करें, मैं दादागीरी करूं और दादागीरी के साथ हड़ताल समाप्त होने के बाद में, राजीनामा करने के बाद में आपने अपने ईगो-सैटिस्फैक्शन के लिए पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, हड़ताल करवा दी। मौतें हो रही थीं गरीबों की, बीमार इलाज नहीं करा पा रहे थे और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में पहली बार एक मंत्री के फेल होने के कारण से मुख्य मंत्री ने तीन मंत्रियों की समिति बनाई कि यह समिति तय करेगी कि हड़ताल कैसे टूटे। आपको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। हम सबको शर्म आई क्योंकि आप जिले के मंत्री हैं, मेरे सीकर जिले के आप जाये, जन्में हैं और राज्य मंत्री भी हमारे जिले से हैं तो मुझे खुद को दु:ख हुआ कि मेरे जिले के, मेरे बड़े भाई कालीचरण जी सराफ को जो हड़ताल की जा रही थी उसमें कमरे से बाहर निकाल दिया। तो ये चीजें आपने क्यों की एक ईगो-सैटिस्फैक्शन के लिए, मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी।

आप डाक्टर लगा नहीं पाये, 900 से ज्यादा डाक्टर जोइन नहीं कर पाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने तीन साल पहले बजट में घोषणा की थी सेनिटरी नैपकिन की और आपने पांच बार उन आदेशों को बदला, उनकी शर्तें बदलीं, टेंडर पूरे नहीं हुए। किसको जवाब तो देना पड़ेगा न मंत्री महोदय इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समय है, अभी भी 8 महीने हैं। नर्सिंग कालेज में किसने लगाया रजिस्ट्रार? गोविन्द प्रसाद शर्मा को किसने लगाया? आपने लगाया। नियम विरुद्ध क्यों लगाया कि हाई कोर्ट को उसको हटाने के आदेश देने पड़े। आपका क्या इंटरेस्ट था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अन्दर या डी.बी. में गये कि नहीं, मेरा तो यही चहेता है, मेरे तो यही रहना चाहिए, यही मेरा काम-धाम देखता है, ऐसा थोड़े ही होता है। मंत्री महोदय, आपको देखना पड़ेगा कि जब नियम विरुद्ध किसी अधिकारी को लगाया है, जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो तत्काल आपको ईगो नहीं बनाना चाहिए था और आपको यह कहना चाहिए था कि नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरा लगा लेंगे। किया था न मंत्रीजी ने जब राजेन्द्र जी राठौड़ मंत्री थे तो यहां सवाल उठे थे तब इन्होंने सदन में घोषणा की थी। यह बात दूसरी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है कि इनकी सदन की घोषणा के बावजूद भी बहुत दिन तक वो अधिकारी नहीं हटा, वो एक अलग बात है लेकिन इन्होंने घोषणा करने की हिम्मत की थी तो आप घोषणा करो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज नर्सिंग....

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हाई कोर्ट का निर्णय होने के तुरन्त दूसरे दिन हटा दिया और दूसरे को लगा दिया, आपको जानकारी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मेरा समय जा रहा है। जीएनएम का जो नर्सिंग पाठ्यक्रम है उसमें फिफ्टी परसेंट तो जो आपके दो फैडरेशन हैं उनके आते हैं और फिफ्टी परसेंट राज्य सरकार लेती है। यह आईएनसी की एक कट-आफ डेट होती है उसके हिसाब से लेते पड़ते हैं। आपने बढ़वाने का कहा, बढ़ गई, एक अक्टूबर थी, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक 22 हजार बच्चों को आपने जीएनएम के पाठ्यक्रम के लिए नहीं... (व्यवधान) इधर क्या देख रहे हो? जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा, उनसे पर्ची ले सकते हो। हां, पर्ची ले लेना। लेकिन जान-बूझकर.....

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगा चिन्ता मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव डालती हो।

श्री हीरालाल (निवाई): कालीचरण जी को नहीं जानते, जयपुर के दादा हैं ये। यूनिवर्सिटी में जयपुर के दादा रहे हैं कालीचरण जी। क्या जानते हो आप? सब जानते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निश्चित रूप से 22,000 बच्चे आज पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, 50 परसेंट तो जो फैडरेशन को लेना था, वह तो ले लिया, अब वह तो पढ़ाई कर रहे हैं और आपको जो सरकारी कोटे से लेने थे, वह सरकारी कोटे से आपने लिये नहीं। या तो उनका छह महीने लेट होगा या आपका लेट होगा... (व्यवधान) आप बैठ जाओ न। 33,000 से निपटोगे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, ये मंत्री महोदयजी के लिए डांस की बात कर रहे हैं, डूब मरने की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आपकी सेहत पर असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कहूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस काउंसलिंग शुरू होने के बाद में नर्सिंग कालेजों को, 9-10 नर्सिंग कालेजों को रोका गया और सुख-शांति के नाम से उनसे कौन लोग चंदा वसूल कर रहे हैं, कौन लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं कि अगर आपको काम कराना हो तो पैसे दे दीजिये। इसकी जांच करानी चाहिए मंत्री महोदय। आप आराम से जवाब दे देना। मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर। आप तो मेरे बड़े भाई हैं। मेरे जिले से आते हैं। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। यह मीडिया ने आरोप लगाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसकी निश्चित तौर पर जांच करवायेंगे, पर प्रमाण रखो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां हां, अभी। अभी अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, तो प्रमाण रखो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पूरा थोड़े ही हो गया है मेरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मतलब, आप बिना तथ्य के कोई बात यूं ही हवा में उछालकर छोड़ देना... और फिर यह कहना कि मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। रिकार्ड पर आरोप जा रहा है। रिकार्ड पर आरोप जा रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, कहां कह दिया। आप तो खुद चाहते हैं राठौड़ साहब, आप तो चाहते हैं कि कालीचरण जी सराफ की कुछ हो यहां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, या तो आपके पास तथ्य हो, कोई दिक्कत नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, तथ्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप दीजिये तथ्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तथ्यों के साथ आया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप टेबल कराओ। माननीय सभापति महोदय, आप टेबल कराओ अगर है तो, हम जांच करवायेंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कहता हूं, जांच करवाऊंगा। दे न ये। (व्यवधान) बिना मतलब की बात कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी पूरा हो जाने दो। फिर करा लेंगे जांच।

श्री हीरालाल (निवाई): ये बहुत देर से बोल रहे हैं। आप तथ्य दो न। धूल में लट्ठ फेंक रहे हो यूं ही। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, जब इस तरह की बातें आती हैं और काउंसलिंग शुरू होने के बाद में उनको रोका जाता है...

श्री सभापति: सुनी सुनाई बात पर आप सदन में क्यों चर्चा करते हो? आपके पास तथ्य है तो पेश कर दो। कहीं से आपने कोई सुन ली और आपने यहां कह दिया....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये मीडिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं बिना सिर-पैर के बातें नहीं करता।

श्री सभापति: तो आप तथ्य रखो न भाई यहां पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रख रहा हूं न। आप मौका तो दोगे। आप विराजो। आसन अपने पांव पर है।

आज पूरे राजस्थान की मीडिया में यह आया है कि 20-20 लाख रुपये उगाहे जा रहे हैं इनकी मान्यता को वापस रिन्युअल करने के लिए, काउंसलिंग में शामिल करने के लिए। इसका जवाब तो सदन में मंत्रीजी देंगे। हम कब कह रहे हैं कि आपने 20 लाख रुपये ले लिये। हमने तो कभी नहीं कहा। किसने लिये, लेगा वह मरेगा। आप तो आराम से बैठो। सुपारी खाओ। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जवाब जनता चाहती है। प्रदेश की जनता ने हम सबको यहां पर भेजा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। निश्चित रूप से एक ऐसा डिपार्टमेंट है... विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नियम है। अखबारों की किसी खबर के आधार पर सदन में अपनी बात नहीं कह सकते ये। ये नियम बने हुए हैं। अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्षीय व्यवस्था है ये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर आप यही चाहते हैं... आपने बना रखा है तो बात दूसरी है। फिर मैं और आगे चला जाऊंगा। समझ लेना आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अगर आपके पास कोई आधार है...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, ये बिना तथ्य के बात कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आधार हो तो आप रखो। नहीं नहीं, आधार हो तो आप रखो। केवल मीडिया में कुछ भी आ गया, इसलिए आप यहां पर आरोप लगा नहीं सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह पहला ऐसा डिपार्टमेंट है...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्रीजी तो सुपारी खाते हैं और ये सुपारी लेते हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): ये सुपारी लेते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, मैं लेता हूं। जनता की सुपारी लेता हूं कि जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ इस सदन में बोलना पड़ेगा। जनता से सुपारी लेकर आया हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): दो न आप। दो आप। आपके पास तथ्य हैं तो दो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: अखबारों की कटिंग के आधार पर, पहले कई बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है आसन के द्वारा कि अखबारों की कटिंग के आधार पर कोई आरोप नहीं लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, यह एक पहला डिपार्टमेंट है जिसमें डेपुटेशन सबसे ज्यादा हुए हैं। 2,000 के लगभग डेपुटेशन हुए हैं। जवाब दे देना मंत्री महोदय, जब आप जवाब दो। 12 महीने का अलग, छह महीने का अलग, सरकार जाने तक का अलग, सरकार वापस आने पर दुबारा की गारंटी का अलग, इस तरह के डाक्टर्स के, जीएनएम के, एएनएम के, हमने तो जिंदगी में पहली बार सुना है। 52 साल के, 53 साल के होने लग गये, हमने तो नहीं देखा और डेपुटेशन में भी एक को यहां से हटाया जाता है, उसको डेपुटेशन पर सीकर से नागौर लगाया जाता है और नागौर से उसको हटाकर सीकर डेपुटेशन पर, उसी पद के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विरुद्ध लगाया जाता है। नोपाराम है नाम, आप याद रख लेना, पूछ लेना, जवाब दे देना। हाई कोर्ट में जाना पड़ा, उसको स्टे लाना पड़ा। नोपाराम को सीकर से आपने हटाया, लाडनूं लगाया और लाडनूं से एक महिला को हटाया और नोपाराम की जगह लगाया। ये कौनसा डेपुटेशन हुआ। क्या खेल था ये? यह बताने का कष्ट करेंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने कितने अस्पताल खोल दिये? क्या किया? हमने 4,000 सब-सेंटर, 700 के लगभग पीएचसी और 250 के लगभग सीएचसी खोली। आपने पांच साल में, दोनों मंत्रियों ने मिलकर कितने अस्पताल खोले, कितनी सीएचसी खोली?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डाक्टर्स कितने लगाये? 4,000 आपने सब-सेंटर खोल दिये, 700 पीएचसी खोल दी। डाक्टर के नाम पर कुछ नहीं। क्या मतलब हुआ ऐसी पीएचसी से?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अपने जवाब में फिर क्या बोलोगे?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं सब बोल दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब डाक्टर आपने लगाये, वह कैसे लगाये? यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए उनका भी जवाब दे देना कि हमने किस तरीके से लगाये? यह डेपुटेशन का दे देना, नये लगाने वालों का तो आप नहीं दे पाओगे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, पहले आप दो। 4,000 आपने डिस्पेंसरी और पीएचसी और सीएचसी खोलीं, इनमें डाक्टर कितने लगाये? केवल नाम के लिए, झूठी वाहवाही के लिए लगा दिये पर वहां डाक्टर के नाम पर कुछ नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने माननीय मंत्री महोदय... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) नहीं नहीं, तीन मिनट, चार मिनट। अभी ऐसे मत करो आप। तीन मिनट ही बोलना है क्या?

श्री सभापति: दो मिनट और बोलें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट और बोलूंगा आपकी अनुमति है तो। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, क्या इन नर्सिंग कालेजों की मान्यताओं को, काउंसलिंग को रोकने के लिए ही... अब देखो, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आप समझना। हमारे जिला कलक्टर का स्वविवेक कोटा होता है। वह पहले दो लाख रुपये तक था, आजकल तीन लाख का है। पहले दो लाख रुपये तक का था। राजेन्द्रजी राठौड़ साहब को पता है। हमारे विधायकों के सवा दो करोड़ रुपये का विवेकाधीन कोटा है। अगर आपके पास कोई विवेक कोटा हो तो आप कम से कम सीकर जिले में, कम से कम सीकर जिले में सीएचसी, पीएचसी, सब-सेंटर तो दो। आपका खुद का जिला है। आपने हमारे राज्य मंत्रीजी को भी अधिकार नहीं दिये। इनका ट्रोमा सेंटर भी आपने रींगस में नहीं दिया तो करोगे क्या फिर इस कोटे का? क्या कोई गड़बड़-शड़बड़ करने के लिए अपने कोटे का इस्तेमाल करोगे और अच्छे काम के लिए नहीं करोगे?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह काम तो आप करते हो श्रीमानजी। जमीनों का बेचान करते हो, गरीब लोगों की जमीन खरीदकर उन पर कांग्रेस का कार्यालय बनाते हो। शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, कोई ऐसी जमीन मेरे नाम से नहीं खरीदी, न मैंने बेची, न मैंने कांग्रेस कार्यालय बनाया। सीकर का कांग्रेस कार्यालय किसी खातेदार ने दान में भूमि दी थी और सवा चार साल हो गये...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उस जमीन का कन्वर्जन नहीं हुआ। बातें करते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...आपकी सरकार को सवा चार साल हो गये। आपमें दम हो तो जांच कराकर उस भवन को तुड़वा दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, करायेंगे जांच।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब आप केवल कोटे के नाम से ही इतना बौखला गये तो फिर मैं आगे नहीं बोलूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, आप बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

बीपीएल के लिए जीवन रक्षा कोष में फ्री इलाज होता था, फ्री जांच होती थी। वह बीपीएल का व्यक्ति अपनी जांच करा लेता था लेकिन इन्होंने भामाशाह में उसको जोड़ दिया कि नहीं, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से नहीं होगा। भामाशाह में या नि:शुल्क जांच योजना में आएगा। नि:शुल्क जांच योजना में लिमिटेड एरिया कवर होता है और भामाशाह योजना में अस्पताल में भर्ती होने के बाद में उसकी बीमारी का पता लगने के बाद उसको कोड मिलता है और उस कोड के कारण से फिर उसका इलाज होता है। तो आपने मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष जैसा जो गरीब को, बीपीएल के परिवार को, उसकी पूरी सम्पूर्ण जांचें मुफ्त थीं, उसको भी काटने का काम कर दिया। आपने जो नये-नये जितने भी थे, आयुष चिकित्सक थे, यूनानी चिकित्सक थे, एएनएम थीं, जीएनएन थीं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब बैठें आप। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो सारे के सारे थे। वह भी आपने थे, वह भी आपने काम नहीं किया।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। आप बैठो। आप बैठें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब मैं सीकर की मांग कर लूं।

श्री सभापति: मैंने नाम पुकार लिया है। बैठें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, एक मिनट। सीकर की मांग कर लूं। सीकर की मेडिकल कालेज आपने जान-बूझकर रोक रखी है। उसको आप कब तक शुरू करायेंगे? यह कहने का कष्ट करें और जो फतेहपुर में ट्रोमा यूनिट है, उसका आपने जो जवाब दिया था, वह गलत था। उसके लिए भी आप शाम को माफी मांगें कि मेरे से गलती हुई है, मैंने गलत जवाब दिया है। वहां पर कोई डाक्टर काम नहीं कर रहा है, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको देखने की आवश्यकता है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से मैं भी चिकित्सा की दृष्टि से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ कमियों को मंत्रीजी के सामने रखना चाहूंगी। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगी माननीया मुख्य मंत्री महोदयाजी को, जिन्होंने कोटा की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, कोटा मेडिकल कालेज में करोड़ों रुपयों की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट विंग बनाने का कार्य जारी है। मैं कहूंगी कि यह एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आठ-दस मिनट में बोलकर अपने आप बैठ जाऊंगी। बस मैंने मेरी जो प्रोब्लम्स हैं, जो मांगें लिख ली हैं, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं रोकें।

आज नये कोटा में लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं। कोटा देहात जैसे सांगोद, बारां, रामगंजमण्डी, लाडपुरा, इटावा, बून्दी और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों से सभी पेशेंट यहां पर सस्ता और सुगम इलाज हेतु आते है। मैं कहना चाहूंगी कि सम्माननीया सी.एम. साहिबा ने जो अपने बजट में कोटा मेडिकल कालेज में ड्यूल इमेजिंग सिस्टम ब्लड कम्पोनेंट सेप्रेशन यूनिट सीआर्म मशीन लगवाई जाने की जो घोषणा की है, उसके लिए भी सम्माननीया सी.एम. साहिबा को और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी और जिस मशीन पर 3.72 करोड़ रुपये का व्यय सरकार द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कैथ लैब कोटा की जनता की एक महती आवश्यकता थी, जिसको भी सरकार द्वारा लगातार पूरा किये जाने के प्रयास रहे और मैं कहना चाहूंगी कि यह सभी बातें कोटा की जनता के लिए एक वरदान साबित होंगी।

अगर मेडिकल कालेज कोटा में अलग से एक महिला विंग की स्थापना होती है तो उसका भी वहां की जनता को, वहां की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगी कि अगर आप इसकी भी घोषणा करें अपने जवाब में तो बहुत बड़ा महिलाओं के ऊपर उपकार आपका होगा।

साथ ही कोटा मेडिकल कालेज, जिसका पूर्व में नाम संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से रखा गया था। उनका नाम, मेडिकल कालेज का जो मेन एन्ट्री गेट है, उस पर भी लिखवाया जाए। साथ ही पत्र व्यवहार में भी मेडिकल कालेज का नाम डा. भीमराव अम्बेडकर कालेज से ही जाना जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

देश के प्रधान मंत्रीजी ने सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े चिन्तित होते

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हुए एक अभियान चलाया। देश को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, स्वच्छता के लिए जो उन्होंने अभियान चलाया था उसमें सभी की भागीदारी भी रही, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें जे. के. लॉन हॉस्पिटल का, जो हमारा महिला वार्ड है, जो महिला हॉस्पिटल है। अगर, हम चले भी जाएं, वहां पर तो आप देखिए, उसकी बदबू की वजह से हम लोग दो दिन तक खाना भी नहीं खा सकते। कई बार जे. के. लॉन अस्पताल जाने का मौका मिला, लेकिन जब भी गये, तब यही देखने को मिला। न तो पेशेन्टों के परिजनों को ठण्डा पानी वहां पीने को मिलता है, न ही हवा हेतु कूलर चलते हुए मिलते हैं।

एम.बी.एस. हॉस्पिटल और मेडिकल कालेज, कोटा के भी यही हालात हैं। तीनों ही जगह गंदगी का अम्बार लगा हुआ रहता है, न जाने कितने कूलर कबाड़े के रूप में पड़े रहते हैं। कोटा शहर में पड़े खाली प्लाट, जिनमें गंदा पानी, मरे हुए पशु, हमेशा सड़ांध फैलाते रहते हैं। जिससे भी लगातार बीमारियां फैलती हैं।

स्वाइन फ्लू के कहर से कोटा में कितने ही लोगों को मौत का ग्रास बनना पड़ा। इस स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए सरकार को संसाधन बढ़ाकर कुछ अच्छे प्रयास भी करने चाहिए।

राजस्थान की सभी एम्बुलेंस, जो आक्सीजन रहित हैं। उन सभी एम्बुलेंसों में आक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था की जाए। क्षेत्र में चल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति भी की जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि खैराबाद, मोड़क और चेचट में, जो सम्माननीय मंत्री महोदय द्वारा पांच-पांच करोड़ की राशि दी गई है। उसका काम भी कुछ जगह शुरू हो गया, दो जगह और होना है। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी।

1998 से स्वीकृत सामुदायिक भवन, चेचट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। सिंगल टेण्डर होने के कारण इसका कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है, पैसा आप दे चुके हैं। क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों से कार्य व्यवस्थार्थ डेपुटेशन के नाम से कोटा शहर व अन्य स्थानों पर लगा रखे चिकित्सा अधिकारियों व अन्य चिकित्सा कर्मियों के डेपुटेशन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर चिकित्सा व्यवस्थाओं में राहत प्रदान की जाए। क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोटा मेडिकल कालेज में 25 डीलक्स और 25 कोटेज वार्डों का निर्माण भी करवाया जाए। सांसद कोष, विधायक कोष और दानदाताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई एम्बुलेंसों के संचालन हेतु बजट का प्रावधान हो, क्योंकि मैंने खुद ने विधायक कोष से 9 एम्बुलेंस दी हैं और 9 एम्बुलेंस वर्तमान में इस हालात में खड़ी हैं कि न उनको चलाने के लिए ड्राइवर है, न डीजल की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि उनका संचालन हो, क्योंकि मोड़क में एम्बुलेंस नहीं है, सभी जगह लगातार इसकी कमी है।

सुकेत ढाबा, नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रोमा हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर क्षेत्र जनता को सुविधा मिल सके। इसकी लगातार, मैं खुद कई दिनों से मांग करती आ रही हूं। वहां की जनता भी मांग कर रही है।

मेडिकल कालेज में एक नया आई.सी.यू. वार्ड बनाकर उसमें 50 वेंटीलेटर की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोटा का लगातार विस्तार हो रहा है। इतने स्टूडेण्ट्स कोटा में पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए आते हैं, उनको भी कहीं न कहीं मैं कहूंगी कोई हॉस्पिटल में ना जाए, लेकिन रिलीफ सबको मिलेगा।

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, जो हमारे बीच सेन्टर में बना हुआ है, पूरा पुराना कोटा उससे अफैक्टेड है। पुराना कोटा पूरा इलाज के लिए वहीं आता है, आस-पास के गांव के लोग भी वहां पर आते हैं, तो कोटा में जो बैड्स की संख्या है, उसको भी बढ़ाया जाए और मल्टी-स्टोरी ओ.पी.डी. वार्ड भी महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर पुराने कोटा को रिलीफ मिलेगा।

कोटा जिले में कार्यरत संविदाकर्मियों को मेडिकल रिलीफ सोसायटी के द्वारा वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि आज भी हम देखें, उनका शोषण हो रहा है। वे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं।

महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में एम.आर.आई. मशीन लगाई जाए, क्योंकि मैं कहूंगी की पुराने कोटा से नये कोटा जाने में भी बहुत समय लगता है और मेडिकल कालेज में लगतार लम्बी लाइन लगी हुई रहती है 2-2, 3-3 दिनों में नम्बर आता है। इसलिए, यह मशीन भी वहां पर लगे।

चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू, डेंगू आदि खतरनाक बीमारियों के इलाज की सम्पूर्ण व्यवस्थाएं करवाई जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नयागांव, जिस

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय भी वहां पर गये थे, पी.एच.सी. के उद्घाटन में और वहीं आपके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि वहां पर सी.एच.सी. के रूप में इस हॉस्पिटल को, इस पी.एच.सी. को क्रमोन्नत किया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको क्रमोन्नत करें। ताकि, वहां पर पास में पड़ी खाली जगह को नगर विकास न्यास द्वारा आबंटित कर दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा जांच योजना के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत मशीन विथ मैन का मानदेय बढ़ाया जाए। जो बकाया वेतन उनका है, उसका भुगतान भी किया जाए।

रामगंजमण्डी क्षेत्र की सभी पी.एच.सी. पर महिला डाक्टर्स लगाई जाएं क्योंकि आज भी महिला डाक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जो लगे हुए हैं, उनको भी कहीं न कहीं इधर-उधर डेपुटेशन पर लगा रखा है। रामगंजमण्डी क्षेत्र के चिकित्सालयों में डिजीटल एक्स-रे मशीन, एम.आर.आई. सोनोग्राफी मशीन, ई.सी.जी. मशीन लगाई जाएं।

चेचट और मोड़क में सोनोग्राफी मशीन वहां पर भी लगाने की लगातार मांग आ रही है। रामगंजमण्डी, मंगलम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषित 25 बैड बढ़ाने की शीघ्र स्वीकृति जारी की जाए। चिकित्सालयों में मरीज और पेशेंट जो हमारे पेशेंटों के परिजन हैं, उनको भी नि:शुल्क अच्छी क्वालिटी का भोजन दो समय का दिया जाए, यह भी मेरी मांग है।

प्रत्येक चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है हमारी चेचट की मोडक की सभी जगह की। इस काम को भी हम करेंगे तो वहां की जनता को रिलीफ मिलेगा।

नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर मरीजों को सभी दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएं और दवाइयों की संख्या भी बढ़ाई जाए। यह भी देखने में आता है कि बी.पी.एल. जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें कुछ दवा न होने के नाम से उनसे बाहर से दवाइयां मंगाई जाती हैं और उनको रसीद भी नहीं दी जाती है तो इस पर भी कहीं न कहीं पाबन्दी लगाई जाए।

आयुर्वेद, होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा है, उसको 65 वर्ष की जाए, यह भी मेरी मांग है। चिकित्सालय भवनों की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जीर्ण-शीर्ण अवस्था को रिपेयर करवाया जाए। जैसे हमारे मोड़क स्टेशन का है, लखारिया का है। अभी इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है।

रामगंजमण्डी स्वास्थ्य केन्द्र पर एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डाक्टर भी लगाएंगे, तो वहां पर भी जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि मजदूर एरिया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर और नर्सिंग पैरा मेडिकल स्टाफ के, जो रिक्त पद हैं उनको भी भरेंगे तो निश्चित तौर पर जनता को राहत मिलेगी।

प्रदेश द्वारा संचालित 104 एवं 108 एम्बुलेंस नवीन वाहन उपलब्ध कराये जाएं। पुरानी एम्बुलेंसों की रिपेयर कराई जाए व स्थाई रूप से डाक्टरों की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेश में जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति स्थाई रूप से चल रही है, उसको भी चालू किया।

मेडिकल कालेज, कोटा में 100 सीटें और बढ़ाई जाएं, क्योंकि लगातार कोटा की आबादी में भी विस्तार हो रहा है और एजुकेशन हब होने की वजह से सभी जगह से लोग यहां पर आ रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था की जाए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए आवश्यक नियम कानून बनाकर, जनता को चिकित्सा पद्धति का लाभ भी दिलाया जाए।

रिटायर्ड डाक्टर्स जो भी हमारे हों, उनको भी संविदा पर राजकीय चिकित्सालयों में दुबारा से लिया जाए। कुछ जगह ले भी रखे हैं आपने इसके लिए धन्यवाद। प्रदेश में डाक्टर की भर्ती भी करवाई जाए। क्योंकि आज भी हमारे ऐसे हॉस्पिटल हैं इंटीरियर में, जहां पर कोई डाक्टर नहीं मिलता। कम्पाउण्डर भी कभी-कभार रुकते हैं। ऐसे हालात वहां पर है। डाक्टरों का वेतन प्राइवेट चिकित्सालयों की तुलना में उनका भी बढाया जाए। ताकि, वो वहां रहकर जनता को इलाज के लिए उपलब्ध हों, ऐसा मेरा कहना है।

ब्लड बैंक, न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय कोटा, एचडीपी और पीसीवीआरडीपी की व्यवस्था हेतु बनाये लाइसेंस को एक महीने में जारी किया जाए। यह भी कोटा के लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिकल कालेज में ई.एन.टी. आंख, दांत में चिकित्सकों की नियमित ओ.पी.डी. शुरू करवाएं। चिकित्सकों को अगर संविदा पर भी लेना पड़े तो हम लोग लें, लेकिन इसको हम लोग जरूर करें, यह मेरा कहना है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मेडिसन सामान्य, स्किन एवं स्त्री रोग की ओपीडी में चिकित्सकों को एक साथ बिठाने के स्थान पर अस्थाई पार्टिशन बनाकर चिकित्सकों के अलग-अलग अस्थाई कक्ष बनाये जाएं, ताकि लम्बी कतारों से मुक्ति मिल सके और गोपनीय परामर्श महिलाएं ले सकें। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

बस, बैठने वाली हूं, एक मिनट का समय। सैन्ट्रल लेबोरेटरी के प्रभारी को पाबन्द करें कि वह सायंकालीन की पारी में भी रूटीन जांचें करें तथा शाम तक सैम्पल का संग्रहण हो। वर्तमान में केवल सायंकालीन व रात्रिकालीन, आपातकालीन ड्यूटी के नाम पर मात्र सी.बी.सी. की जांच की जा रही हैं, जबकि समस्त जांचें वहां पर होनी चाहिए। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के सैम्पल वार्ड से ही संग्रहित करके नर्सिंग स्टाफ दे, ऐसी व्यवस्था हो ताकि किसी भी भर्ती मरीज को जांच कराने हेतु लाइन में नहीं लगाना पड़े। भर्ती मरीजों की सोनोग्राफी, सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., टू-डी-ईको की जांच उसी दिन हो, ऐसी व्यवस्था करवाई जाए।

आउटडोर मरीजों की भी जांच शीघ्र हो। एक दो महीने लम्बी अवधि की तारीख नहीं दें, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। आपातकालीन विभाग में 2 बजे के बाद विशेषज्ञ चिकित्सक जैसे सर्जरी, अस्थि रोग, मेडिसिन के नियमित ठहराव की समुचित व्यवस्था हो जाए तथा चर्म रोग एवं मानसिक रोग के चिकित्सकों के स्थान पर जिम्मेदार विशेषज्ञ जिसमें एक-एक असिस्टेंट प्रोफेसर प्रत्येक विभाग से भी रेजीडेंट्स के साथ ड्यूटी करें। केवल रेजीडेंट्स के भरोसे ही हमारा आपातकाल आईसीयू की व्यवस्था को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देने के लिए आज खड़ा हूं और मैं यह कहूंगा कि पूरे राजस्थान में 28 नयी पीएचसी और 16 पीएचसी से सीएचसी के लिए क्रमोन्नत करने का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 120 करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया है वह वास्तव में बहुत बेहतरीन है और पिछले सवा चार साल में जो राजस्थान

(श्री ललित कुमार)

में और राजस्थान के साथ-साथ बारां जिले में जो काम हुए हैं उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। वहीं बारां जिले के हमारे चिकित्सालय में एमसीएच विंग जिसके सौ बैड 1600 करोड़ रुपये में उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओपीडी ब्लॉक अडानी के माध्यम से 11 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हो गया। मदर मिल्क बैंक हमारा 33 करोड़ में बनकर तैयार हो गया। वहीं ब्लड सेपरेशन कंपोनेंट यूनिट बनकर तैयार हो गयी। मोर्चरी भवन बनकर तैयार हो गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारा डीईआईसी का भवन तैयार हो गया। योगा केन्द्र तैयार हो गया और वहीं हमारा नर्सिंग कालेज जीएनएम का अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है वहीं भोजनशाला मरीजों के लिए वर्तमान में भी चल रही है और हमारे उसमें लगभग 4.60 लाख लोग वर्तमान में लाभान्वित हुए हैं। वहीं सीटी स्कैन मशीन से 250 मरीजों की सीटी स्कैन वर्तमान में कार्यरत हैं, चालू हो गयी है। वहीं हमारे हिमोडायलेसिस, आईवीएफ सेन्टर की सुविधा भी निकट भविष्य में होगी। अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है। इन सब कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले सवा चार साल में जो काम हुए हैं उनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले बजट में मेरे को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1 करोड़ 42 लाख की लागत से नाहरगढ़ में हर्बल गार्डन के लिए आयुर्वेदिक विभाग की तरफ से भी पीपीपी मोड पर जो कार्य दिया था उसका वर्तमान में कार्य चल रहा है। वहीं पूरे कोटा संभाग में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले बजट में दो पीएचसी खण्डेला और राजपुर दोनों दीं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और अभी वर्तमान में उनके वहां पर भवन बन रहे हैं।

इसके साथ-साथ नाहरगढ़ में पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत की पिछले बजट में पूरे संभाग में केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह एक आदिवासी सहरिया क्षेत्र है। वहां पर कोई भी छोटी-मोटी बात होती है, कोई भी हमारे कुपोषण से संबंधित अगर कोई मुद्दा उठता है तो सीधे दिल्ली टाइम्स आफ इंडिया में या यूएनओ में वर्ल्ड हैल्थ इनोगेरशन में जाकर उठता है, तो मैं कहूंगा कि पिछले सवा चार साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री ललित कुमार)

और बारां जिले में जो चिकित्सा के आयाम, हमारे सुविधाएं बढ़ी हैं। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि एक मेरे कस्बा थाना जो पीएचसी है वो 110 किलोमीटर दूर बारां शहर से पड़ती है उसमें मरीज को लाने के लिए 108 जब वहां से आती है या दो या तीन मरीज आते हैं उसका जो टर्न ओवर होता है आने-जाने का उसमें बहुत दिक्कत आती है। मेरा निवेदन है 108 और 104 उस आदिवासी क्षेत्र में बढ़ाने का कष्ट करें। वहीं हमारे देवरी और समरानिया और कस्बा थाना पीएचसी ऐसी इंटीरियर की पीएचसीज हैं इन तीनों पीएचसीज को क्रमोन्नत करते हुए हमारे सीएचसी की जाए, क्योंकि आदिवासी सहरिया क्षेत्र है और कुपोषित बच्चों के लिए भी पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 6 बजट के एमटीसी जो हमारा बच्चों का वार्ड होता है उसको दस बैडेड किया है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे पीएचसी परानिया के उप केन्द्र का भी वर्तमान में भवन का निर्माण अभी चल रहा है वहीं अभी इस सत्र के प्रश्नकाल में ही माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद, आपने 104 बजरंगगढ़ में मेरे को स्वीकृत की इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वहीं रैलावण में 108 की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रैलावण किशनगंज से 35 किलोमीटर और किशनगंज बारां से 18 किलोमीटर पड़ता है तो मेरा निवेदन है कि 108 रैलावण में स्वीकृत करने की कृपा करें। वहीं एक रामगढ़ में पीएचसी पिछले आठ साल से चल रही है और उसमें वहां पर अभी तक भवन बनने का नहीं हुआ है। जमीन का तो पट्टा अलाट हो गया, लेकिन उसके लिए राशि स्वीकृत नहीं की है इसलिए उसको स्वीकृत करने का श्रम करें और मैं कहूंगा कि कस्बा थाना जो एमपी बार्डर है मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। वहीं छबड़ा, छीपाबड़ौद भी लास्ट 80 किलोमीटर पड़ता है। बारां मुख्यालय जो हमारा हॉस्पिटल है वो अभी तीन सौ बैडेड हॉस्पिटल है। मेरा मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको पांच सौ बैड का क्रमोन्नत करते हुए इसके बैड बढ़ाये जाएं, ताकि हमारा दूरदराज से आने वाला मरीज और कई बार हमारे जो मुख्यालय हॉस्पिटल हैं वहां पर हमारे डीएम कार्डियोलोजिस्ट की पोस्ट नहीं है। कार्डियक केयर यूनिट भी वहां खोली जाए, ताकि तीन घंटे या चार घंटे जो हमारे हार्ट के मरीज आते हैं उनको कोटा भेजना पड़ता है तो लगभग 110 किलोमीटर और 72 किलोमीटर

(श्री ललित कुमार)

से आकर कोटा तो 180 किलोमीटर जाकर उसको वहां ट्रीटमेंट मिल पाता है तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा-सा हमारे यहां पर एक कार्डियक केयर यूनिट को खोलने का श्रम करें।

वहीं मेरे नाहरगढ़ पीएचसी पिछली बार सीएचसी बनाई तो उसमें एसटीसी यूनिट बच्चों का वार्ड खोलने का श्रम करें। वहीं समरानिया, कस्बा थाना देवरी को क्रमोन्नत करते हुए आप सीएचसी बनाने का श्रम करें। वहीं मैं यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे एमटीसी के वार्ड अभी वर्तमान में किशनगंज, कैलवाड़ा और हमारे शाहबाद में वर्तमान में दस बैडेड के कार्यरत हैं, चल रहे हैं उसमें हमारे जो एएनएम, जीएनएम लगाये जाते थे वो सहरिया परियोजना के माध्यम से टीएडी से पैसा आता था उसके माध्यम से लगाये जाते थे। वर्तमान में बजट नहीं आ रहा है तो उनको हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि उसमें एएनएम और जीएनएम चाहे वो हमारे सहरिया परियोजना से लगाये जाएं या चिकित्सालय से सीधे लगाये जाएं, क्योंकि हमारा इलाका बहुत सेंसेटिव है। वहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे खण्डेला और सुवास में नये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का श्रम करें। इसके साथ-साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में करौरी गणेशपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलें, ताकि इंटीरियर में हमारे दिक्कत नहीं आये, क्योंकि हमारे जो सहरिया बच्चों का जन्म होता है तो उनको 175 रुपये पर-डे के हिसाब से उनको एडमिट के दिये जाते हैं तथा उनके पेरेंट्स को पचास रुपये अतिरिक्त उनकी देखरेख हेतु रहने के लिए दिये जाते हैं। किशनगंज शाहबाद जो सहरिया क्षेत्र है, उसमें पिछले सवा चार साल में जो काम हुए हैं वास्तव में पिछले साठ साल में जो काम नहीं हुए वो वर्तमान में इन चार सालों में हुए हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए मुख्य मंत्रीजी का, मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि ये काम जो हुए हैं इनमें कुछ और हमारी सुविधाएं बढ़ाते हुए सहरिया क्षेत्र में और जो मुख्यालय का हमारा हॉस्पिटल है उसमें हमारी जो कई पोस्टें वर्तमान में अभी खाली हैं, इनको भी भर दें, ताकि जो हमारा मरीज इंटीरियर से आता है उसको सुविधाएं मिलें और वहीं हमारे जो एक सीटी स्कैन की भी व्यवस्था हो गयी है चल रहा है वर्तमान में 250 लगभग हो गयी हैं। वहीं हमारे कार्डियोलोजी से संबंधित मेरा नम्र निवेदन है मंत्रीजी से कि वहां पर उस यूनिट की स्थापना करें, ताकि मरीज को लाएं तो कोटा नहीं भेजना पड़े और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि नाहरगढ़, खण्डेला, राजपुर में पीएचसी हमारे यहां खोली और क्रमोन्नत की। इसके साथ-

(श्री ललित कुमार)

साथ समरानिया, देवरी और कस्बा थाना को आप पीएचसी से सीएचसी बनाते हुए हमारे यहां क्रमोन्नत करने का श्रम करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस राजस्थान में जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वौ कैसे इलाज की सुविधा प्राप्त कर सके, इसके लिए उन्होंने जो सुविधा की भामाशाह स्वास्थ्य योजना की, जिसमें तीन लाख रुपये तक की जो भी कोई बीमारियां हैं उनका इलाज कैसे गरीब आदमी करवा सकें, उसके लिए जो उन्होंने व्यवस्था की है, इसके लिए मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देते हुए चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का कुछ पार्ट प्रतापगढ़ में है और कुछ पार्ट हमारा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। दोनों ही जगह काफी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग रहते हैं।

उनको चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, यह जो 2-2, 3-3 लाख की बीमारियां है, आज से तीन साल पहले वह इन बीमारियों में दर-दर भटकता था। हम भी कहीं इधर-उधर से संस्थाओं से सहयोग करके, कैसे उनका इलाज हो सके, इसके लिये प्रयास करते रहते थे। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस संवेदनशीलता से एक आदमी के दर्द को समझा, ग्रामीण इलाकों में इलाज के लिये प्राइवेट हास्पिटलों में जब एक आदमी जाता था तो 2-2, 3-3 लाख का वह एस्टीमेट बताते थे, वहां उनको पहले पैसा जमा कराना होता था, उसके बाद उनका इलाज होता था। वहां जाने के बाद पहले उनको 50 हजार रुपये जमा कराने पड़े तो वह कहीं से छोटी-मोटी व्यवस्था करके लाया। फिर डाक्टर ने कहा 50 हजार और लाओ, तो कहीं खेत गिरवी रखकर लाये। ऐसे गिरवी कर करके वह पैसे की व्यवस्था करते थे। लेकिन जब तक पूरे इलाज के पैसे की व्यवस्था नहीं हो तब तक इलाज व्यवस्थित नहीं हो सकता है। ऐसा हमें बहुत-सी बार देखने को मिला कि आदमी पैसे की व्यवस्था नहीं कर सका और इस वजह से उसके हाथ से आदमी भी निकल गया और धन और धर्म दोनों चला गया। हमारे उस ग्रामीण क्षेत्र में आदमी

(श्री गोतम कुमार)

चले जाने के बाद उसके धूप ध्यान की व्यवस्था उसको करनी पड़ती है, उससे अलग उसका कर्जा हो जाता था। वह पूरा परिवार मात्र उस बीमारी की वजह से कर्ज तले दब जाता और वह कभी ऊपर नहीं आ सकता था। आज भामाशाह स्वास्थ्य योजना से, मैंने ऐसे कितने ही परिवार देखें हैं, सभापति महोदय, आप तो स्वयं इस सेवा में लगे हुए हैं तो आपको तो इस योजना का बहुत अच्छे से ध्यान होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इसमें और अस्पतालों को जोड़ें और इसमें कोई बजट की भी बात हो, जो कोई अस्पताल इसमें छोटी-मोटी कोई गड़बड़ भी कर रहे हैं, उन कमियों को दूर करके, सरकार की यह योजना मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भामाशाह योजना में जो बीमारियों का इलाज हो रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिये बजट की कहीं और एक्स्ट्रा जरूरत हो तो उसकी भी आप व्यवस्था कराएं और जो कोई अस्पताल इसमें लापरवाही बरत रहे हैं या कोई कमियां रख रहे हैं, उन कमियों को दूर करके कैसे आम आदमी को, जो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की भावना है कि जो गरीब आदमी है, उसके इलाज की अच्छी व्यवस्था हो सके। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन है कि इसकी सुविधाओं में और सुधार कर आम आदमी को राहत देने का काम करें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आरबीएसके की बच्चों की इलाज की व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसके लिये भी माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कैसे इन तीन सालों में उस आरबीएसके के माध्यम से आज 18 साल तक के बच्चों का, 6 साल तक के बच्चों का आंगनबाड़ी में और उसके बाद सरकारी स्कूलों में आयुष चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच करके कैसे उन बच्चों को अच्छे इलाज की सुविधा मिल सके, उसके लिये वह जांच करके बच्चों को इलाज की सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस आरबीएसके योजना में जांच की जा रही है, इलाज भी अच्छा हो रहा है लेकिन इसके टार्गेट थोड़े से कम हैं। इसके टार्गेट भी अगर बढ़ जायेंगे तो निश्चित रूप से जो छोटे बच्चे हैं, आरबीएसके योजना जब से चालू हुई है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो शिशु मृत्यु दर है, इसमें निश्चित रूप से गिरावट भी आई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस आरबीएसके योजना को और अधिक वृहत् करें,

(श्री गोतम कुमार)

जैसे इसमें हमें कभी-कभी आपरेशन के लिये महीनों-महीनों वेट करना पड़ता है, तो जो महीनों-महीनों की वेटिंग लिस्ट है, उसको कैसे हम कम कर सकें, इस ओर भी अगर सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से जो गरीब आदमी और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका बहुत लंबा बाकी का जीवन है, अगर उनका समय पर इलाज हो जायेगा तो उनका पूरा जीवन अच्छे से गुजर बसर कर पायेगा। बीमारी की वजह से या तो वह कम उम्र में ही चला जायेगा या कहीं न कहीं उसमें कमी रह जायेगी। अगर उसका समय पर इलाज हो जायेगा, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेज देखें हैं जिनका इलाज होता है वह बहुत अच्छा फील करते हैं और जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं तो उनकी पीड़ा अपन देख नहीं सकते हैं। इनकी ओर अगर अपन ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। चूंकि समय कम है, सचेतक महोदय आपको इशारा कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी योजना है, इसके थोड़े से टार्गेट बढ़ जाएं और बच्चों की वेटिंग थोड़ी-सी कम हो जाए, इस ओर थोड़ा-सा ध्यान देने की जरूरत है।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, हमारे क्षेत्र की जो दो तीन डिमांड्स हैं, उस ओर भी सरकार ध्यान देगी। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक बोहेडा कस्बा है जो हमारी पूरी विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कस्बा है और लगभग 15 हजार की आबादी वहां निवासरत है। मुख्य मंत्रीजी ने हमें आश्वस्त किया है और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आज शाम को जब मंत्रीजी रिप्लाई देंगे तो उस बड़ी सादड़ी में जो बोहेडा गांव है और वर्षो से वहां के बाशिंदे लगातार मांग कर रहे हैं, चूंकि 15 हजार की आबादी होने के बाद भी उससे कई छोटे-छोटे गांवों में भी सीएचसी खुल चुकी है, लेकिन वह 15 हजार की आबादी का गांव अभी तक सीएचसी से वंचित है। अगर वहां सीएचसी हो जाएगी तो निश्चित रूप से वहां के रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिलेगा।

मैं ज्यादा नहीं कहता हूं माननीय मंत्री महोदय को विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे वहां 34 उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिन पर एएनएम कार्यरत नहीं है। वह खाली पड़े हुए हैं, उन पर ताले लगे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है चूंकि पिछली बार भी 2000 एएनएम पदों की स्वीकृति हुई थी लेकिन हमारी विधान सभा क्षेत्र में कुल दो एएनएम के पद ही स्वीकृत हुए थे, तो इस बार जब आपकी लिस्ट आये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र को इग्नोर नहीं करके हमारे जो उप स्वास्थ्य केन्द्र के 34 रिक्त पड़े पद हैं, उनको भी भरेंगे तो वहां की जनता आपको दुआ देगी। इसी प्रकार से हमारे

(श्री गोतम कुमार)

पीएचसी और सीएचसी में जो डाक्टरों के रिक्त पद हैं, उनको भी अगर भरा जायेगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। एक हमारे डूंगला और बड़ी सादड़ी जैसे बड़े कस्बों में महिला चिकित्सक भी हो जाए, अभी जिस तरह से माननीय सदस्या ने बताया कि महिला अपनी परेशानियां महिला चिकित्सक को आसानी से बता सकेगी। हमारे यहां प्रतापगढ़ जिले में देवगढ़ पीएचसी में एक 108 एंबुलेंस है, उस एंबुलेंस की स्थिति काफी दयनीय है और वह काफी पुरानी हो चुकी है। चूंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहां जो जर्जर 108 एंबुलेंस है, उसको बदलकर वहां कोई नई 108 की एंबुलेंस उपलब्ध हो जायेगी तो उस पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो काफी-काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं, कई बार तो 108 पहुंच ही नहीं पाती है, अगर वहां 108 पहुंच जायेगी तो वहां पर रहने वाले सभी लोगों को उसका पूरा लाभ मिलेगा।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बार पुन: आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को इस विश्वास के साथ कि आज जब मंत्रीजी रिप्लाई देंगे तो उसमें हमारे बड़ी सादड़ी में जो बोहेडा गांव हैं, उस पीएचसी को सीएचसी करने की जरूर घोषणा करेंगे, इन्हीं आशाओं के साथ और आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने जो इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं चालू कर रखी हैं, मेरे इन छोटे से सुझावों को आप ध्यान में रखेंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

(16.00 बजे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस डिमांड पर बोलने का मौका दिया। आज यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है। चिकित्सा विभाग का सीधा संबंध राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आज राजस्थान में केन्द्र के सहयोग से व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, शहरी स्वास्थ्य मिशन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, भामाशाह, स्वास्थ्य बीमा योजना, अंता निवारण कार्यक्रम, आई.डी.एस.पी., एन.ओ.एच.पी., एन.एम.एच.पी., नशा मुक्ति केन्द्र, कई योजनाएं व कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार द्वारा प्रगति प्रतिवेदनों में बड़े बखान किये गये हैं, लेकिन इतने कार्यक्रमों में करोड़ों रुपये

(श्री हनुमान बेनीवाल)

खर्च करने के बाद भी आज राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है और आज भी राजस्थान के अन्दर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं का, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आखिर इतने पैसे खर्च करके भी अपन इस राजस्थान के आम आदमी के स्वास्थ्य को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, बांसवाड़ा में अभी पिछले कुछ महीनों पहले नवजात शिशुओं की मौत का मामला, करीब 100 बच्चों की कुपोषण से बांसवाड़ा में मौत हो गयी। सभापति महोदय, राजस्थान में पांच साल से कम आयु के 39.1 फीसदी बच्चे अविकसित हैं, वहीं अरबन क्षेत्र में 33 फीसदी बच्चे अविकसित हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण बच्चों में बढ़ता कुपोषण है। हमें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। आजादी के 70 साल बाद आज इस व्यवस्था के अन्दर अगर कुपोषण से बच्चे मरें, भूख से प्रदेश के अन्दर मौतें हों, तो सभापति महोदय, मुझे नहीं लगता कि असली आजादी मिली है। आज भी गरीब व्यक्ति सरकार की तरफ टकटकी लगाये देखता है कि कब सरकारी योजना आयेगी, कब मुझे उसका लाभ मिलेगा, लेकिन गरीब आदमी दौड़ते-दौड़ते इन कागजों के चक्कर में दम तोड़ देता है, उसके बच्चे दम तोड़ देते हैं।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे तथा सी.ए.वी. की रिपोर्ट में तथ्य सामने आये तथा आंकड़ों के अनुसार छह माह में 15 हजार नवजात बच्चों की मौत प्रदेश में हुई। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर इस मामले में सरकार को लताड़ लगायी।

सभापति महोदय, जनवरी-फरवरी माह में पल्स पोलियो अभियान के तहत जिस दिन दवाई पिलाई जानी थी, उस दिन प्रचार-प्रसार में करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद लोगों को पता तक नहीं लगा कि दवाई किस दिन तक पिलाई जानी है, इसलिए हमें नवजात बच्चों की मौत को रोकने की जरूरत है और इसके लिये ठोस कारगर कदम उठाने चाहिए। सीएचसी केन्द्रों पर बच्चों के आई.सी.यू. की पूर्ण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार को जयपुर के जे.के. लोन की तर्ज पर हर जिला मुख्यालय पर बच्चों के अलग से अस्पताल खोलने चाहिए।

सभापति महोदय, एक उद्योग संगठन का सर्वे आया है, जिसके अन्दर दुनिया के 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चे भारत में हैं। उसका कारण यह है

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कि देश की बड़ी आबादी कुपोषित व असंतुलित आहार का सेवन करती है और कुपोषण की वजह से देश की जीडीपी को 4 प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कुपोषण को रोकने के कारगर उपायों के साथ सरकार मिलावटखोरी पर लगाम नहीं लगा पा रही है। सभापति महोदय, मौसमी बीमारियां, 2016 में जिस तरह जुलाई से सितम्बर तक मौसमी बीमारियों का दौर चला और इसमें इलाज व बचाव हेतु 639 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी, मगर कुछ वैसी स्थिति वर्ष 2017 में रही, नतीजा जीरो रहा। न बीमारी रुकी, न ही मरीजों की बढ़ती संख्या। हम मौसम जनित बीमारियों के लिये किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, मगर जो बीमारी हो गयी या जिसकी संभावना विभाग को पहले से हो, उसके अन्दर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं, उसके बावजूद नतीजा शून्य आता है, तो मौसम जनित बीमारियों पर काबू के लिये जिम्मेदार जो राज्य सरकार में बैठे थे, वे क्या कर रहे थे?

सभापति महोदय, जनवरी, 2018 में स्वाइन फ्लू की चर्चा पूरे देश के अन्दर गूंज रही थी। राजस्थान के अन्दर स्वाइन फ्लू तेजी से फैला और हमारी एक साथी विधायिका की स्वाइन फ्लू से मौत हो गयी। उसके निश्चित रूप से वे लोग दोषी थे। भीलवाड़ा के अन्दर जब उनका इलाज हुआ, फिर कोटा रेफर किया और एस.एम.एस. अस्पताल के डाक्टरों को जब लगा कि यह तो मौत हो गयी है तो फोर्टिस में शिफ्ट कर दिया, ताकि उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगे। फोर्टिस वाले संभाले, मौत तो हो गयी और मौत होने के बाद कितनी बड़ी... इस सरकार की क्या संवेदना है कि सत्ता पक्ष की विधायिका की स्वाइन फ्लू के कारण से उसकी मौत हो जाए और स्वाइन फ्लू की बीमारी का पता ही नहीं लगे और मंत्री जी आप मेरी तरफ हंस रहे हो। आज 71 फीसदी मामले स्वाइन फ्लू जयपुर के अन्दर आए हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको कैसे लगा कि मैं हंस रहा हूं? मेरा चेहरा हंसमुख है, उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनके हंसने व रोने का पता किसी को नहीं चलता है तो आपको कैसे चला?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, चिकनगुनिया, डेंगू से प्रदेश के अन्दर मौतें हुईं और अभी पांच-सात दिन पहले ही हमारे दो-तीन माननीय सदस्यों को स्वाइन फ्लू हो गया। आनन-फानन के अन्दर आपने सारे

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विधायकों की जांच कराई। सभापति महोदय, कई विधायक तो डर के मारे गांव चले गये कि कहीं विधान सभा के अन्दर जाएंगे तो स्वाइन फ्लू हो जाएगा। मैंने मेरे एक साथी विधायक को पूछा, वे बोले कि पर्ची भाड़ के अन्दर गई, स्थगन गया भाड़ के अन्दर, मर जाउंगा तो बाद में क्या होगा, बताओ। इस तरह स्वाइन फ्लू का पता असेम्बली के अन्दर भी लगे और हमारे विधायकों को पांच-सात की संख्या के अन्दर स्वाइन फ्लू हो जाए। केसाराम जी तो खुद गांव जाने की तैयारी में थे, इनको मैंने ही रोका था। इनको बोला था कि स्वाइन फ्लू नहीं फैलेगा। सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने स्वाइन फ्लू का टैस्ट कराया या नहीं कराया?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज करा लूंगा। आप दोनों मेरा ध्यान कहां रखते हो। मैं आपका कितना रखता हूं, बताओ। केवल 2017 के अंत तक की बात करें तो सामने आया कि इस योजना में विगत वर्षों में स्वीकृत बजट में से 175 लाख रुपये की राशि बच गयी। 204.20 लाख रुपये इस वर्ष भारत सरकार से मिले हैं, वहीं 91.66 लाख की राशि राजस्थान सरकार की। इस प्रकार 471.36 लाख की कुल राशि में से 379.12 लाख रुपये दिसम्बर, 2017 खर्च कर दिये, मगर नतीजा जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और मौसमी बीमारियों से हजारों लोग यहां पर ग्रसित हैं।

सभापति महोदय, प्रदेश के अन्दर डाक्टर्स की हड़ताल चली। सभापति महोदय, दो बार हड़ताल हुई और दोनों बार जब हड़ताल हुई। पहली बार हड़ताल हुई तो मंत्री स्तर पर डाक्टरों को वार्ता के लिये बुलाया, उनका प्रतिनिधि मंडल मिला और वाजिब मांगों को लेकर एक लिखित समझौता मंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ। कुछ दिनों बाद उन लिखित समझौतों की पालना नहीं हुई। डाक्टर्स वापस हड़ताल पर आये और राजस्थान के अन्दर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। सभापति महोदय, हर आदमी के पास प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिये पैसा नहीं होता है, लेकिन गरीब आदमी दम तोड़ रहा था और मंत्रीजी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आखिर मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी। मैं मंत्रीजी को यह दोष नहीं देना चाहता कि कोई आदमी मंत्री बन जाए, इसका मतलब वह खुदा नहीं बन जाता, उसे आम आदमी की चिंता करनी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चाहिए। राजस्थान के आम आदमी के आप मंत्री हो, खाली एक क्षेत्र या एक पार्टी के मंत्री नहीं हो। आप चाहे जैसे फरमान जारी कर दो और आपने फिर समझौता किया और उन दोनों समझौतों के दौरान जो सैकड़ों से ज्यादा मौतें राजस्थान के अन्दर हुईं, इन आई.ए.एस. अधिकारियों की जिद की वजह से जो मौतें हुईं, उसके अन्दर जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सभापति महोदय, आने वाला जो समय है, यह आपसे जवाब मांगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अन्दर दो बार डाक्टर्स हड़ताल पर गये और सैकड़ों लोगों की मौत इसलिए हो गयी, क्योंकि मंत्रीजी ने जिद कर ली। फिर मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी और उप समिति के अन्दर जब यह तय हुआ तो डाक्टर्स काम पर लौटे, लेकिन इस दरमियान जो नुकसान आम आदमी को हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी और सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले में, वैसे तो आपराधिक व क्रिमिनल केस बनता, जिनकी वजह से मौत हुई है और धारा 306 के अन्दर चालान भी होता है। धारा 306 में किसी की वजह से किसी की मौत हुई, तो यह 306 की धारा लागू होती है। सरकार पर लागू होती है, मंत्री पर होती है और चिकित्सा विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव हैं, इसके अन्दर भी आपराधिक केस इसमें दर्ज होना चाहिए। अगर हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से केस दर्ज करवा देती और 2018 में हमारी सरकार आएगी।

सभापति महोदय, जिस दवा को सरकार खरीदती है, उसके लिए प्रदेश के अन्दर एक ही जगह पर सैम्पलिंग की व्यवस्था है। पिछली सरकार ने तीन जगहों पर सैम्पलिंग के लिए भवन बना दिये, खोल दिये, लेकिन आपने तीन जगह पर व्यवस्था नहीं की। इसलिए हजारों सैम्पल पैंडिंग पड़े हैं। आपने जो सैम्पल लिये हैं, वे हजारों सैम्पल पैंडिंग पड़े हैं। ऐसी दवा भी खरीद ली, विटामिन डी-3 व कैल्सियम की दवा, मगर सभापति महोदय, सैम्पल जांच में सामने आया कि उस दवा में विटामिन भी गायब था। आज फार्मासिस्ट, फूड एनालिसिस्ट, ड्रग कंट्रोल आफिसर के पदों पर तीन वर्षों से भर्ती पैंडिंग पड़ी है। सभापति महोदय, आरयूएचएस ने फार्म भरवाने के बाद भर्ती से इनकार कर दिया, इसलिए एक तो सरकार भर्ती पूरी करें। दवा की सैम्पल जांच हेतु प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर लेवल बनाए, उसे शुरू करे। सभापति महोदय, चूंकि मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं। हमें यूनिवर्सिटी और कालेज में

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जहां पर भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हमें तकलीफ होती है। आपका जो स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है, वहां पर एक ही व्यक्ति को लगातार। वह कांग्रेस राज में भी वह कुलपति था, कांग्रेस के बड़े नेताओं का रिश्तेदार था। क्या आपको वही मिला?

पहले राठौड़ साहब थे, तब भी वह था। पीएमटी के एग्जाम रद्द हुए और एग्जाम रद्द होने के बाद भी आपने रजिस्ट्रार की जांच नहीं कराई। रजिस्ट्रार जो उस समय थी वह आपकी पार्टी के ही एक नेता के साथ अक्सर माल में शापिंग करती हुई नजर आती थी। सभापति महोदय, आपने कुंडा कर दिया और आप चले गए। एनआरएचएम का इतना बड़ा घोटाला हुआ और एनआरएचएम घोटाले के अन्दर एक आईएएस को पकड़कर जेल में डाल देते हो। बाकी जो दो आईएएस अधिकारी संदेह के घेरे में थे, मंत्रीजी का वक्तव्य भी आना चाहिए। सारा मामला नीचे से ऊपर तक होता है। ऐसा नहीं होता कि बिना किसी की जानकारी के यह काम हो जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप समाप्त करें। श्रीमती अनिता कटारा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे इलाके का तो बोल दूं साहब। मेरे इलाके पर तो आ जाऊं साहब।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता कटारा। श्री फूलसिंह मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, दो मिनट बोलने दो। मीणा जी।

श्री सभापति: कृपया बैठें। आपका अंकित नहीं होगा। आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार में क्या हुआ और वर्तमान सरकार ने चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए जनजाति परिवार में अच्छा कदम उठाया। 2008 से 2013 तक 5 वर्ष के अन्दर पूर्व सरकार ने 2422.83 लाख रुपये खर्च किए थे। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान

(श्री फूलसिंह मीणा)

सरकार ने 4 वर्ष के अन्दर 5513.02 लाख रुपये खर्च करके एक इतिहास कायम किया और पूर्व सरकार की कमियों को वास्तव में जनजाति परिवार को....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप विराजें। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आसन पहले ही व्यवस्था दे चुका है कि किसी भी माननीय सदस्य को दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। दस मिनट से ज्यादा बोलने के बाद स्वत: ही उनका बोला हुआ कोई भी शब्द अंकित नहीं होगा। आसन पहले ही व्यवस्था दे चुका है। सभी माननीय सदस्य दस-दस मिनट बोले हैं। आपको बराबर दिया है। फूलसिंह जी मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा उदयपुर ग्रामीण में अलसीगढ़ में, भुवाणा में हॉस्पिटल बनाकर जनजाति परिवारों को चिकित्सा का फायदा देने का कदम उठाया है।

(16.13 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

लेकिन उसको अभी चालू करना बाकी है। अगर यह तुरन्त चालू हो जाएगा तो जनजाति एरिया में गरीब परिवार को चिकित्सा मुहैया हो पाएगी। माननीय सभापति महोदय, चूंकि आपने समय कम दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा को लेकर जो कदम उठाए, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को मैं बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जावर माइंस है, वहां पर माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हिन्दुस्तान जिंक का हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के अन्दर केवल कर्मचारियों का इलाज होता है। अगर गांव का कोई भी नागरिक जाता है तो 15 रुपये की तो पर्ची काटते हैं और दवाई बाहर से लिखते हैं। उन गरीब परिवारों पर यह बोझ पड़ता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मेरे जावर माइंस के एरिया से करीब 9-9, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। इसलिए वहां पर सीएचसी खोलने की मैं मांग करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं बताना चाहता हूं पूर्व सरकार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में डोडावली ग्राम पंचायत में उप-स्वास्थ्य केन्द्र था, उसका भवन बिल्कुल जर्जर था तथा ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद में 2013 में

(श्री फूलसिंह मीणा)

सरकार बदली और उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन आज दिन तक नहीं बना है और वहां पर एएनएम और जीएनएम को बैठने की भी जगह नहीं है। मैं मांग करता हूं कि डोडावली पंचायत में करनाली गांव के अन्दर उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाकर वहां की गरीब जनता को लाभ दिलायें। मुझे विश्वास है कि हमारे यहां पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाएंगे जहां डाक्टर बैठेगा तो आम जनता लाभ ले पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैटेलाइट हॉस्पिटल हिरणमगरी है। उसको जनरल हॉस्पिटल के अटैच में कर दिया। मगर वहां पर इंचार्ज नहीं होने की वजह से स्टाफ समय पर नहीं आता और मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। मरीजों की इतनी संख्या बढ़ जाती है, वहां पर कम से कम 2000 का आउटडोर है, डेली का। इंचार्ज, डाक्टर वहां पर लगाने की कृपा करें ताकि जो सैटेलाइट हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल की तरह चल रहा है, वहां पर ग्रामीण एरिया के मरीज आते हैं, उनको इलाज मुहैया हो सकें। मैं मांग करता हूं कि मेरी जावर माइंस और जनावदा के बीच में जो डिलीवरी होती है, जो टीडी के अन्दर हॉस्पिटल है और बारापाल से हॉस्पिटल उदयपुर नजदीक पड़ता है। मगर हमारे यहां बारापाल के अन्दर हॉस्पिटल होते हुए भी टीडी के अन्दर रैफर करते हैं, वह उलटा पड़ता है। मैं आग्रह करता हूं कि टीडी वालों को बारापाल भेजते हैं और बारापाल वालों को टीडी में भेजते हैं इसलिए टीडी के आसपास की जो पंचायतें है, अमरपुरा है, भड़ूना है, टीडी है, उन पंचायतों के जो मरीज आते हैं, उनका टीडी के अन्दर ही इलाज हो और डिलीवरी भी वहां पर हो तो यह गरीब के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। साथ ही बारापाल वालों को टीडी भेजे, यह नामुमकिन है क्योंकि शहर उसके नजदीक पड़ता है। बारापाल में हॉस्पिटल है, वहां उनको इलाज मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में गांव में स्टाफ की कमी है, डाक्टरों की कमी है। अगर स्टाफ की पूर्ति हो जाएगी तो गरीब परिवार जो प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाते हैं और शहर में आने में समय लगता है, तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर दूरी पर हमारे गांवों से शहर पड़ता है। इसलिए हर हॉस्पिटल में स्टाफ बराबर मिलेगा तो वास्तव में सुविधा मिल पाएगी। हमारे

(श्री फूलसिंह मीणा)

भुवाणा के अन्दर हॉस्पिटल खोला, 20 दिन हो गए हैं, वहां पर डाक्टर नहीं मिल रहा है। उसका ट्रांसफर हो गया है। वहां जो मरीज आते हैं वह वापस चले जाते हैं। इसलिए वहां पर जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं हो तब तक टैम्पेरेरी डाक्टर लगाए। मजूदर एरिया है और वहां पर सभी मरीजो को इलाज मिले। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस डिमांड को आगे बढ़ाते हुए मंत्री महोदय से मैं यही कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है। मैं यही आशा करता हूं मेरे जो सीएचसी है, पीएचसी है, उनमें स्टाफ कुछ कम है, उनको लगाकर इस जनजाति एरिया के अन्दर सुविधा प्रदान करें। मुझको बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

श्री सभापति: मुख्य मांग स्टाफ लगाने की है। धन्यवाद। माननीय सदस्य संदीप जी शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके माध्यम से किसी भी राष्ट्र और प्रदेश की खुशहाली, वहां रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य, किस प्रकार की चिकित्सा है, कितनी सम्पन्न चिकित्सा है, उस राष्ट्र के विकास पर निर्भर करता है कि वह किस तीव्रता के साथ विकास करेगा। हमारे देश में आजादी के बाद 70 वर्षों तक अधिकांश समय एक सरकार का राज रहा, पर चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के विषय में कोई विजन, सोच या कोई योजना इन्होंने नहीं बनाई। सिर्फ सम्माननीय देश के गौरव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ फोटो खिंचवा लेने से ही स्वच्छता अभियान पूरा नहीं हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्ण किया। माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधिया जी ने पूर्ण किया। आज देश के गांवों से लेकर क़स्बों में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्वच्छता के प्रति भाव जगा है, जागरूकता आई है। जो इतिहास में कभी नहीं हो पाया ऐसा कार्य हुआ। लोगों के मन में स्वच्छता का भाव है। लोग आज स्वच्छता के मायने समझने लगे हैं।

मैं राजस्थान प्रदेश की बात करूं, पूर्ववर्ती सरकार ने मुफ्त दवा

(श्री संदीप शर्मा)

योजना का एक कार्य किया। मुफ्त दवा योजना के चलते उनका प्रयास था कि राजस्थान के लोगों को चिकित्सा से लाभान्वित करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मुफ्त दवा योजना से हम किसी बीमार को लाभान्वित कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता थी कि उसका सम्पूर्ण इलाज हो, चाहे जांच हो, आपरेशन हो, चाहे उसके इलाज में कितना ही खर्चा हो, यह माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी सिंधिया ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत करके दिखाया। गरीब व्यक्ति कभी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए सोच भी नहीं सकते थे, हजारों परिवार, लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हुए और उन्होंने अपना इलाज, जटिल और असाध्य इलाज प्राइवेट चिकित्सालयों में भी करवाया।

वर्तमान बजट में माननीय प्रधान मंत्रीजी ने स्वास्थ्य योजना के तहत गरीब व्यक्ति 5 लाख रुपये तक का पूरा इलाज करा सकता है। यह एक भाव होता है, एक सोच होती है। किसी भी देश का प्रधान मंत्री, किसी भी प्रदेश की मुख्य मंत्री जब जनता के प्रति संवेदनशील होती है, जनता के स्वास्थ्य का, चिकित्सा का पूरा ध्यान रखा।

माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इतिहास में पहली बार योग की प्राचीनतम विद्या को, क्योंकि उनकी चाहत है कि व्यक्ति अस्वस्थ ही नहीं हो। व्यक्ति अस्वस्थ जब नहीं होगा जब वह योग करेगा, स्वच्छता के साथ रहेगा। निश्चित रूप से उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखा और विश्व के मानस पटल पर इस बात को अंकित कराया कि योग विद्या जो भारत की प्राचीनतम विद्या है यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाने लगा।

मैं राज्य सरकार की बात करूं, मेडिकल कालेज, मेडिकल कालेज में एमबीबीएस डाक्टर्स की भर्ती, लिंगानुपात में कार्य किया, कुपोषण में कार्य किया, मैं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने संवेदनशीलता के साथ, सेवा को संकल्प बनाकर आपने राजस्थान की धरती पर जो काम किया है वह वास्तव में ऐतिहासिक काम है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपको राजस्थानवासी धन्यवाद दे रहे हैं।

कोटा शहर में आपने सुपर स्पेशिलिटी सेवाएं दीं। 120 करोड़ रुपये

(श्री संदीप शर्मा)

केन्द्र सरकार ने और 30 करोड़ राज्य सरकार ने, सुपर स्पेशिलिटी जिसके माध्यम से परम विशेषज्ञ चिकित्सक वहां बैठकर इलाज करेंगे, कोटा शहर की बहुत बड़ी मांग थी। आज सुपर स्पेशिलिटी प्रारम्भ होने से कोटा शहर चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर शहर का रूप धारण करेगा।

कोटा शहर की वर्षों से मांग थी कि कोटा शहर को कैथलैब दी जाए। व्यक्ति चाहता था कि सस्ते में उसका सुलभ उपचार हो सके। आज कोटा शहर में कैथलैब से सस्ता, सुलभ और निःशुल्क उपचार हो रहा है। हृदय के जटिल से जटिल, असाध्य से असाध्य इलाज कोटा शहर में किए जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा 2016-17 में मैमोग्राफी मशीन दी। उस मैमोग्राफी मशीन द्वारा महिलाओं के स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जांच करके हज़ारों महिलाओं की जान बचाई जा रही है। यह काम होते हैं। एक ईंट का पत्थर कांग्रेस के टाइम इस न्यू मेडिकल कालेज में नहीं रखा गया। जेरंटोवार्ड जिसमें 65 साल के वृद्ध जनों का उपचार, उनकी उम्र के हिसाब से पूरी सुविधाएं सम्पन्न करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आयु 65 से घटाकर 60 कर दी जाए। क्योंकि 60 साल रिटायरमेंट का होता है। वृद्ध 60 साल तक इस इलाज को करा सके। पीडियाट्रिक वार्ड, गहन चिकित्सा इकाई, जिसमें छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है ऐसे नवजात शिशु का नीकू-पीकू वार्ड में इलाज किया जाता है।

मैं बजट घोषणा 2018-19 के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मेडिकल कालेज को ब्लड सेपरेशन यूनिट दी। आपने मेडिकल कालेज को ड्युअल इमेजिंग सिस्टम और सी-आर्म मशीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कोटा की जनता आपका और माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहती है।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बजट घोषणाओं में जो आपका भाव है, जिस संवेदनशीलता के साथ आपने बजट में पैसा दिया है, कोटा शहर में आपने 30 करोड़ रुपये सुपर स्पेशिलिटी के लिए, 30 करोड़ रुपये द्वितीय तल के लिए दिए, जिस संवेदनशीलता और कर्मठता के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहने में दुःख है कि आपका विभाग उस कार्य को पूर्ण नहीं कर रहा। मार्च 2017 में यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन आज एक साल बीत चुका है। एक साल के अन्दर अभी 60-70

(श्री संदीप शर्मा)

प्रतिशत ही काम हुआ है। कोटा के लोगों का सपना है, यह आपका सपना है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का सपना है, प्रधान मंत्रीजी का सपना है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। सीपीडब्ल्यूडी, एससी कम्पनी जो निर्माणाधीन कम्पनी है, हाईट कम्पनी है जो उपकरण खरीदेगी, दोनों ने घोर लापरवाही की है, कृपया इस कार्य को देखें। एक साल हो गया, इसको जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूं।

द्वितीय तल के निर्माण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2016, 2017, 2018 में 30 करोड़ रुपये दिए थे लेकिन पीडब्ल्यूडी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अभी तक आर्किटेक्ट अपना...

श्री सभापति: कंक्लूड करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब अभी तक नक्शा भी नहीं बना पाया। अभी तो दस मिनट भी नहीं हुए, आठ मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: यहां लिखा रहता है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): किडनी ट्रांसप्लांट का काम प्रारम्भ नहीं हुआ। आपरेटिव माइक्रो ब्यूरो उपकरण आपने दिया जिससे मस्तिष्क के जटिल आपरेशन हो सकेंगे, वह अभी तक नहीं आया। माननीय चिकित्सा मंत्री जी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के उस मेडिकल कालेज में 5000 पेशेंट का आउटडोर है, वहां काफी मात्रा में महिलाएं आती हैं। वहां जेके लोन शिशु चिकित्सालय खोल देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बस एक है साहब। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, मोड्यूलर आपरेशन थियेटर। चिकित्सकों के वहां 40 पद हैं, 21 पद आपने डैपुटेशन पर लगा रखे हैं। डाक्टर्स के 40 पदों की आवश्यकता है। एम.ओ. चिकित्सक लगाने की कृपा करें। नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता है, उसको देने की कृपा करें। एक डायबिटिक केयर सेन्टर, क्योंकि तेजी से डायबिटिज रोग बढ़ता जा रहा है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप डायबिटिक केयर सेन्टर भी जल्दी से जल्दी वहां स्थापित करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सफाई पर बोलने का मौका दिया। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में चिकित्सा की यह स्थिति हो गई है, जो किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा की कमी महसूस हो रही है। परन्तु गत चार वर्षों में प्रदेश की शहरी चिकित्सा की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है, जिसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि जब एक विधायक के द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अपनी माताजी के इलाज के लिये स्टाफ के द्वारा पैसे मांगने की शिकायत की गई तो आम जन में क्या स्थिति हो सकती है। प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों की स्थिति तो इससे भी बहुत ज्यादा खराब है।

माननीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है। परन्तु नकारा सरकार के लिये क्या-क्या कहूं। प्रदेश में स्टाफ की इतनी कमी है कि ग्रामीण क्षेत्र में पी.एच.सी., सी.एच.सी. में मात्र एक-एक स्टाफ से अस्पतालों को चलाया जा रहा है। यह सरकार कहती है, हमने चार वर्ष में चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किये हैं। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ के दो हजार पद रिक्त चल रहे हैं। परन्तु प्रदेश की सरकार द्वारा गत चार वर्षों में कोई नवीनतम भर्ती नहीं की गई, जिससे चिकित्सालयों की स्थिति बहुत नाजुक है।

माननीय सभापति महोदय, बी.पी.एल. परिवार मरीजों को ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा तो दूर की बात है, शहरी चिकित्सालयों तक में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिससे प्रत्येक वर्ष में बी.पी.एल. परिवारों के हजारों मरीजों की मौत हो गई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कभी-कभी इधर ध्यान दिया करें तो थोड़ा चलेगा। नहीं तो यह थोड़ा...।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार सरकार के चिकित्सा मंत्री द्वारा, विभिन्न अधिकारियों के कारनामों का खुलासा करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर द्वारा एस.सी., एस.टी. कर्मचारियों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। पूर्व में इसकी कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। परन्तु आज

(श्री घनश्याम)

दिन तक इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही आपके द्वारा नहीं की गई है, पूर्णतः एस.सी., एस.टी. के कर्मचारियों के प्रति बिलकुल संवेदनशील नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह प्राचार्य डा. आर.के. गोखरू के विरुद्ध कई बार शिकायत सरकार के सामने रखी गई। अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा, सुना होगा, जिसके द्वारा करोड़ों रुपये की अनियमितताएं किये जाने की शिकायत आपको मिल चुकी है। परन्तु आज दिन तक इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार के द्वारा नहीं की गई।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में चिकित्सालयों के इस तरह के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी तो पता नहीं, कौनसी गहरी नींद में सोये हुए हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): यह 295 पढ़ रहे हैं क्या? वक्तव्य दे रहे हैं, 295 पढ़ रहे हैं?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इस सरकार को चलाने के लिये कोई और ही व्यवस्था इनके चहेते करते हैं, जो आज प्रदेश की जनता के सामने है। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, वह बहुत दुखद है। (व्यवधान) थोड़ा शांति से सुनें।

श्री सभापति: अब आप आसन को सम्बोधित करें, घनश्यामजी।

श्री हीरालाल (निवाई): आप 295 पढ़ रहे हैं या वक्तव्य दे रहे हैं? (व्यवधान) भाई साहब, माननीय सदस्य, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं आपको।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हीरालालजी, वैसे भी टाइम कम है। कहने को तो बहुत कुछ है।

श्री हीरालाल (निवाई): आप 295 पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप मुझे फालतू में मत करें। नहीं तो मैं सब बातें उधेड़ दूंगा।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं तो सचेत कर रहा हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से 62 साल की गई है। इसी तरह से जो अपनी और चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, इनमें भी सरकार को 60 से 62 करना चाहिये। आयुर्वेद को, जो हमारी पुरानी पद्धति, जो ऋषि-महर्षियों के

(श्री घनश्याम)

टाइम से यह भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसकी ओर सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं है। इसमें न कोई दवाइयों की व्यवस्था है, न उनके अस्पताल, जो वैद्य हैं, उनको भी आप 62 साल तक करेंगे तो यह अच्छा होगा। अस्पताल में, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में आयुर्वेदिक अस्पतालों की जैसी हालत है, वह भी आपके सामने है। उनमें स्टाफ की भी बहुत कमी है। उनके स्टाफ को भी पूरा करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा करेंगे।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में चिकित्सकों के, जिस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक इलेक्ट्रोपैथी और एक चिकित्सा पद्धति का, जो अपने प्रदेश में बहुत ही कारगर साबित हो सकती है, उसका इलाज भी बहुत सस्ता है, और यूनानी, हर्बल यूनानी है, जिससे साइड इफैक्ट भी बहुत कम होते हैं। उसको भी सरकार को मान्यता देनी चाहिये।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में चिकित्सालयों के लिये सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है।

श्री सभापति: कृपया ध्यान से सुनें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उसके बावजूद भी सात मेडिकल कालेजों की मान्यता खारिज की है, यह बहुत दुखद विषय है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से अध्ययन कर रहे मेडिकल कालेजों के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

जहां तक स्वाइन फ्लू की बात है तो वह पूरे प्रदेश में आप लोगों के सामने स्थिति है। एक हमारे माननीय विधायक भी इस पीड़ा से जान गंवा चुके हैं और सरकार कहती है कि 10 मार्च से पहले हम दवाई उपलब्ध नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट नकारा घोषित हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी का इतना विरोध है कि एक अख़बार में सर्वे आया कि 70-80 प्रतिशत लोग इस बात को मान चुके हैं कि कालीचरणजी इस मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग को सही रूप से नहीं चला पायेंगे।

मेरा आप लोंगों से निवेदन है कि बाजार में बिना एम.आर.पी. की दवाइयां जो बिक रही हैं, उसमें ढाई सौ करोड़ का गबन हुआ है। अख़बार में एक समाचार छपा है कि बाजार में बिक रहे आर्थोप्लांट के लिये मरीज लुट रहे हैं।

श्री सभापति: इसको आप उद्धृत नहीं करें। (व्यवधान) अख़बार की बात नहीं करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसमें पांच सौ करोड़ रुपये की दवा सरकार के द्वारा खरीदी गई है। लेकिन इसमें ढाई सौ करोड़ रुपये की दवायें ऐसी खरीदी हैं, जिनके ऊपर एम.आर.पी. नहीं है। जिस दवाई पर एम.आर.पी. नहीं है तो उसके कितने दाम सरकार, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। वह भ्रष्टाचार हो सकता है सरकार की मंशा के और सरकार की मिलीभगत के द्वारा हो रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है।

आज प्रदेश में जिस तरह के हालात पैदा हो गये हैं, नकली वैक्सीन की दवाइयों का भी एक प्रचलन चल गया है। उसमें सरकार को रोक लगानी चाहिए। माननीय कालीचरणजी सराफ मंत्रीजी है, ऐसे मामलों में पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हैं। इसमें क्या कारण हैं। (व्यवधान) क्या बात है, साहब?

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसी प्रकार से भामाशाह योजना में सरकारी इलाज के नियमों में शिथिलता बरती जाये। भामाशाह योजना को इस तरह से बना दिया है कि गांव में एक कहावत है कि 'गाड़ा के पाड़ा बांध दिया', तो न तो पाड़ा खुलेगा, न गाड़ा जायेगा। न तो आप शिथिलता बरतोगे, न गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आज जो भामाशाह योजना में ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 18 लाख लोग अभी तक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो चुके हैं और 1100 करोड़ रुपये सरकार का उसमें खर्च हो चुका है। पता है आपको?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय मंत्रीजी, इसमें कमीशनखोरी चल रही है। जिस तरह से मरीजों को जो परेशानी हो रही है, यह बहुत दुखद विषय है। इसमें आप इतना सरलीकरण करिये कि गरीब आदमी और आम आदमी को लाभ मिल सके। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 18 लाख लोगों को फायदा मिला है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक साथ ही जवाब दे देना। अभी तो सुन लें। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति भी, प्रदेश में गरीब आदमी को और आम आदमी को

(श्री घनश्याम)

लूटने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसे अंगुली करने की जरूरत नहीं है मंत्रीजी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट हास्पिटल, नहीं टाइम अभी तो कम है साहब, अभी पूरा कहां हुआ है।

श्री सभापति: मेरे यहां घड़ी पूरी हो रही है, वह सामने घड़ी पूरी हो रही है। बाकी कहें, वैसे तो चिंता नहीं है। फटाफट बोलें आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): तो इस तरह से प्राइवेट हास्पिटल्स में सरकार की जो मिलीभगत चल रही है, इस मामले पर भी रोक लगाने की जरूरत है। आज प्राइवेट हास्पिटल्स की यह हालत है कि मरीज मर जाता है और उसको रखकर दस-दस दिन तक गरीबों से पैसे वसूल किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जो सरकार है, पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस मामले में भी गरीब और आम जनता का ध्यान रखेंगे। जिस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में आपने, जो कई तरह की सरकारी अस्पतालों में जो दवा खरीदी जा रही है, उनको एम.आर.पी. पर ही खरीदा जावे। इस तरह का भ्रष्टाचार रोका जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, अजीतसिंहजी।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, सफाई पर चर्चा के लिये आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने स्वच्छ भारत अभियान अपने हाथ में लिया। इस अभियान को महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर अपनी सर्वोच्च श्रद्धांजलि दे सकें, इसलिये 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश में अपने व्यापक व राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया।

माननीय सभापति महोदय, इस अभियान का परिणाम आप देखिए, इस अभियान से चाहे नेता हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे सैनिक हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे व्यापारिक संगठन के लोग हों, उसके अन्दर इससे जुड़ने लगे हैं और आज उसका परिणाम देखिए कि पूरे देश के अन्दर एक स्वच्छ भारत का अभियान एक महा-अभियान के रूप में अपनी एक पहचान कायम कर चुका है।

(श्री अजीत सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जिस चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण डिमांड के ऊपर हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस तरह का क्षेत्र है, जिसमें हम सबको मिलकर राजस्थान के स्वास्थ्य को ठीक कैसे कर सकें, इस बात की चिंता आज करने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य योजना अपने आप में राजस्थान की एक ऐतिहासिक योजना के रूप में साबित हुई है। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गरीब को गणेश मानकर जो सेवा का संकल्प लिया है इस भामाशाह स्वास्थ्य योजना से आज जमीन पर उतरते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आज इस भामाशाह स्वास्थ्य योजना के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा इलाज का लाभ मिल रहा है। एक हजार करोड़ रुपये बीमा एजेंसीज को दिये जा चुके हैं।

मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य योजना, मेरे सामने बैठे हुए व्यक्तियों और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड लेकर जाता है और अपना आपरेशन करवाकर आता है। 30 हजार से 3 लाख रुपये तक की सीमा में एक गरीब आदमी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाकर आ सकता है, यह सुविधा किसने दी है? यह विचार किसका है? यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 70 साल में किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि गरीब का कैसे इलाज करवाया जा सकता है? प्राइवेट अस्पतालों की सुविधा कैसे दिलाई जा सकती है, इस बात की चिंता हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि भामाशाह योजना आन-लाइन सिस्टम है, पहले आपने 48 घंटे का टाइम दे रखा था, अब आपने उसको 24 घंटे पर ला दिया और सामान्य का आपने 2 घंटे का कर दिया। मैं कहता हूं कि इसका सरलीकरण करने की आवश्यकता है। आज एस.एम.एस. के अन्दर कोई आदमी जाता है, दवाई लेने भी वही जाएगा, भर्ती करवाने भी जाएगा, भामाशाह कार्ड को आन-लाइन करवाएगा। मैं कहता हूं कि जब हमारी सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यह कल्पना की है कि गरीब को हम लाभ दिलवाना चाहते हैं तो

(श्री अजीत सिंह)

भामाशाह कार्ड को भी जब अस्पताल में कोई मरीज को लेकर अपना परिजन लेकर जाए तो उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए।

क्या बात हो गयी 48 घंटे से 24 घंटे करने की, दो घंटे करने की? हम तो चाहते हैं कि और सरलीकरण करके इस बात की चिंता की जाए कि भामाशाह कार्ड के माध्यम से उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। आज प्राइवेट अस्पतालों को आपने भामाशाह कार्ड से जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों के अन्दर जिस तरीके से भामाशाह कार्ड के बावजूद भी जांच के नाम पर पैसे लिये जाते हैं, लूटने का काम किया जाता है तो इन प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगाने का काम आपको करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमने यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को टोकन मनी पर जमीनें दी हैं तो इस बात के लिए हमने जमीनें दी थीं कि हमारे प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे लेकिन आपने कभी कल्पना नहीं की, आपने कभी उनके डेटाज नहीं मंगाये। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने घुटने सस्ते किये, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने छल्ले सस्ते किये लेकिन आज उनकी रेट को उठाकर देखिए तो वह आज भी वही पैसा लेते हैं, वही पैकेज लेते हैं तो आज आवश्यकता है कि गरीब को हम कैसे इलाज दिलवा सकते हैं?

आज मैं आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अन्दर मैं जयपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं, सेवा भारती जांच एवं परामर्श केन्द्र, जहां पर 193 तरह की जांचें होती हैं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप उसकी सूची को उठाकर देख लीजिए और चाहे ई.एच.सी.सी. हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे सोनी हो जितने भी प्राइवेट अस्पताल जिनको आपने टोकन मनी पर जमीनें दी हैं, वह सारे के सारे इस सेवा भारती जांच एवं परामर्श केन्द्र की रेट से तीन गुना ज्यादा पैसा जनता से वसूल करते हैं। क्यों नहीं आप कानून के दायरे में इनको बांधना चाहते हैं? जब हमने टोकन मनी पर इनको जमीनें दी हैं, गरीब आदमी के लिए हमने, सरकार ने व्यवस्था की है, अमीर आदमी के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। बीमा क्लेम पालिसी हमने आपको दी है लेकिन इस देश का सबसे बड़ा समाज, जो मध्यमवर्गी समाज है, जो गरीब से थोड़ा-सा ऊपर है, उसकी चिंता किसी ने नहीं की।

(श्री अजीत सिंह)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमने टोकन मनी पर जिनको जमीनें दी हैं, यह इस तरह का पैसा लेते हैं, जिस तरह की लूट करते हैं यह जिस तरह कारपोरेट जगत के लोग मेडिकल जैसी, चिकित्सा जैसी सेवाओं में भी लूटने का काम कर रहे हैं, इनको रोकने का हमें काम करना चाहिए। कहीं न कहीं कानून के दायरे में हमें इनको आज लाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भामाशाह स्वास्थ्य योजना, मैं इसलिए जानता हूं कि हम क्षेत्र के अन्दर रहते हैं, भामाशाह स्वास्थ्य योजना के उस कार्ड के माध्यम से उस गरीब को कितना लाभ होता है, आपरेशन वह करवाकर आ सकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश में मृत्यु दर कम करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया है इस भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से। यह एक बहुत बड़ी योजना है और इसका सीधा लाभ जब गरीब को मिलता है तो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, सब लोग क्षेत्र में रहते हैं, वहां जाकर गरीब से पूछिये, कार्ड लेकर जाता है और इलाज करवाकर आ जाता है। कहीं न कहीं इस भामाशाह कार्ड को आन-लाइन के अन्दर कहीं न कहीं सरलीकरण करने की आज आवश्यकता है।

मैं मेरे टोंक की तरफ आपका ध्यान थोड़ा-सा आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में बहुत सारी घोषणा चिकित्सा के लिए की है और निश्चित ही यह राजस्थान के लिए बेहतर भी है और आवश्यकता भी है। मेरा टोंक का एक जो सआदत हॉस्पिटल है, वह 200 बैडेड हस्पिटल है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके नियम क्या हैं? कितने परसेंट मरीज एडमिट होने चाहिए? आप उसका एक बार आकलन करके देखिए, मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर टोंक सआदत अस्पताल के अन्दर 200 बैडेड हॉस्पिटल के अन्दर कहीं न कहीं आप जाकर देखिए, हमेशा एक बैड के ऊपर दो-दो मरीज रहते हैं।

मैंने पिछले बजट में भी डिमांड पर आपसे आग्रह किया था, कहीं आवश्यकता है, जहां पर लगता है कि यहां पर आवश्यकता है, गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ जिला है, नाम का नवाबी शहर रहा करता था लेकिन आज पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और नवाबी शहर तो सारे पिछड़ गये इसलिए उस गरीब को कैसे हम सेवा दे सकें, इसके लिए मैं विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हमारे इस टोंक-सआदत अस्पताल को 200 बैडेड को 300

(श्री अजीत सिंह)

बैडेड करने की आज आवश्यकता है और कहीं न कहीं माननीय मंत्री महोदय माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बात को रखेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी मुख्य मंत्री बहुत सहृदय हैं और वह एक पूरे राजस्थान की चिंता करती हैं, हर क्षेत्र की चिंता करती हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी टोंक में कहीं न कहीं घोषणा करने का वह काम करेंगे।

मैं एक-दो डिमांड और, एक-दो मिनट और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आपके जो संविदा आयुष चिकित्सक का मानदेय है वह वर्ष 2010 से प्रतिमाह के रूप में 16800 रुपये मिलते हैं और उसको काटने के बाद 15000 रुपये मिलते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब आप मानदेय, सातवें वेतन आयोग के अनुरूप न्यूनतम मानदेय आयुर्वेद विभाग के नियुक्त आयुष चिकित्सकों के अनुरूप 39300 रुपये किया जाए क्योंकि आज आप देखिए कि अंडमान-निकोबार में 42500 मिलते हैं, लक्षद्वीप में 44000 मिलते हैं, असम में 37800 मिलते हैं, पंजाब में 29568 मिलते हैं, दिल्ली में 45000 मिलते हैं, बिहार में 30000 मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में 27720 मिलते हैं, उत्तराखण्ड में 30000 मिलते हैं तो क्यों नहीं राजस्थान के अन्दर भी आयुष चिकित्सकों के बारे में हमें विचार करना चाहिए और उनको भी इस तरह, उनके परिवार की, वह भी हमारे समाज के लोग हैं, सेवाएं देते हैं तो उनका भी हमें ध्यान रखने की आज आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे टोंक में दो हॉस्पिटल हैं, एक तो एम.सी.एच. है और एक सआदत हॉस्पिटल है, उनकी दूरी 500 मीटर की है। एम.सी.एच. में एक सोनोग्राफी मशीन है और सआदत अस्पताल में नहीं है तो वहां पर उस दूरी की वजह से पेशेंट को बहुत परेशानी होती है और एक रेडियोग्राफर और एक सोनोग्राफी मशीन की भी माननीय मंत्री महोदय से आज घोषणा करवाने का काम करेंगे।

मैं आज इस अवसर पर यह जरूर कह सकता हूं कि हमने राजस्थान के अन्दर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां पाई हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान का, जयपुर का सवाई मानसिंह हास्पिटल, उसके अन्दर यू.पी. से लेकर, बिहार से लेकर, मध्य प्रदेश तक के पेशेंट आते हैं, सारी सुविधाओं के बावजूद भी आज वहां पर जब

(श्री अजीत सिंह)

अटेंडेंट आता है, पूरे उस एस.एम.एस. हॉस्पिटल में अटेंडेंट के बैठने के लिए कहीं पर जगह नहीं है। वह गर्मी में तो बाहर बैठ सकता है, सर्दी में बाहर बैठ सकता है पर बारिश में उसके पास बैठने की कहीं जगह नहीं है। आज मैं जानता हूं, हमें पता नहीं 55 सालों तक यह लोग शासन करके इस प्रदेश में, देश में चले गये, सवाई मानसिंह जैसा स्टेडियम, समाज बढ़ रहा है, जनता बढ़ रही है, कम से कम दस सवाई मानसिंह स्टेडियम जैसे स्टेडियम राजस्थान में, जयपुर में बनने की आज आवश्यकता थी, इन्होंने कभी चिंता नहीं की। आज यह लोग बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, आरोप इतने लगाते हैं, क्यों आवश्यकता थी? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के स्वास्थ्य की चिंता जिस तरीके से उन्होंने की है, वह एक ऐतिहासिक कदम राजस्थान के अन्दर आपने उठाया है और चिकित्सा के क्षेत्र में आपने बहुत आयाम उठाने का काम किया है।

मैं इस अवसर पर इतना ही जरूर कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, आप मेरी बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाये। यह प्राइवेट हास्पिटल्स ने जिस तरह की लूट मचा रखी है, इन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, गरीब को, मध्यम वर्ग को कैसे लाभ दिलवाया जाए, इस बात की आपको और हमको चिंता करनी पड़ेगी नहीं तो यह कारपोरेट जगत के लोग, यह पैसे वाले लोग हमारा शोषण करते रहेंगे, यह शोषण रुकना चाहिए। क्यों? जब सेवा भारती के लोग सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जांच कर सकते हैं तो यह प्राइवेट सैक्टर के लोग क्यों तीन गुना पैसा हमारे समाज से लेते हैं? इनको रोकने का आपको काम करना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार, अभिनंदन, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय श्री प्रहलादजी गुंजल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होकर माननीय मंत्रीजी का जवाब आकर मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज मांग संख्या-26 पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की मांग संख्या-26 के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

माननीय श्री प्रहलाद जी गुंजल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। आसन ने दस मिनट का समय तय कर दिया। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा।

श्री सभापति: उतनी सीमा तक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, हम कहते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:' और यह सार्थक तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहें, सम्पन्न रहें। जब हम लोक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं लोक स्वास्थ्य के लिये आजादी के 70 सालों में बहुत काम हुआ। लेकिन 70 साल बाद ईमानदारी के साथ आज जब हम विश्लेषण करते हैं, इंडिया स्पेंड का 2014 में एक सर्वे आया और उस सर्वे में यह कहा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अभी हिन्दुस्तान दुनिया में बहुत पीछे है और हमारे लिये तब चिंता का विषय हो गया जब उन्होंने हमारी स्थिति वियतनाम, अल्जीरिया और पाकिस्तान से भी पीछे बतायी।

माननीय सभापति महोदय, उस स्थिति से उबरने के लिये एक अनुमान लगाया गया कि लगातार पांच सालों तक हिन्दुस्तान में 100 मेडिकल कालेज खोले जायेंगे, तब जाकर हम दुनिया के विकसित देशों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 2029 में आकर खड़े होंगे और फिक्की कहता है, माननीय सभापति महोदय, कि इस हिन्दुस्तान में आज भी चार प्रतिशत लोग ऐसे हैं, मैंने हर बार जब चिकित्सा पर बोला है, तब इसका जिक्र किया होगा कि जो इलाज कराते-कराते बी.पी.एल. हो जाते हैं, अपना मकान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

गिरवी रख देते हैं, स्वयं को बेच देते हैं और अगर ईमानदारी से मैं दोनों स्थितियों का चित्रण करूंगा तो आजादी के 70 साल बाद हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां हो गयीं। एक तो हम चिकित्सा सेवा को लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचा पाये, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ और दूसरा देश की बड़ी आबादी इलाज करा पाने में सक्षम नहीं बन पा रही हैं और इन दोनों चीजों का दर्द, मैं मुख्य मंत्रीजी को तो इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि जुलाई आयेगी, हम इंडिया स्पेंड के सर्वे के मुताबिक अपने आपको खड़ा करने के लिये राजस्थान में 7 मेडिकल कालेज खोलेंगे, शुरू हो जायेंगे राजस्थान में। लेकिन मैं, माननीय सभापति महोदय, भारत के वित्त मंत्रीजी के बजट का पैरा नंबर 57 और 58 पढ़कर बताऊंगा कि वास्तविक अर्थों में जो सर्वे हैं, जो हालात हैं, इनसे निपटने का अगर कोई कार्यक्रम शुरू हुआ तो पहली बार हिन्दुस्तान में इस बजट में देखने को मिला है। मैंने जिन दोनों स्थितियों का जिक्र किया कि हम स्वास्थ्य सेवायें 70 साल में नहीं पहुंचा पाये। वित्त मंत्रीजी ने कहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गयी है। यह डेढ़ लाख केन्द्र स्वास्थ्य देखरेख की प्रणाली को लोगों के घरों के पास ले जायेंगे। पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में आजादी के 70 साल बाद दिल्ली की सल्तनत में बैठकर लोगों के दरवाजे तक डेढ़ लाख केन्द्र खोलकर उस स्वास्थ्य को लोगों के घर तक पहुंचाने की बात तय की गयी। इसमें और भी कहा है कि इसके लिये जरूरी बजट का प्रावधान भी किया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय माननीय सभापति महोदय, यहां भामाशाह बीमा योजना की बात मुख्य मंत्रीजी ने लागू की और इस राजस्थान के गरीब व्यक्ति को 30 हजार से 3 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, वह गरीब आदमी, जिसके पास अपना भामाशाह कार्ड है, बीमार होने के बाद में अस्पताल जाता है और वह नियमों के हिसाब से ठगा-सा रह जाता है, जब उसको पता चलता है कि उसका खाद्य सुरक्षा का कार्ड चालू नहीं है। खाद्य सुरक्षा का कार्ड चालू होगा तो भामाशाह कार्ड का लाभ मिलेगा और इस कारण से हजारों नहीं लाखों लोगों को निराशा हुई, जिनका खाद्य सुरक्षा कार्ड चालू नहीं था, लेकिन इलाज कराने के लिये जिनकी जेब परमिट नहीं कर रही थी, भामाशाह बीमा स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल पाया और फिर पहली बार भारत के वित्त मंत्रीजी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ने कहा है पैरा नंबर 58 में- 'हम सब यह जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को अस्पताल में अंतरंग (इनडोर) इलाज कराने के लिये उधार लेना पड़ता है या सम्पत्तियां बेचनी पड़ती हैं। सरकार निर्धन और कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्यधिक चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम गरीब परिवारों को 3 लाख रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज की विविधता उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य परीक्षण योजनाएं कार्यान्वित कर अनुपूरित की हैं। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को अधिक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है और आगे कहा है कि हम 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ आबादी इस मुल्क की आधी आबादी के बराबर है, को दायरे में लाने के लिये फ्लैगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारम्भ करेंगे, जिसके तहत द्वितीय और तृतीयक देखरेख अस्पताल में भर्ती होने के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जायेगा और माननीय सभापति महोदय, जो मैं अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं, यह सारी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। सारे संसार पर इस स्तर का चिंतन अभी तक नहीं हुआ होगा, जिस लेवल का चिंतन पहली बार भारत सरकार में प्रारम्भ हुआ। एक-एक घर के दरवाजे तक हमारी स्वास्थ्य सेवायें पहुंचेगी और घर के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी अगर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिये कोई व्यक्ति अगर आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं है तो, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार 5 लाख रुपये तक का उसका बीमा कवर करेगी।

अब समय की पाबंदी है, माननीय सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमने सारी स्थितियां पढ़ी हैं और पढ़ने के बाद हमने यह भी देखा है इंडिया स्पेंड का मामला, मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले सत्र में एक बात कही थी कि दुनिया में विद्यालय और महाविद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं, अवनत नहीं होते। पिछली बार सदन में यह बात आयी थी कि न्यू मेडिकल कालेज कोटा में एम.बी.एस. अस्पताल को शिफ्ट कर देंगे और तब मैंने कहा था चिकित्सालय अवनत नहीं होते। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय आज 474

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्वीकृत बैडों के विपरीत 740 बैडों का भार झेल रहा है। मैं आज आपके माध्यम से, सरकार से मांग करूंगा कि उस महाराव भीमसिंह चिकित्सालय को 740 बैड, जो आज 474 के अंगेस्ट जो क्षमता वहन कर रहा है, उसको अगर आप हजार बैड का अस्पताल नहीं बना सकते हो, तो कम से कम 750 बैड का अस्पताल आप उसको बनाने की घोषणा करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सरकार संवेदनशील है, लगातार चिंता कर रही है। भामाशाह बीमा योजना और बी पी एल दवा काउंटर में आप टेंडर करा रहे हैं और कोटा में 42 प्रतिशत कम पर टेंडर आया है। यह स्थितियां पूरे राजस्थान में हैं कि इतने कम प्रतिशत पर बी पी एल दवा काउंटर का टेंडर आने के बाद वहां उपभोक्ता की दवाएं बिक रही हैं, जो एम आर पी से 10 प्रतिशत कम पर, तय करिये आप, बंद करिये उपभोक्ता की दुकानें। एक-एक दुकान, जिसकी निविदा करायी जाती है, उसको तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाए और फिर 42 प्रतिशत कम पर अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में बी पी एल काउंटर पर दवा बेच रहा है, साधारण व्यक्ति को भी अगर वह 42 प्रतिशत कम पर दवा देने के लिये तैयार है तो सरकार को एक सर्कुलर जारी करना चाहिये कि वह आम आदमी भी अस्पताल में जो भर्ती है, वह उस पर 42 प्रतिशत कंसेशन पर दवा खरीद सके। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, अपने जवाब में एम.बी.एस. को 750 बैड का करेंगे और दवा वितरण केन्द्रों को पूरे राजस्थान में सुदृढ़ करेंगे। लूट करने वाले उपभोक्ता की दुकानों को बंद करेंगे और निश्चित रूप से कम दरों पर जो निविदा है, आम आदमी को भी बी पी एल के अलावा खरीद की अनुमति देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री शंकर लालजी।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत आभार। अभी आज सभी सदस्यों ने स्वास्थ्य के प्रति अपनी बात रखी। यह भी सही है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। इसके लिए बारम्बार विपक्षी भाई एक ही बात कह रहे हैं कि क्या किया। ये तो 70 साल के अन्दर इतने डाक्टर छोड़कर गये जो कि बेरोजगार घूम रहे होंगे, नर्सिंगकर्मी छोड़कर गये, जो शायद बेरोजगार

(श्री शंकर लाल शर्मा)

घूम रहे होंगे और उनको चार साल के अन्दर नौकरी नहीं दी। एक कालेज नहीं खोला। डाक्टर कोई यह तो है नहीं है कि दो दिन के अन्दर आ जाए। अगर रेगूलर कालेज वगैरह खोलते तो डाक्टर अगर कालेजों से निकलते तो आज चारों तरफ कालेज होते।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। मैं दौसा क्षेत्र से आता हूं। दौसा जिला अस्पताल है, जो पहले एक रैफरल हॉस्पिटल था, केवल मात्र वहां पर आना, भर्ती करना और जयपुर के लिए रैफर कर देना, उसको आपने डेढ़ सौ से ढाई सौ बैड का किया। केवल मात्र 19 डाक्टर थे। आज 67 डाक्टर हैं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने डेढ़ सौ बैड से ढाई सौ बैड का किया और सौ बैड देकर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र को चालू किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे शहर में दो पीएचसी और दो देहात में भी पीएचसी के भवन बनवाये।

मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारे दौसा के अन्दर आज साढ़े पांच लाख से ऊपर ओपीडी है और 45 हजार आईपीडी है। हमने आपसे एक मांग की है कि दौसा जिला अस्पताल है और वहां पर आपने ढाई सौ बैड कर दिया लेकिन आज वहां पर रेगुलर 45 हजार साल की आईपीडी है और सम्पूर्ण बैड हर समय भरे रहते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि आपने डेढ़ सौ से ढाई सौ किया है, जरूरत है, जिला अस्पताल होने के कारण कि ढाई सौ बैड को तीन सौ बैड का किया जाए। ढाई सौ बैड का होने के कारण वहां पर 113 नर्सिंगकर्मी चाहिए। अभी केवल मात्र 54 ही हैं। इसके अलावा सौ बैड का जो मातृ शिशु चिकित्सालय है, उसके अन्दर भी वही नर्सिंगकर्मी कार्य कर रहे हैं और इसके कारण मातृ शिशु चिकित्सालय के अन्दर आपरेशन कार्य चालू नहीं हो पा रहा है। वहां पर हालत यह है कि एनआईसी यूनिट वर्तमान में, केवल मात्र 13 बैड हैं लेकिन रेगुलर साल में वहां 12 से 13 हजार डिलेवरीज साल की हो रही हैं। ऐसी स्थिति में वहां बच्चों के लिए बहुत जरूरत है कि एनआईसीयू के लिए कम से कम हमें 15 और बैड दिए जाएं।

श्री सभापति: मंत्रीजी, बोलने वाले माननीय सदस्य और आसन के बीच से नहीं निकलते हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सॉरी।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): सभापति महोदय, मंत्रीजी सहयोग करेंगे। बीज काटेंगे नहीं, कृषि मंत्री महोदय हैं।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इसी जिला चिकित्सालय के अन्दर ढाई सौ बैड का किया, हमें आपने सी टी स्कैन मशीन दी, आपने वहां पर ट्रोमा सेन्टर भी खोला। हमें कुछ ऐसे उपकरण चाहिए जिनके कारण ताकि पूर्ण निदान हो सके। जैसे कि कार्डिक मानीटर, सी-आर्म मशीन ओटी टेबिल, फुल्ली-आटोमेटिक एनालाइजर, कलर सोनोग्राफी, वैसे आपने सोनोग्राफी अभी दी है लेकिन हम चाहते हैं कि कलर सोनोग्राफी मशीन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लान्ट, आर्थोपैडिक सर्जरी सैट, ईएनटी सर्जरी सैट, डेन्टल चेयर, यह केवल मात्र मैं जिला अस्पताल की बात कर रहा हूं। यह अगर आप, क्योंकि ढाई से तीन सौ बैड का अगर हो जाता है और ये उपकरण हमारे को मिल जाते हैं तो अच्छा होगा क्योंकि हमारे चारों तरफ हाईवे है। आप देख रहे होंगे कि रोजाना एक्सीडेंट की तादाद ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आर्थोपैडिक में फ्रैक्चर के केस ज्यादा होते हैं तो जब तक ये सी-आर्म मशीन और ओटी टेबिल वगैरह नहीं होंगी, वहां पर आपरेशन होने में बड़ी दिक्कत आती है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आदरणीय राठौड़ साहब भी बैठे हुए हैं और कालीचरणजी साहब भी जब दौसा में पधारे थे, आपने भी दौसा की जनता को आश्वस्त किया था कि ढाई सौ बैड को तीन सौ बैड का कर दिया जायेगा और दोनों मंत्रियों ने यह आश्वासन दिया था तो मुझे उम्मीद है कि इसको तीन सौ बैड का करने का पूरा आश्वासन मिलेगा।

साथ ही हमारे देहात के अन्दर, वैसे तो अभी चार पीएचसी के भवन बन गये लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छाबड़ा जहां पर सरकारी जमीन उस पंचायत में नहीं है, हमारे किसान भाइयों ने खुद के द्वारा पैसा अर्जित करके छाबड़ा के अस्पताल के लिए जमीन दे दी लेकिन छाबड़ा पीएचसी, एनएचएम की थी लेकिन उस समय ज्यादा लग गया और बापी पीएचसी नाबार्ड में चयनित हुई थी। समय अधिक लगने के कारण दोनों को ही अस्वीकृत कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को, एक एनएचएम और एक नाबार्ड की है, पुन: स्वीकृति प्रदान कर चालू करवाया जाए।

साथ ही हमारे उप स्वास्थ्य केन्द्र भीनावाला, हाजिया का बास, मटवास, राजपुरिया, रामसिंहपुरा, ठिकरिया ये भी नाबार्ड में ही चयनित हुई

(श्री शंकर लाल शर्मा)

थी। इनको भी समय के अभाव में रद्द कर दी थी। उनको भी पुन: स्वीकृति प्रदान करवाया जाए।

सभापति महोदय, हमारे भण्डाना, बनियाना, चांदराना, कालौता में भी हम यह चाहते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आदेश प्रदान करें। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कूण्डल और नांगल राजावतान जो कि बड़ी पीएचसी हैं, चारों तरफ से हाईवे के ऊपर जुड़ी हैं और वहां पर मरीज भी बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए इन दोनों पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करवा देंगे तो यह भी हमारे दौसा के ऊपर मेहरबानी होगी और स्वास्थ्य के साथ अच्छा लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं भी जानता हूं कि आज समय की बहुत कमी है लेकिन हम बारम्बार आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि दौसा शहर की जिस तरह की आईपीडी 45 हजार है और साढ़े पांच लाख से ज्यादा ओपीडी है, ऐसी स्थिति में इसको ढाई सौ बैड से तीन सौ बैड की सख्त जरूरत है। अगर वह तीन सौ बैड का हो जाता है, यह जिला अस्पताल है, चारों तरफ से हाईवे है और दौसा जिला ही नहीं, गंगापुर, सवाईमाधोपुर से भी जो पास के गांव हैं, वह भी दौसा अस्पताल में इलाज करवाने आ रहे हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): अगर दौसा का अस्पताल बड़ा हो जाता है और सुविधाएं मिल जाती हैं तो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के लिए भी, क्योंकि एसएमएस के अन्दर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए एसएमएस में मरीजों के आने में कमी होगी और दौसा अस्पताल अच्छी तरह चलेगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तलाजी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत शुभ दिन है, फाल्गुन की चौदस है और कल होली है, आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई। चिकित्सा एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो आज के इन्सान की जरूरत है। प्राचीन काल में फिर भी जड़ी बूटियों से काम चल जाता था लेकिन आजकल का जीवन

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मेडिसन पर आधारित हो गया है। मंत्री महोदय अलवर के लिए मेडिकल कालेज और ईएसआई हॉस्पिटल का कितने दिन से जिक्र कर रहे हैं लेकिन उम्मीद रखते हैं, चार वर्ष तो हो गये, अब कब शुरू कर देंगे?

स्वाइन फ्लू आज की एक बहुत बड़ी समस्या है जो पूरे प्रदेश की समस्या है, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि स्वाइन फ्लू के टीके आ गये हैं तो क्यों नहीं उन्हें प्रत्येक जिला एवं बड़े अस्पतालों में, सी.एच.सी. और पी.एच.सी. पर भिजवाकर के टीकाकरण का काम करवाया जाए जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके क्योंकि जो इन्सान एक बार इस संसार से चला गया तो वो वापस लौटकर के नहीं आता है। इससे प्रदेश में बहुत लोगों की मौतें हुई हैं।

चाहे डाक्टर्स की हड़ताल हो, अगर इस तरह से हड़ताल के सामने इन्सान मरता रहे और डाक्टर्स देखते रहें तो, सभापति महोदय, सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस तरह की हड़तालों को आप बाद में भी समाप्त करवाते हो, क्यों नहीं उसको पहले ही समाप्त करते जिससे इन्सान तो नहीं मरेंगे।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में हमारे जितनी भी सी.एच.सी. और पी.एच.सी. हैं, बानसूर है, रामपुर है, कराणा है, हमीरपुर, हाजीपुर, हरसोरा, गूंता, शाहपुर, मुण्डावरा, गढ़ी, नारायणपुर, तो मैंने सदन के माध्यम से मांग की थी कि आप एक-एक महिला चिकित्सक लगावें। नारायणपुर ब्लॉक और बानसूर ब्लॉक पर तो कम से कम लगा दें। पिछली बार भी मांग की तो सदन में कहा डेढ़-दो महीने के अन्दर लग जायेगी। क्योंकि कोटपूतली, अलवर तक ले जाते ले जाते कई बार जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो जाती है तो आपसे यह अनुरोध है कि एक-एक बच्चों की महिला चिकित्सक, आंखों के डाक्टर्स लगाये जाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्र की परेशानी को दूर कर सकें।

सोनोग्राफी मशीन जो सी.एच.सी. पर होनी चाहिए वो भी नहीं है। एएनएम, जीएनएम के जो पद हैं वो भी कई खाली पड़े हैं और इनके आवास भी बना दिये जाएं तो ये रात को वहां हॉस्पिटल पर, पी.एच.सी. पर रहकर के गांव वालों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं।

बानसूर सी.एच.सी. का जो डेली का आउटडोर है 200, 400 और किसी किसी बार 600 तक भी चला जाता है, पिछले एक वर्ष में 1 लाख 70

(श्रीमती शंकुन्तला रावत)

हजार का है, मंत्रीजी ने कहा कि उपयोगिता के आधार पर बैड बढ़ा सकते हैं तो मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि सी.एच.सी. पर अभी भी 30 ही बैड हैं तो उनको बढ़ाकर के कम से कम 50 बैड का करने का करें, मैं मानती हूं कि अब गर्मी का सीजन आने वाला है तो यह बैड बढ़ाने का कष्ट करेंगे।

वर्तमान में 100 एमएम की एक्स-रे मशीन है। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो तो सभी सी.एच.सी. पर डिजिटल एक्स-रे मशीन क्यों नहीं देते? डिजिटल और इस तरह की चर्चाएं जब मंच पर होती हैं या सदन में भी कर रहे हैं तो क्या सभी सी.एच.सी. पर और पी.एच.सी. पर आप एक्स-रे मशीन देने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं? कम से कम बानसूर और नारायणपुर इन दो ब्लॉक पर तो देंवे, रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आगे गर्मी का सीजन भी आ रहा है, पहले से बीमारी फैलने लग जाती है जब जाकर के, जब गांवों में एक-दो मौतें हो जाती हैं उस टाइम जाकर के गांव में फोगिंग मशीन आती है और वहां छिड़काव करते हैं और फिर टीम भेजी जाती है, अब सीजन आने वाला है तो क्यों नहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में या गांव में फोगिंग की जाए, दवाई का छिड़काव किया जाए।

क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा बड़ा क्षेत्र पड़ता है तो यहां पर जो चतरपुरा है वहां बिल्डिंग भी बनी हुई है, वहां एक पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता है। यहां पर नजदीकी कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, हरसोरा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें क्योंकि बहरोड़ है, वहां हाईवे नजदीक पड़ता है और आपने एक वो अस्थाई से उप-स्वास्थ्य केन्द्र बना दिये, टप्पर से, तो उनमें कम से कम एएनएम, जीएनएम तो लगा दें, वो जगह खाली पड़ी है, जैसे इंद्राणा में आज तक नहीं लगा है, वो टपरी सी बनाकर तो खड़ी कर दी है।

मंत्री महोदय, आप जब भी कोई बात कहेंगे तो आपके काल में इतने लोग मरे, हमारे में इतने मरे, आंकड़े गिना देते हैं, आंकड़े तो आजकल एक मिनट में मोबाइल पर उपलब्ध हो जाते हैं, सभापति महोदय, आंकड़ों को गिनाने से क्या फायदा है। आपको उस खुदा ने कूवत दी है कुछ करने के लिए दिया है, ये पद दिया है तो आप कुछ जनता का भला कर सकें, इसलिए दिया है।

(श्रीमती शंकुन्तला रावत)

बांसवाड़ा में कुपोषण से या आक्सीजन की कमी से या डाक्टर्स की कमी से जो मौतें हुई हैं, इतनी अधिक मौतें हुई हैं, ऐसी घटनाएं आगे से नहीं हों, इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए।

आप जोर-जोर से चिल्लाकर के अभी सारी चीजें गिना देंगे लेकिन मैं मानती हूं कि जो इस धरती से चला गया वो वापस नहीं आने वाला है। कहते हैं, पता नहीं, यह तो बच्चों की मौतें होने की प्रक्रिया है। यह बड़ी शर्म की बात है। अगर खेत की फसल नष्ट हो जाती है तो किसान परिवार बैठकर रोता है लेकिन एक सन्तान की मां जिस बच्चे को अपने खून से सींचती है और वो संसार में आते ही चला जाए, सरकार की, डाक्टर्स की कमी से, आक्सीजन की कमी से तो इससे बड़ी कोई शर्म नहीं हो सकती है, इस संसार में आते ही उस बालक की मृत्यु हो जाती है। तो आंकड़े गिनवाने की बजाय कुछ भला करें कि आगे से ऐसा नहीं हो। अस्पतालों की जो यह लापरवाही है, इस तरीके से नहीं हो। मेरा यह आपके माध्यम से अनुरोध है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि :

''मत करना कभी गुरूर अपने आप पर ए इन्सान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितने ही इस मिट्टी से बना कर कितनों को मिटा दिया है।''

मंत्री महोदय, सरकारी महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के समय जब महिला जाती है तो कायदा यह बनता है उसे तुरन्त भर्ती किया जाए लेकिन वो बाहर बैठकर तड़पती रहती है, सभापति महोदय, पहले उसके डाकूमेंट चैक किये जाते हैं। यह कैसी विडम्बना है, सभापति महोदय, सरकार के लिए। यह बड़े दुख की और शर्म की भी बात है।

मैं एक उदाहरण देती हूं। मेरे पास फोन आता है कि, मैडम, एडमिट नहीं कर रहे डिलीवरी के टाइम, अन्दर ही एण्ट्री नहीं कर रहे। मैंने कहा, भाई, क्यों नहीं कर रहे, बोले, अभी इसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं है इसलिए नहीं ले रहे। तो क्या वो महिला बाहर तड़पती हुई प्राण दे दे? यह कैसी विडम्बना है, इंसानियत मर गयी है? मैंने वहां के अधिकारियों को फोन कर के कहा, मैंने कहा, आप एक इन्सान को नहीं दो इन्सानों को मरते हुए देख रहे हो, क्या आपके अन्दर कलेजा नहीं है, ममता नहीं है? इतना कहने के बाद में मैंने उस महिला को भर्ती करवाया। यह कैसी विडम्बना है, सभापति महोदय। कम से कम अपने सी.एम.एच.ओ. और पी.एम.ओ. को यह तो बोल दें कि डिलीवरी के

(श्रीमती शंकुन्तला रावत)

टाइम जो महिला आती है, कई बार तड़प कर बाहर जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं या सड़क पर जनम हो जाता है, यह कलंक की बात है तो आप कम से कम उनको यह निर्देश करें कि सारे कागज, डाकूमेंट्स बाद में जांच करें, पहले आप उसको भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। यह फर्ज बनता है।

आप ऐसी चीजों को देख रहे हैं तो कम से कम उनको कुछ कहें। यह थोड़ी है कि यह उम्र के हिसाब से ही करेंगे। चाहे कहीं पर भी कोई गरीब आदमी रात को आए तो उसको दो-दो घंटे तक इन्तजार करना पड़ता है भर्ती होने के लिए, परिवार वाले गुहार करते रहते हैं, टूटती हुई सांसों की गुहार मंद होती चली जाती है और वो वहां पर रोते-रोते प्राण दे देते हैं, तो यह शर्म की बात है। आप तुरन्त निर्देश दें कि आज के बाद ऐसा कोई भी केस नहीं होना चाहिए।

मंत्री महोदय,

''मौत की उम्र ही क्या, एक दो पल भी नहीं है, जिंदगी का सिलसिला है, आज और कल भी नहीं है।''

आप ऐसे विभाग के मंत्री महोदय हैं तो कम से कम आप अपने दिल से और दिमाग से जनता का भला कर सको।

राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहां पूरे राजस्थान से मरीज आते हैं और सीरियस और हैड इंजरी के मरीज आते हैं, यहां पर आने पर उसे आई.सी.यू. की सुविधा नहीं मिल पाती है। आई.सी.यू. के अभाव में कई बार वो अपने प्राण त्याग देता है तो कुछ नहीं तो कम से कम जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल में अलग से एक बिल्डिंग बनाकर के आई.सी.यू. की व्यवस्था की जाए जिससे कि राजस्थान से जो सीरियस केस आ रहे हैं उनको राहत मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा तो रुकें, अभी तो मेरी दस मिनट हुई नहीं हैं।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क योजना जो हमारी चली थी, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, 108 की योजना हो, उससे गरीब, आम आदमी को राहत मिल रही थी, उस आम आदमी को राहत मिलने में भामाशाह कार्ड जो आ गया है, कम से कम उसको सात या दस दिन का समय दें, भामाशाह कार्ड नहीं होता तो

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उसको करने में, उसको आप जो दवाओं का लाभ देने की बात करते हो वो नहीं मिलता।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में कुत्ता काटने पर इंजेक्शन नहीं मिलते हैं, वो चक्कर लगाता रहता है, प्रत्येक सी.एच.सी. पर सांप काटने के ये इंजेक्शन उपलब्ध होने चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एस.एम.एस. की एक बात और है, सभापति महोदय, यह प्रोफेसर्स को वहां लगा रहे हैं जहां नये कालेज खोले, फिर एस.एम.एस. की तो सारी अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, व्यवस्था गड़बड़ा जायेंगी इसलिए कम से कम आप वहां पर जो पहले से डाक्टर काम कर रहे हैं ...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्या।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आयुर्वेदिक और योग सिद्ध, यूनानी, हौम्योपैथिक का आज तक कोई सरकारी कालेज नहीं है, यह कालेज खोला जाए जिससे कि नैचुरोथैरेपी हो, चाहे इलैक्ट्रोपैथी हो, आज के जमाने में इसकी मांग बढ़ रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री श्रीराम भींचर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मैं एक लाइन कह दूं।

श्री सभापति: कह दो, कह दो। हां, कह दो, एक लाइन कह दो। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): राजस्थान की जनता आपकी ओर देख रही है।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-26 पर अपना वक्तव्य टेबल करना चाहती हूं।

श्री सभापति: जब आसन इजाजत दे तब।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट। एक ही मिनट, मैं बस दो लाइन बोल दूं। मंत्री महोदय के लिए बोल दूं;

'पहाड़ क्या जाने नदी की सरलता क्या होती है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पहाड़ क्या जाने नदी का बहना क्या होता है,
पहाड़ तो वो पत्थर है वो क्या जाने बहकर जाना क्या होता है,
सरकार तो आंकड़ों की सरकार है, ये ममता क्या जाने,
कि उसके कलेजे का टुकड़ा चला गया, उसके ऊपर क्या बीती है,
ये क्या जानें, क्या जानें।'

धन्यवाद। राम राम सा।

श्री सभापति: श्रीराम जी भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी जनता के लिए एक ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसका आज गरीब आदमी को बहुत फायदा मिल रहा है, जिसके अन्दर एंबुलेंस 108, गांव के अन्दर कोई भी आदमी अगर बीमार होता तो वह अपने अस्पताल में जाने के लिए कई बार साधन का इंतजार करता, लेकिन कई बार उसे साधन नहीं मिलता और साधन नहीं मिलने के कारण या तो घर पर ही उसकी मृत्यु हो जाती या रास्ते में ही वह अपना दम तोड़ देता। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई।

इस बार बजट में, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 581 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उन्हें आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की अभी जो घोषणा की है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में सैंट्रलाइज्ड आक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की है, जो सौ बैडेड 22 तथा 50 बैडेड वाली 15 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों में पीपीपी मोड पर व्यवस्था चालू की है, जिस पर 18 करोड़ 57 लाख रुपए का व्यय होगा, इसी प्रकार प्रदेश में 27 जिला चिकित्सालयों में बिजली की खपत को देखते हुए रूफटाप सोलर विद्युत संयंत्रों की स्थापना RESCO Model के द्वारा किए जाने की भी व्यवस्था की है, जिससे भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। प्रदेश में 28 नवीन पीएचसी व 16 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की भी स्वीकृति दी है, जिस पर 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे भी स्थानीय जनता को काफी फायदा मिलेगा।

(श्री श्रीराम भींचर)

आमाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जनता को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, जिसमें कम से कम 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख तक का इलाज कराने के लिए फ्री सेवा मिलती है। इसी तरह से अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा सुविधा के उद्देश्य से 4514 नर्स ग्रेड-II तथा 5558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती भी अनाउंस की है। इससे भी जो कमी है, उसकी काफी पूर्ति होगी। इसी तरह से मैं माननीय सभापति महोदय, सीधा ही मेरे क्षेत्र पर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है, जो पूरे विश्व में संगमरमर नाम के पत्थर के लिए मशहूर है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वहां पर आज न तो कोई सर्जन डाक्टर है, न वहां गायनिक डाक्टर है, न वहां एनेस्थेसिया डाक्टर है, न कोई बच्चों का डाक्टर है, न कोई MO के पद पूरे भरे हुए हैं, न कोई कान, नाक व गला का डाक्टर है।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जहां पर हजारों की संख्या में मार्बल चिनाई की मशीनें हैं, हजारों की संख्या में खानें हैं, वहां रोज एक्सीडेंट होते हैं और जो मरीज वहां आता है तो वहां उसे सुविधा मिलती नहीं है। सीधा ही डाक्टर उसे रैफर कर देते हैं और रैफर करने के बाद कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि मकराना एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी आबादी कम से कम 2 लाख है, तो मंत्रीजी आप आज इस सदन में महत्त्वपूर्ण पदों को भरने की घोषणा करें। इसी प्रकार मेरे यहां एक बुडसू आरआई सर्कल है जो सीएचसी है और वहां पर आज बिल्डिंग नहीं है, भवन बना हुआ नहीं है। आज वह किराए के मकान में चलता है। वहां पूरे कमरे नहीं हैं, जिस वजह से वहां डाक्टर न बैठ सकते हैं, न वहां उनके लिए कोई मशीनरी वगैरह का इंतजाम है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सीएचसी बुडसू जो है, उसके लिए भवन बनाने की आप घोषणा करें।

इसी प्रकार मेरे नांदोली चांदावता में काफी वर्षों से पीएचसी स्वीकृत है, लेकिन वहां भी भवन नहीं है, तो इसकी भी आप घोषणा करें। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं- नूंदड़ा है, शिव मंदिर है, झालामलिया है, रतनास है, लोरोली है, नंगवाड़ा कला, सिरसला, सिरसूं, कालवाछोटा, मामड़ोली, नावेद आसरवा, बरनाई, कचौलिया, धानक्या नाड़ा, गोठड़ी व लाडपुर, 17 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो कम से 10-15 साल से

(श्री श्रीराम भींचर)

स्वीकृत हैं। कोई 5 पांच साल से है, लेकिन आज भी वहां पर भवन नहीं हैं, इसलिए बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी कंपाउंडर, डाक्टर वगैरह कोई एएनएम आती है तो वह कहती है, मैं कहां बैठूं। कई बार तो वह आती भी नहीं है और आती है तो घूम-फिरकर चली जाती है, जिससे जनता को कोई फायदा भी नहीं मिलता है, इसलिए मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि ये जो 17 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां भवन नहीं हैं, वहां आप भवन बनाने की स्वीकृति देवें।

इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शहरी पीएचसी गुणावती जो पिछली बार आपने जो है...पिछली बार मुख्य मंत्री ने हमारे यहां मकराना तथा सभी विधान सभा क्षेत्रों में 2-2 पीएचसी दी थीं, जिसमें मेरे यहां भी दो बनी हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि शहरी पीएचसी जो गुणावती है, उसे शुरू करते ही कोई 10-15 दिन वहां डाक्टर रहा और उसके बाद आज तक वहां डाक्टर भी नहीं है, तो बात यह है कि फिर काहे की वह पीएचसी हुई। जबकि वहां पर तो कम से कम 150-200 तक आउटडोर हो गया, इसलिए मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि शहरी पीएचसी गुणावती है, वहां पर भी अविलम्ब डाक्टर लगाएं ताकि जनता को इसका फायदा मिले। मेरा एक और निवेदन है कि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है और बड़ी-बड़ी खानों, फैक्ट्रियों वगैरह में रोज एक्सीडेंट होते हैं और वहां पर ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि मकराना में आप ब्लड बैंक की भी घोषणा करें। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में आरआई सर्कल मनाना, जहां पर पीएचसी है और वहां पर आसपास के 50 गांव लगते हैं, तो मेरा निवेदन है कि उस पीएचसी को आप सीएचसी में क्रमोन्नत करें। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने मेरे क्षेत्र की बहुत शार्ट टाइम में मांग की है, इस पर निश्चित तौर पर आज आप सदन में घोषणा करेंगे और सभापति महोदय, आपको भी धन्यवाद...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): मैंने दिए गए समय से कम समय में...साढ़े 6 मिनट हुए हैं...मैं पहला व्यक्ति हूं जो साढ़े 6 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य हीरालाल जी।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय, 3 हीरालाल हैं।

श्री सभापति: आप नहीं हैं न हीरालाल जी, विराज जाएं।

श्री हीरालाल (निवाई): 3 हीरालाल हैं- हीरालाल दरांगी, हीरालाल नागर, हीरालाल (निवाई)।

श्री सभापति: ...तो हीरालाल जी निवाई से आने वाले माननीय सदस्य अपना वक्तव्य दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय, 3 जो हीरे हैं, इनमें से 1 नगीना आप चुनें।

श्री सभापति: आगे, आगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, 3 हीरे हैं। इनमें नगीना कौन-सा है, उसको ही बुला लो आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नगीना तो आपके साथ ही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अब आपने हीरे की परीक्षा कर ली, अब नाम पुकार लिया तो इनको बुला लो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके पास तो कौन रहता है, आप पहचान सकते हैं, नगीना रहता है कि हीरा रहता है।

श्री हीरालाल (निवाई): निवाई, निवाई गांव, और गांव रेवड़ा, जो भैरू जी के बाग़ में केतकी और केवड़ा, जो निवाई की बुराई करे तो घाल गले में जेवड़ा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान की जनता के लिए, आम अवाम के लिए जो शानदार, जानदार और ऐतिहासिक बजट, बजट नहीं बल्कि एक तरह से गीता-रामायण की तरह है, ऐतिहासिक बजट है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इनके विभाग में मेरे यहां एक पीएचसी है, जो 1967 से है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1967 से पीएचसी है, मेरे ख्याल से 1967 के बाद पता नहीं कितनी पीएचसी सीएचसी हो गईं, तो मेरी तो करबद्ध प्रार्थना है आपके माध्यम से सभापति महोदय उसे सीएचसी में बदल दिया जावे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं। सरकार से भी निवेदन करता हूं। मेरे यहां हॉस्पिटल है, सीएचसी है, पीएचसी है, आदर्श

(श्री हीरालाल)

हॉस्पिटल है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने सब पोस्टें भर रखी हैं, उसके लिए बहुत-बहुत आभार है। मेरा तो एक और निवेदन है, निवाई में बजरी का आवागमन ज्यादा है और मेरा पीपलू बजरी का गढ़ है, तो वहां से जब ये ट्रक चलते हैं तो तगारी भरने वाले जो ड्राइवर होते हैं, तगारी भरते-भरते ड्राइवर बन जाते हैं और स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं। मेरे यहां एक छोटा-सा ट्रोमा हॉस्पिटल बना दिया जाए तो जो जयपुर रैफर करते हैं और रास्ते में ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, रास्ते में मर जाते हैं और मेरे यहां एक गायनिक का डाक्टर लगा दें तो बहुत-बहुत मेहरबानी होगी। बाकी मेरे यहां पीपलू और निवाई सीएचसी में दोनों जगह डाक्टरों की कोई दिक्कत नहीं है।

मेरा आपसे पुन: निवेदन है, मेरे यहां जो पीएचसी है, उसे सीएचसी में क्रमोन्नत कर दें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौन-सी पीएचसी? नाम तो बताओ, कौन-सी पीएचसी?

श्री हीरालाल (निवाई): इसके लिए बहुत-बहुत बधाई है मंत्री महोदय को। बाकी मेरे यहां तो चिकित्सा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) चिकित्सा की सब तरह की सुविधाएं हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी निवाई का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि निवाई नजदीक है।

श्री सभापति: आपकी बात को बहुत गम्भीरता से लिया है मंत्रीजी ने।

श्री हीरालाल (निवाई): पीएचसी, झिलाय है जो 1967 से पीएचसी है जिसको क्रमोन्नत करने के लिए मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तो गागर में सागर भर दिया।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय, आपसे भी प्रार्थना है, आपकी भी सिफारिश है, आप आसन पर विराजमान हैं तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर ट्रोमा हॉस्पिटल बना दें तो और ज्यादा मेहरबानी होगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हीरालाल (निवाई): चिकित्सा की तरफ से मेरे यहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि सब पोस्टें भरी हुई हैं। जय हिन्द, जय भारत, वन्दे मातरम्।

श्री सभापति: माननीय सदस्य मनोज कुमार जी। मनोज जी, एक मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, यह इशारा ठीक नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): यह साहब हमारे लिए ही बना है, आप तो रहने दो, यह तो हमारे लिए ही बना है।

श्री सभापति: We can understand each other.

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 26 पर बोलने का आपने मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में सरकार में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग लम्बे अरसे से आंकड़ों की बात करते हैं, खोलने की बात करते हैं लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य की चिंता हम सबको करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे प्रदेश में अभी स्वाइन फ्लू की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण नहीं किया गया जिससे हमारे सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी की जरूरत है तो जिस व्यक्ति के पास जिम्मेदारी है, जिस पार्टी के पास जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। अब हमारे सामने आने वाला समय गर्मी का मौसम है और डेंगू आपके सामने खड़ा है और इस डेंगू पर पहले से सरकार चिंतित हो, उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है इस बात पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, एस.एम.एस. अस्पताल में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा वितरण की जो सुविधा है उस पर दो-दो घंटे तक लाइन लगती है और लोगों के नम्बर नहीं आते। जो सबसे बड़ा हमारा अस्पताल है इसमें आप इसकी सुविधा और बढ़ायें और जो नि:शुल्क दवा वितरण केन्द्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को समय पर उसमें दवाई मिल जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक मामला और गम्भीर है। सवाई मानसिंह अस्पताल में बीपीएल मरीजों को पहले, जो हार्ट, किडनी के गम्भीर पेशेंट थे उनको एक महीने की दवाई एक साथ मिलती थी लेकिन वर्तमान में उसमें संशोधन करते हुए सात दिन कर दिया। किडनी जैसा पेशेंट, जिसका आपरेशन हुआ, वो दवाई लेने के लिए जयपुर आए और जयपुर आने के बाद अगर हमारी यह स्थिति रहे कि उसको सात दिन बाद फिर जयपुर आना पड़े तो माननीय मंत्री महोदय, यह गम्भीर विषय है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान करें। आप इसको नोट करें कि बीपीएल परिवार के लोग, किडनी,

(श्री मनोज कुमार)

हार्ट के पेशेंट जो एस.एम.एस. में दवाई लेने आते हैं उनके लिए आपने परिवर्तन कर दिया कि सात दिन की ही दवाई दी जाती थी जबकि पूर्व में एक महीने की दवाई दी जाती थी इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उसको वापस एक महीने की दवाई करें क्योंकि ऐसे पेशेंट के लिए जयपुर आना सम्भव नहीं रहता। इस सुविधा को आप वापस उसी तरीके से चालू करके एक माह की देने का काम करें।

इसके साथ में मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके यहां संविदा कर्मचारी जो लम्बे अरसे से आपके साथ यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप इनको बार-बार लगाये रखते हैं। प्रयोगशाला सहायक, नर्स ग्रेड के लोग, एनआरएचएम में एनजीओ के माध्यम से जितने भी संविदाकर्मी, नि:शुल्क दवा वाले, लैब टेक्निशियन, नर्सेज, कम्प्यूटर कम आपरेटर के लोग जो संविदा पर हैं उनको आप तुरन्त प्रभाव से नियमित करने का काम करें। गम्भीर बीमारी आपके सामने एक विषय है.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, आज सदन में बदली से चांद निकला है। आज जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को देखकर.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मध्य प्रदेश में दो उप चुनाव आप हार रहे हो, वो ही है क्या? जो दो उप चुनाव आप हार रहे हो, बधाई तो दे दो, सभापति महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सवेरे देखा नहीं कि सूर्योदय किधर हुआ था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, दो उप चुनाव जीतने वालों को बधाई तो दे दो।

श्री सभापति: विराज जाएं, सभी माननीय सदस्य विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बधाई देने और लेने का काम तो चलेगा पर वास्तव में आपको देखकर सारा सदन प्रसन्न भी है और आपसे प्रार्थना भी कर रहे हैं कि एक बार मुखारबिन्द से कुछ बोल जाओ तो इस बार पूरे कार्यकाल के अन्दर कुछ लाइनें अंकित हो जाएंगी ताकि इतिहास यह नहीं कहेगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य सदन में बोले नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप तो मैडम को दिल्ली से बुला लो, उनकी पेशी पड़ी हुई है, बोल जाएंगे।

श्री सभापति: सभी सदस्य विराज जाएं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारे नेता तो लन्दन की टिकट कटवाने के लिए आये हैं यहां पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, अब इन्होंने चांद ही बता दिया गहलोत साहब को तो चांद तो दो ही काम आते हैं या तो दूज का चांद या चौथ का चांद। अब चौथ का चांद तो आपके लिए काम का नहीं है, दूज के चांद के केवल दर्शन ही किए जाते हैं, वो बोलता नहीं।

श्री सभापति: धन्यवाद। आप वक्तव्य जारी रखें। एक मिनट, आप विराजें।

श्री अशोक गहलोत (सरदारपुरा): एक अच्छी बात है कि मेरी अनुपस्थिति के अन्दर मेरे बारे में जो मांग की गई और वो भी सत्ता पक्ष से कि मुझे देखा नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा, यह एक प्रकार से सम्मान दिया है मैंने आप लोगों को और आपको इस बात को समझना चाहिए। बाकी जो बातें, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, स्वास्थ्य मंत्री अब रहे नहीं पर छाप इन्हीं की लगी हुई है स्वास्थ्य मंत्री की। मुखारविंद से मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे बारे में यह कहा गया, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे 24 मैम्बर हैं और जब सरकार बनी तो 163 का बहुत शानदार आपको बहुमत मिला, बहुत शानदार मिला और यहां 21 पर आकर हम रुक गये, फिर बाद में 24 हुए। तो 24 लोगों ने भी आपकी धज्जियां उड़ा दी हैं चार साल के अन्दर। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं कहना चाह रहा था कि हमारे चिकित्सा सेवा में जितने भी संविदाकर्मी हैं.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपके भाषण का और तो स्वागत है पर एक गलती रह गई। अगर हमारी थोड़ी-बहुत धज्जी उड़ाई भी है तो 23 ने उड़ाई है 24 ने तो नहीं उड़ाई, आप तो आये ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आप भी तो हमारे साथ हो न।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से नि:शुल्क दवा, लैब टेक्निशियन, नर्सेज, कम्प्यूटर कम आपरेटर, ऐसे कर्मचारियों के लिए आपने अपने घोषणा पत्र में, चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में कहा था कि इन सभी को नियमित करेंगे लेकिन आज दिन तक सवा चार साल के कार्यकाल में आपने इनको नियमित नहीं किया इसलिए इन सभी कर्मचारियों को नियमित करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय मैं कहना चाह रहा था कि हमारे भामाशाह कार्ड योजना की बहुत बड़ी प्रशंसा हुई। इसमें मैं कहना चाह रहा था कि इसमें एक तो पारदर्शिता की बहुत बड़ी जरूरत है। पारदर्शिता के साथ ही इनको कहना चाह रहा हूं कि भामाशाह कार्ड हर व्यक्ति का बनने के बाद इसको खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का इश्यू है इसको भी सरकार गम्भीरता से विचार करते हुए हटाये और जिसका भामाशाह कार्ड है, जो व्यक्ति भामाशाह बीमा योजना का लाभ लेना चाहता है उन सबको शामिल किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो भी मैं चार-पांच ऐसी बीमारियां बताना चाहता हूं जिनके कारण एक गरीब परिवार का, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अगर वो भामाशाह कार्ड में शामिल नहीं है और अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लाखों रुपये खर्च होते हैं इसलिए वो इलाज कराने में सक्षम नहीं होते। जैसे किडनी का पेशेंट, हार्ट का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट, लकवाग्रस्त व्यक्ति, ब्रेन हेमरेज से ग्रस्त व्यक्ति, ऐसे रोगों के लिए तो सरकार तुरन्त घोषणा करे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार में अगर होता है तो सरकार ऐसे मरीजों का इलाज नि:शुल्क करेगी या भामाशाह योजना में इनको शामिल करके ऐसे लोगों को लाभान्वित करने का काम सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, एक गम्भीर विषय मैं कहना चाहूंगा कि आज सुबह भी चर्चा चल रही थी नर्सिंग कालेजों की मान्यताओं के मामले में और पैरा मेडिकल, ये दो मान्यताएं सरकार ने दी हैं। जनता कह रही है या मीडिया कह रही है कि इन पर भ्रष्टाचार का बहुत गम्भीर आरोप है और सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि आप सबूत लेकर आओ। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत ठीक है तो जितनी नर्सिंग कालेज को मान्यता दी है, जितनी पैरा मेडिकल कालेज को मान्यता दी है उन सारी की टीम बनाकर आज निरीक्षण करा लीजिये, अगर धरातल पर एक भी कालेज आपके नियमानुसार चल रही हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर

(श्री मनोज कुमार)

वो नियमानुसार नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार के बिना उनको मान्यता क्यों दी गई, इस पर सरकार विचार कर ले। आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं, आपके कर्मचारी/अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं हैं तो फिर आप आज घोषणा करें कि हम कमेटी गठित करेंगे, टीम गठित करके जितने लोगों को मान्यता दी गई है उसकी हम जांच करेंगे। हमारे नियमानुसार है तो ठीक है नहीं तो सारी की मान्यता रद्द कर देंगे, ऐसा करने की घोषणा आप करें।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता, अभी डाक्टरों की हड़ताल हुई, सरकार कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, इनके समय में भी हड़ताल हुई और यही हालात उस समय भी हुए। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है, डाक्टरों की हमारे पास कमी है, उनकी डिमाण्ड रहती है, उनका हमारे साथ समझौता होता है, वार्ता होती है, उसके बाद अगर सरकारें पालना नहीं करती हैं और अन्तिम समय पर यह स्थिति आती है कि सरकारों की लापरवाही के कारण, डाक्टरों की हड़ताल के कारण अगर राजस्थान का वो व्यक्ति, एक परिवार का सदस्य जिन्दा ही आपकी लापरवाही के कारण मौत का कारण बन जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं इसकी जिम्मेदारी तय करें। डाक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो डाक्टर्स की तय करें। अगर सरकार उसके लिए जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदारी लेते हुए इस पद से इस्तीफा देने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मरने वाले लोगों को जाकर पूछकर आओ, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आपके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे डाक्टर्स के खिलाफ हो, चाहे आपके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हो, क्योंकि ऐसी संवेदनशीलता नहीं करोगे तो यह गम्भीर विषय है। वह जनता मर गई आपके विवादों में इसलिए आप इस पर गम्भीरता से विचार करें...

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, एक-दो मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग है। एक तो मैं कहना चाह रहा था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सीएचसी में रक्त संग्रहण केन्द्र था, जो आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज वह बंद पड़ा है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, पहले भी कर चुका हूं, इसको तुरन्त प्रभाव से सीएचसी में चालू करायें।

(श्री मनोज कुमार)

इसके साथ ही सोनोग्राफी मशीन वहां उपलब्ध है, लेकिन उसको पिछले एक साल से चालू नहीं किया जा रहा है। वह बंद पड़ी है, इसलिए उसको भी चालू कराने का काम करें। लम्बे अरसे से डाक्टर जो एक ही स्थान पर जमे बैठे हैं 15-15, 10-10 साल से, वे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका भी स्थानान्तरण करें। रिक्त पदों को भरा जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ट्रोमा सेंटर खोला जाए। वहां नेशनल हाईवे रोड लगती है इसलिए ट्रोमा सेंटर की आवश्यकता है। एक मेडिकल कालेज आपकी सरकार ने दी, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): और मैं कहना चाहता हूं कि इसी आगामी वर्ष में छात्रों को प्रवेश देकर इस राजस्थान को यह सौगात देने का काम करें। आपकी लापरवाही के कारण मेडिकल कालेज शुरू नहीं हो पाई। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छोटू सिंहजी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, इन चार साल के पीरियड में और वर्तमान बजट में मेडिकल के बारे में घोषणाएं हुईं और पूरे राजस्थान में डाक्टर्स की कमी और विशेषकर मेरे पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर के अन्दर मेडिकल कालेज खोलना, बहुत बड़ा वहां की जनता के लिए तोहफा है। साथ ही मेरे जैसलमेर में चाहे दक्षिण का देखो, चाहे नहरी क्षेत्र सुल्ताना देखो, वहां नये अस्पताल खोलकर और अस्पताल का निर्माण करवाकर नये डाक्टर लगाना, इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री साहिबा को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में धन्यवाद देता हूं कि जैसलमेर में बहुत बड़ी कमी थी लेकिन फिर भी आदरणीय मंत्रीजी की मेहनत से जैसलमेर में कई जगह डाक्टर लगे। एक-एक डाक्टर था। रामगढ़ जैसा इलाका यह कभी सोच भी नहीं सकता था कि रामगढ़ में डाक्टर लगेंगे और यहां व्यवस्था होंगी लेकिन आज हम यह दावे के साथ कह सकते हैं चाहे वह नहरी सुल्ताना क्षेत्र हो, चाहे वह दक्षिणी और जंजणियाली का क्षेत्र हो, चाहे वह म्याजलार का क्षेत्र हो, पूर्णत: जितने

(श्री छोटू सिंह)

अस्पताल हैं, उनके अन्दर डाक्टर्स की और एएनएम की व्यवस्था हुई है। उसके लिए वहां की जनता, राजस्थान की जनता इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद देती है।

साथ में निवेदन करना चाहते हैं। यह हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसमें बहुत सारी योजनाओं के अन्दर लाभ भी मिलता है। आज घर से कोई आदमी निकलता है, सोच करता है कि कोई बीमारी लग गई, इलाज कैसे होगा लेकिन जब भामाशाह कार्ड पाकेट में होता है तो इस चीज की फिक्र नहीं होती है। पहले तो वह विचार करता था कि क्या गिरवी रखा जाए? जमीन रखी जाए, घर रखा जाए, गहना रखा जाए? लेकिन आज सोचता है, गिरवी कुछ नहीं रखना। पाकेट में भामाशाह कार्ड मिलना चाहिए और कार्ड मिलने के बाद वह आनलाइन हो जायेगा और इलाज हो जायेगा। सोच था कि पैसा मिलेगा कैसे? आम अवाम खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ आदमी 30,000 से करके तीन लाख रुपये तक का उसको जब इस प्रकार का तोहफा मिलता है और उसका इलाज फ्री होता है तो मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता इस प्रदेश की मुखिया को बहुत-बहुत आभार देती है। सोचती है कि इस प्रकार का सोच, सोच यही था कि कोई भी इंसान जब सोचता है कि सबसे पहले सुख यदि देखा जाए तो निरोगी काया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर का इलाज होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला काम हम सभी माननीय सदस्यों का यही होता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो। आज व्यवस्था के बारे में मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां क्षेत्र को देखते हुए की जाएं।

जैसलमेर और बाड़मेर बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा इलाका है। मैं मानता हूं कि व्यवस्थाएं हैं लेकिन कुछ इलाका ऐसा भी है जहां 100-100 किलोमीटर पर मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमने जो मांग की चाहे वह आदर्श के रूप में की हो, चाहे दूसरे किसी भी रूप में की हो, डाक्टर्स की भी कोई कमी नहीं रखी। हमने कह दिया, हमारी दईकोड आदर्श हॉस्पिटल होनी चाहिए। हमारी हॉस्पिटल चांधन आदर्श होनी चाहिए। हमारी पूनम नगर हॉस्पिटल आदर्श होनी चाहिए। माननीय मंत्रीजी ने माना और उनको आदर्श किया और वहां व्यवस्थाएं भी कीं और यहां तक भी कहा कि जैसलमेर में डाक्टर बहुत कम थे। आदरणीय मंत्रीजी राजेन्द्र सिंहजी वहां

(श्री छोटू सिंह)

आये, बड़ी मीटिंग ली। हमने कहा, किसी भी प्रकार से डाक्टर्स लगाये जाएं। व्यवस्थाएं कीं। एक साथ 30 डाक्टर्स को वहां एपोइंटमेंट किया और जब इस प्रकार का एपोइंटमेंट हुआ तो जैसलमेर को जनता को यह बहुत बड़ा महसूस हुआ कि बहुत अच्छा काम हुआ और हम आज भी खुश रहते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़ी व्यवस्था है और व्यवस्था को देखते हुए मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को, सरकार की मुखिया को कि जैसलमेर एक-सा जिला जहां बहुत बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्र होते हुए भी इस प्रकार की व्यवस्था है।

मैं बोलता था 13वीं विधान सभा में कि साहब, जैसलमेर से रवाना होता है और चांधन के अन्दर रिवर्स चलती है, चार महीने आगे और पीछे जाने की मुश्किल होती है लेकिन वह व्यवस्था आज हमारी हुई। लम्बा पुल बन रहा है। आने वाले समय में चाहे कहीं जाओ, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था के लिए हम चाहते हैं, सरकार ने बहुत काम किये और बहुत करने हैं।

हम माननीय सदस्य जो बुद्धिजीवी हैं, अपने आप आश्वस्त हैं, अपनी सोच है कि किसी भी प्रकार से कोई भी बीमारी हो, कोई कहीं भी इलाज नहीं होता और रात को 12 बजते। सोच यह होना चाहिए, इस गरीब का किस प्रकार से इलाज हो।

माननीय, मैं चाहता हूं, आने वाले समय में चिकित्सा और स्वास्थ्य ऐसी योजना है, इसके अन्दर सभी की सोच यह होनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों ने भी कहा और जनता की भी यही अभिलाषाएं हैं किस प्रकार से हमारा कार्य पूर्ण हो। उस पवित्र हाल के अन्दर, पवित्र हाउस में इस प्रकार की वाणी से बोला जाए, सच्चाई के साथ बोला जाए ताकि यह व्यवस्था मिल सके।

मैं मानता हूं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हैं। वह दूर करने के लिए अपन सबको संघर्ष करना पड़ेगा, मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा और मिलकर संघर्ष तभी हो सकता है कि हम सबकी सोच ऐसी हो। आज सोचते हैं कि वह बीमारी हो गई, माननीय सदस्य को हो गई, लेकिन इसका इलाज लग रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। बीमारी आती है, जनसंख्याएं बढ़ती हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लेकिन व्यवस्थाओं के साथ में सब आम जन की सोच यह होनी चाहिए, विशेषकर जन

(श्री छोटू सिंह)

प्रतिनिधियों की या माननीय सदस्य, जो सभी आये हैं, जो बड़े बुद्धिमान हैं। सभी के पास बड़े अच्छे सुझाव हैं। सभी ने यही सोच किया है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी को इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां मेडिकल की व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। माइन्स एरिया भी है। चाहते हैं। बड़े-बड़े गांव भी हैं। वैसे हमारे यहां जनसंख्या की कमी है और जनसंख्या की कमी होने के कारण मैं मानता हूं कि व्यवस्थाएं मानव संख्या पर आती हैं। योजनाएं उस पर होती हैं क्योंकि क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है लेकिन एमएलए हम केवल दो ही हैं। दो एमएलए हैं तो व्यवस्था उतनी नहीं मिलती, फिर भी क्षेत्र को देखते हुए आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी को कि यह व्यवस्थाएं जैसे लक्खा माइन्स है, बहुत बड़ी दूरी का इलाका है। वहां किसी भी प्रकार की मेडिकल व्यवस्था नहीं है। बहुत कुछ आपने दिया है लेकिन वहां बहुत जरूरी भी है। वहां हॉस्पिटल खोलना जरूरी है। बडोड़ा गांव है। बहुत बड़ा गांव है। इसका नाम ही बडोड़ा गांव है और सोच के साथ देखा जाये तो इतनी आबादी है कि आज इर्रिगेशन हो रही है। वहां जीरा निपज रहा है। पूरे राजस्थान से वहां काश्तकार पहुंचे हुए हैं तो हम देखते हैं, यह मेडिकल की व्यवस्था है। निरोगी काया होने के लिए मेडिकल की व्यवस्था जरूरी है। आदरणीय आपने जिस प्रकार से फ्री में दवाई बांट रखी है, मैं उसका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व की सरकार के भी समय में था लेकिन आज जांच फ्री होना, यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। डाक्टर के घर नहीं जाना है। डाक्टर आया, देखा, इलाज किया। यह जैसलमेर नहीं, पूरे राजस्थान के सभी जिलों के लिए स्वागत योग्य कदम है। हम चाहते हैं, सरकार हमारी हो चाहे आपकी हो, सोच बड़ा होना चाहिए कि आमजन सुखी कैसे रह सके, आमजन सुखी कैसे हो सकता है, आमजन स्वस्थ कैसे रह सकता है? जब तक स्वस्थ आदमी नहीं रहेगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ नहीं सकता, पैसा नहीं कमा सकता, परिवार नहीं बढ़ा सकता।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय, मेरा निवेदन है मेरे जिले की बात, 2 हॉस्पिटल की मांग कर रहा हूं। सबसे पहला आदरणीय यह निवेदन

(श्री छोटू सिंह)

करता हूं बडोडा गांव में हॉस्पिटल होना जरूरी है, दूसरा लक्खापुर। आदरणीय व्यवस्थाएं हैं, स्रोत हैं, कुछ ए.एन.एम. की भी कमी है। बहुत सारी ए.एन.एम. का अपाइंटमेंट इस समय में आया है, लेकिन फिर भी कमियां हैं, जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वहां उप स्वास्थ्य केन्द्र मैंने लिखकर दिया है।

आदरणीय, मैं चाहता हूं एक सबसे बड़ा काम आपने मेडिकल कालेज, बाड़मेर में कर दिया है। लेकिन, जैसलमेर में एक जी.एन.एम. ट्रेनिग सेन्टर वहां नहीं है। ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर है, जी.एन.एम. नहीं है। जब जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर वहां पर खुल जाएगा, आदरणीय मैं सोचता हूं कि यह काम होगा। आदरणीय मेरी समस्याएं थीं, आपको अवगत कराया आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय को अवगत कराया, आपने मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र जी कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 पर आपने बोलने की अनुमति दी, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर में मेडिकल कालेज माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने दिया और काम प्रगति पर है, अन्तिम चरण में पहुंच चुका है। मैं समझता हूं कि आने वाले सत्र में एम.सी.आई. के द्वारा पोजिटिविटी रिपोर्ट होने के बाद में, वहां पर कालेज शुरू हो जाएगा और डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ी यह उपलब्धि होगी। मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया और राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने प्राथमिकता के साथ में मेडिकल कालेज दिया।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारी राजस्थान सरकार की मेडिकल से संबंधित बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जो वास्तव में उस क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। पर, देखना यह है कि वास्तव में, जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, वे योजनाएं धरातल पर, उस आदिवसी क्षेत्र में कितनी धरातल पर उतर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। 2008 में राजीव गांधी मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई गई और तब से लेकर अब तक जो यूनिट चल रही हैं। उस यूनिट में हम देखते हैं कि एक भी डाक्टर नहीं, एक भी कम्पाउण्डर नहीं और उसका जो पूरा स्टाफ होता, वह

(श्री देवेन्द्र कटारा)

कहीं भी नहीं। केवल ड्राइवर उस मोबाइल वैन को लेकर के गांव में घुमाकर के आ जाता है कोई वैरिफिकेशन नहीं और प्रतिमाह प्रति मोबाइल वैन डेढ़ लाख रुपया चिकित्सा विभाग से ले रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसका भुगतान जी.पी.एस. के आधार पर हो रहा है। मौके पर डाक्टर है, या नहीं है, या उस पी.एच.सी. या सी.एच.सी. या फिर उस क्षेत्र का सरपंच या वार्ड पंच के माध्यम से की, वो मोबाइल वैन वहां आकर गई और उसने मरीजों को देखा या नहीं देखा। इस बात का वैरिफिकेशन किये बिना जो भुगतान हो रहा है, जिससे एक तरह से यह संस्था है और संस्था द्वारा पूरी तरह से वास्तव में जो लाभ उस क्षेत्र के गरीबों को और ग्रामीण को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस आदिवासी क्षेत्र में राजीव गांधी मोबाइल मेडिकल यूनिट जो काम कर रही है। उसका पूरी तरह से धरातल स्तर पर भौतिक सत्यापन कराया जाए। वहां के पंचायत के वार्ड पंच, वहां के सरपंच, वहां का जो मेडिकल आफिसर है, उसके माध्यम से वैरिफिकेशन कराया जाए कि वास्तव में इसका धरातल पर कितना लाभ हो रहा है। निश्चित ही यह योजना अच्छी है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस संबंध में मैं थोड़ा-सा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासी क्षेत्र में डाक्टरों का अभाव है। अभी करीबन उस एरिया में, संभाग में 500 डाक्टर लगभग नये बने हैं और ज्यादातर सारे डाक्टर बाहर से हैं। माननीय सभापति महोदय, बाहर के डाक्टर जो हैं वे सारे के सारे महीने में एक बार आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर के महीने का वेतन लेकर के वापस चले आते हैं और यहां पर पी.जी. की तैयारी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में हमारी वहां की जो लोकल चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वे प्रभावित हो रही हैं। इनको यह देखने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लगे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ये संविदा पर पहले डूंगरपुर में लगे हुए थे और उनकी सेवाएं जिला कलक्टर महोदय ने उनके गबन के आरोप में, उनकी सेवाएं

(श्री देवेन्द्र कटारा)

समाप्त कर दी गई थीं। जब सेवाएं समाप्त कर दी गईं, इसके बाद में उसी क्षेत्र से वापस, ये रेगुलर आर.यू.एच.एस. द्वारा चयनित होकर पुन: चिकित्सा अधिकारी के रूप में वे आए और आने के बाद उसी जगह जहां गबन से उनको निलम्बित किया था, सेवाएं समाप्त की थीं। उसी जगह पोस्टेड हैं और आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब गबन का और यही नहीं उन्होंने वहां आने के बाद में एक तरह से एक मुहिम चला दी कि बांसवाड़ा में जो बच्चों की मौत हुई थी। उनको यह ठहराया गया, यह कहा गया कि ये जितने भी बच्चों की मौत हुई हैं, ये आरक्षण से बनकर डाक्टर आए, इस वजह से बनी है। इस मुहिम को चलाते-चलाते उन्होंने वहां पर आरक्षण हटाओ, देश बचाओ का नारा लेकर के उस क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू किया और आज पूरी तरह से वहां पर डाक्टर, ए.एन.एम., जी.एन.एम और टैक्निकल स्टाफ जो है, वे वहां का लोकल स्टाफ पूरी तरह से वहां पर उनके विरोध में खड़ा है और ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि आखिर में कोई अधिकारी वहां जाकर के एक जातीय द्वेषता पैदा करे और उसके बाद में गबन का आरोपी, इसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, उसी जगह पर आकर के वापस, वहां पर नौकरी करे और वहां पर भी आदिवासियों के खिलाफ में आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, आरक्षण की वजह से डाक्टर कमजोर आते हैं, बच्चे मरें। कुपोषण से अगर बच्चा मर रहा है या किसी और कारण से बच्चा मर रहा है। मौसमी बीमारी से बच्चा मर रहा तो आरक्षण का इसके साथ क्या लेना-देना है, लेकिन, यह स्थिति बड़ी गम्भीर है और इसके बाद में भी वे अपने पद पर बैठे हुए हैं और इसके बाद में भी सारी पत्रावली जब जाइन्ट डायरेक्टर इसकी जांच करने के लिए वापस गये तो जाइन्ट डायरेक्टर को सी.एम.एच.ओ. को खुद को कहते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि आपके विरुद्ध गबन का जो आरोप था। उसकी पत्रावली आप स्वयं लेकर आइये।

जिसके ऊपर आरोप है, उसी से ही अगर आरोप सिद्ध करने में, सेवाएं समाप्त की गई वो पत्रावली अगर लेकर जाएगा। यही नहीं, उन्होंने इसके पद पर रहते हुए पूरी तरह से वह पत्रावली माननीय सभापति महोदय उन्होंने तहस-नहस कर दी और स्थिति यह बन गई कि आज वहां का लोकल स्टाफ, लोकल वहां का डाक्टर सारे के सारे इनके विरोध में और सीनियर से सीनियर डाक्टर डूंगरपुर जिले में मौजूद हैं उनको पी.एच.सी. पर बिठा दिया गया, नीचे

(श्री देवेन्द्र कटारा)

बिठा दिया गया और बाहर के डाक्टरों को, जो केवल महीने पर सुपरविजन के नाम से वहां आते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले.....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): ... की जो व्यवस्थाएं हैं। वे व्यवस्थाएं एज पर रूल्स, मेडिकल नियमों के अनुरूप चले और जिस तरह से आरक्षण हटाओ, देश बचाओ का नारा लगाकर के जो सी.एम.एच.ओ. चल रहे हैं। इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को और बाहर के डाक्टर, जो वहां पर पोस्टेड हैं, लेकिन महीने में एक बार आकर केवल तनख्वाह लेते हैं। स्थानीय कम्पाउण्डर और नर्स लोग ही वहां मरीजों की सेवा करते हैं। इस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, इनको पाबन्द किया जाए कि मुख्यालय पर रहें और वहां पर...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): ...मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांगों पर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर एक महिपालपुरा ग्राम पंचायत है, वो बिछिवाड़ा पंचायत समिति में हील एरिया है। मैं वहां पर पीएचसी के लिए निवेदन कर रहा हूं कि वहां की जनता के लिए पी.एच.सी. खोलना आवश्यक है। दूसरा, डूंगरपुर प्रोपर शहर में घाटी मौहल्ला है, वो पूरी तरह से मुस्लिम आबादी है। उस क्षेत्र में कोई ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी पी.एच.सी. खोले जाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

साथ ही, हमारे डूंगपुर में अधिशेष कम्पाउण्डर नर्स करीबन सौ के आस-पास में हैं। पिछले एक साल से उनका वेतन अभी तक नहीं मिला है तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक यह परेशानी खड़ी हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिशेष जो नर्स कम्पाउण्डर हैं, उनका भुगतान समय पर हो, इसके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(समय-समाप्ति-सूचना घन्टी)

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री नाना लाल जी आहरी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-26 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सफाई पर बोलने का मुझे समय दिया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, भामाशाह योजना के अन्तर्गत हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने 16 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित करके काफी लोगों को राहत दिलायी और 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने का काम भी किया। इसके साथ-साथ हमारे उदयपुर जिले में, उदयपुर एक बहुत बड़ा जिला है, यहां पर एनेस्थेसिया विभाग की, स्वाइन फ्लू वार्ड में रोगियों के लिए आईसीयू, वेंटीलेटर एवं न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट में चार नवीन डायलेसिस मशीन लगाकर इन लोगों को राहत देने का बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

साथ में चूंकि समय है इसलिए मैं सारी बातों पर नहीं आता हुआ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब 2014 में मैंने कई हास्पिटल्स को देखा। एक सीएचसी जो डेलाणा में खोली, डाइरेक्ट सीएचसी, वहां पर पहले पीएचसी भी नहीं थी तो 2013 में आनन-फानन में इन्होंने सीएचसी खोल दी। उस सीएचसी को मैंने जाकर देखा। वहां मशीन चलाकर जेसीबी से समतलीकरण कर दिया और बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिये। भाटे रोपने का काम कर दिया। फिर यहां आकर देखा तो यहां जब मैं चिकित्सा विभाग में गया तो उस जमीन के कागजात तक भी नहीं थे। वहां पर चुनाव के टाइम में इन्होंने भाटे रोपने का काम कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ को। मैं आपसे मिला। जमीन के कागजात मैं लाया, वहां के सरपंच से मिलकर लाकर इनको दिये और देने के बाद में वो फाइल पूरी कमप्लीट करायी। कमप्लीट कराने के बाद पांच करोड़ रुपये देने का काम किया है मुख्य मंत्रीजी ने। इस प्रकार से दो-तीन जगह इन्होंने हॉस्पिटल खोल दिये मगर वहां पर चूंकि समय मिला नहीं, ये उनका शिलान्यास नहीं कर पाये। खाली कागजों में हॉस्पिटल खोलने का काम कर दिया। न वहां कोई बजट था, न कोई प्रावधान था, न कोई कागज थे और न कोई रिकार्ड था। इस प्रकार के काम पूर्ववर्ती सरकार ने किये हैं।

(श्री नाना लाल अहारी)

मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में सागवाड़ा की पाल में 126 लाख रुपये दिये, जिसका भवन बन गया और हमने उद्घाटन भी कर दिया। सेमारी में अगले बजट में वहां पर कभी लंबे समय से पीएचसी चल रही थी, कभी किसी ने देखा नहीं। सलूम्बर के माननीय विधायक और मेरा दोनों का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भी मुख्य मंत्रीजी ने हमें 455 लाख रुपये देकर वहां स्वीकृति दी। आज वहां पर काम चल रहा है। इसी के साथ-साथ डवायचा में भी एक करोड़ तैंतीस लाख रुपये पीएचसी के लिए दिये। टोकर में भी इसी के साथ 185 लाख रुपये दिये। सूलई में 185 लाख रुपये दिये। खारड़ीओबरी में 185 लाख रुपये दिये। बलिसा में 102 लाख रुपये दिये और इस तरह से कुल 1354.44 लाख रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र में देने का काम किया। ऐतिहासिक काम किया है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देश आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक इतना रुपया कभी नहीं लगा था। पहली बार अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में इतना रुपया दिया है।

साथ ही मेरा एक और निवेदन है कि ऋषभ देव एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है वहां सीएचसी है और यह नेशनल हाईवे-8 पर स्थित है। नेशनल हाईवे से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर ये हॉस्पिटल है जहां ट्रोमा सेन्टर हमने खोल दिया है मगर वहां ट्रोमा सेन्टर के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है, डाक्टर नहीं है इसलिए मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप ट्रोमा सेन्टर के लिए भवन की स्वीकृति देवें। उसके लिए पैसा देवें। बाकी काफी डाक्टर आपने मेरे यहां प्रत्येक हॉस्पिटल में लगा दिये हैं फिर भी तीन-चार सीएचसीज हैं उनमें डाक्टरों की कमी है। थर्ड ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगते हैं वो भी नहीं हैं। सफाई का काम नहीं होता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो-जो पोस्टें मेरे यहां पर खाली हैं उन सारी पोस्टों को जल्दी भर दिया जाए।

साथ ही मेरी मांग है कि मुख्य मंत्री आदर्श पंचायतें हैं जो हमने गोद ले रखी हैं। एक कानपुर ग्राम पंचायत है दूसरी कुंडा ग्राम पंचायत है इन दोनों में अगर आप पीएचसी खोलने का काम करेंगे तो वहां की जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। बाकी जितनी भी पोस्टें हमारे बाकी हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र जहां नयी पंचायतें बनी हैं वहां पर एएनएम की पोस्ट नहीं है और उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जहां-जहां पर भी नयी पंचायतें बनी हैं वहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री नाना लाल अहारी)

खोल देंगे तो वहां के लोगों को दूरदराज नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी जो नवीन पंचायतें बनी हैं उनमें एक एएनएम की पोस्टिंग कर देवें, तो वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती सोना देवी जी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज की डिमाण्ड संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसिंहनगर में पिछले चार साल से डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं जिनकी मैं बार-बार मांग करती आ रही हूं। आज भी मांग कर रही हूं कि लंबी लिस्ट है, कनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं है, नेत्र रोग का नहीं है, कनिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग नहीं है, कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन का भी नहीं है। चिकित्साधिकारी कुल चार पद रिक्त हैं जिनमें से वर्तमान में मात्र एक ही है। लिपिक ग्रेड-प्रथम, कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग भी नहीं है। निश्चेतन चिकित्सक भी नहीं है। मैं मांग करती हूं कि यह व्यवस्था की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समीजाकोठी जो कि सीमावर्ती क्षेत्र के नजदीक है प्रतिदिन सौ से अस्सी मरीज आते हैं, एक्स-रे मशीन भी नहीं है। पीएचसी से सीएचसी तो वर्तमान में कर दिया गया है, परन्तु जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है। वर्तमान में इसका जो भवन है वो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जो कि कभी-भी गिर सकता है। मैं इसके लिए भी मांग करना चाहूंगी कि इसकी व्यवस्था की जाए। पीएचसी बाजूवाला, उड़सर, लक्खाहाकम छोटे से भवन में चल रहा है उनके लिए नये भवन की आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं। सीएचसी विजयनगर मात्र दो डाक्टरों के भरोसे चल रहा है यहां भी स्टाफ की पूर्ति की जाए, डाक्टर दिये जाएं, मैं मांग करती हूं। 40 एनपी गांव में नर्स तो है, लेकिन वो भवन विहीन होने के कारण वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर दवाइयां बांट कर चली जाती हैं, मैं मांग करती हूं कि 40 एनपी की नर्स के लिए भवन का निर्माण किया जाए। मैं मांग करती हूं कि गंगानगर जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कालेज खोला जाए। पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है। पिछली सरकार ने मेडिकल कालेज का उद्घाटन भी किया था। मैं पिछली सरकार को धन्यवाद करती हूं कि ये माननीय अशोक गहलोत जी विराजमान हैं, इनका मैं धन्यवाद करती हूं। गंगानगर मेडिकल कालेज के लिए इन्होंने प्रयास किया। आज

(श्रीमती सोना देवी)

वर्तमान सरकार ने इसके लिए वैसे मीटिंग भी की है, मैं धन्यवाद करती हूं कि यहां वर्तमान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई उसमें विचार किया जा रहा है। आज मैं यह चाहूंगी कि इस गवर्नमेंट मेडिकल कालेज की माननीय मंत्री महोदय घोषणा भी करेंगे ऐसी मुझे आशा है। इसके साथ ही आदर्श सुखचैनपुरा पीएचसी पीपीपी मोड पर ले लिया है, लेकिन इसमें भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जैसे पानी, बिजली, शौचालय, स्टाफ, क्वाटर्स आदि। सभी डाक्टरों व स्टाफ के पद कई वर्षों से रिक्त हैं। सुखचैनपुरा के लिए मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा से पात्र व्यक्तियों को जोड़ा नहीं जा रहा है, जिसके कारण भामाशाह योजना जो आपकी चल रही है, कुछ को लाभ मिला इसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन खाद्य सुरक्षा जब तक पात्र लोगों को नहीं दी जाएगी मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के पात्र लोगों को, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया जाए, ताकि आपकी इस भामाशाह योजना से चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा सके।

इसके लिये मैं कहती हूं कि खाद्य सुरक्षा कार्ड की अनिवार्यता को हटाया जाए ताकि भामाशाह योजना द्वारा बड़ी-बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, बाईपास सर्जरी पीड़ित लोगों को इसका लाभ मिल सके। रायसिंहनगर में एक डिलीवरी वार्ड होना चाहिये। रायसिंहनगर में कामन वार्ड में जच्चा बच्चा को रखा जाता है, मैं मांग करती हूं कि रायसिंहनगर में डिलीवरी वार्ड होना चाहिये। पिछले काफी समय से एनआरएचएम कर्मियों का धरना चल रहा है, मैं मांग करती हूं कि उनको स्थाई किया जाए और खाली पदों को भी भरा जाए। इसके साथ ही होम्योपैथी चिकित्सा विभाग में नवीन औषधालय खोलने के संबंध में भी मैं मांग करती हूं। होम्योपैथी में भी नवीन पद स्वीकृत करें। राजस्थान में वर्तमान में होम्योपैथी के 8 निजी महाविद्यालय हैं, मैं मांग करती हूं कि राजस्थान में कम से कम एक राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय खोला जाए। सीएचसी, पीएचसी पर कंपाउंडर एवं परिचारक के पद स्वीकृत करने की मैं मांग करती हूं। डीएसीपी विसंगति के संबंध में भी मैं यहां कहना चाहूंगी कि डीएसीपी 10-20-30 वर्ष के स्थान पर 6-12-18 वर्ष एलोपैथी के समान करने की मैं मांग करती हूं। वेतन विसंगति के संबंध में भी मैं कहना चाहूंगी और मांग करती हूं कि आयुष के लिये ग्रेड पे 5400 रुपये के स्थान पर 6000 रुपये और 6000 के स्थान पर 6600 रुपये एलोपैथी के समान वेतन करने के संबंध में मैं मांग करती हूं। इसके अलावा आयुष मिशन में

(श्रीमती सोना देवी)

आयुर्वेदिक डाक्टर्स के अतिरिक्त होम्योपैथी एवं यूनानी डाक्टर के पद भी स्वीकृत हों, यह भी मैं मांग करती हूं।

मान्यवर, अघोषित रूप से गम्भीर बीमारी के लिये आने वाले मरीजों को फोर्टिस, मैट्रोमास व अन्य प्राइवेट हास्पिटलों में उनको बीमा व सरकार द्वारा रुपये नहीं मिलने से भामाशाह कार्ड धारियों को भर्ती नहीं करने के संबंध में भी मैं मांग करती हूं कि उनको भी भर्ती किया जाए। इसके साथ ही मैं अंत में यह मांग करती हूं सिविल लाइन, सचिवालय और विधान सभा विधायक क्वार्टस में स्थित चिकित्सालय में 24X7 की सुविधा कराई जाए। इसमें विशेषज्ञ व पीजी डाक्टर्स लगाये जाएं। कर्नाटक व अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, इस तरफ भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करती हूं कि जो भी मैंने मांग की हैं, इनकी आप घोषणा करेंगे, स्पेशल मेडिकल कालेज श्रीगंगानगर की आज घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूं, धन्यवाद।

लिखित वक्तव्य

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्या। माननीय सदस्या, अंजु धानका अपना लिखित वक्तव्य टेबल करें।

(माननीय सदस्या श्रीमती अंजू देवी धानका के लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

माननीय सदस्य, श्री अमृतलाल जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा के लिये आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने गांव, गरीब और किसान की पूरी चिंता की, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 2018-19 का बजट पेश किया है वह गरीब, किसान और आदिवासियों के लिये, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जहां से मैं चुनकर आता हूं वह आदिवासी क्षेत्र है, वहां हमारी सरकार ने शहरों की तरह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। भामाशाह कार्ड के अन्तर्गत 30

(श्री अमृतलाल)

हजार से 3 लाख तक की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऐसे 16 लाख लोगों को सुविधा मिली है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी परसाद में 2.98 लाख, मैं चिकित्सा मंत्रीजी को और पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत बड़ी राशि स्वीकृत की है। सीएचसी झल्लारा 126, पीएचसी सराडी 1.2 लाख, टोकर में 1.85 लाख, जयसमंद 1.85 लाख, सीएचसी सेमारी, खैरवाडा के माननीय विधायक और मेरे दोनों की पंचायत, 11 पंचायत मेरी, 13 इनकी हैं, 4.55 लाख रुपये, इसके अलावा 60 लाख आवासीय भवन, पीएचसी करावली 1.30 लाख। उदयपुर जिले के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल सलूम्बर है, वह उदयपुर से 72 किलोमीटर दूर है और 50 किलोमीटर की परिधि से करीब 500 गांव के आदिवासी क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको भली-भांति सुविधा के लिये हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जितना बजट पास किया है, मैं धन्यवाद दूंगा उस सीएचसी को रिपेयरिंग करने के लिये 90 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। चिकित्सा मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा करावली में 130 लाख रुपये दिये। 2014 से आज तक 21 करोड़ 83 लाख 97 हजार रुपये की मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृति दी है। मैं कोटि-कोटि धन्यवाद दूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी को, चिकित्सा मंत्रीजी को। मेरी कुछ मांग है जो आप अवश्य पूरा करेंगे। राजकीय सामान्य चिकित्सालय जो उदयपुर से 72 किलोमीटर दूर है और 500 से ज्यादा जनजाति गांव उसमें आते हैं, वहां अगर डेढ सौ और दो सौ बैड का हॉस्पिटल हो जाता है तो उस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, मेरा यह कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सुरखण्ड़ का खेडा जो सेमारी में आता है, उसको पीएचसी किया जाये। गामडापाल, पूरा सौ प्रतिशत जनजाति क्षेत्र है, उसमें अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये तो उस क्षेत्र के लिये बहुत फायदा होगा। रठोडा जो सेमारी में आता है, सिंघटवाडा, खरका, ईडाणा और गुडेल, गुडेल हमारा मुख्य मंत्री आदर्श गांव है, अगर उसमें आप उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो उस क्षेत्र के जनजाति लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सीएचसी खोलने के संबंध में कहना चाहूंगा चावण्ड़, जावद, पलोदडा, देवपुरा, ईटाली खेडा, सेरिया और उधरदा, इनमें अगर सीएचसी का दर्जा हमें मिलता है तो उस क्षेत्र के जनजाति लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने प्रदेश में

(श्री अमृतलाल)

28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की सौगात दी है। जयपुर एसएमएस के लिये 6 करोड़ की लागत से कैथ लैब की घोषणा की है। बीकानेर में भी 6 करोड़ की लागत से नवीन कैथ लैब की घोषणा की है। अजमेर में भी 6 करोड़ की लागत से नवीन कैथ लैब की घोषणा की है। राजकीय आयुर्वेद में नये पाठ्यक्रम चालू करने के लिये जो घोषणा की है, मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है आज उस जनजाति क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, टीएसपी एरिये में, उदयपुर संभाग में, इसके लिये मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, चिकित्सा मंत्रीजी को पूरे सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, आदिवासी क्षेत्र की जनता की तरह से आपको कोटि-कोटि बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने उस क्षेत्र में जिस प्रकार शहर में जो सुविधा मिल रही है, वह आज गांवों में मिलने लगी है, कहीं दूरदराज जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री केसाराम जी चौधरी, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-26 चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई के ऊपर चर्चा हो रही है, इस पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिये कोई न कोई उपाय जरूर सोचा है।

हमारे भारतवर्ष में पुराने समय में लोग देशी दवाओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, मगर आज जो समय है, उसमें उस चीज को गौण कर दिया है। मैं देश में बाबा रामदेव का उदाहरण देना चाहूंगा, जिन्होंने देश में आयुर्वेद की इतनी बड़ी संस्था खड़ी करके और बोटनी में बालकृष्ण जी की जितनी नालेज है, उतनी नालेज विश्व में किसी व्यक्ति को नहीं होगी। प्रत्येक पौधे के उपयोग की उनको नालेज है और उसके गुण और दोष की पूरी-पूरी व्याख्या करते हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए।

आयुर्वेदिक, जो हमारी पुरानी पद्धति थी, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा राज्य में प्राचीन चिकित्सा

(श्री केसाराम चौधरी)

पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। आयुष (AYUSH) शब्द का निर्माण पांच प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों से हुआ है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक। इन पांच चिकित्साओं के नाम को आयुष नाम देकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इन पद्धतियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहा है।

राज्य में चिन्हित पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं जिला चिकित्सालयों में अब एलोपैथी एवं आयुष चिकित्सा पद्धतियां एक छत के नीचे उपलब्ध होने लगी हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन चिकित्सा पद्धति को, सबको एक हॉस्पिटल में बैठाकर, सारी जगह पर यह व्यवस्था करनी चाहिए। ताकि व्यक्ति किसी न किसी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक या होम्योपैथिक या यूनानी, जो भी पद्धति है। सिद्ध पद्धति का अपने यहां राजस्थान में चलन नहीं है। मगर ये चार पद्धतियां अपने यहां पर करीब-करीब चलन में हैं। उसके तहत उस व्यक्ति को एक छत के नीचे इलाज मिल जाए, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। सभी चिकित्सा एक छत के नीचे हो, ताकि व्यक्ति को इधर-उधर नहीं भटकना पड़े और वह जिससे चाहे, उससे चिकित्सा ले सकता है।

माननीय सभापति महोदय, 2010 में होम्योपैथिक का पृथक् डाइरक्ट्रेट बना। इस विभाग ने स्वतंत्र रूप से वर्ष 2010 में कार्य शुरू किया था और निदेशालय का उद्देश्य है कि राज्य के शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्तियों को किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था का लाभ मिल सके, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा, एक ऐसी चिकित्सा है जो सस्ती, सुलभ एवं हानि रहित चिकित्सा व्यवस्था है, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। इसको बढ़ावा तभी मिलेगा, जब हम इसके लिए अलग से डाक्टरों की भर्ती करें और डाक्टरों के साथ-साथ, हमारे प्रदेश में करीब 251 होम्योपैथिक चिकित्सालय चल रहे हैं। एक चिकित्सालय दिल्ली में बीकानेर हाउस में चल रहा है, मगर इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिये हमें और चिकित्सालयों का निर्माण करना चाहिए, ये और खोले जाने चाहिए। होम्योपैथी शरीर को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाती, यह पद्धति आगे बढ़े, ताकि देश की जनता को, राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिले।

होम्योपैथिक चिकित्सालय विभाग में नवीन औषधालय खोलने के

(श्री केसाराम चौधरी)

संबंध में, नवीन पद स्वीकृत करने के संबंध में, राजस्थान में वर्तमान में होम्योपैथिक के 7 महाविद्यालय हैं, जो कि सभी प्राइवेट हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि नवीन राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने चाहिए, जो कि सरकारी हों। मैं सी.एच.सी., पी.एच.सी. में कम्पाउंडर, परिचायक पद स्वीकृत करने के संबंध में भी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो डाक्टर्स होम्योपैथिक में लगे हुए हैं और एलोपैथिक के डाक्टर हैं, उनके वेतन में विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए। डी.ए.सी.पी. 10, 20 व 30 वर्ष के स्थान पर 6, 12, 18 वर्ष एलोपैथी के समान करने के संबंध में, आयुष के लिये ग्रेड-पे 5400 एल-14 से 6000 एल-15 के स्थान पर 5400 एल-14 से 6600 एल-16 पर एलोपैथी के समान करने के संबंध में हमें विचार करना चाहिए।

मैं दो मिनट मेरी बात पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे सारण, जोजावर और धनला में डाक्टरों के रिक्त पद हैं, वहां पर डाक्टर लगाएं। करीब 30 सब-सेंटरों में ए.एन.एम. के पद खाली पड़े हैं, वहां पर ए.एन.एम. लगाई जाएं। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये मेरे क्षेत्र में आप 24 तारीख को पधारे थे। मंत्री महोदय, आपने देखा कि हमारे भामाशाह द्वारा इतना सुन्दर भवन बनाया है और आपने उसका उद्घाटन किया है। इसी तरह से पी.एच.सी. के आपने दो भवन पनोता और जाडन में बनाये हैं। उसमें करीबन पौने चार करोड़ रुपये लगाकर इतने सुन्दर भवन बनाये हैं, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में दो जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं, जैसे जाणोंदा और पिलावड़ी में दानदाता पूरा भवन बनाकर देने के लिये तैयार हैं और वे दानदाता भवन बनाकर देने के लिये तैयार हैं, तो मैं आपसे जाणोंदा और पिलावड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में सिर्फ दो सी.एच.सी. हैं और वे भी बोर्डर पर हैं। अरावली के आस-पास के क्षेत्र में कोई सी.एच.सी. नहीं है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि भामाशाहों द्वारा बहुत ही सुन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो बना दिये, मगर वहां पर इतना बड़ा भवन बनाया हुआ है। खिंवाड़ा और सिरयारी में सी.एच.सी. खोलने की मांग करता हूं। मेरे रानी ब्लॉक में और मारवाड़ ब्लॉक में लोगों को 50-50

(श्री केसाराम चौधरी)

किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर दूर जाकर चिकित्सा सुविधा मिलती है, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में दो सी.एच.सी. खोलने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय थोड़ा आगे बोलूं।

श्री सभापति: एक मिनट और।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। ये दो चीजें हैं। अगर हाथ में पैसा नहीं है, तो इलाज कैसे करवायें। मगर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने और स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो व्यवस्था की है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 16 लाख से अधिक रोगियों के लिए 1 हजार करोड़ के क्लेम बीमा कंपनियों को प्रेषित कर दिये हैं। इसलिए वह गरीब आदमी आपको दुआ देता है कि आपने जिस गरीब के हाथ में पैसा नहीं है, मगर सरकार ने कहा कि हमारे हाथ में पैसा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण सेवा उपलब्ध कराने हेतु 581 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वैलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया है, इसके लिये भी सरकार की बहुत-बहुत सराहना करता हूं। राज्य में जननी/शिशु सुरक्षा योजना के आरम्भ होने के पश्चात् संस्थागत प्रसवों में लगभग 180 परसेंट गुणवत्ता बढ़ी है। इसके लिये भी राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका तह दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री राजेंद्र सिंह जी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जिस तरह से स्वास्थ्य के संबंध में सरकार गम्भीर है। हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना के तहत लोगों के इलाज का जो जिम्मा उठाया है, वह निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। लोगों ने कल्पना नहीं की थी, सामान्य और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम हमारा

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

इलाज करवा सकेंगे। उनका इलाज बहुत ठीक ढंग से व निशुल्क हुआ। निश्चित रूप से मैं राजस्थान सरकार की मुखिया आदरणीय वसुंधरा जी का इस बारे में आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ, मैं सीधे-सीधे कुछ बातों पर निवेदन करना चाहूंगा। मैं जिस विधान क्षेत्र से आता हूं। मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बीकानेर से लेकर गंगानगर तक 235 किलोमीटर के लंबे सफर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग-62 है, वहां सिर्फ एक सूरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसमें ट्रोमा सेंटर भी विगत सरकार द्वारा बनाया गया था। लेकिन सिवाय भवन के वहां पर कुछ नहीं बना है।

हमारी सरकार आने के बाद में वहां एक-दो डाक्टर्स की नियुक्तियां जरूर कीं। लेकिन ट्रोमा सेंटर के हिसाब से जिन उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे एक्स-रे मशीन की जरूरत होती है, अन्य उपकरणों की जरूरत होती है, वह अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह से हमारे सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर डाक्टर्स की संख्या, इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी नाममात्र है, चार या पांच डाक्टर वहां अपाइंटेड हैं। महिला डाक्टर के नहीं होने की वजह से पूरे क्षेत्र में हमारी बहन-बेटियों को बड़ी दिक्कत होती है। सूरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोज की आउटडोर पेशेंट्स की संख्या लगभग 1100 से 1400 तक है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतने रोगी जब वहां इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उन्हें चिकित्सकों की कमी उन्हें महसूस होती है। साथ ही साथ मेरे सूरतगढ़ से 35 किलोमीटर पर जैतसर एक अनाज मंडी है। दो पंचायतों से जोइंट होने की वजह से वहां लगभग 30-35 हजार की जनसंख्या रहती है। हर वर्ग के आसपास के लोग वहां इलाज कराने के लिए आदर्श पीएचसी में जाते हैं। लेकिन आदर्श पीएचसी जैतसर के अन्दर भी किसी तरह की कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। पूरे डाक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं हैं, अव्यवस्थाओं का आलम हर समय वहां बना रहता है। मैं सरकार से बार-बार दो-तीन साल से मांग करता आ रहा हूं कि उस पीएचसी की जगह जैतसर को सीएचसी घोषित किया जाए। मैं निश्चित रूप से यह विश्वास रखता हूं कि इस बार हमें सीएचसी जरूर मिलेगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सूरतगढ़ क्षेत्र के अन्दर इतना बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है। साथ ही साथ बहुत बड़ा छावनी क्षेत्र और मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ एयर-फोर्स स्टेशन के लोग, हर वर्ग के लोग वहां रहते हैं। उसके बावजूद भी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

वहां ठुकराना और देदासपुरा गांव के अन्दर जो दो अस्पताल हैं, उनको पीपीपी मोड पर कर दिया गया है। रोज मुझे सुनने को मिलता है। ठुकराना गांव जिसके अन्दर थर्मल पावर स्टेशन लगाया हुआ है। आए दिन किसी न किसी तरह की घटना होती है और साथ ही साथ उसके चलने से वातावरण प्रदूषित होता है, उससे भी अनेकानेक तरीके की बीमारियां उनको घेरे रखती हैं। मुझे यह बताना होगा कि पीपीपी मोड पर ठुकराना का जो केन्द्र दिया गया है, उसके अन्दर आज दिन तक जिस कंपनी ने एमओयू करके वह लिया है, उसके द्वारा किसी तरह की चिकित्सकीय या अन्य किसी स्टाफ की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। मैं निश्चित रूप से पुरजोर आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर जितनी भी पीएचसी और सीएचसी हैं उनके अन्दर डाक्टरों की व्यवस्था की जाए। ठुकराना और देदासपुरा को तुरन्त पीपीपी मोड से हटाया जाकर पुन: चिकित्सा विभाग के अधीन लिया जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के अन्दर निरबाना गांव के अन्दर हॉस्पिटल मंजूर है जिसका भवन निर्माण होना है। पिछले लंबे समय से हम इंतजार कर रहे हैं। उसकी स्वीकृति भी शायद जारी हो चुकी है। लेकिन आज तक निरबाना गांव का मुख्य चिकित्सालय भवन अभी तक नहीं बना है। इसके अलावा हमारे जितने भी उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं हिंजरासर गांव सहित, जितने भी हमारे पंचायत मुख्यालय, जो नई पंचायतें बनी हैं, उनमें भी हमारे उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कराएं। भवनों की अति-आवश्यकता है। विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी जो मैं महसूस कर रहा हूं, वह मेरे क्षेत्र में है। न वहां चिकित्सक है, न ठीक ढंग से हमारे केन्द्र काम रहे हैं, न हमारे यहां सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है और जो आदर्श प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बने हुए हैं, उनमें भी ठीक ढंग से काम नहीं हो रहे हैं। सूरतगढ़ के अन्दर हमने अल्ट्रा-साउंड मशीन तो चिकित्सालय में मंगा ली है लेकिन एक्सपर्ट डाक्टर नहीं होने की वजह से हमारी अल्ट्रा-साउंड मशीन भी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर चिकित्सा की विशेष रूप से आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की चिकित्सा संबंधी सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ध्यान दें। आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य कंवरलाल जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य गोरधन जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य नंदकिशोर जी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): आदरणीय सभापति जी, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के बारे में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। स्वास्थ्य के मामले में अपने प्रदेश में फ्री दवाई और भामाशाह योजना, यह दोनों बड़ी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। भामाशाह योजना का लाभ लाखों लोगों को मिला है। लेकिन लाखों लोग इससे वंचित भी रह गए हैं और वंचित इसलिए रह गए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। जिस व्यक्ति के पास भी भामाशाह कार्ड है, वह समझता है कि मैं इंश्योर्ड हूं। जब बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है तो उसका पता लगता है कि खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित होना भी आवश्यक है। इस कंफ्यूजन को प्रचार के तरीके से या किसी भी अच्छे तरीके से दूर किया जाना चाहिए क्योंकि जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके बाद बाकी व्यवस्थाएं वह कर नहीं पाता है। जब हॉस्पिटल में उसको पता लगता है कि खाद्य सुरक्षा में शामिल होना है और वह एसडीएम के यहां अपील करता है, उस लायक होते हुए भी शामिल होने की और उस प्रक्रिया से जब तक वह गुजरता है तो मरीज भी गुजर चुका होता है। ये हालात बहुत गड़बड़ हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना शुरूआत में सरकारी हास्पिटलों में अच्छी चली। शुरूआत में 85 परसेंट क्लेम सरकारी हॉस्पिटल के होते थे और आज की स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। 85 परसेंट प्राइवेट के हो रहे हैं। अगर दो साल का हम एवरेज लें तो भी प्राइवेट 65 पर है और सरकारी हॉस्पिटल 35 पर है। ये रेशो बदलने का कारण क्या है? इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति शुरू में सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना चाहेगा। सरकारी हॉस्पिटल में, मैं सीकर जिले की आपको बताऊं, हमारे यहां जिला हास्पिटल, उपखण्ड हॉस्पिटल और सीएचसी मिलाकर 33 हैं, उनमें मात्र 15 में ही भामाशाह योजना की सुविधा उपलब्ध है। जब सीएचसी में एक मरीज जाएगा और वहां उसको भामाशाह सुविधा नहीं मिलेगी स्वास्थ्य बीमा की तो उसके साथ बड़ा गलत होगा। सभी सरकारी हास्पिटलों में खासतौर से सीएचसी लेवल तक स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। अगर सरकारी हास्पिटलों में नहीं मिलेगा तो आखिर मिलेगा कहां? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम जानते हैं कि एक दुकान की तरह है। पिछला रिकार्ड हम देखें तो आप देखिए कि 35:65 का रेशो होते हुए भी सरकारी हॉस्पिटल के 80 करोड़ रुपये के क्लेम रिजेक्ट हो गए और प्राइवेट हॉस्पिटल के हुए हैं सिर्फ 8 लाख के।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

एक हजार गुना का फर्क है। सभापति महोदय, एक हजार गुना ज्यादा जो क्लेम हैं, वह रिजेक्ट हो गए। यह हालात बड़े गड़बड़ हैं। इसको सुधारने की आवश्यकता है। एक घंटे में जो टीआईडी कराने का, सिर्फ एक घंटे में, जो टाइम दिया गया है, उसके बाद वह कार्ड वगैरह प्रस्तुत नहीं कर सकता है, उसको उस योजना में नहीं लिया जाता है, इसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। हमारी इस योजना के अलावा केन्द्र ने भी बहुत बड़ी योजना की घोषणा की है कि 50 करोड़ लोगों को एक साथ स्वास्थ्य बीमा देंगे। बजट जरूर मात्र 52 हजार 800 करोड़ का है। अगर दस प्रतिशत भी बीमार होने आ गए तो ढाई लाख करोड़ रुपये चाहिए। ऐसा उन्होंने कुछ दिया नहीं है। एफडीआई जरूर सौ प्रतिशत कर दी तो जिस दिन यह लागू होगी विदेशी प्लेयर आएंगे और फायदा उठाएंगे। जब बजट आया केन्द्र का एक सप्ताह में देश के निवेशकों के साढ़े बारह लाख करोड़ का नुकसान हुआ। जो प्राइवेट हैल्थ सैक्टर है सिर्फ उसके शेयर बढ़े। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो प्राइवेट प्लेयर हैं यह किस तरह से जनता के, सरकार के पैसे का फायदा उठाना चाहते हैं। एक बात माननीय सभापति महोदय, मैं करना चाहूंगा हमारी एम्बुलेंस की। हमारे यहां जो बेस एम्बुलेंस हुआ करती थी, पुरानी जो एम्बुलेंस थी वह लगभग खटारा हालत में हो गई। सौ-पचास बची हैं। 200 एम्बुलेंस जो आई थीं, चार साल पहले उनको सीधे जेवीके कंपनी को दे दिया गया। आज हालत यह है कि चाहे 108 हो, चाहे 104 हो, चाहे बेस एम्बुलेंस हो सभी उस कंपनी के पास है। अगर किसी बीपीएल को एम्बुलेंस से कहीं जाना हो तो बीपीएल वाले को भी 20 रुपये प्रति किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा। अगर किसी मेले में सरकारी व्यवस्था करनी हो, सीएमएचओ, बीसीएमओ यह अगर व्यवस्था करते हैं सरकार की कि भाई 5-6 कम्पाउण्डर या एम्बुलेंस वहां जाएगी तो सरकार को भी उस कंपनी को 15 रुपये प्रति किलोमीटर किराया देना पड़ रहा है।

हमारे ड्राइवर थे वह सरकार से आज भी तनख्वाह ले रहे हैं और निठल्ले बैठे हैं। इस तरह की अव्यवस्था है इसको तुरन्त प्रभाव से ठीक करने की आवश्यकता है।

नये मेडिकल कालेजेज की बात हुई, अच्छी बात है लेकिन उनके जो हालात हैं वह बहुत खराब हैं। मैं सीकर की बात करूं, पिछली जुलाई में चर्चा

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

थी कि शुरू हो जाएगा। इस जुलाई में चर्चा थी कि शुरू हो जाएगा लेकिन आज ही पता लगा है कि मेडिकल कालेज जहां बन रही है उस जगह का ही पट्टा नहीं है। अब प्रशासन की ऐसी स्थिति हो गई बिना पट्टे की जगह पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। इतनी महत्वाकांक्षी योजना है उसको बीच में ही लोग अटका देंगे, यह ठीक नहीं है। जो हमारे मेडिकल कालेज चल रहे हैं उनमें भी स्टाफ पूरा नहीं है। नई कालेज और आ जाएगी तो स्टाफ की और आवश्यकता होगी। वैसे भी स्वास्थ्य के मामले में हमारे यहां पूरे देश में प्रति व्यक्ति मात्र 5 हजार एक सौ कुछ रुपये खर्च होते हैं। दूसरे देश दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये तक पहुंच गए हैं। चाइना जैसा देश भी 26 हजार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो इसमें बजट बढ़ाये जाने की भी आवश्यकता है।

मेरे रामगढ़ क्षेत्र में सीएचसी है, वहां 500 की ओपीडी है। माननीय मंत्रीजी भी हमारे क्षेत्र के, फतेहपुर के रहने वाले हैं। मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा, इनके पास भी कई बार लोगों ने मांग की है, 500 की ओपीडी होते हुए भी वहां मात्र एक डाक्टर है। पोस्टिंग 5-6 है लेकिन बाकी सबको डेपुटेशन पर भेज रखा है। यही हालत धानुका फतेहपुर की है। हमारी पलासरा सीएचसी है उसमें 33 का ओपीडी का है, कोलीडा में 35 का है, सिंहासन में 24 का, मऊ में 37 का, गुंगारा में 32 का ओपीडी है। वहां 6-6, 7-7 डाक्टर लगे हुए हैं। हर माननीय सदस्य अभी डाक्टर्स की मांग कर रहे थे, यहां एक्स्ट्रा डाक्टर पड़े हैं। हमारे रामगढ़ जैसी सीएचसी है वह खाली पड़ी है, वहां पर मात्र एक डाक्टर है। यह सीएचसी मैं बता रहा हूं इनमें 30-30 बैडेड सीएचसी है और हालत यह है कि पांच बैड डालने की भी वहां जगह नहीं है। पांच बैड वहां उपलब्ध नहीं है। हमारे फतेहपुर में ट्रोमा सेंटर बना हुआ है। मात्र एक पोस्ट स्वीकृत है। उससे कुछ नहीं हो सकता, वह भी आर्थो वाले की होनी चाहिए, उसकी पोस्ट स्वीकृत की जानी चाहिए।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): हमारे क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र की काफी वर्षों से मांग है, पिछले चार साल में एक भी नहीं खुला। 4, 5, 6 जगह रिणाऊ, अनारसरा, पदमपुरा, बावला, बीबीपुर, सदीनसर, उप स्वास्थ्य केन्द्र और बलोद छोटी और रूकणसर में पीएचसी खोलने की आवश्यकता है। शिशु मृत्यु दर की हालत बहुत खराब है। मातृ मृत्यु दर का भी बुरा हाल है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

जो माताएं मर रही हैं उनकी भी लिस्ट नहीं है, किसी भी जिले में मंत्री पूछकर देख लें। देश के अनुपात में जनसंख्या का अनुपात है यह भी हमारे यहां ज्यादा बढ़ रहा है। सीट तो फिक्स हैं, 25 एम पी की, 200 विधान सभा की तो एक तरह से प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। संविदा पर जो कर्मी लगे हुए हैं लगभग सरकारी के बराबर हो गए, उनको कुछ को, परमानेंट करने की सोचनी चाहिए।

एक लाइन और, निजी अस्पताल सेवा भी कम दे रहे हैं और कर्मचारियों का भी शोषण कर रहे हैं। हम सबको बेरोजगारी है। निजी अस्पतालों में अगर अपन ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि वह नर्सिंग वाले लोगों को, डाक्टर्स को अच्छी सैलरी दें तो हमारी दोनो-तीनों समस्या हल हो जाएंगी। वहां की सर्विस भी अच्छी हो जाएगी और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा। उसको पाबंद करना और उसको ठीक करना आवश्यक है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री कन्हैयालाल जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, बनवारीलाल जी सिंघल (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, ज्ञानचंद जी पारख (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, हमीरसिंह जी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार द्वारा, लोकप्रिय आदरणीय मुख्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में, गांव गरीब तक चिकित्सा पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 16 लाख लोगों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा, एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदला है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। संस्थागत प्रसव में 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश के चिकित्सालयों में बिजली की खपत को देखते हुए छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण 40 हजार यूनिट प्रतिमाह बिजली की बचत हुई है। बजट 2018-19 में 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु बजट में 120 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं, इससे भी राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

(श्री हमीरसिंह भायल)

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो मांग हैं उसके बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 69 पंचायतें व 243 राजस्व गांव हैं, 5 लाख के लगभग आबादी है। इसमें मात्र तीन सीएचसी और 12 पीएचसी हैं। जबकि जनसंख्या के आधार पर 5 सीएचसी एवं 18 पीएचसी होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आदर्श पीएचसी पादरू, जिसमें पूरे जिले में आउटडोर, इनडोर सबसे ज्यादा संख्या में है। सीएचसी के सभी नियम पादरू पीएचसी पूरा करती है। पादरू को पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए जिससे जनता को लाभ मिल सके, यही मेरी मांग रहेगी। जनसंख्या के आधार पर मेरे यहां 6 पीएचसी और होनी चाहिए। इसके लिए मैंने मांग की है। मेरी डण्डाली ग्राम सबसे प्रथम और सीणेर में पीएचसी, माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि अगर जनसंख्या के आधार पर वह देंगे तो हमें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा।

मेगा हाईवे जोधपुर से, पोखण पलसूर से बालोतरा होता हुआ सांचौर और काण्डला को जाता है, 150 किलोमीटर है, वहां कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है। सिणधरी सीएचसी है वहां आए दिन एक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए सिणधरी में ट्रोमा सेंटर की महती आवश्यकता है। मैं हर दो साल में यह मांग करता आया हूं, इसकी महत्ती आवश्यकता है।

एक निवेदन रहेगा, इन्द्राणा एवं खारामहेचान और कुण्डल में पीएचसी है मगर भवन के लिए अभी तक बजट आबंटन नहीं हुआ है। बिना भवन वहां पर डाक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं पर जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह आज दिन तक नहीं मिली।

बजट सत्र 2013 में 30 बैड का सीएचसी समदड़ी था उसको 50 बैड का कर दिया गया था, क्रमोन्नत कर दिया गया था पर क्रियान्विति आज दिन तक नहीं हुई। पद स्वीकृत नहीं हुए हैं और जो सुविधा होनी चाहिए वह भी आज दिन तक नहीं मिल रही।

(18.48 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि पादरू को पीएचसी से सीएचसी बनाई जाए। समदड़ी में 2013 की घोषणा है 50 बैड का

(श्री हमीरसिंह भायल)

करके, पद स्वीकृत करके उनको सुविधा प्रदान की जाए। सिवाना क्षेत्र लंबा क्षेत्र है, मेरी मांग है कि समय रहते इसमें सुविधा प्राप्त हो। बाड़मेर में मेडिकल कालेज करके, बाड़मेर, जैसलमेर रेगिस्तान को जो तोहफा दिया है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री का धन्यवाद अर्पित करूंगा। इसके साथ सिवाना की मेरी मांग है इस मांग को पूरी करवाएं।

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में नवीन औषधालय खोलने के संबंध में नवीन पद स्वीकृत करने के संबंध में राजस्थान में वर्तमान में होम्योपैथी के सात महाविद्यालय हैं जो सभी निजी, प्राइवेट क्षेत्र में है। अत: एक नवीन राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय खोलने के संबंध में निवेदन है।

डी.ए.सी.पी. विसंगतियों के सम्बन्ध में, वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में और आयुष मिशन में आयुर्वेदिक डाक्टर्स के अतिरिक्त होम्योपैथिक एवं यूनानी डाक्टर्स के भी पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निवेदन है।

राज्य में नर्सिंग संस्थाओं में सृजित नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर कार्यरत कर्मचारी पहले से ही हैं, राजपत्रित अधिकारी हेतु निर्धारित वेतन श्रृंखला प्राप्त कर चुके हैं, जिससे राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। नर्सिंग ट्यूटर पद को अराजपत्रित से राजपत्रित में परिवर्तित किये जाने से राजकीय नर्सिंग संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा एवं शिक्षण गतिविधियों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा एवं नर्सिंग कर्मी ट्यूटर उत्साहित एवं जवाबदेह महसूस करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में नये भवन की और एक सी.एच.सी. और पी.एच.सी. की जो मांग रखी है, मैं उम्मीद करूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानसिंहजी।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधुनिक समय में देश और राज्य के नागरिकों का स्वस्थ रहना एक राष्ट्र के विकास के लिये अनिवार्य आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जो एक सभ्यता के विकास को गति देकर सफलता में तब्दील करता है। आज मानव जीवन के लिये सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था एवं मजबूत अर्थ व्यवस्था समाज की एक महती मांग है। समय के साथ इन व्यवस्थाओं की

(श्री मानसिंह किनसरिया)

मांग के अनुरूप बदलाव आये हैं। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान सरकार में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने गरीब आमजन की भावना को समझते हुए ऐसी अनेकानेक परिवार कल्याण सुविधाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जो एक मील का पत्थर साबित हुई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। प्रदेश की जनता स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, रासायनिक खेती के स्थान पर जैविक खेती के उत्पादन, जो कि मानव जीवन के लिये एक महती आवश्यकता है, यह उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी भी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्वच्छ खाद्यान्न, खान-पान उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार करे जिससे मानव जीवन स्वच्छ व सुरक्षित बने व साथ में मिलावट करने वालों पर कठोर कार्यवाही करें व खाद्य सामग्री शुद्ध मिले इसके लिये जागरूकता अभियान चलाया जाये, जो कि व्यापारियों व जनता, दोनों में जागरूकता लाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधा का विकेन्द्रीकरण किया जाये। आज प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय है। इस चिकित्सालय में मरीजों का इतना भार है कि आज प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जिसमें आउटडोर, इनडोर को देखा जाये, यहां के आने वाले गरीब मरीजों को देखा जाये तो आज पूरे देश का सबसे बड़ा चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय है। अगर इसका विकेन्द्रीकरण, जिलों में जहां जिला हैडक्वार्टर के ऊपर जो सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं, उनमें न्यूरो और कार्डियक के स्पेशलिस्ट, आर्थोपेडिक्स के सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स, उनको सुपर स्पेशलिस्ट सेन्टर डवलप करने का कार्य करें, जिससे वहां की, उस जिले की जनता उस जिला मुख्यालय पर वहीं अपना इलाज करा सके तो निश्चय ही सवाई मानसिंह चिकित्सालय पर भार कम होगा और जनता को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा का फायदा मिल पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह कार्ड, जिसमें प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता को शामिल किया गया है। साथ में इसे खाद्यान्न सुरक्षा के साथ जोड़ा गया है। खाद्यान्न सुरक्षा के लिये जो 20 बीघा और 25 बीघा के जो बड़े काश्तकार हैं, जो काश्त से अपना जीवन नहीं पाल सकते, जिन्हें कहीं न कहीं पैसे की आवश्यकता पड़ती है और जब बीमारी आती है, तब उनके

(श्री मानसिंह किनसरिया)

ऊपर संकट आ जाता है कि हम अपना इलाज कैसे कराएं। उस समय उनके लिये भामाशाह कार्ड एक वरदान साबित होगा। वे इन्कम टैक्स पेयर भी नहीं हैं, वे सर्विस में भी नहीं हैं तो ऐसे लोगों को इस खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाए। मेरा तो कहना है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री बहुत दयालु हैं, मंत्रीजी बहुत दयालु हैं कि आप पूरे प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से, कर्मचारियों और इन्कम टैक्स पेयर को छोड़ते हुए, भामाशाह कार्ड से जोड़ दें, जिसमें कोई विशेष ज्यादा खर्चा भी नहीं आयेगा। इलाज सबको फ्री मिलेगा तो निश्चय ही प्रदेश की जनता यशस्वी मुख्य मंत्री और मंत्रीजी को साधुवाद देगी और प्रदेश की जनता के प्रति जो हमारा दायित्व है, कम-से-कम, चिकित्सा सुविधा सम्पूर्ण जनता को मिले, उस दायित्व का भी निर्वहन होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि भामाशाह कार्ड में सभी को जोड़ा जाए।

साथ में, भामाशाह कार्ड की जो व्यवस्था है उसकी भी उचित मानिटरिंग की जाए कि जहां कोई गरीब व्यक्ति जाता है चिकित्सालय में जाता है, उससे एफिलिएटेड जो भी चिकित्सालय हैं, उन चिकित्सालयों में भी कई बार वहां का स्टाफ और डाक्टर्स उनको वहां से टरकाने का काम करते हैं कि ये हमारे पास नहीं आये। वे भामाशाह से जुड़ तो गये लेकिन फिर भी इलाज करने में वे चिकित्सालय आनाकानी करते हैं। ज्यादातर निजी चिकित्सालयों में यह समस्या आती है। उनके ऊपर उचित मानिटरिंग करके उनको पाबन्द किया जाए कि जितने भी भामाशाह कार्ड वाले आएं उनको उचित वहां स्वास्थ्य की सुविधा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सालय में जो सफाई की व्यवस्था है, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाये। यह ठेके पर दी है। ठेकेदार अपनी बंदरबांट करते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं। वहां संविदा से अगर कर्मचारी लगाये जाएं या चिकित्सालय की जो समिति बनी हुई है या चिकित्सालय का जो स्टाफ है उनके मार्फत ही सफाई की व्यवस्था को ठीक किया जाये तो उचित रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हाई-वे और मेगा हाई-वे पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो रही है। उसका प्रतिशत काफी रहता है। आज जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर एक व्यक्ति भी अगर मर जाता है तो उसके लिये पूरे राष्ट्र में चिंता होती है और हिन्दुस्तान में इतनी मृत्यु होती हैं कि जिस पर कुछ सोचा नहीं जाता। मेरा निवेदन है, आपके माध्यम

(श्री मानसिंह किनसरिया)

से ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जिनका एक्सीडेंट हो, कम से कम उनका इलाज मुफ्त हो। जिसका एक्सीडेंट हो, उसको जिस चिकित्सालय में ले जाया जाए तो तुरन्त उसको, चाहे उसका कोई रिश्तेदार उसके साथ हो या नहीं हो, तो उसका उचित इलाज मुफ्त में किया जाए, जिससे प्रदेश की जनता का एक्सीडेंट में जो मृत्यु का आंकड़ा है, वह भी कम होगा और प्रदेश की जनता को एक अच्छी सुविधा भी मिलेगी। यह मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई निजी चिकित्सालय, जिन्होंने सरकार से जमीन मुफ्त में ले ली, लेकिन फिर भी इलाज में इनका बहुत बड़े पैकेज के रूप में वे लोग इलाज करते हैं। गरीब व्यक्ति को कोई कंसीडर नहीं किया जाता है। ऐसे चिकित्सालयों को, निजी चिकित्सालयों को, जिन्होंने सरकार से मुफ्त में जमीन ली है, तो उसमें कुछ तय किया जाए कि उसमें कुछ प्रतिशत गरीब लोगों का वहां इलाज हो। साथ में उनकी मानिटरिंग भी हो, सरकार की तरफ से कोई उचित वहां सरकार का नुमाइंदा बैठे या सरकार के नुमांइदे के मार्फत कोई व्यवस्था हो कि उस चिकित्सालय में जायेगा तो गरीब व्यक्ति का इलाज सही होगा, फ्री होगा, कम पैसों से होगा। ऐसी व्यवस्था निजी चिकित्सालयों में, बड़े चिकित्सालय, जो यहां फोर्टिस, बिड़ला, दूसरे बने हुए हैं, जिन्होंने जमीन फ्री ली है, उनमें भी कुछ व्यवस्था तय की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र की जो मेरी कुछ मांगें हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र की बडू और बागौट पी.एच.सी. हैं, जो काफी पुरानी पी.एच.सी. बनी हुई हैं। परन्तु उन्हें आज तक सी.एच.सी. में क्रमोन्नयन नहीं किया गया है। इनमें कम से कम एक पी.एच.सी. को क्रमोन्नत किया जाए, जो कि परबतसर सी.एच.सी. और बाजवास सी.एच.सी. से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी दूरी को कम करने के हिसाब से, वहां की जनता को राहत पहुंचाने के हिसाब से आप बडू और बागौट पी.एच.सी. में से एक को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें।

साथ में परबतसर सामुदायिक चिकित्सालय और पूरा परबतसर विधान सभा क्षेत्र मेगा हाई-वे पर स्थित है, जो कि किशनगढ़ से होता हुआ डीडवाना तक, परबतसर विधान सभा क्षेत्र करीब सवा सौ किलोमीटर लम्बाई का एक विधान सभा क्षेत्र है, जो पूरा मेगा हाई-वे पर, जो हनुमानगढ़-किशनगढ़ मेगा हाई-वे है, इसके ऊपर स्थित है।

(श्री मानसिंह किनसरिया)

(19.00 बजे)

मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि परबतसर में एक ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जाए जिससे कि वहां पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको तत्काल राहत मिल सके। वहां पर एक्सीडेंट में जो आते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो मृत्यु का आंकड़ा कम होगा और परबतसर विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों और हाई-वे पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको सुविधा मिलेगी।

मेरे परबतसर चिकित्सा केन्द्र में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा सरकार बनने के बाद में डाक्टर्स की कमी की पूर्ति हुई है। मेरे वहां पहले बाजवास सी.एच.सी. में मात्र एक डाक्टर था, वहां आज 5 डाक्टर्स हैं। जहां परबतसर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में 3 डाक्टर थे, आज 5 डाक्टर्स हैं। साथ में और भी सुविधाएं आप लोगों ने दी हैं। फिजियोथैरेपिस्ट को भी वहां लगाया आप लोगों ने तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरे अभी एक एस.एम.ओ. का पद काफी टाइम से खाली है तो वहां पर एक एस.एम.ओ. लगाया जाए, एक एम.ओ. दिया जाए और एक आर्थोपेडिक का डाक्टर, हड्डियों का डाक्टर वहां पर जरूर दिया जाए जिससे कि एक्सीडेंट वालों को सुविधा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ लगाये जाएं जहां पर भी अभी खाली पड़े हैं, वहां पर और जहां पर भवन नहीं बने हैं वहां पर भवन भी बनाये जाएं। साथ में, परबतसर विधान सभा क्षेत्र में बड़े गांव हैं उनमें हरनावा, गुलर और बस्सी, जहां पर डेपुटेशन के मार्फत तीन कम्पाउंडर लगाये गये थे। उनको बार-बार हटा दिया जाता है, डेपुटेशन निरस्त करते हैं और उनको वहां से हटा दिया जाता है तो वहां पर चिकित्सा सुविधा बाधित होती है। बड़े गांव हैं, 20 साल से वह व्यवस्था चल रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन कम्पाउंडरों को वहां पर स्थाई कर दिया जाए जिससे हटाने की या डेपुटेशन जब भी कैंसिल होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है तो उस समस्या का बार-बार परबतसर की जनता को सामना नहीं करना पड़े। वह परेशानी न हो इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि तीनों को वहां पर उनको स्थाई लगा दिया जाए।

साथ में, परबतसर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में एक्स-रे मशीन है

(श्री मानसिंह किनसरिया)

लेकिन रेडियोग्राफर नहीं लगाया हुआ है। रेडियोग्राफर था, वह हट गया वहां से लेकिन अब वहां पर रेडियोग्राफर लगाया जाए जिससे कि एक्स-रे की सुविधा मिल सके। साथ में, परबतसर चिकित्सालय में कुछ वार्ड में पट्टियां टूटी हुई हैं जिसकी वजह से वह वार्ड खाली करके एक ही वार्ड में उनको शिफ्ट किया हुआ है तो उन वार्ड की पट्टियों की मरम्मत का कार्य हो जाए जिससे कि वापस से वह वार्ड सुचारु रूप से काम कर सके, यह मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि परबतसर में जो पट्टियां टूटी हुई हैं, उनको ठीक करवाने का काम करें और मेरे उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरा जाए, यह मेरा निवेदन है, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

लिखित वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवरसिंह साहब, would you like to place your papers on record? आप रख दीजिए। श्री नवीनजी पिलानिया।

(माननीय सदस्य श्री भंवर सिंह भाटी के लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज चिकित्सा और स्वास्थ्य की मांग पर समय प्रदान किया, बहस हो रही है, मैं पिछले चार वर्षों से चिकित्सा पर नहीं बोला। मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ज्यादा डाक्टरी की चीजें समझ में नहीं आतीं लेकिन वैसे भी आज माननीय पूर्व मुख्य मंत्री गहलोत साहब पधारे थे तो आज बिना उत्तेजना के और बड़ी तसल्ली से अपनी बात रखना चाहता हूं। समय सीमा आपने पहले निर्धारित कर दी है, उसके लिए आपका आभारी हूं, मैं उसकी पालना करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के मैं कागजात देख रहा था तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि इस विभाग का पहले मैंने अवलोकन नहीं किया और ऐसा रिकार्ड काम, इतनी डाक्टरों की कमी होते हुए ऐसा रिकार्ड काम मेरे सामने आया कि मैं अचंभित हो गया हूं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जरा एक तरफ से बयान करता हूं। यह बयान कर रहा हूं वर्ष 2016 का

(श्री नवीन पिलानिया)

जनवरी से दिसम्बर का, जो विभिन्न मेडिकल कालेजज हैं, एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर, उसमें ओ.पी.डी. पूरे साल में जो रोगी आये 53 लाख 83 हजार, कोटा मेडिकल कालेज-20 लाख, उदयपुर मेडिकल कालेज-11.89 लाख, जोधपुर कालेज-29 लाख 10 हजार, बीकानेर मेडिकल कालेज-14 लाख 79 हजार, झालावाड़-6 लाख 51 हजार, यह टोटल ओ.पी.डी. जो है मेडिकल कालेजज की यह जुड़कर बन गयी है 1 करोड़ 36 लाख, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और इनकी जो आई.पी.डी. थी वह इन छहों मेडिकल कालेज की वह थी 12 लाख, केवल 2016 की बात कर रहा हूं। ओ.पी.डी. और आई.पी.डी. को जोड़ते हैं तो 1 करोड़ 48 लाख जो है वह रोगी आपके 2016 में मेडिकल कालेजज में आए।

अब मैं सारणी उठाता हूं, एक सारणी चार है, यह सारणी चार कहती है कि राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपचार के लिए आए रोगियों की संख्या-2016 में, यह मेडिकल कालेजज के अलावा है, इसके नीचे यह लाइन लिखी हुई है। इसका जब आकड़ा देखते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इसका आंकड़ा बैठता है, जो टोटल ओ.पी.डी. में पूरे एक साल 2016 में जो रोगी आए वह आंकड़ा है 8 करोड़ 78 लाख रोगियों का। 8 करोड़ 78 लाख रोगी एक साल में बिना मेडिकल कालेजज की इस सारणी में अंकित है। जिलेवाइज भी अंकित है। यह तो थी ओ.पी.डी. की स्थिति। अब आई.पी.डी. की क्या स्थिति थी? मेडिकल कालेजज को छोड़ने के बाद में वह आई.पी.डी. की कुल थी 44 लाख Indoor patients other than medical colleges in the year 2016. इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यह बनते हैं 9 करोड़ 22 लाख रोगी। 9 करोड़ 22 लाख, बिना विश्वविद्यालयों को छोड़ते हुए और विश्वविद्यालयों को अगर जोड़ देते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह पूरे 2016 का आंकड़ा बैठता है जो सरकारी आंकड़ा है, वह 10 करोड़ 70 लाख रोगी, यह रिकार्ड मेरे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने फिर देखा कि जनसंख्या क्या है? 2011 का जो आंकड़ा है, उसके आगे तो मेरे पास आफिशियल आंकड़ा है नहीं। 2011 का जो राजस्थान का, पूरे राज्य की जनसंख्या है, वह है 6 करोड़ 85 लाख, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब 6 करोड़ 85 लाख तो पूरी जनसंख्या है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या एक व्यक्ति तीन-चार बार बीमार नहीं हो सकता साल में?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं आऊंगा, पहले मैं मेरी बात तो कमप्लीट कर लूं, साहब? वह तो आप ही से समझूंगा, मैं इंजीनियर हूं, मैं इसमें डाक्टरी की बात पहले कह चुका हूं, समझ नहीं आती मेरे को लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अचम्भा यह हुआ कि जब राज्य की पूरी जनसंख्या ही 6 करोड़ 85 लाख है और एक साल में जो है सरकारी हास्पिटल्स में 10 करोड़ 70 लाख रोगी रजिस्टर्ड हो गये हैं मतलब, जनसंख्या से 3 करोड़ 85 लाख फालतू, यह कैसे? यह आंकड़ा मेरी बिलकुल समझ से बाहर है और अगर जनसंख्या का आंकड़ा पकड़ें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) मेरा आज दस मिनट का ही समय है, आप बाद में अपनी बात कहते रहियेगा, मुझे रेस्पोंड ही नहीं करना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मतलब कि जो कुल जनसंख्या है 6 करोड़ 85 लाख उसमें 56 प्रतिशत और जनसंख्या जो है एक साल में कैसे हो सकती है? क्या पूरा राजस्थान बीमार होकर एक दफा जा चुका और फिर आधी दफा और जा चुका? यह तो आंकड़ा यही बोलता है, इसके अलावा तो मेरा और कुछ अर्थ निकलकर आया नहीं। अब माननीय मंत्रीजी समझाएंगे इस गणित को क्या है? लेकिन इसमें अचम्भा यह है कि इसका मतलब तो 2016 में जितने निजी अस्पताल हैं राजस्थान के वह खाली हो गये होंगे, वह कैसे चल रहे थे? जब 10 करोड़ 70 लाख तो सरकारी अस्पतालों में दर्ज हो गये लेकिन जब देखते हैं निजी अस्पताल तो वहां पर तो हालात बड़े खराब हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड तो कायम किया इसमें कोई शक नहीं है, इससे बड़ा रिकार्ड कायम हो नहीं सकता था लेकिन इसका विश्लेषण मैं नहीं कर सकता हूं।

अब मैं जरा आपकी आज्ञा से एक नजर डालता हूं और इसमें मैं यह और बता देता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, चूरू का, चूरू की जनसंख्या है जिले की 20 लाख और चूरू अकेले में ओ.पी.डी., ओ.पी.डी. में 30 लाख हो गया। पूरी सारी जनता चली गयी और आधी और चली गयी। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा एक मिनट बयान करता हूं, यह पृष्ठ संख्या-13 है नि:शुल्क की जा रही जांच का विवरण है। यह 2015-16 का विवरण है - 2 करोड़ 29 लाख लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण है। 2 करोड़ 29 लाख व्यक्तियों की जांच हुई है किसी भी तरीके की। 2016-17 में जांच हो गयी 2 करोड़ 39 लाख की और दिसम्बर, 2017 तक का आंकड़ा है 1 करोड़ 24

(श्री नवीन पिलानिया)

लाख, नि:शुल्क जांच हुई। यह तीन साल का जोड़ते हैं, इसी में लिखा है 7 करोड़ 87 लाख नि:शुल्क जांच हो गयी। यह भी जो जनसंख्या है, उससे एक करोड़ फालतू जा रहा है। अब यह हो क्या रहा है, यह मेरे को नहीं पता। आपके आंकड़े, आप चाहेंगे और आप आज्ञा देंगे तो मैं सारे पेपर्स टेबल कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: उनके पास में हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): उनके पास में हैं, ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आप कमाल देख लीजिये। यह इतनी तो जांच हो गयी 10 करोड़ 70 लाख मरीज दर्ज हो गये, इसके साथ-साथ जो भामाशाह वाला है, वह दो साल में 17 लाख 83 हजार के तो क्लेम भेज दिये, यह और आ गये। अब यह विश्लेषण तो माननीय मंत्रीजी बतायेंगे। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं अब अधिक समय बिल्कुल नहीं लूंगा।

अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आयी है। यह रिपोर्ट आयी है फरवरी में नीति आयोग की और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है स्वस्थ राज और प्रगतिशील भारत की रिपोर्ट है। संबंधित सूचकांक मापदण्डों के आधार पर केरल राज्य को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुये हैं, टाप पर आ गया, लेकिन राजस्थान के 21 राज्य हैं, उसमें यू.टीज. अलग किये थे, छोटे राज्य अलग किये थे, 21 राज्यों की जो सूची है, उसमें हम 20वें, नीचे से दूसरे स्थान पर विराजमान हैं। यह रिपोर्ट अभी आयी है, मैं कोट कर रहा हूं। इसके साथ-साथ नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने राजस्थान सरकार की तो सारी पोल खोल दी है। साथ में यह भी आया है, इस रिपोर्ट में दर्ज है कि दूसरी स्थिति में, साथ ही आकलन वर्ष 2015-16 की तुलना में एक भी रैंक का सुधार नहीं हुआ है राजस्थान में। मैं सिर्फ एक ही मिनट लूंगा, इसमें दो-तीन बिन्दु पढ़ देता हूं और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। संबंधित आंकड़े शर्मनाक और घोर चिंताजनक हैं। नवजात मृत्यु दर नीचे से चौथे स्थान पर आप विराजमान हैं, मृत्यु दर 5 वर्ष से कम में आप नीचे से पांचवें स्थान पर विराजमान हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, आप आखिरी स्थान को सुशोभित कर रहे हैं। अब और तो इससे ज्यादा क्या कहूं? नर्सों के रिक्त पद की बात करें तो 21 राज्यों की सूची में आप नीचे से तीसरे पायदान तक ही पहुंच पाये हैं। मेरा तो यही कहना है कि

(श्री नवीन पिलानिया)

यह तो सरकार की अनदेखी है, यह चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही है और अस्पतालों का गैर-जिम्मेदाराना नजरिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कि आप इस साल स्वाइन फ्लू में भी पूरे देश में टाप पर विराजमान हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत मेहरबानी, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजकुमारी जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। चिकित्सा मंत्री विराजे हुए हैं और हमारे चिकित्सा राज्य मंत्रीजी बना रखे हैं, किसान के बेटे हैं। पांचवां साल जा रहा है, यह कौनसा काम करेंगे, यह तो बताओ हमें? अभी तक यह समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो वैसे ही पूछ रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: यह बजट का हिस्सा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा था कम से कम जब जवाब दें तो थोड़ा बहुत इनसे भी बुलवा देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आज की डिमांड का हिस्सा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इनको बैठने के लिये कुर्सी भी नहीं देते चैम्बर के अन्दर, इससे किसानों का अपमान हुआ। मैंने खुद देखा मेरी आंखों से कि इनको आपने खड़ा कर रखा था। यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाएं, राजकुमारी जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, हम यह नहीं देख सकते।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति के बोले, वह अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-26 पर बोलने का मौका दिया। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की मांग पर आज दोपहर 2.00 बजे से ही चर्चा हो रही है और इसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। आज विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं, चिकित्सा विभाग में 2014 के बाद जब से

(श्रीमती राजकुमारी)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान सरकार संभाला। पूर्व की सरकार ने राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति में सुधार नहीं किया और बहुत ही खराब हालातों में छोड़कर गयी थी। हॉस्पिटल में डाक्टर्स की बहुत कमी थी। आज मैं मेरे क्षेत्र में देखती हूं तो कोई भी पद रिक्त नहीं चल रहा है। सारे डाक्टर्स हॉस्पिटल में, महिला चिकित्सालयों में, सारी पी.एच.सी. और सी.एच.सीज. में सारे डाक्टर्स और कम्पांउडरों की व्यवस्था की गयी है। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई महिलाओं के लिये, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लागू कीं।

भारत के माननीय प्रधान मंत्रीजी ने 09 जून, 2016 को 'राजश्री' योजना का शुभारम्भ किया। 'मुख्य मंत्री राजश्री' योजना का शुभारम्भ किया। इससे बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन मिल रहा है। बेटी का जब जन्म होता है तो उसको 2,500 रुपये मिलते हैं, उसके बाद में एक वर्ष की होती है तो उसको 2,500 रुपये मिलते हैं, प्रथम बार जब स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं तो 4,000 रुपये मिलते हैं और जब वह छठी क्लास में एडमिशन लेती है तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं, उसके बाद में दसवीं पास करती है तो 11,000 रुपये मिलते हैं और बारहवीं क्लास जब पास करती है तो उसको 25,000 रुपये मिलते हैं। बेटियों के प्रोत्साहन के लिये यह बहुत ही बढ़िया अच्छी स्कीम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लागू की, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो राजस्थान में महिलाओं का अनुपात था, वह बहुत कम था। इससे आज राजस्थान इस मामले में अच्छे स्थान पर है। हमारा देश में स्थान शायद दूसरे-तीसरे स्थान पर है।

इसी तरीके से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में पिछली बार बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महावीर जी को सी.एच.सी. किया और वह जो घोषणा की, उसको लागू भी किया। ऐसा नहीं कि पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की और वह लागू नहीं की गयी। आज उसकी बिल्डिंग का काम भी चालू होने वाला है। इसी तरीके से कई जगह हमारे यहां जो सी एच सी चल रही थीं, उनकी बिल्डिंगें भी बनकर तैयार हो गयीं। आपके विजयपुरा में भी एक पी एच सी के लिये 1.75 लाख रुपये दिये। करसोली पी एच सी के लिये भी 1.75 लाख रुपये दिये। इसी तरीके से कई जगह बिल्डिंग फंड भी हमारे लिये उपलब्ध कराया।

(श्रीमती राजकुमारी)

हिण्डौन सामान्य चिकित्सालय में चार करोड़ रुपये की लागत से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी के द्वारा बजट दिया गया, वह महिला चिकित्सालय भी चालू हो चुका है। मैं साथ ही यह बात कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी बजट में 28 पी.एच.सीज. करने की घोषणा की थी और 16 सी.एच.सीज. को क्रमोन्नत करने के लिये घोषणा की थी, इसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी को और चिकित्सा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

अभी कुछ सदस्य चिकित्सा विभाग के बारे में बात कर रहे थे, राजनीतिक बातें कर रहे थे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जब माननीय मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान और समस्त जो हमारे मंत्रिमण्डल के मंत्री बैठे हुए हैं, सभी ने यह संकल्प लिया था कि 'नर सेवा नारायण सेवा' के हिसाब से सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण वह हर जगह वह यह सोचती हैं कि मुझे जहां भी सेवा करने का मौका मिले, मानव सेवा करने का मौका मिले, वह उस मौके को छोड़ना नहीं चाहतीं। तो इस तरीके से सरकार ने जो प्रदेश में भामाशाह योजना लागू की, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा 30 हजार से 03 लाख रुपये तक फ्री इलाज सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। मैंने कई जगह प्रत्यक्ष रूप में देखा है। एसएमएस हॉस्पिटल में एक बार मेरे से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, वह मेरे क्षेत्र का था। उसके रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या थी। रास्ते में शायद उसके ज्यादा दर्द होने लग गया और वह इस स्थिति में नहीं था कि वह बैठ भी सके। उसको एडमिट कराया और जांच में जब उसकी रीढ़ की हड्डी में डाक्टर ने बताया कि आपका आपरेशन होगा। उसने मेरे को फोन किया। उसकी जेब में भामाशाह का कार्ड जरूर था लेकिन पैसे की व्यवस्था उसके पास नहीं थी। मैं स्वयं डाक्टर साहब के पास गयी और उसको एडमिट कराया और उनकी सारी जांचें और दवाइयों की व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल से हुई। उसने कितना धन्यवाद दिया, मुझे और साथ में सरकार की इस योजना को। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना जनता के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विधवा महिलाओं के लिए, उसका कोई सहारा नहीं होता, उसके लिए भी सरकारी अस्पतालों में, एसएमएस हॉस्पिटल में सभी जांचें फ्री की जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। वाकई में सरकार की जितनी तारीफ की जाए, उतनी ही कम है।

(श्रीमती राजकुमारी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ मेरे क्षेत्र की मांगें हैं, उनको निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है कि आप पूरा करेंगे। हमारे सरकारी सामान्य चिकित्सालय में एक ब्लड बैंक की बहुत आवश्यकता है। हमारे हॉस्पिटल का आउटडोर जिला अस्पताल से भी ज्यादा है। इसमें करीब साढ़े तीन-चार सौ का रोज का आउटडोर रहता है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो वहां पर ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। दूसरा, हमारा कस्बा है सूरौठ। सूरौठ कस्बा बयाना और भरतपुर हाईवे पर पड़ता है। उधर एक्सीडेंट भी काफी होते हैं और वह 15-16 ग्राम पंचायतों को कवर करता है। वह आदर्श पीएचसी के रूप में स्थापित है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको सीएचसी में, आज जब आप अपना उत्तर देंगे, तो इसकी जरूर क्रमोन्नत करने की घोषणा करेंगे।

एक और निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने मेडिकल चिकित्सकों के लिए 60 से 62 साल की रिटायरमेंट की सीमा जो बढ़ाई है, इसी तरह से आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए भी 62 साल आयु सीमा को बढ़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

सूचना

नागौर के कुचेरा थाने का वायरल वीडियो

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरा पाइन्ट आफ इन्फारमेंशन है। मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत कुचेरा एक थाना है। इसके एएसआई ने वीडियो वायरल किया है, मैसेज उसके ऊपर। उसने कहा है कि यहां जो पहले एएसआई था, जिसकी जगह उस मेहराम जाखड़ की नियुक्ति हुई है, उसकी मौत भी एसपी और कुचेरा थानाधिकारी द्वारा अनैतिक दवाब और चौथ वसूली के लिए नागौर का एसपी और वहां का एसएचओ बार-बार कहता है। मैं कहता हूं सदन चल रहा हो और एक एएसआई इस तरह का वीडियो वायरल करे और मैसेज करे कि नागौर का एसपी चौथ वसूली के लिए दवाब बना रहा है, वहां का एसएचओ दवाब बना रहा है। पहले वाला एएसआई की मौत भी इस कारण से हुई है। इससे गम्भीर घटना नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि एएसआई

(श्री हनुमान बेनीवाल)

को तो सस्पैण्ड कर दिया एसपी ने, कि आपने वीडियो वायरल कैसे कर दिया लेकिन एसपी के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आपने सदन का, मंत्री का ध्यान आकर्षित कर दिया। बस That's all. On point of information you only have to mention the issue.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपकी सारी बात समझता हूं और मैं नियमों के अन्दर ही आपसे बात कह रहा हूं। मैंने कहा कि एसपी ने एएसआई को तो सस्पैण्ड कर दिया लेकिन...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास अगर कोई तथ्य हैं तो बता दें। मैं ले जाकर गृह मत्रीजी को निवेदन कर दूंगा। कोई तथ्य हैं तो बता दो आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बता तो दिया। तथ्य ही तो बताये हैं मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, तो गृह मंत्रीजी से निवेदन कर देंगे। आपकी भावना पहुंचा दूंगा वहां। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो यह कह रहा हूं कि आप एसपी की जांच करा लो। अपने आप ठीक हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयराम जाटव।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, रोज एसपी, नागौर यहां आ जाते हैं। कभी आईजी आ जाता है। रोज-रोज कभी एसपी आ जाता है। इतनी गम्भीर बहस चल रही है। रोज ले आते हैं माननीय खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एसपी यहां कहा गया। वाह रे वाह, आप एसपी को बचा रहे हो। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का हो, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं लेकिन रोज एसपी, आईजी, एसपी, आईजी, आप प्रोसीडिंग निकालकर देख लो। नागौर एसपी, आईजी रोज आ जाता है हाउस में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, आप पर भी हमला हुआ है, मेरी बात सुनो। आप उसके बाद भी एसपी की पैरवी कर रहे हो। बात होने के बावजूद भी आपको खाटू के अन्दर ...(व्यवधान) क्या बातें कर रहे हो आप।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर अब चर्चा नहीं होगी। जयरामजी।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 26 पर विचार

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी ने 12 फरवरी को इस पवित्र सदन में बजट प्रस्तुत किया था, राजस्थान का विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भला कैसे हो। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गरीब को गणेश मानकर प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना, जननी सुरक्ष योजना, मुख्य मंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, मुख्य मंत्री राजश्री योजनाओं के माध्यम से इस बजट कापी में हवाला दिया है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह बात नहीं कहना चाहता हूं कि केवल वाहवाही लूटने की बात कह रहे हों, आंकड़े तो बहुत प्रस्तुत कर दिये। कुछ माननीय सदस्य सरकार के ऊपर टीका-टिप्पणी करते रहते हैं लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमने आजादी के चालीस सालों में होश हवास से गांवों को देखा है, किसान को, मजदूर को, गरीब को देखा है, इन चार-पांच सालों में जितना गांवों में विकास चिकित्सा की दृष्टि से देखा गया, कभी नहीं हुआ। पिछले दो साल के 16-17 के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पीएचसी दीं। उन दोनों पीएचसी के लिए 175-175 लाख रुपये दिया। मैं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि जिन गांवों में दूर-दराज के, शहर से दूर गांव थे, केवल उनमें घोषणा नहीं की, उनमें घोषणा के साथ-साथ भवन बनाने के लिए पैसा भी दिया।

माननीय उपाध्यक्षजी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश में चार करोड़ पचास लाख लोगों का स्वास्थ्य बीमा कवर जो हो रहा है, जिसमें एक हजार सात सौ पन्द्रह बीमारियों का इलाज हो रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लोक सभा के उप चुनाव के दौरान कई लोगों ने गलत तरीके से टीका-टिप्पणी की। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि

(श्री जयराम जाटव)

इस तरह से टीका-टिप्पणी करने से उन लोगों को दिल में ठेस पहुंची जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनका कोई व्यवसाय नहीं, वह हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना था, मैं इस बात की निन्दा करता हूं कि जिन कांग्रेस के लोगों ने भामाशाह योजना का जो मजाक किया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस बजट सत्र में 4514 नर्सेज की भर्ती होगी, और वे प्रदेश के गांव में जो उप स्वास्थ्य केन्द्र होंगे, वहां जाकर वह जांच करें। चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, प्राथमिक जांच गांव से जो चालू होती है, वह शहर में जाने से पहले उसको पता चल जाएगा। प्रदेश में पीएचसी की 28 और घोषणा की गई। लगभग 16 सीएचसी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले जोधपुर के माननीय सदस्य, पूर्व मुख्य मंत्रीजी यहां आये थे, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहादुरपुर कस्बे में सीआईएसएफ महिला बटालियन का उद्‌घाटन करने गये थे, वहां पर बहादुरपुर की पीएचसी, सीएचसी की घोषणा करके आ गये।

कोई अता ना पता, ये लोग झूठी घोषणा करते रहे। मैं तो डिमाण्ड जरूर करना चाहता हूं लेकिन फिर भी चिकित्सा का जो बजट और चिकित्सा के लिए जो लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है, मैं सरकार की, मुख्य मंत्रीजी की, चिकित्सा मंत्रीजी की बड़ाई करना चाहता हूं।

केवल यही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ जो 'मुख्य मंत्री शुभ लक्ष्मी योजना' है, 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', केवल नारा देते रहे लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए बेटी का जन्म हो, 2500 रुपये जन्म पर मिले, पहली क्लास में उसका एडमिशन हो, प्रवेश हो उसमें 2500 रुपये मिले, जब वो पहली क्लास में पढ़ने जाए उसको फिर 4000 रुपये अकाउंट में पैसा डले, 6000 रुपये उसको छठी क्लास में मिले और जब वो दसवीं में 11 हजार रुपये मिले और लास्ट में जब वो बारहवीं पास कर रही है बारहवीं में तो 25 हजार रुपये, उसको 50 हजार रुपये की राशि देकर के बेटी बचाओ का सही मायने में पूरे देश में अगर उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री ने किया है।

बेटी को कहते थे बेटी बोझ है। मैं यह बात शिक्षा की नहीं कहना चाहता हूं। आज की तारीख में राजस्थान प्रदेश में गांव में जो गरीब व्यक्ति

(श्री जयराम जाटव)

था, गांव का रहने वाला था उसमें अगर सबसे ज्यादा सफर करता था वो अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति सफर करता था बीमारी से, पैसा नहीं होता था, इलाज नहीं करा पाते थे। ये कांग्रेस के लोग देश में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण के नाम से, इस तरह के भाषण देकर के इन लोगों ने केवल वोट लिया है, इन्होंने भला नहीं किया। मैं प्रदेश की मुख्य मंत्री को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से गांव का, गरीब का, अनुसूचित जाति, जनजाति का भला किया है, बेटी का भला किया है, जच्चा-बच्चा का भला किया है। इसलिए प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं दो-तीन बातें और ऐड करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हमारे यहां 104 एम्बुलेंस है उसमें और 108 में, लेकिन 104 में आक्सीजन का सिलेण्डर नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती, कई बार तो दुर्घटना में जो व्यक्ति उस 104 में जाता है तो उसको खतरा होता है, पता नहीं कब क्या हो। इसलिए, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, ध्यान देकर के इसमें यह व्यवस्था करायी जाए।

दूसरा, अभी पी.एच.सी. की बजट में आप घोषणा करेंगे, उनको निश्चित रूप से आप बजट देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गांव में पी.एच.सी. या सी.एच.सी. में जो डाक्टर लगते हैं, ट्रांसफर कराकर गांव से शहर की तरफ आते हैं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आपसे हमारी प्रार्थना है कि शहरों में जो डाक्टर एक-एक स्थान पर चार-चार, जहां दो की आवश्यकता है वहां चार बैठे हैं, आप मेहरबानी करके उनको गांव में भेजिये। गांव में समय पर पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में जाएं तो गांव में इलाज हो।

दूसरा, हमारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से, जैसे एम.बी.बी.एस. करके जो छात्र आते हैं, छात्र एम.बी.बी.एस. करके आया और सरकार ने पैसा खर्च किया, उसके दो साल नहीं सालभर के बाद में वो एम.डी. करने चला जाता है, तब उसको लगता है कि नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेता है। पैसा हमारा खर्च होता है। यह कंडीशन रखें कि वो कम से कम दस साल सर्विस करे, नौकरी करे, सरकारी हॉस्पिटल में करे और देहात में करे।

आज चिकित्सा व्यवस्था की एस.एम.एस. की जितनी बड़ाई, प्रशंसा हम पूरे देश में करते हैं, क्यों करते हैं, पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के बीमारी का इलाज कराने के लिए एस.एम.एस. में आते हैं। मैं इसलिए

(श्री जयराम जाटव)

कहना चाहता हूं राजस्थान का एस.एम.एस. हॉस्पिटल है यहां के डाक्टर, चाहे वो बच्चों का हॉस्पिटल है जे.के. लोन, इतने ईमानदार डाक्टर हैं, इतने अच्छे सर्जन हैं, रात में दो बजे तक मैंने देखा है सर्जन डाक्टर को हॉस्पिटल में आपरेशन करते हैं। मैं एस.एम.एस. की प्रशंसा करना चाहता हूं। प्रदेश की मुख्य मंत्री की इसलिए बड़ाई करना चाहता हूं।

हमारे यहां बैड कुछ कम थे उसे बढ़ाने के लिए, उसमें जो आक्सीजन और वो होता है, उसमें 50 बैड के लिए व्यवस्था की है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरी एक मांग रह गयी।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं मेवात में जहां हसन खां मेवाती हुए थे, जिनका पैनोरमा बना है, वो आपका पी.एच.सी. है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर एक कस्बा है, 25 किलोमीटर के लोग अलवर में आते हैं, आपसे अगर पार पड़ती है तो केवल मुझे एक सी.एच.सी. बहादुरपुर में दे दी जाए, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, सरकार का आभार व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा, सारे सदन का करूंगा। चूंकि वहां हमारे मेवात के जो लोग हैं, मेवात का वोट, हमारे यहां जो एस.सी., एस.टी. के साथ-साथ अल्पसंख्यक हैं, इनका काम करें न करें लेकिन वोट उधर ही चला जाता है।

तीसरा, अंत में एक छोटी-सी बात और कहना चाहता हूं। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, हमारे यहां सिंथेटिक दूध बहुत बिकता है, हमारे सिंथेटिक पनीर, नकली घी, आपकी जो कमेटी बनती है, आपका जो डाक्टर आता है सी.एम.एच.ओ., डिप्टी सी.एम.एच.ओ., उसके साथ-साथ जो इंस्पैक्टर जाते हैं सप्लाई वाले और उसमें पुलिस जाती है, आपकी कमेटी हर महीने नहीं तो 15 दिन में एक जांच कमेटी जरूर जाए।

दूसरा, हमारा जिला मेवात का जिला है, मेवात के जिले में बाहर के लोग एक वो पता नहीं क्या बनाकर लाकर खिलाते हैं गांव के लोगों को, एक मुर्गा, बकरा यह जो कटते हैं न इन पर रोक लगनी चाहिए, बीमारी का कोई पता नहीं चले, कहां से फैल जाती है। इसलिए मेवात के जिलों में, इसमें अलवर जिले का विशेष ध्यान रखा जाए।

मेरे सी.एच.सी. के लिए जरूर घोषणा करें। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं, धन्यवाद अर्पित करती हूं।

हम किसी भी प्रदेश की तरक्की की बात करें, विकास की बात करें तो उस प्रदेश में वहां के प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तो ही प्रदेश की तरक्की हो सकती है।

मैं मेरी सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की बात करूं। मैं अब तक आश्चर्य करती हूं, विपक्षी भाइयों ने बहुत ही लम्बे समय तक राज किया, आज तक मैं विचार करती रही कि उनका एक तो ऐसा कोई बड़ा कार्य जिसका मैं सदन में उल्लेख करूं, ऐसे विचार करती रही पर आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो उनके बारे में क्या कहूं।

एक मां बनकर सेवा करने का मन बनाकर हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदया जब-जब सरकार में आयीं तब-तब उन्होंने दीन-दुखियों के लिए और आम जन के लिए सेवा का कार्य किया। मेरा सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र बहुत छोटी-सी जगह जब 2008 में मुख्य मंत्री महोदया सागवाड़ा पधारीं तो उन्होंने विचार किया कि यह सागवाड़ा बहुत अच्छी जगह है और यहां राजकीय चिकित्सालय का निर्माण करना जरूरी है। भामाशाह से मिलकर उन्होंने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही आलीशान राजकीय चिकित्सालय पंडित दीनदयाल चिकित्सालय का निर्माण करवाया। जब चिकित्सालय का कार्य निर्माण पूरा हो चुका, इसके बाद में डाक्टर्स को लगाने की बात आयी तो उस समय तक हमारी सरकार जा चुकी थी और पांच साल तक इन्तजार करते रहे, इतने आलीशान हॉस्पिटल में किसी भी डाक्टर को लगाने का कार्य विपक्षी भाइयों ने नहीं किया।

पुन: अपनी सरकार आने के बाद में पूर्व मंत्री आदरणीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारी मुख्य मंत्री महोदया और वर्तमान चिकित्सा मंत्री महोदय को मैं बार-बार धन्यवाद देती हूं कि एक ही आदेश में राजकीय चिकित्सालय में सभी डाक्टर्स के रिक्त पड़े पद भर दिये गये।

मैं उनका धन्यवाद देती हूं। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने ब्लड बैंक सागवाड़ा में घोषणा भी की और निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद

(श्रीमती अनिता कटारा)

देती हूं। आज तक जितने भी कार्य हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कार्यकाल में हुए हैं। मैं अपनी जनता की तरफ से उनको बार-बार धन्यवाद देती हूं और दीन-दुखियों को समझना और उनकी सेवा करने के मन से जो सरकार में आता है, उनका काम दिखता है। मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देती हूं, पर जब उम्मीद होती है कि इस दर पर जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ तो मिलने वाला है तो उस दर पर बार-बार जाने की इच्छा होती है, इसीलिए मैं मांग रखना भी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद के साथ-साथ मैं मांग रखूंगी।

मेरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, सागवाड़ा में 84 आसपुर, सागवाड़ा, घड़ी, धरियावद विधान सभा क्षेत्र, सभी जगहों से मेरे पीएचसी, बिलूड़ा में बहुत से मरीज आते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आज जब उनका जवाब देने का अवसर आए तो बिलूड़ा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का निवेदन करती हूं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में मेल नर्स के 39 पद थे, उनको कम करके 27 कर दिए हैं, वहीं नर्सिंग के 2 पद थे, उसको 1 कर दिया है, वहीं LHV के 3 पद स्वीकृत थे, वे हटा दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन पदों को वापस स्वीकृत करने की मांग करती हूं। यह चिकित्सालय 150 बैड का है, इसको 300 बैड का करवाने की मांग करती हूं। वहीं चिकित्सालय में एक रोगी वाहन की भी मांग करती हूं। बजट 2018-19 के अनुसार 28 नवीन पीएचसी खोली गई हैं, जिसके तहत ठाकेड़ा, पालेडीबड़ी, लिमड़ी, सूरजगांव, बीवड़ाबड़ा आदर्श ग्राम पीएचसी को क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं।

साथ ही मैं गौ आधारित पंचगव्य को आयुर्वेद पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने की मांग करती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या-26 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वैरी गुड।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, चिकित्सा राज्य का विषय है, लेकिन देश में ऐसे दो प्रधान मंत्री हुए, जिन्होंने out of the

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

way जाकर केन्द्रीय विषय से बाहर निकलकर स्वास्थ्य की चिंता की। 2002 में माननीय अटल जी ने एक सीमा तय की कि शिक्षा और चिकित्सा पर 20 परसेंट तक बजट को ले जाना चाहिए और NRHM जो मिशन तय किया, उसके कारण से आज राजस्थान की चिकित्सा में काफी बड़ा योगदान है। वैसे तो धन्वंतरि जी भगवान यहीं पैदा हुए, उन्होंने हमें आयुर्वेद दिया और निषादराज की भी स्तुति की, जिसको दूसरे रूप में हमने सदाचार कहा। उसकी अवहेलना के कारण आज हम यह दुर्दशा देख रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या विराटनगर में?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जी हां।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अच्छा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अभी वो बैठे हैं यहीं। वो कह रहे थे सिविल इंजीनियर हूं मैं। Mathematics में एक Common factor होता है...

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): Mechanical बोला था वो Mechanical...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, Mechanical हैं न। हां तो मशीन में Common factor होता है Common factor. गणित में Common factor होता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यहां हाउस में तो मत लड़ो, यहां बाहर लड़ते हैं, वही बहुत है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, लड़ नहीं रहा। उनको बता रहा हूं मैं तो। जो एक्सीडेंट होता है हाई-वे पर, शाहपुरा में पहले पर्ची कटती है, फिर रैफर करते हैं, वो दो बार होता है और कांग्रेस शासन में जो नि:शुल्क दवाई की गई न, वो तीन दिन की दवाई देते हैं जो आदमी महीने भर में ठीक होता है और दस बार पर्ची कटवाता है, इस कारण से यह 7 करोड़ से 10 करोड़ हो गए। यह मैं थोड़ा-सा ज्ञानवर्द्धन कर दूं आपका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब माननीय सदस्य, मंत्री जी क्या जवाब देंगे, आप ही दे दीजिए उनकी जगह जवाब। हम तो सुनने के लिए रात को बैठे हैं। कल होली है, हम भी जाना चाहते हैं गांव में। मंत्रीजी को सुनने के लिए बैठे हैं, आप मत दो मंत्रीजी का जवाब।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। अभी माननीय मोदी जी ने अपने बजट में 10 करोड़ परिवारों का बीमा कराने की बात की..और उसके कारण 50 करोड़ लोग शामिल होंगे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा ही बीमा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी भामाशाह के माध्यम से, जिसको आपने बंद किया, और पंजाब नेशनल बैंक में पड़ा रहा 700 करोड़ रुपया, हमने उसको चालू किया, उसमें भी यही नियत है कि हम किस प्रकार से चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में कहा गया, रात खतम होने के बाद पानी...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नवीन जी कह रहे हैं कि मैं विराटनगर से चुनाव लड़ूंगा...

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आइए, स्वागत है, आइए स्वागत है। स्वागत है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...फिर मना मत करना। ये आ जाएंगे, मानेंगे नहीं ये फिर। एक बार कहने के बाद पीछे नहीं हटते हैं ये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, नहीं करूंगा।

आयुर्वेद में निषेधात्मक रूप में कहा गया है कि रात खतम होने के बाद पानी पियो, दिन खतम होने के बाद दूध पियो और भोजन खतम होने के बाद छाछ पियो तो वैद्य के जाने की आवश्यकता नहीं है। यह निषेधात्मक बात कही गई है आयुर्वेद में। रात खतम होने के बाद पानी पियो सुबह उठते ही और दिन खतम होने के बाद दूध पियो सोते समय और जब भोजन खतम हो तो छाछ पियो तो रोगी नहीं बनोगे, ऐसा भी कहा गया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मास्टरजी के साथ-साथ, डाक्टर ज्यादा लग रहे हो आप, माननीय सदस्य।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मानव शास्त्र का डाक्टर हूं। (व्यवधान)

वैसे चिकित्सा के बारे में मैंने पहले भी कहा, माननीय अटल जी ने जो दिया, उसके कारण आज हम जिंदा हैं। राजस्थान में एनआरएचएम के कितने पद हैं और कितना पैसा हमें मिल रहा है, कितना विकास का पैसा, कितना भवनों का पैसा मिल रहा है, और ऐसा ही मोदी जी कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि तिजारा के चिकित्सा मंत्री थे तो 8 सीएचसी हो गईं, 27 पीएचसी हो गईं, चालू ही नहीं हुईं वो अब तक, ट्रांसफर की जा रही हैं। हमारे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जितने भी मुख्य मंत्री हुए, उन सबने बैलेंस्ड ग्रोथ की बात की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि हम शिक्षा में प्रत्येक पंचायत में पहुंच गए, सड़कों में प्रत्येक पंचायत में पहुंच गए और न बोलने वाले जो जीव हैं यानी पशु, उनके लिए भी मैं प्रभुलाल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें भी पंचायत में पहुंचा दिया।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन पंचायतों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वे सब में खोल दें तो ये चार चीजें हो जाएंगी और ये remarkable बात है कि हम इस प्रकार से कर पाएंगे। (व्यवधान)

मैं पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि उन्होंने remarkable promotion की जो बात आती है कर्मचारियों की, मैं कर्मचारी रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, 4500 मेल नर्स ग्रेड-II से I में प्रमोशन किए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, 3 बार भर्ती की है, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज पद खाली होंगे, लेकिन 3 बार भर्ती करने वाला अगर कोई शख्स है तो हमारा पूर्व चिकित्सा मंत्री है और आदर्श डिस्पेंसरी की बात भी की उन्होंने। उसमें ही एक बात जोड़ना चाहूंगा, आदर्श डिस्पेंसरी तो बना गए राठौड साहब, लेकिन मैं माननीय कालीचरण जी से निवेदन करूंगा कि अब उसमें दो-दो डाक्टर दे दें आदर्श में, जिससे वास्तव में वे आदर्श हो जाएं। एक डाक्टर नहीं रहे तो दूसरा डाक्टर मिल जाए। ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बस हो गया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, जनगणना हुई 2011 में और मेरी विधान सभा क्षेत्र की जो population थी, वह लगभग 2-2 लाख के अन्तर्गत हो गई, 2 डवलपमेंट ब्लॉक हैं, पंचायत समिति है 1 लाख 86 हजार की, 1 लाख 67 हजार की, 4 सीएचसीज होनी चाहिए जी, 2 ही हैं। इस कारण से आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि वे 4 सीएचसीज हो जाएं। इसी प्रकार से मेरे 5 पंचायत हैडक्वार्टर्स हैं, जो 8 किलोमीटर की दूरी पर हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। खुवाडा है, मंडा है, छापड़ा है, भांखरी और पालड़ी है, तो उनको भी पीएचसी अगर नई दे दी जाए तो उससे लाभ होगा।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसी प्रकार से राजनौता फौजियों का गांव है, बहुत बड़ी जगह है लेकिन वहां भवन गिर रहा है और दो बार उसमें मलबा गिर चुका है। इसलिए आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से कहूंगा कि राजनौता में नये पीएचसी भवन के लिए दो बीघा जमीन मैंने पंचायत से अलाट करवा दी तो नये भवन के लिए पैसा देंगे।

गत वर्ष मैडम ने उदारता दिखाते हुए दो सीएचसी में बैड बढ़ाकर 30 से 50 किये थे लेकिन उनके लिए नया भवन या अतिरिक्त भवन बनाने के लिए बजट का आबंटन नहीं हुआ इसलिए आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से कहूंगा कि उनका बजट दिया जाए।

इसी प्रकार से मैं एक राजनीतिक कार्य से अलवर गया था तो वहां बीबीरानी में पीएचसी के स्थान पर सीएचसी, क्योंकि 4 हजार तो कालेज विद्यार्थी हैं और बाकी वहां मन्दिर है इस कारण से काफी लोग आते हैं इसलिए उस पीएचसी को सीएचसी में कर दिया जाए, एक तो यह निवेदन है। इसके अलावा एक बूढ़ी बावल है....

श्री उपाध्यक्ष: यह हम रामहेत जी से पूछ लें, उनकी स्वीकृति है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, उनसे पूछ लेना साहब। मैं तो हां करके आया था कि मैं सही जगह पहुंचा दूंगा मेरा निवेदन। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन पहुंचा रहा हूं कि बूढ़ी बावल....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौनसे मंत्री जी से घोषणा कराना चाहते हो? बड़े वाले से या छोटे वाले से? वो भी तय कर दो आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): होली की शुभकामनाओं के साथ मेरा भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, कल होली है और हम गांव जाना चाहते हैं तो आज हम सब की तरफ से....सी.एम. साहब, एक मिनट। मैं यह कह रहा था कि आपका नाम चल रहा है दिल्ली के अन्दर कि नेतृत्व परिवर्तन करके भिण्डा जी को बनाओ तब सरकार बन सकती है और इसी हिसाब से चल रहे हो आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मंत्रीजी, इन राज्य मंत्रीजी को कुछ पावर तो दो साहब। इधर आपने मजाक बना रखी है हमारी। इधर हमारी हंसी उड़ाते हैं लोग। कोई ए.एन.एम. वगैरह दे दो और खण्डेला में ही दे दो इनको।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। आसन की बगैर अनुमति के कोई बोला तो अंकित नहीं करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया और मेरी डिमाण्ड की बातें रखता हूं। वैसे मैंने माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया है और मेरी डिमाण्ड पर वे गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह है कि मेरे यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणी था जो नॉन प्लान में स्वीकृत हुआ था। नॉन प्लान में स्वीकृत होने के बाद एक नर्स, दो एल.टी., एक डाक्टर, एक ए.एन.एम. और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्टाफ लगा था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में वो क्रमोन्नत हो गया और नॉन प्लान का जो स्टाफ था वो वहां वैसे ही रह गया। जब ये प्लान में क्रमोन्नत हुआ तो दूसरा स्टाफ वहां लग गया। मेरा निवेदन है कि मेरी सीएचसी, झंवर है जो अब नॉन प्लान में क्रमोन्नत हो चुका है, सीएचसी बन चुका है तो इसका जो नॉन प्लान का स्टाफ है वो मेरे ग्राम पंचायत पाल जो 25 हजार से 26 हजार के बीच की जनसंख्या का बहुत बड़ा गांव है, वहां भूमि भी उपलब्ध है, भवन भी उपलब्ध है और कोई फाइनेंशियल सरकार के ऊपर नहीं रहेगी इसलिए वहां पीएचसी खोलकर जो नॉन प्लान की झंवर की पीएचसी है उसको वहां समायोजित किया जाए।

इसी तरह अभी वर्तमान में दुन्दाड़ा में सीएचसी है और उससे पहले यहां पीएचसी आरएफडब्ल्यूसी नॉन प्लान में स्वीकृत थी और बाद में यह पीएचसी एफआरयू में स्वीकृत हो गई और वो पीएचसी सीएचसी में बदल गई तो इसमें भी जो नॉन प्लान का स्टाफ है वह वहीं रह गया, इसको नहीं ले गये। एक सीएचसी लूणी है जिसमें भी नॉन प्लान का स्टाफ था। यह दुन्दाड़ा वाला 1996-97 में क्रमोन्नत हो गया था तब से वो स्टाफ वहां ऐसे ही लगा हुआ है। जो लूणी वाला है वो 2008-09 से नॉन प्लान का स्टाफ है। सूपदड़ में भी नॉन प्लान का स्टाफ है जिसकी मैंने लिखित में डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट आपके सामने सबमिट की है। मेरा निवेदन है कि यह चारों जगह पर नॉन प्लान में स्टाफ ऐसे ही बैठा है, मैं न तो आपसे पद मांगता हूं, न डाक्टर मांगता हूं, न नर्स मांगता हूं, न स्टाफ मांगता हूं, वो सारा का सारा

(श्री जोगाराम पटेल)

आप नियर स्वीकृति कर दें तो मेरे तीन-चार जगह पर जैसे 25 हजार की जनसंख्या का गांव है, 30 हजार की जनसंख्या के गांव हैं वहां पर हो जाएगा जिसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया है। पहला तो मेरा यह निवेदन है जिस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

दूसरा, सीएचसी लूणी, सीएचसी दुन्दाड़ा और सीएचसी झंवर में स्टाफ बहुत ही कम है और लम्बे समय से खाली है, एम.ओ. के मार्फत काम चल रहा है। बहुत बड़े शहर से नजदीक हैं और 25-25, 30-30 हजार की जनसंख्या के गांव हैं इसलिए आप कृपा करके यथासम्भव वहां डाक्टर लगाने की कोशिश करें। जो डाक्टर, जी.एस. यहां से ट्रेनिंग में गये थे वो 9 डाक्टर मेरे यहां से ट्रेनिंग में गये थे वो आज दिन तक वापस नहीं आये। कहां रह गये, कैसे रह गये या क्यों, वो टेक्नीकल प्राब्लम आ रही है तो उसको देखकर वो डाक्टर मेरे वहां वापस भेजने का मेरा निवेदन है।

मेरा दूसरा निवेदन यह भी है कि दुन्दाड़ा सीएचसी में एक्स-रे मशीन लम्बे समय से लगी हुई है, सारी सुविधा है और दानदाता ने बिल्डिंग भी बहुत बड़ी शानदार बनाकर दी है लेकिन एक्स-रे मशीनमैन नहीं होने की वजह से वो एक्स-रे मशीन ऐसे ही पड़ी है। इसी सीएचसी में एक एम्बुलेंस भी तैयार है, दानदाताओं ने दी है, वो खराब हो गई थी कोई टैक्नीकल मशीन खराब हो गई थी पर ठीक नहीं करने की वजह से वो साल भर से ऐसे ही पड़ी है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, दानदाता तैयार हैं वो कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को हैण्डओवर कर दी है, अगर पैसे नहीं हैं तो हम ठीक करा लें लेकिन वो टैक्नीकली करा नहीं पा रहे हैं जिसके कारण से वो एम्बुलेंस रोड पर नहीं आ रही है। हो सकता है हजार, पांच हजार, दो हजार का खर्चा हो पर वो ठीक नहीं हो रही है इसलिए उसको ठीक करावें।

लास्ट में मेरा निवेदन यह है कि सालावास की जो मेरी सीएचसी है वो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है और वहां सबसे ज्यादा रोज की करीब 30-35 डिलीवरी का हॉस्पिटल है पर उस हॉस्पिटल में डाक्टरों की वजह से धीरे-धीरे उसमें कमी हो रही है। जो जोधपुर का जनाना अस्पताल है उसका बहुत बड़ा लोड यह हॉस्पिटल ले रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में है तो लोग वहां नहीं जाते। वहां सारी सुविधाएं बिल्डिंग वगैरह है पर पिछले साल भर से डाक्टरों की कमी की वजह से डिलीवरी का परसेंटेज धीरे-धीरे डाउन आ रहा है और एक बार कम हो गया तो बड़ी मेहनत करके वापस उसको आगे बढ़ाया

(श्री जोगाराम पटेल)

था। अब एक बार वो कम हो गया तो फिर वो नहीं बढ़ पाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि जनाना अस्पताल जोधपुर का जो लोड है वो सीएचसी झंवर, सीएचसी दुन्दाड़ा और सीएचसी लूणी, शहर के चारों तरफ नजदीक आए हुए हैं तो उनको अगर डाक्टर्स का स्टाफ आप दे दें तो वो सारा बर्डन वहां रोज के 200-300-400 मरीज ये तीनों सीएचसी झेल सकती हैं इसलिए स्टाफ के लिए मेरा निवेदन है।

आखिर में मेरा निवेदन है कि स्टाफ वहां थोड़ा कम रूकता है। तीनों सीएचसी पर सारे सर्वेंट क्वार्टर, डाक्टर क्वार्टर, सारे बने हुए हैं पर वो रूकते नहीं हैं। अगर सम्भव हो तो डाक्टर साहिबान को पाबन्द करें कि वो सीएचसी पर रूकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

घोषणा

सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन

वर्ष 2009 से 2018 तक के लिए

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 27 फरवरी, 2018 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से तेरहवीं व चौदहवी राजस्थान विधान सभा की अवधि के लिए निम्नांकित विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है:-

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा	
श्री राजेन्द्र राठौड़	वर्ष 2009
श्री गुलाब चन्द कटारिया	वर्ष 2010
श्री अमराराम धोद	वर्ष 2011
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास	वर्ष 2012
श्री राव राजेन्द्र सिंह	वर्ष 2013
चौदहवीं राजस्थान विधान सभा	
श्री मानिक चन्द सुराना	वर्ष 2014
श्री जोगाराम पटेल	वर्ष 2015

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	वर्ष 2016
श्री बृजेन्द्र सिंह ओला	वर्ष 2017
श्री अभिषेक मटोरिया	वर्ष 2018

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि पूर्व में बारहवीं राजस्थान विधान सभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए सर्वश्री शांतिलाल चपलोत वर्ष 2003-04 के लिए तथा श्री भरत सिंह को वर्ष 2007 के लिए चयनित किया गया था, जिन्हें सम्मान्ति किया जाना है।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त विधायकों को माननीय अध्यक्ष व माननीय मुख्य मंत्री महोदया की ओर से स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाने हेतु एक समारोह विधान सभा के सदन में दिनांक 6 मार्च, 2018 को विधान सभा की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरन्त पश्चात् आयोजित किया जाएगा।

मंत्री महोदय।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग संख्या-26 पर सारगर्भित चर्चा हुई। चर्चा में 39 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और 308 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन सभी कटौती प्रस्तावों का उत्तर माननीय सदस्यों को अगले 4-5 दिन में यथाशीघ्र भिजवा दिया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और जो मुद्दे उठाए हैं, यथासम्भव उन पर कार्यवाही की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और हमारे यहां कहा गया है 'पहला सुख निरोगी काया'।

(20.00 बजे)

और अंग्रेजी में कहा जाता है Health is wealth. स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार प्रदेश के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। हमारा प्रदेश 3,42,239 वर्ग किलोमीटर

(श्री कालीचरण सराफ)

क्षेत्रफल के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 6,85,48,000 है तथा जनसंख्या का घनत्व केवल 200 है। विशाल भू-भाग और कम जनसंख्या घनत्व की स्थिति में दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना एक गम्भीर चुनौती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश में लगभग 17,000 राजकीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हैल्थ सब-सैंटर, पीएचसी और सीएचसी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबन्धन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और मेडिकल कालेज और उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों का प्रबन्धन चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के अलग से डाइरेक्ट्रेट हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में जनवरी से दिसम्बर तक के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो आउटडोर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 2017 में 9,81,44,537 है और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,67,11,727 यानी कुल 11,48,56,264 का आउटडोर है। यदि प्रतिदिन इसको हम देखें तो 2,72,000 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का, 45,786 का चिकित्सा शिक्षा विभाग का, कुल मिलाकर 3,15,000 का आउटडोर हमारे प्रदेश में है और इसी प्रकार से इनडोर को यदि हम देखें तो कुल 49,48,103 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का, 15,30,343 यह चिकित्सा शिक्षा विभाग का और कुल यदि देखें तो 65,28,446, यानी औसत प्रतिदिन 17,886 का इनडोर दोनों विभागों में मिलाकर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए चिकित्सा सेवाओं का संख्या और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से विस्तार आवश्यक है। नये चिकित्सा केन्द्र खोलते समय राजनैतिक भेदभाव भूलकर आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछली सरकार ने विधान सभा चुनाव से कुछ माह पहले बिना किसी वित्तीय प्रावधान के 175 सीएचसी, 650 पीएचसी और 3,000 सब-सैंटर खोलने की घोषणा तो कर दी और यह भी तब, जब 3,000 चिकित्सक और लगभग 46,000 पैरा-मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त थे। साथ ही आनन-फानन में 15 जिला चिकित्सालयों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कालेज में परिवर्तित करने की

(श्री कालीचरण सराफ)

घोषणा कर दी। इसके लिए न तो कोई नीति तय की गई और न ही कोई प्रक्रिया तय की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को कि उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष का सम्मिलित बजट जो 2014-15 में 6,457.72 करोड़ रुपये था, उसे 2018-19 में बढ़ाकर लगभग दोगुना, 12,813.48 करोड़ रुपये कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने हैल्थ इंडेक्स की बात की। मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश के स्वास्थ्य की जांच उस प्रदेश के हैल्थ इंडेक्स के द्वारा की जा सकती है। यह सही है कि राजस्थान लम्बे समय तक बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में रहने के कारण स्वास्थ्य सूचकांकों की दृष्टि से पिछड़ा राज्य रहा है। लेकिन गत चार वर्षों में किये गये विशेष प्रयासों से अब स्वास्थ्य सूचकांकों में निरन्तर सुधार हो रहा है। नीति आयोग द्वारा राज्यों के मध्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतियोगी वातावरण तैयार करने के लिए 28 प्रकार के स्वास्थ्य सूचकांक निर्धारित कर हैल्थ इंडेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। नीति आयोग ने हाल ही में जो आधार वर्ष 2014-15 तथा रेफरेंस वर्ष 2015-16 के आंकड़े प्रकाशित किये हैं। वर्ष 2014-15 के आधार वर्ष के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर राजस्थान 21 बड़े राज्यों में आठवें पायदान पर है।

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एसआरएस वर्ष 2011-13 के अनुसार मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर 167 और राजस्थान की 244 थी। अभी नवीनतम आंकड़े जारी नहीं हुए हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आकलन के अनुसार इसमें काफी कमी आई है। एसआरएस वर्ष 2013 के अनुसार राजस्थान की पांच वर्ष तक की शिशु मृत्यु दर 57 थी, जो घटकर 2016 में 45 रह गई। इस प्रकार हमारी सरकार के कार्यकाल में किये गये प्रयासों से पांच वर्ष तक बच्चों की आईएमआर में 12 अंकों का सुधार हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्यु दर में चार अंकों का सुधार हुआ है और यह 32 से घटकर 28 प्रति हजार रह गई है।

टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट में भी राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर से बेहतर सुधार हुआ है।

हैल्थ इंडेक्स की दृष्टि से एसआरएस 2016 की रिपोर्ट के अनुसार

(श्री कालीचरण सराफ)

2013 के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर हुई है। राज्य की आईएमआर में छह अंकों की गिरावट, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की डैथ रेट में 12 अंकों की गिरावट, नवजात मृत्यु दर में चार अंकों की गिरावट और पूर्ण टीकाकरण में दो बिन्दु की बढ़त आदि सुधारों से हमारे हैल्थ इंडेक्स में और भी सुधार होगा। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए जरूर थे लेकिन चार वर्षों में लगातार अनेक योजनाएं लागू करने से इन आंकड़ों में सुधार हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आराम से, आराम से सुन रहे हैं लेकिन यह प्रगति प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं, टेबल कर दो न।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप विराजो न। बीच में मत बोलो। बैठ जाइए। बैठ जाइए। हां, यह आपको पूछकर करूंगा, बैठ जाइए। आपके टाइम में टेबल ही करते होंगे आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपका अभी-अभी बैस्ट विधायक की सूची में नाम भी लिया है। ये सब कट जाएगा। अभी नम्बर कट रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठ जाओ। आपके कोई प्रोब्लम है क्या? (व्यवधान) कोई मस्से वगैरह हो रहे हैं क्या? हर बार में खडे हो जाते हो। क्या है ये। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कोई बात है। इनके कोई पाइल्स की प्रोब्लम है, कोई और है तो बताओ, डाक्टर को भेज दूंगा मैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट भाषण 2014-15 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई थी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आपके इस वक्तव्य को अण्डरलाइन करवा दें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो यही फर्मा दें कि ये इनके लिए पढ़ा जाए, ऐसा अंकित करा दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप ये देखिये, मेडिकल टर्मिनोलोजी में उत्तर आ रहा है, इसलिए जरा सचेत रहिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली इबारत है। इसको लिखवाएं आप। आने वाला इतिहास जानेगा कि इन पर जो टिप्पणी की है मंत्री महोदय ने, बिलकुल सही की है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण 2014-15 में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की थी और 13 दिसम्बर, 2015 को इसको लागू किया गया। कई माननीय सदस्यों ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में कहा कि इसमें यह नहीं हो रहा, इसमें यह नहीं हो रहा, इसमें यह सुधार होना चाहिए। पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों के इनडोर मरीजों को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये तथा चिन्हित गम्भीर बीमारियों के लिए तीन लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर-अप किया गया है। योजना के 1,401 पैकेज में सामान्य बीमारियों के लिए 738 तथा चिन्हित बीमारियों के लिए 663 पैकेज शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत 506 राजकीय चिकित्सा संस्थानों तथा 707 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही नि:शुल्क इनडोर चिकित्सा सुविधा प्रदेश की दो तिहाई गरीब और जरूरतमंद जनसंख्या के उपचार में वरदान सिद्ध हो रही है।

मैं बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डूडी साहब, यह सुनिये। डूडी साहब। यह आंकड़े सुनिये। योजना के तहत 20 फरवरी तक 1,102 करोड़ रुपये की राशि के कुल 20 लाख क्लेम प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा योजना से लगभग 18 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेज बजाऊं? आपने जिले का नाम रोशन कर दिया।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बजाओगे तो बढ़िया रहेगा, सुख पाओगे। अब तक लगभग... फिर बीच में बोल रहे हैं। मतलब, इनके क्या प्राब्लम है कोई? (व्यवधान)

(श्री कालीचरण सराफ)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक 3 लाख जनरल सर्जरी, 14 हजार हार्ट एंजियोप्लास्टी, 1429 हार्ट बाईपास, 3233 हार्ट वाल्व रिपेयर, 5976 कैंसर रेडीएशन, 3637 कैंसर सर्जरी, 1907 ब्रेन सर्जरी, 4765 स्पाइनल सर्जरी सहित अन्य इनडोर चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इस प्रकार का कोई व्यवधान और इस प्रकार की कोई भी अभिव्यक्ति अंकित भी नहीं होगी और इस सदन की मर्यादा के अनुकूल भी नहीं है। (व्यवधान) इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय आप धारा प्रवाह से अपनी बात कहिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन के सदस्य नहीं है, उनका नाम लेकर के आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं तो उनकी सदाशयता की बात कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। बैठ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो अपने आरोपों का जवाब दो, क्यों दूसरे पर आरोप लगा रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप दे दो। अब कई माननीय सदस्यों ने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करने के बाद नि:शुल्क दवा योजना समाप्त कर दी गई है। नि:शुल्क दवा योजना को पुन: चालू किया जाए, तो मैं बताना चाहूंगा डूडी साहब, आपने कहा था अपने भाषण में। उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच योजना में बजट कम करने की शंका प्रकट की थी। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमने नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच योजना के बजट में कमी नहीं, बल्कि बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाने वालों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है।

नि:शुल्क दवा योजना के तहत इस समय मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों में 606 दवाइयां, जिला अस्पतालों में 561 दवाइयां,

(श्री कालीचरण सराफ)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 447 दवाइयां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 244 दवाइयां और स्वास्थ्य उप केन्द्रों में 33 प्रकार की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जबकि आपके समय में इतनी दवाइयां नहीं थीं। ये योजना वर्ष 2011-12 में प्रारम्भ हुई थी और गत सरकार के शासन में 3 वर्ष चली थी। इस योजना में कुल 694 करोड़ रुपये की दवाइयां क्रय की गई थीं। जबकि हमारे शासन काल के प्रथम 3 वर्षों में 2014-15 से 2016-17 तक कुल 1129 करोड़ रुपये की दवाइयां क्रय की गई हैं। वर्ष 2017-18 में 21 फरवरी तक 424 करोड़ रुपये की दवाइयां क्रय की जा चुकी हैं। नि:शुल्क दवा योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक 3 साल की अवधि में कुल 16 करोड़ 19 लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवाई गई, डूडी साहब आपके समय में। जबकि हमारे कार्यकाल के प्रथम 3 वर्षों में कुल 27 करोड़, आपके 16 करोड़, हमारे 27 करोड़, 27 करोड़ 89 लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवाई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन औसतन लगभग ढाई लाख व्यक्तियों को नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। दवाइयों की गुणवत्ता, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि साहब जो नि:शुल्क दवाइयां दी जाती हैं। उसकी गुणवत्ता का उसकी जांच करने का कोई सिस्टम नहीं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औषधियों के सैम्पल जांच की व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। अब तक कुल 61 हजार 464 सैम्पल्स की जांच की जा चुकी है और इनमें से 98.21 प्रतिशत सैम्पल सही पाए गये हैं।

इसी प्रकार जब मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना को भी अधिक मजबूती से लागू किया गया है। 2015-16 से 2017-18 में दिसम्बर माह तक 11 लाख 84 हजार से अधिक नि:शुल्क जांचें कर 5 करोड़ 92 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश में औसतन प्रतिदिन 65 हजार से अधिक व्यक्तियों की लगभग 1 लाख 30 हजार नि:शुल्क जांचें की जा रही हैं और योजना के तहत दिसम्बर माह तक ही 406 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

आम जनता को एडवान्स चिकित्सा जांचों की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 दिसम्बर, 2017 से प्रदेश के 50 जिला, उप जिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में मरीजों को कैंसर संबंधी जांचें एवं मौसमी बीमारियों

(श्री कालीचरण सराफ)

के ऐलाइजा टैस्ट और स्वाइन फ्लू सहित कुल 36 प्रकार की एडवान्स जांचें पीपीपी मोड पर नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके तहत 31 दिसम्बर, 2017 तक नि:शुल्क 23 हजार विशिष्ट जांचें कर 5 हजार मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रदेश में 50 जिला, उप जिला एवं सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों को डिजीटल एक्स-रे एवं पीपीपी मोड पर टेली-रेडियोलोजी के माध्यम से नि:शुल्क एक्स-रे रिर्पोटिंग की सुविधा 25 सितम्बर, 2017 से प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2017 तक लगभग 68 हजार एक्स-रे इमेज की रिपोटिंग की जा चुकी है। हमारे वर्तमान कार्यकाल में शुरू हुई सुविधा का आम जन को भरपूर फायदा मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण दूर-दराज के इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराना एक गम्भीर चुनौती है। अनेक राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखकर नियोजित तरीके से प्रदेश में प्रारम्भ की गई टेली-मेडिसन परियोजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस परियोजना के तहत दूर-दराज के 100 हाई पेशेंट लाट वाले चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों को 10 स्पेशलिटीज में विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें 31 जिला अस्पताल, 19 सब डिवीजनल अस्पताल, 6 सैटेलाइट हॉस्पिटल और 44 सी.एच.सी. शामिल हैं।

जनवरी, 2018 तक टेली-मेडिसन परियोजना द्वारा 19 हजार से अधिक मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाओं से लाभान्वित किया गया है। सैन्ट्रल साइट पर 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञ तथा जनरल फिजीशियन से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और प्रात: 11 बजे से सायंकाल 4 बजे तक अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संबंधित चिकित्सा संस्थानों में डिजिटल ई.सी.जी., डिजिटल स्टेथ स्कोप स्कैनर सहित अन्य आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

स्वाइन फ्लू के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अभी यहां पर कई शंकाएं व्यक्त कीं। मैं बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ते औद्योगीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण मौसम चक्र बदल रहा है, उसके कारण मौसमी बीमारियां बढ़ने के साथ ही अनेक नई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। बैक्टिरिया और वायरस जनित स्वाइन फ्लू, जीका, स्क्रटाइफस और डेंगू जैसे बीमारियों की रोकथाम एक गम्भीर चुनौती है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू

(श्री कालीचरण सराफ)

की रोकथाम एवं त्वरित उपचार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वाइन फ्लू रोग की जांच उपचार, बचाव एवं नियंत्रण के लिए पी.एच.सी. स्तर तक के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

रैपिड रेस्पोंस टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करने एवं लक्षण पाये जाने पर तुरन्त उपचार की व्यवस्था है। रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही आस-पास के क्षेत्र के 50 घरों का सर्वे कर लक्षण पाये जाने पर तुरन्त टेमीफ्लू दवा दी जा रही है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए दवा एवं अन्य लोजेस्टिक्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू की दवा को भी आवश्यक दवा सूची में शामिल कर नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए अलग से 1580 आइसोलेशन बैड, 214 आई.सी.यू. बैड और 198 वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं। स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए जिला अस्पतालों सी.एच.सी. व पी.एच.सी स्तर तक 3033 अस्पतालों में स्क्रीनिंग सेन्टर कार्यरत हैं।

मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू रोकथाम एवं व्यापक स्तर पर जन चेतना जाग्रत करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा नगर निगम, जिला प्रशासन एवं निजी राजकीय विद्यार्थियों के सहयोग से जयपुर में स्वास्थ्य दल आपके द्वार प्रारम्भ किया गया। अभियान के तहत 26 फरवरी से 3 दिन तक का सघन स्क्रीनिंग व परामर्श अभियान चलाकर, इसमें अभी दिन आज खतम हुए हैं। इसमें स्वास्थ्य दलों ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 92 वार्डों में डोर टू डोर जाकर लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों से सम्पर्क किया तथा स्क्रीनिंग, मच्छरों की रोकथाम हेतु एंटी लार्वा गतिविधियां एवं आवश्यक परामर्श लिया। स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा 12 प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। सातों मेडिकल कालेजों के साथ डीएमआरसी, जोधपुर एवं चार निजी लैब में भी जांच की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी संस्थानों में चिकित्सकीय परामर्श पर नि:शुल्क जांच और स्वयं जांच करवाने पर पांच सौ रुपये का शुल्क निर्धारित है। पूर्व में जांच रिपोर्ट चौबीस घंटे में आती थी, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने से अब ये रिपोर्ट मात्र सात घंटे में आ रही है। स्वाइन फ्लू प्रभावित क्षेत्रों में एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर स्क्रीनिंग के साथ ही स्वाइन फ्लू के बारे में जनचेतना जाग्रत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष के साथ ही सभी जिलों में अनवरत चौबीस

(श्री कालीचरण सराफ)

घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं। आप सभी विधायकगण एवं प्रदेश की जनता से यही अपील करता हूं कि स्वाइन फ्लू से घबराये नहीं। स्वाइन फ्लू के लक्षण प्रतीत होते ही तत्काल जांच और उपचार कराएं। प्रारम्भिक अवस्था में जांच करवाने पर इसका पूर्ण उपचार सम्भव है। इलाज में देरी करने पर यह गम्भीर रूप ले सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सेनेटरी नैपकिन के बारे में कई माननीय सदस्यों ने बड़ी शंका प्रकट की, मैं बताना चाहूंगा कि बालिकाओं एवं महिलाओं में मेन्स्ट्रुअल हाईजीन की कमी अनेक गम्भीर रोगों का कारण है। इस संबंध में बालिकाओं व महिलाओं को अच्छे सेनेटरी पैड्स उपलब्ध करवाने के साथ ही जनचेतना जाग्रत करना आवश्यक है। राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म पैडमेन को टैक्स फ्री किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने इस वर्ष बजट में ग्रामीण बालिकाओं एवं महिलाओं को सेनेटरी पैड नि:शुल्क वितरित करने के लिए 76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्य मंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015 -16 की अनुपालना में 8 मार्च, 2016 से प्रदेश के सभी 33 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में कक्षा-6 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं एवं बीपीएल परिवार की विद्यालय नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष से ग्रामीण छात्राओं के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल नहीं जाने वाली 10 से 19 वर्ष तक की सभी बालिकाओं को भी नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाये जाएंगे। योजना में प्रत्येक बालिका को प्रतिमाह 12 सेनेटरी नैपकिन नि:शुल्क वितरित करने का प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भागदौड़ की जिन्दगी, बढ़ता तनाव, बिगड़ता खान-पान, श्रम की कमी एवं अनियमित दिनचर्या इत्यादि कारणों से लाइफ स्टाइल डिजीजेज जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च रक्त चाप जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इनकी रोकथाम व उपचार के लिए राष्ट्रीय कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह एवं स्ट्रोक नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। आउट रीच कैम्प का आयोजन कर मरीजों को जांच व उपचार की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला चिकित्सालयों एवं सीएचसी पर स्थापित एनसीडी क्लिनिक्स में नोन कम्युनिकेबल डिजीजेज की स्क्रीनिंग की जा रही है। अप्रैल, 2017 से

(श्री कालीचरण सराफ)

दिसम्बर, 2017 तक 28 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गयी एवं संभावित मरीजों को उपचार व काउंसलिंग उपलब्ध करवायी गयी। कैंसर रोग को मौत का पर्याय माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में कैंसर का पता चलने पर इसका पूर्ण उपचार सम्भव है। मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा की अनुपालना में मई, 2016 से 33 जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच व परामर्श के लिए प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को अर्ली कैंसर डिटेक्शन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित बीस शिविरों में लगभग 38 हजार लोगों की स्क्रीनिंग की गयी और 552 कैंसर रोगियों को रैफर किया गया। 2017-18 की बजट घोषणा की अनुपालना में केन्सर रोगियों को मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अतिरिक्त 33 जिला चिकित्सालयों में भी यथासम्भव जांच व उपचार सेवाएं उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है। इसके लिए प्रत्येक जिला अस्पताल से एक चिकित्सक को एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट, मुम्बई तथा जिला चिकित्सालय, उज्जैन में एक माह का एवं दो नर्सिंग कर्मियों को जिला अस्पताल, उज्जैन में 15 दिवस का प्रशिक्षण दिलवाया गया है। इसके द्वारा कैंसर रोगियों को परामर्श, फॉलोअप, कीमोथैरेपी आदि सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। जिला अस्पतालों की आवश्यक दवा सूची में केन्सर की दवाइयों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश में पहली बार जिलों में कीमोथैरेपी सैशंस आयोजित कर 1145 मरीजों को जिला स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। यह सुविधा जैसलमेर, बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी व बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी क्षेत्रों सहित दूरदराज जिलों में भी उपलब्ध कराने से मरीजों के आउट आफ पाकेट खर्चे में भी कमी आयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तम्बाकू को कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग की दर में 2020 तक 15 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य सरकार ने तम्बाकू छोड़ो युवा बचाओ अभियान प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में तम्बाकू उपयोग में 17 प्रतिशत की कमी आयी है। प्रदेश में 2009-10 में 32.3 प्रतिशत वयस्क तम्बाकू का उपयोग कर रहे थे। जन जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप इसमें कमी आयी है। गैट-2 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में 24.7 प्रतिशत व्यस्क ही तम्बाकू का उपयोग करते पाये गये हैं। तम्बाकू निषेध दिवस 28 फरवरी, 2017 को प्रदेश भर में

(श्री कालीचरण सराफ)

आयोजित कार्यक्रमों में 1 लाख 78 हजार 635 तम्बाकू उपयोग करने वाले लोगों से सम्पर्क कर उन्हें तम्बाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान को वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड्स में शामिल किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक आदर्श पीएचसी की स्थापना की एवं प्रथम चरण में 15 अगस्त, 2016 को 295 आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों का शुभारंभ किया। यानी 295 यहां पर पंचायत समितियां हैं उन 295 की 295 को, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे निर्दलीय एमएलए हो या किसी अन्य पार्टी का एमएलए हो, हर ब्लॉक में एक-एक पीएचसी को हमने आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नई बनायी है या जो हमने खोली है उसी पर नाम लगाया है। वो ही बता दो, नई खोली हैं क्या? नई खोली हैं क्या आदर्श पीएचसी?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने आदर्श पीएचसी योजना चालू की थी क्या? पता ही नहीं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने तो नहीं की।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं की तो विराजो अब आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन आदर्श पीएचसी नई खोली है या हमने खोली है उसी पर नाम लगाया है?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आदर्श पीएचसी हर ब्लॉक में एक-एक पीएचसी को आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय वसुन्धरा जी ने किया, मैं यही कह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने सोचा नई बना दी।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब आपको सुनने में प्राब्लम है तो मेरे पास इलाज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। इनमें पर्याप्त स्टाफ, उपकरण एवं दवाइयों के साथ ही आयुष चिकित्सक लगाकर आयुर्वेद व योग की सेवाएं भी दी जा रही हैं और द्वितीय

(श्री कालीचरण सराफ)

चरण में चयनित 600 पीएचसी में से प्रथम स्टेज में 11 जुलाई, 2017 से 286 पीएचसीज को आदर्श पीएचसी के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है और द्वितीय स्टेज में 314 को आदर्श पीएचसी के रूप में विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आदर्श पीएचसी योजना जो चालू की उसमें आउटडोर में जो आदर्श पीएचसीज हैं उनमें आउटडोर में 26 प्रतिशत और डिलीवरी की संख्या में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सुरक्षित मातृत्व हमारी प्राथमिकता में शामिल है इसके लिए डिलीवरी सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही एमएमआर को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2011 से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इस योजना के तहत 2017-18 में दिसम्बर माह तक 9 लाख से अधिक संस्थागत प्रसव हुए तथा लाभान्वितों को 109 करोड़ रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रसूताओं व शिशुओं को नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क परिवहन व नि:शुल्क भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवायी जा रही हैं। एफआरयू यूनिट पर आपातकालीन डिलीवरी व सिजेरियन ब्लड स्टोरेज यूनिट और नवजात शिशु देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। दिसम्बर, 2017 तक कुल 85 एफआरयू क्रियाशील किये जा चुके हैं। प्रत्येक माह की 9 तारीख को डिलीवरी से पहले अच्छी जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए 9 जून, 2016 से प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारम्भ किया गया है।

इस अभियान के तहत लगभग 500 निजी चिकित्सक पंजीकृत हैं एवं इन्हीं में से लगभग 300 निजी चिकित्सक नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभियान के तहत अब तक साढ़े 11 लाख महिलाओं की डिलीवरी से पहले जांच की जा चुकी है। प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में राजस्थान देशभर में अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे, 2015-16 के अनुसार प्रदेश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है। आपके टाइम में कितना था, यह आपको पता है। बढ़ते संस्थागत प्रसव के लिये अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये स्वीकृत सभी 37 एनसीएच विंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर उन्हें क्रियाशील किया जा चुका है, इससे प्रदेश में एनसीएच सुविधाओं में 3000 बैच की वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका व्यक्ति के जन्म से ही नहीं बल्कि जन्म

(श्री कालीचरण सराफ)

से पूर्व गर्भस्थ शिशु व प्रसूता की देख-रेख के साथ आरम्भ हो जाती है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। एसआरएफ सर्वे वर्ष 2013 के अनुसार राजस्थान की आईएमआर 74 प्रति हजार थी, 2013 में जब आपका राज था। 2014 में यह 46 थी और वर्ष 2015 में 43, वर्ष 2016 में यह 41 रह गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय मंत्री महोदय, कल होली है, आप टेबल ही कर दो न सारे पढ़ ही रहे तो टेबल कर दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्यों कर दूं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल होली है, होली।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने जो पहले बात कही वही लगता है मुझे सही है, मैं आपके यहां डाक्टर को भेजूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन जो डाक्टर भेजो उसमें गड़बड़ मत करना, एकदम प्योर भेजना।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, गड़बड़ नहीं करुंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह जो लिखा हुआ है उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, इस भाषा को मंत्री महोदय ही पढ़ सकते हैं। टेबल करने के बाद उसको पढ़ेगा कौन?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बच्चों को रोगों से बचाने में टीकाकरण की विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2017-18 में दिसम्बर माह तक 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश के 53 जिला अस्पतालों में स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट का संचालन कर जटिल बीमारियों से ग्रसित नवजात को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष 17 नये एसएनसीयू की भी स्थापना की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक सभी बच्चों का सरकारी विद्यालयों, मदरसों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रशिक्षित मोबाइल हैल्थ टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। चिन्हित 38 बीमारियों से ग्रसित पाये जाने पर उन बच्चों का नि:शुल्क उपचार किया जाता है। यह उपचार राजकीय

(श्री कालीचरण सराफ)

चिकित्सा संस्थानों के साथ ही जयपुर के नारायणा, फोर्टिस, मैट्रोमास, उदयपुर के गीतांजलि व पैसेफिक अस्पताल तथा जोधपुर के मेडी प्लस सहित अन्य सूचीबद्ध निजी चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। 2014-15 से प्रारम्भ हुए इस कार्यक्रम के तहत अब तक साढ़े सात लाख बच्चों को रैफर कर उपचार किया गया है। अब तक 1180 बच्चों की हार्ट सर्जरी व 4 हजार से अधिक बच्चों की अन्य आवश्यक सर्जरी करवाई जा चुकी है। 2017-18 में दिसम्बर माह तक लगभग 43 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आपके समय में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ग्रामीण बच्चों के लिये देश में पहली बार सभी संभागों में आरबीएसके मोबाइल डेंटल वैन उपलब्ध करवा कर दंत रोगों का अक्टूबर, 2017 से नि:शुल्क उपचार करवाया जा रहा है। जनवरी, 2018 तक आयोजित 250 शिविरों में ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि राठौड़ साहब ने जो काम किया था, किसी अफसर ने वह पन्ने दे दिये और पढ़े जा रहे हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि डाक्टर से इलाज करवाओ तो करवा दें। मैं आपके इलाज की बात ही कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भारतीय जनता पार्टी के राज में चाहे राठौड़ साहब मंत्री थे या मैं मंत्री हूं, मुख्य मंत्री वसुंधरा जी है, समझे। आपके जैसे नहीं हैं कि अशोक गहलोत आये तब तो 10 जने साथ आ गये और उनके जाते ही सब गायब, हमारे यहां ऐसा नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मान गये न कि अशोक गहलोत नेता है? आप भी मान लो, क्या दिक्कत है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह तो आप मानो, हम कैसे मान सकते हैं। आप उनके पीछे-पीछे आये और पीछे-पीछे चले गये, तो आपके नेता हैं, हमारे नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो आपके बोरियत भरे इस प्रवचन को सुनने के लिये बैठा हूं, मैं कहां चला गया?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो बैठोगे ही, आपको तो अभी सुनना है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मंत्रीजी सुनो, उस समय बाकी सब चले गये थे, डूडी साहब बिलकुल नहीं गये थे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ग्रामीण बच्चों के लिये देश में पहली बार सभी संभागों में आरबीएसके मोबाइल डेंटल वैन उपलब्ध कराकर दंत रोगों का अक्टूबर, 2017 से निशुल्क उपचार करवाया जा रहा है। जनवरी, 2018 तक आयोजित 250 शिविरों में 28 हजार से अधिक बच्चों का दंत परीक्षण कर उनका उपचार किया गया। इस उपचार में डेंटल फीलिंग, रूट केनाल, ट्रीटमेंट स्केलिंग, आदि उपचार भी शामिल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवजात के लिये मां का दूध अमृत के समान है। अनेक इंटरनेशनल स्टडी से यह स्पष्ट हुआ है कि नवजात को मां का दूध मिलने से उसकी मृत्यु दर में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा 2015-16 की अनुपालना में 10 जिला अस्पतालों में मिल्क बैंक का संचालन प्रारम्भ किया गया। इसके साथ ही नये स्थापित किये जाने वाले 7 मदर मिल्क बैंक में से करौली और धोलपुर में इसे स्थापित कर प्रारम्भ कर दिया गया है। बाडमेर, जालोर, सवाईमाधोपुर और राजसमंद में आगामी माह में तथा सिरोही में शीघ्र ही मदर मिल्क बैंक प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और स्काच प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मदर मिल्क बैंक में अब तक 20 हजार से अधिक माताओं ने 40 हजार बार में लगभग 43 लाख एमएल दूध दान किया है। इससे लगभग 13 हजार नवजात बच्चों को लाभान्वित किया जा चुका है। आपके समय में नहीं थी यह योजना। विभिन्न कारणों से कई लोग अपने अनवांटेड चाइल्ड को झाड़ियों में अथवा विभिन्न स्थलों पर छोड़ जाते हैं। इन शिशुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। पहले केवल समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने शिशु घर के द्वारा पर कुछ पालना स्थल स्थापित किये गये थे। चिकित्सा विभाग ने भी पहल करते हुए अपने विभिन्न अस्पतालों में आश्रय पालना स्थल प्रारम्भ किये हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में 68 आश्रय पालना स्थल संचालित किये जा रहे हैं। इन पालना स्थलों में 31 जनवरी तक 126 नवजात शिशु प्राप्त किये जा चुके हैं। जिसमें से 107 नवजातों को बचाने में हम सफल रहे हैं।

बेटी बचाओ, पीसीपीएनडीटी एक्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में शिशु लिंगानुपात मात्र 888 था। राज्य

(श्री कालीचरण सराफ)

सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट की सख्ती से पालना करने एवं बेटी बचाओ जन जागरूकता अभियान के संचालन के परिणामस्वरूप जन्म के समय के शिशु लिंगानुपात में सकारात्मक सुधार हो रहा है। पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 में लागू होने से लेकर 2013 तक मातृ 21 डिकाय आपरेशन हुए जिसमें आपकी सरकार भी रही, हमारी सरकार भी रही। हमने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया और हमारे कार्यकाल में अब तक चार साल में 86 डिकाय आपरेशन किये जा चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 30 इंटरस्टेट सहित कुल 160 डिकॉय आपरेशन किये जा चुके हैं। डिकाय आपरेशन की कार्यवाही की राष्ट्रीय स्तर पर भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसकी तो हम आपको बधाई देंगे, इसमें अच्छा काम हुआ है जिसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको अभी तो कई चीजों में बधाई देनी पड़ेगी, बैठो। मुखबिर योजना में दी जाने वाली राशि को 2017-18 से दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है।

इंटीग्रेटेड एंबुलेंस सेवा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि साहब, यह इंटीग्रेटेड एंबुलेंस सेवा चालू कर दी इससे यह हो रहा है, यह नुकसान हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़क दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर में चिकित्सा सुविधा प्रदान कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्रसुताओं और नवजात एवं गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों को भी समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये चार सेवाओं, 108 एम्बुलैंस, 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एंबुलेंस व टोल फ्री 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं को एकीकृत कर इंटीग्रेटेड एंबुलेंस सेवा प्रारम्भ की गई है।

2017 में पुरानी एंबुलेंस के स्थान पर सौ नई एंबुलेंस गाड़ियां जोड़ी गई हैं। इस प्रकार इस समय 1 हजार 505 एंबुलेंस संचालित की जा रही हैं। एंबुलेंस की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा, शहरी क्षेत्र में 20 मिनट के स्थान पर 15 मिनट 52 सैकिण्ड, ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट के स्थान पर 17 मिनट 19 सैकिण्ड और रेगिस्तानी व पर्वतीय क्षेत्र में 40 मिनट के स्थान पर 20 मिनट 45 सैकिण्ड में सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। प्रसन्नता की बात है कि क्रिटिकल केयर मरीजों की सुविधा के

(श्री कालीचरण सराफ)

लिये वर्ष 2017 में 34 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस का भी शुभारम्भ किया गया है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों जैसे वेंटीलेटर, डेफीब्रिलेटर की सहायता से क्रिटीकल केयर मरीजों को एक अस्पताल से उच्च श्रेणी के अस्पताल में रैफर किये जाने में मदद मिलेगी।

पीपीपी मोड की बड़ी आलोचना हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ने अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से सार्वजनिक, निजी सहभागिता की पहल की है। वर्तमान में 98 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में दी गयी 41 पीएचसी को पीपीपी मोड पर देने से पूर्व व पश्चात ओ.पी.डी., आई.पी.डी. और संस्थागत प्रसव का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन के अनुसार आउटडोर में लगभग दुगना, इनडोर में चार गुना और संस्थागत प्रसव में दुगनी वृद्धि हुई है। प्रदेश के 26 जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर हीमोडायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। इन अस्पतालों में 31 दिसम्बर, 2107 तक 4154 मरीजों को सुविधा प्रदान की गयी। निःसंतान दम्पत्ति के इलाज के लिये पीपीपी मोड पर 7 जिला चिकित्सालयों में आई.वी.एफ. सैंटर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के 30 चिकित्सा संस्थानों में सी.टी. स्कैन और चार स्थानों पर एम.आर.आई. की सुविधा भी पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवायी जा रही है।

अब आपने तो इतने सब-सैंटर्स खोले, आपने इतनी पीएचसी खोलीं और डाक्टरों का इंतजाम नहीं किया। मैं हमारे राजेंद्र जी राठौड़ को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मेरे से पहले चिकित्सा मंत्री थे। इन्होंने 35 फिजियोथैरेपिस्ट की नियुक्तियां कीं, 7 नर्सिंग ट्यूटर्स की नियुक्तियां कीं, 314 सहायक रेडियोग्राफर, 426 लैब टैक्निशियन, दंत टैक्निशियन 98, नेत्र सहायक 102, प्रयोगशाला सहायक 646, ए.एन.एम. 5388, नर्स ग्रेड-सैकिण्ड 11179, फार्मासिस्ट 1021, लिपिक श्रेणी-द्वितीय 23, मृतक आश्रित अनुकंपा 681, यानी अभी तक इनके और मेरे कार्यकाल को मिलाकर 19973 लोगों को हमने स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां दे दी हैं और इसके अलावा हमारी सरकार के कार्यकाल में कुल 5334 चिकित्सकों की भी भर्ती की जा चुकी है, पर दुर्भाग्य है कि इसमें सलेक्शन हो गया, अपाइंटमेंट दे दिया, पर केवल 3118 चिकित्सकों ने ही जोइन किया है। आज भी स्थिति यह है कि 11 हजार डाक्टर्स में से लगभग 3 डाक्टर के पद रिक्त हैं।

(श्री कालीचरण सराफ)

अब मैं चिकित्सा शिक्षा के बारे में बताना चाहूंगा। वर्तमान में 8 राजकीय मेडिकल कालेज तथा आठ निजी मेडिकल कालेज राज्य स्तर पर संचालित हैं, जिनमें कुल 2600 यू.जी. सीट्स हैं, 1107 पी.जी. एवं 97 सुपर स्पेशलिटी सीट्स हैं। पिछले चार सालों के 1250 राजकीय और 750 निजी यू.जी. सीट्स एवं 349 पी.जी. सीट्स में वृद्धि हुई है। चिकित्सकों की कमी की पूर्ति एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में नये मेडिकल कालेज शुरू, जो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, पाली और सीकर में स्वीकृत किये गये हैं और मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में धौलपुर में भी मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है। आप यह कह रहे थे कि ये मेडिकल कालेज चालू नहीं हुए। श्रीमान, आपने तो 70 साल एक नया मेडिकल कालेज नहीं खोला। यानी 1947 से लेकर 2013 तक केवल 7 सात मेडिकल कालेज राजस्थान में थे। हमने आठ नये मेडिकल कालेज की घोषणा की है। मेडिकल कालेज यह तो है नहीं कि अलादीन का चिराग है, एक मिनट में बन जाए It will take time.

मैं एक चीज बता दूं कि हमारा यह प्रयास है कि जुलाई, 2018 तक निश्चित रूप से इन सातों मेडिकल कालेज को हम प्रारम्भ करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, इतना ही कहा था कि आपका खुद का बयान था कि जुलाई, 2017 में ये पांचों चालू कर देंगे, तो वही मैंने पूछा था।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज तो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का माकूल और जबर्दस्त जवाब दो, आप। क्या रोज, रोज, रोज कर रखा है?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिलकुल। इन सात मेडिकल कालेज में, चूरू, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बाड़मेर, पाली, सीकर में निर्माण कार्यों पर जनवरी, 2018 तक 553 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की जा चुकी है। आगामी सत्र में इन मेडिकल कालेजों को प्रारम्भ करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल कालेजों से संबद्ध अस्पतालों में बढ़ते रोगियों के भार को देखते हुए 16 जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेजों से संबद्ध किया गया है। इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं

(श्री कालीचरण सराफ)

उपलब्ध कराने के साथ ही आधुनिक जांच व उपचार उपकरण भी उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से इनका विकास कर इन्हें मरीजों के लिये सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं।

जयपुरिया हॉस्पिटल को आर.यू.एच.एस. के मेडिकल कालेज से संबद्ध किया गया है। इसकी बैड क्षमता 370 से बढ़ाकर एम.सी.आई. मानकों के अनुसार 500 तक की जा रही है। इमरजेंसी वार्ड में बैड संख्या 10 से बढ़ाकर 20 की गयी है। चिकित्सालय में सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. मशीनों, सैंट्रल लैब, ब्लड बैंक की स्थापना आदि कार्य कर जांच व उपचार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है। सेठी कालोनी सैटेलाइट अस्पताल में 50 बैड्स की वृद्धि, आई.सी.यू. एवं आपातकालीन विभाग की स्थापना के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है। कांवटिया अस्पताल में सी.टी. स्कैन मशीन व एम.आर.आई. मशीन की स्थापना की गयी है एवं आई.वी.एफ. सैंटर, ब्लड बैंक व ईको कार्डियोग्राफी मशीन भी स्थापित की गयी है। एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में ओ.पी.डी. का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा 25 करोड़ रुपये की लागत से नये वार्ड एवं उपकरण आदि की व्यवस्था की जा रही है, इसे ट्रोमा सैंटर से जोड़ने के लिये अंडरपास का निर्माण भी प्रगति पर है।

आपातकालीन एवं एक्सीडेंटल केसेज में तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिये जयपुर में इंस्टीट्यूट आफ ट्रेमेटोलाजी का भवन पूर्णत: क्रियाशील कर दिया गया है। एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय में यू.जी. व पी.जी. सीटों की वृद्धि को देखते हुए 65 करोड़ रुपये की लागत से नवीन एकेडमिक भवन का निर्माण किया गया है। एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय में 365 जीवित गुर्दा प्रत्यारोपण किये जा चुके हैं। इस अस्पताल में 25 फरवरी, 2015 से केडबरिक गुर्दा प्रत्यारोपण प्रारम्भ किया। अब तक 21 केडबरिक गुर्दा प्रत्यारोपण किये जा चुके हैं। फिजीकल मेडिसन एवं रिहेबिलिटेशन विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भारत सरकार के सहयोग से स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर की स्थापना की गयी है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय एवं एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के संयुक्त तत्वावधान में सेंटसेंट स्टेम सैल लैब की स्थापना की जा रही है। कैंसर रोगियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। इसमें

(श्री कालीचरण सराफ)

कैंसर की जांच एवं उपचार के लिये आवश्यक साइबर लाइव्स एवं टारगेटेड रेडियो थैरपी जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रथम चरण में 120 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना में स्टाफ क्वार्टर, फैकल्टी क्वार्टर्स, रेजिडेंटल होस्टल, नर्सेज होस्टल, बॉयज एवं गर्ल्स होस्टल का निर्माण भी करवाया गया है। मेडिकल कालेज से संबद्ध चिकित्सालयों में उचित दरों पर गुणवत्ता पूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अजमेर में पीपीपी मोड पर सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई. एवं झालावाड़ में पीपीपी मोड पर सी.टी. स्कैन प्रारम्भ कर दिया गया है। झालावाड़ तथा बीकानेर मेडिकल कालेज में ट्रोमा सेंटर एम.सी.एच. विंग शुरू कर दी गयी है तथा जोधपुर में संक्रामक रोग संस्थान शुरू कर दिया गया है। अजमेर में दो मेडिकल वार्ड, दो शिशु रोग वार्ड, कार्डियोलोजी, आई.सी.यू., कार्डियोथोरेसिक व बेसक्यूलर सर्जरी प्रारम्भ की गयी है। साथ ही, पीपीपी मोड पर एम.आर.आई. सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। मेडिकल कालेज, कोटा में बायज एवं गर्ल्स पी.जी. होस्टल, दो नये लैक्चर थियेटर, प्रशासनिक भवन विस्तार एवं ओवरहैड वाटर टैंक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। नवीन चिकित्सालय, कोटा में ट्रोमा सैंटर, नेफ्रोलाजी, शिशु सर्जरी, नीकू-पीकू वार्ड, प्लास्टिक सर्जरी, एफैरिसिस मिशन की सेवाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

एमबीएस कोटा में इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट, सैन्ट्रल ड्रग वेयर हाउस पीएमआर यूनिट, डम्पिंग स्टोरेज का निर्माण किया गया है तथा नवीन न्यूरो आईसीयू प्रारम्भ किया गया है। नवीन चिकित्सालय कोटा में इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट, जैरेट्रिक मेडिसिन यूनिट व डिजिटल मेमोग्राफी मशीन स्थापित कर प्रारम्भ कर दी गई है। जेके लोन चिकित्सालय, कोटा में 45 शैयाओं के वार्ड का निर्माण करवाया गया है। झालावाड़ मेडिकल कालेज में स्वाइन फ्लू लैब सुविधा, पांच क्लिनिकल विषयों में व पांच गैर क्लिनिकल विषयों में पीजी पाठ्यक्रम, दो विषयों में पीएचडी, चार विषयों में एमएससी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। मणिपाल ग्रुप के साथ ट्रेनिंग व अन्य सुविधाएं शुरू करने हेतु एमओयू तथा केलिफोर्निया की स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हायर एजुकेशन हेतु एमओयू किया गया है। टीसीआर लैब का लोकार्पण किया जा चुका है। जाइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा तथा न्यूरो सर्जरी विभाग प्रारम्भ किया गया है।

झालावाड़ में जीवन संबल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चिकित्सालय के मरीजों एवं परिजनों हेतु नि:शुल्क भोजन सुविधा का शुभारंभ किया गया है।

(श्री कालीचरण सराफ)

जनाना चिकित्सालय में पीडियाट्रिक आईसीयू, पांच बैड की गायनी आईसीयू व टू बैड की स्टेप डाउन आईसीयू प्रारम्भ की गई है। झालावाड़ में पीपीपी मोड पर नर्सिंग कालेज शुरू कर दिया गया है। मेडिकल कालेज, बीकानेर में मोर्चरी व ओपीडी विंग का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। पीबीएम अस्पताल परिसर में एमसीएच विंग प्रारम्भ की जा चुकी है। जन-सहभागिता योजना के तहत पीबीएम चिकित्सालय परिसर में राजकीय न्यूरो साइंसेज सैंटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर कार्डियोलोजी विभाग में नई कैथ लैब, नई कोबाल्ट मशीन की स्थापना कर सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दी गई है। इंटर्न हास्टल व यूजी हास्टल पर तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य करवाया गया है। नेफ्रोलोजी विभाग में 20 डायलिसिस मशीनों से डायलिसिस सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा नहीं रही कि मंत्री जब जवाब देते हैं ए से लेकर जैड तक पचास पन्ने लाकर के यहां पढ़ देंगे, यह परम्परा नहीं रही। अगर आप अलाउ करेंगे तो यह पढ़ेंगे, हमें तो झेलना है। लेकिन यह परम्परा कभी नहीं रही है। इसी आसन से व्यवस्थाएं दी गई हैं, मंत्री देख सकता है लेकिन एकदम अक्षरशः ए से लेकर जैड तक, पचास पन्ने पढ़ें यह तो ... (व्यवधान)..

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको याद रह सकते हैं क्या?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मेडिकल शिक्षा पर चल रहा है मामला। माननीय विपक्ष वाले सदस्यों को ध्यान ही नहीं है कि इंडिया का स्टैंडर्ड इस साल मोदी जी ने घोषित किया है तीन सांसदों के बीच में एक मेडिकल कालेज लेकिन राजस्थान में 25 सांसदों पर 16 मेडिकल कालेज हो गए, यह ध्यान भी रहना चाहिए आपको।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर के नर्सिंग कालेज में 60 लाख रुपये की लागत से एक स्टेट आफ आर्ट स्किल लैब की स्थापना की गई है। पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय में एमसीएच विंग बनकर तैयार हो गई है। इसी प्रकार से आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद विश्व को भारत की

(श्री कालीचरण सराफ)

सबसे बड़ी देन मानी जाती है। आयुर्वेद को केवल चिकित्सा विज्ञान ही नहीं अपितु एक जीवन विज्ञान माना जाता है। कहा जाता है कि आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों का पालन करते हुये मनुष्य स्वस्थ रहते हुये पूर्ण आयु प्राप्त कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद की शिक्षा, चिकित्सा और अनुसंधान को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही योग व प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, यूनानी सुविधा का भी विकास किया जा रहा है। राजस्थान में देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद का आधारभूत ढ़ांचा उपलब्ध है। प्रदेश में इस समय 3698, आयुर्वेद, 280 यूनानी, 252 होम्योपैथी और 39 योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कार्यरत हैं। प्रदेश में 2013 में आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के 50 प्रतिशत एवं यूनानी के 74 प्रतिशत चिकित्सा अधिकारियों के पद व नर्सेज-कम्पाउंडर के 36 प्रतिशत पद काफी लंबे समय से रिक्त थे। वर्तमान सरकार ने अब तक 1718 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, 136 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी और 130 यूनानी चिकित्सा अधिकारियों तथा 467 नर्स-कम्पाउंडर जूनियर ग्रेड को नियमित नियुक्ति प्रदान की है। यह अभी तक की सर्वाधिक है। वर्षों से लम्बित डीपीसी की बैठक आयोजित की जाकर 2008-2009 से 2016-2017 तक के जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर 294 अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान की गई। आप लोगों ने एक भी नहीं की। ऐसे करने से नहीं यह बात सही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो पढ़ा हुआ ही मान लेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, हम हां भर रहे हैं, उसमें भी इनको एतराज है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तृतीय अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2017 को राज्य मुख्यालय के साथ ही समस्त जिला ब्लॉक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया गया। प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर लगभग 35 लाख, द्वितीय पर 42 लाख और तृतीय अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस में लगभग 48 लाख व्यक्तियों द्वारा एक ही समय में योगाभ्यास कर एक नया रिकार्ड कायम किया गया। हमारा यह प्रयास है कि चतुर्थ अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस जो मनाएं, उसमें प्रधान मंत्रीजी को हम आमंत्रित करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 8 तारीख को आ रहे हैं, कर लो न योगाभ्यास। सीधे ही आ रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्यों ने कई मामले उठाए हैं। उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। जवाब दूं या नहीं दूं। डोटासरा जी का सबसे पहले मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। राजनीति में कई बार स्तर में गिरावट आती है, ''मेरे दोस्तों, गिरो तो झरने की तरह गिरो जो गिरकर भी अपनी सुन्दरता खोने नहीं देता। समझे। गोविंद डोटासरा जी ने मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को समाप्त करने संबंधी सुझाव दिया। इस पर मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य में नि:शुल्क दवा व नि:शुल्क जांच योजना के साथ-साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस योजना में बीपीएल के साथ-साथ अनेक दूसरी श्रेणियों के लोगों को भी नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज कराने पर अस्पताल को कंपनी से पैकेज की राशि प्राप्त होती है। जबकि वही इलाज कुछ स्थानों पर जीवन रक्षा कोष की राज्य सरकार की राशि से किया जाता है जिससे बीमा कंपनी को फायदा होता है और राज्य सरकार को वित्तीय प्रावधान करने पड़ते हैं। इसलिए इस संबंध में निर्णय किया गया और विस्तृत परिपत्र जारी किया जा चुका है। अगर कोई और गैप सामने आता है, उसका भी परीक्षण कर समाधान किया जाएगा। आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बीपीएल को किसी भी प्रकार के इलाज के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, आपने मामला उठाया था राजस्थान में मौसमी बीमारियों की स्थिति के बारे में। उल्लेखनीय है कि स्वाइन फ्लू के कारण वर्ष 2009-14 तक कुल 24,595 रोगियों की जांच की गई जिसमें से 6144 रोगी पाए तथा 577 रोगियों की मृत्यु हुई। वर्ष 2015 से आज तक राज्य सरकार द्वारा बेहतर जांच व स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने से कुल 50620 रोगियों की जांच की गई जिसमें से 11748 रोगी पाए और 890 रोगियों की मृत्यु हुई। इस प्रकार 2008 से 2014 तक पाजिटिविटी 25 प्रतिशत थी जो 2015 से अब तक 2 प्रतिशत कम होकर 23 प्रतिशत रही है। इसमें से मृत्यु का प्रतिशत 2008 से 2014 तक 9.3 प्रतिशत था, जो 2015 से आज तक बेहतर इलाज के कारण घट कर 7.5 प्रतिशत पर आ गया है। इसी प्रकार डेंगू के कारण 2008 से 2014 तक 13919 रोगी पाए गए, जिसमें से 62 रोगियों की मृत्यु हुई और वर्ष 2015 से आज तक 18493 रोगी पाए गए जिसमें से 38 रोगियों की मृत्यु हुई। डेंगू के कारण पाए गए रोगियों में मृत्यु का प्रतिशत 2008 से 2014 तक 0.44 प्रतिशत था जो कि बेहतर इलाज और सुविधाओं के कारण कम होकर 2015 से आज तक 0.20 प्रतिशत पर है।

(श्री कालीचरण सराफ)

जीएनएम की काउंसलिंग नहीं होने का मुद्दा भी डोटासरा जी द्वारा उठाया गया। इस संबंध में मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं थी। राजकीय केन्द्रों की एएनएम की माह अक्टूबर, 2017 में काउंसलिंग की जा चुकी है तथा राजकीय क्षेत्र की जीएनएम की काउंसलिंग भी माह दिसम्बर, 2017 में की जा चुकी है। केवल अंतिम तिथि तक ज्वाइन नहीं करने वाले जीएनएम छात्रों की द्वितीय काउंसलिंग शेष है। जहां तक निजी क्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की काउंसलिंग का प्रश्न है

(21.00 बजे)

उसमें विलम्ब के निम्न कारण रहे। काउंसलिंग के लिए कम्प्यूटर फर्म द्वारा दरें अधिक होने के कारण दरों को उचित दर पर लाने के लिए निविदाएं नेगोशिएशन में 2 माह का विलम्ब हुआ। इसी बीच कार्मिक विभाग द्वारा 21.12.2017 के आदेश से एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने के कारण उक्त काउंसलिंग को स्थगित करना पड़ा। कुछ निजी नर्सिंग संस्थाओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिए गए जिसके विरुद्ध मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण काउंसलिंग में विलम्ब हुआ। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 6.3.2018 नियत है। इसके तत्काल पश्चात काउंसलिंग कर दी जाएगी। एक आपने मेरे सुपुत्र का नाम लेकर कहा कि विवेकाधीन कोटा...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने नाम नहीं लिया।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने नहीं लिया, मैं ले रहा हूं, बैठिए। विवेकाधीन कोटा, विवेकाधीन कोटे की व्यवस्था आपके राज में थी, हमारे राज में विवेकाधीन कोटा नहीं है। एक समाचार पत्र के माध्यम से बार-बार यह कहा जाता है कि साहब आपने कुछ कालेजेज की जांच की, तो हमने जांच नहीं की। सीबीआई के निर्देश के अनुसार उन्होंने हमको यह लिखा कि यह तीन-चार कालेजेज हैं, इनकी जांच करें। हमने जांच की और जांच में उनमें कुछ कमियां पाई गईं इसलिए उनके बारे में सूचित किया कि जांच में कमियां हैं, कमी को दूर की है। जो पीड़ित पक्ष है वह कोई भी आरोप लगा दें, आरोप लगा दिया और आपने उसको यहां लाकर कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया,इसमें यदि कोई भ्रष्टाचार होता तो इनको अनुमति दी जाती? इनको अनुमति नहीं दी क्योंकि इनमें कमियां हैं, तो बीस लाख

(श्री कालीचरण सराफ)

रुपये कहां से ले लिए, किसके ले लिए, कमी बताने के? हमने एनओसी नहीं दी इसके कोई पैसे देगा? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा माई डियर डोटासरा जी,

मेरे सीने की आग को कुरेद मत, इसे मुस्करा कर हवा न दे,

आग तो फिर भी आग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे।

अब मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा।

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंत्री महोदय, दुबारा सुनाओ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय मंत्रीजी, एक बार वापस पढ़ो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डोटासरा जी सुनिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां वापस पढ़ो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ''मेरे सीने की आग को कुरेद मत, इसे मुस्करा कर हवा न दे, आग तो फिर भी आग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे।''

अब मैं घोषणाएं कर रहा हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस वर्ष के बजट में 28 नई पीएचसी खोलने तथा 16 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

अधिक प्रसव भार वाले चिकित्सालयों में प्रसव से संबंधित आपात कालीन सेवाएं व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 6 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इससे महिला चिकित्सालय सांगानेर में 8 बैड की हाई डिपेन्डेंसी यूनिट व 4 बैड का आब्सटेट्रिक आई सी यू विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार जनाना अस्पताल अजमेर, उम्मेद अस्पताल जोधपुर, जे के लॉन अस्पताल कोटा व पन्नाधाय अस्पताल उदयपुर में 6 बैड की हाई डिपेन्डेंसी यूनिट व 2 बैड का आब्सटेट्रिक आई सी यू विकसित किया जाएगा। अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा एवं चित्तौडगढ़ में 8 बैड की हाई डिपेन्डेंसी यूनिट विकसित की जाएगी।

(श्री कालीचरण सराफ)

करौली जिले के श्रीमहावीर जी में श्री दिगम्बर जैन महावीर जी ट्रस्ट द्वारा दी गई....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय से जल मंगवाऊ, पानी-पानी?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पानी से आग बुझ जाती है, इसलिए मत मंगवाओ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पानी पीना तो आपका काम है, हम तो पानी पिलाते हैं, समझे।

करौली जिले के श्रीमहावीर जी में, श्री दिगम्बर जैन महावीर जी ट्रस्ट द्वारा दी गई भूमि पर सवा 5 करोड़ रुपये की लागत से आगामी एक वर्ष में भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

मैं मुख्य मंत्री महोदया का आभारी हूं कि उन्होंने जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच और वीडीआरएल लैब की स्थापना के लिए डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। इससे एसएमएस हॉस्पिटल पर स्वाइन फ्लू जांच का दबाव कम होगा एवं स्थानीय निवासियों को जांच की सुविधाएं सुलभ होगी।

इस वर्ष 3 सीएचसी, 4 पीएचसी और 6 उप स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन निर्माण की घोषणा करता हूं। प्रत्येक सीएचसी के निर्माण के लिए सवा 5 करोड़ प्रत्येक पीएचसी के लिए एक करोड़ 85 लाख एवं प्रत्येक उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 30 लाख रुपये की राशि व्यय का प्रावधान किया गया है।

सीएचसी का निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले में बेंगू, अलवर जिले में तिजारा ब्लॉक के हमीरका और सीकर जिले में खण्डेला ब्लॉक के जाजोद में किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो साहब, हमारे राज्य मंत्री जी को कम से कम एक भवन तो दिया।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विराजो-विराजो। पीएचसी का निर्माण जोधपुर जिले के शेरगढ़ ब्लॉक के चांदसामा, अलवर जिले के कोटकासिम ब्लॉक के भगाना हनुमानगढ़ जिले क टिब्बी ब्लॉक के भोमपुरा में तथा जयपुर ज़िले की शाहपुरा ब्लॉक के देवन में किया जाएगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण अलवर जिले के थानागाजी ब्लॉक के सलेटा में व नीमराना ब्लॉक के ठिकवाड़ में, झुंझुनूं जिले के मलसीसर ब्लॉक के चंदवाजी में, चित्तौड़गढ जिले के बेगूं ब्लॉक के तेजपुर में, जयपुर जिले के जमवारामगढ़ ब्लॉक के भावपुरा में तथा बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना ब्लॉक के रोहिल्ला में किया जाएगा।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2018 में स्वास्थ्य विभाग में 894 चिकित्सक, 113 दंत चिकित्सक, 50 ड्रग कंट्रोल अधिकारी, 11 फूड एनालिस्ट, 5558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 4714 नर्स श्रेणी-द्वितीय, जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, 30 फिजियोथेरेपिस्ट, 1736 फार्मासिस्ट, 178 नेत्र सहायक,1534 प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती की जाएगी। इन सबको मिलाकर इस वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 14618 नियुक्तियां की जाएंगी। यह सारी नियुक्तियां हम जून-जुलाई तक कर देंगे। इन नियुक्तियों से चिकित्सा विभाग में रिक्त पद भरे जाएंगे और प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

प्रदेश में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए मुख्य मंत्री महोदया ने बजट घोषणा के अनुरूप 16 सीएचसी निम्नांकित स्थानों पर की है। मैं उसकी भी घोषणा कर देता हूं।

अलवर के किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बीबीरानी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। बांसवाड़ा कुशलगढ़ में पीएचसी छोटी सरवा को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। बारां किशनगंज में पीएचसी समरानियां को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। बाड़मेर, बायतू में आदर्श पीएचसी गिड़ा को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। दौसा (कुण्डल) में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। गंगानगर, सादुलशहर में लालगढ़ में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। जयपुर, झोटवाड़ा में जोबनेर में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ बड़ी सादड़ी, बोहेडा में पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। करौली, हिण्डौन सूरोठ में सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। नागौर श्री बालाजी में सीएचसी क्रमोन्नत की जाएगी। पाली, मारवाड़ जंक्शन में सिरियारी में सीएचसी में क्रमोन्नत की जाएगी। सवाईमाधोपुर, बामनवास में बरनाला में सीएचसी में क्रमोन्नत की जाएगी। सवाईमाधोपुर खण्डार, शिवाड़ में, सीएचसी क्रमोन्नत की

(श्री कालीचरण सराफ)

जाएगी। टोंक, मालपुरा में डिग्गी में सीएचसी क्रमोन्नत की जाएगी। टोंक, निवाई, हीरालाल जी के यहां झिलाय में सीएचसी को क्रमोन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार 28 पीएचसी निम्नांकित स्थानों पर स्थापित की जाएगी।

अजमेर, ब्यावर बराखन में। बांसवाड़ा में गढ़ी कुवाडिया। बाड़मेर में बांड पंचायत पंचायत समिति गुढामलानी। बाड़मेर पचपदरा में चांदेसरा। भीलवाड़ा आसीन्द में मोटरास, पंचायत समिति आसीन्द। भीलवाड़ा माण्डल में ग्राम बड़ा महुआ पंचायत समिति सुवाणा। बीकानेर डूंगरगढ़ में ग्राम पंचायत सांवतसर। बीकानेर लूणकरणसर में शेरपुरा लूणकरणसर। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में सतखन्डा निम्बाहेड़ा। चूरू-तारानगर में पुनसीसर। डूंगरपुर आसपुर में मूंगड। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति में ठाकरड़ा, गंगानगर जिले के करणपुर में, सुरेन्द्रसिंहजी के यहां बीजबायला, पंचायत समिति पदमपुर में। जयपुर में शाहपुरा, अमरपुरा (गोविन्दगढ़), जैसलमेर, छोटूसिंहजी के यहां, पंचायत समिति जैसलमेर में बड़ोडगांव, जालौर की पंचायत समिति भीनमाल में जूनीवाली, नागौर के डेगाना में, पंचायत समिति रियाबड़ी में ग्राम लाड़पुरा, नागौर के मकराना में चाण्डी, नागौर की पंचायत समिति नावां में राजलिया, पाली में झीतड़ा, राजसमंद में वणाई, सवाईमाधोपुर के गंगापुर में बामनबड़ौदा, सीकर के धोद में सरवड़ी, सीकर के खण्डेला में गुरारा, उदयपुर के गोगुन्दा की पंचायत समिति बड़गांव में कठार, उदयपुर के खैरवाड़ा में कुण्डा और उदयपुर के सलूम्बर में सुरखण्डा खेड़ा, इस प्रकार से ये 28 स्वीकृत किये हैं।

प्रदेश के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये मैं सात सौ उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की भी घोषणा करता हूं। (व्यवधान) क्या हुआ, अब ये चिकित्सा शिक्षा की और घोषणाएं सुन लीजिये। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो आपने खण्डेला वाली पी.एच.सी. की है, वह तो राज्य मंत्रीजी के कहने से की है। सरवड़ी वाली किसके कहने से की है, वह बता दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सरवड़ी, गोरधनजी हमारे एम.एल.ए. हैं। विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, ठीक है। इन दोनों का नाम तो लीजिये। कल को वोट लेने जाएंगे।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, एम.एल.ए. आप थोड़े ही हो, ये ही हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये हैं, तभी तो कह रहा हूं। कम से कम ऐसे एम.एल.ए. का नाम लीजिये। इसमें कंजूसी क्यों कर रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपके पेट में मरोड़े आयें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो सेठ हैं, इनका नाम तो ले लीजिये। इनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनका नाम लेने से क्या आप वोट दे देंगे इनको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे देंगे, चिंता ही मत करो आप तो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चिकित्सा शिक्षा विभाग की घोषणाएं।

मेडिकल कालेज, जोधपुर

प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सुपरस्पेशलिटी को विकसित करने व प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी उपलब्ध कराने के लिये एस.एन. मेडिकल कालेज, जोधपुर में पैरा मेडिकल सेन्टर की स्थापना की जायेगी।

मेडिकल कालेज, जोधपुर में जेरेट्रिक मेडिसन, आई.एच.बी.टी. एवं संक्रामक रोगों में एम.डी. की डिग्री प्रारम्भ की जाएगी।

मेडिकल कालेज, जयपुर

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में नवीन ब्वायज होस्टल एवं फैमिली होस्टल प्रारम्भ किया जाएगा। सुपरस्पेशलिटी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन पैरा मेडिकल संस्थान को प्रारम्भ किया जाएगा।

एस.एम.एस. मेडिकल कालेज से सम्बद्ध किये गये सेठी कालोनी, सैटेलाइट अस्पताल में 50 शय्याओं की वृद्धि की जायेगी, जिसमें आपातकालीन शय्याएं एवं गहन चिकित्सा इकाई भी होगी। इससे शहर की पूर्वी क्षेत्र की बस्तियों, राजापार्क और आदर्श नगर के रोगी भी लाभान्वित होंगे।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

जयपुरिया चिकित्सालय में निर्माण कार्यों पर प्रथम चरण में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि व्यय करने के बाद द्वितीय चरण में 9 करोड़

(श्री कालीचरण सराफ)

30 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिये 11 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहां अण्डरग्राउण्ड पार्किंग का कार्य 15 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

<u>मेडिकल कालेज, झालावाड़</u>

मेडिकल कालेज, झालावाड़ के निश्चेतन विभाग में 5 नवीन आधुनिक एवं उन्नत किस्म के एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन दो करोड़ रुपये की राशि से क्रय किये जाएंगे।

<u>मेडिकल कालेज, बीकानेर</u>

मेडिकल कालेज, बीकानेर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इंस्टीट्यूट आफ मैन्टल हैल्थ, न्यूरो अलाइड एण्ड न्यूरो साइंसेंज सेन्टर के रूप में सैन्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। इसकी स्थापना पर 31 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे।

मेडिकल कालेज, बीकानेर में नवीन गर्ल्स होस्टल का निर्माण इसी वर्ष जून माह में प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

मेडिकल कालेज, बीकानेर में ब्लड बैंक का विस्तार एवं उन्नयन का कार्य हनुमान प्रसाद चम्पादेवी मैमोरियल ट्रस्ट के श्री अरुण मोदी के सहयोग से अगस्त, 2018 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।

आचार्य तुलसी कैंसर सैंटर के अधीन बोनमेरो ट्रांसप्लांट की स्थापना श्री हीरालाल मालू, आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान की ओर से करवाकर जून, 2018 में इस यूनिट को भी प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

<u>मेडिकल कालेज, उदयपुर</u>

मेडिकल कालेज, उदयपुर में सीटों की संख्या की सम्भावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जूनियर ब्वायज एवं गर्ल्स होस्टल की नई विंग का निर्माण 16 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाएगा।

मेडिकल कालेज, उदयपुर में मौके पर ही गम्भीर रूप से रोगग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को गहन जीवन रक्षक सुविधाएं प्रदान करने के लिये 60 लाख रुपये से दो अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर एम्बुलैंस खरीदी जाएंगी।

मेडिकल कालेज, उदयपुर एवं संलग्न चिकित्सालयों के परिसर एवं वार्डों की निरन्तर इलेक्ट्रोनिक मानिटरिंग हेतु 80 लाख रुपये की लागत से

(श्री कालीचरण सराफ)

200 पाइंट्स पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाएंगे। ...(व्यवधान) बस, अभी दो मिनट और।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब सब्र टूट गया है। फिर वे बातें आ जाएंगी। आप जल्दी से इसका अंत कर दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बस, आप पांच मिनट और बैठिये। अब आपका सब्र टूटे, उससे कोई फर्क नहीं।

मेडिकल कालेज, कोटा

मेडिकल कालेज, कोटा के अस्थि रोग विभाग में 20 लाख रुपये की लागत से बोन बैंक की स्थापना की जाएंगी। चिकित्सालय के ई.एन.टी. विभाग में 80 लाख रुपये की लागत से नवीन वर्क स्टेशन की स्थापना की जाएंगी।

नेत्र विभाग में 50 लाख रुपये की लागत से ओप्टिकल कोहरेंस टोपोग्राफी मशीन की स्थापना की जाएगी। निश्चेतन विभाग में 75 लाख रुपये की लागत से एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन की स्थापना की जाएंगी। पैथोलोजी विभाग में 45 लाख रुपये की लागत से एलिवेटिंग पैथोलोजी वर्क स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

मेडिकल कालेज, अजमेर

जे.एल.एन. मेडिकल कालेज, अजमेर में 13 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से 800 बैठक क्षमता का आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा।

आयुर्वेद विभाग की घोषणाएं

राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से वर्ष 2018-19 में 28 करोड़ की औषधियां राज्य में संचालित आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधालयों व चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जाएगी।

राज्य में संचालित आंचल प्रसूता केन्द्र, पंचकर्म केन्द्र, जरावस्था केन्द्र तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों में औषधियों के लिये इस वर्ष डेढ़ करोड़ रुपये एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये आवश्यक कच्ची जड़ी-बूटियों हेतु 3 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे।

प्रदेश में 63 आयुर्वेद औषधालयों एवं 2 यूनानी औषधालयों के भवनों का 9 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि व्यय कर निर्माण कार्य करवाया जाएगा।

मेडिकल प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिये 708 हैक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती, नर्सरी स्थापना एवं अन्य कार्यों पर सवा तीन करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

(श्री कालीचरण सराफ)

राज्य में संचालित 4 आयुर्वेद रसायन शालाओं के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में 24 लाख की लागत से पी.जी. होस्टल वार्डन का भवन निर्माण एवं 30 लाख की लागत से सेन्ट्रल पैथोलोजी लैब का निर्माण करवाया जाएगा।

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के सुदृढ़ीकरण के लिये 5 करोड़ 93 लाख की राशि उपलब्ध करवाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेशवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अपने दायित्वों के प्रति पूर्णतया सजग होकर कार्य कर रहा है। हालांकि हमारे समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभाग बुलंद हौसलों के साथ गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिये संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं।

मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध है कि वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सभी स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने में हमें सहयोग प्रदान करें।

कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभाग पूर्ण तत्परता के साथ यही प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर 'स्वस्थ राजस्थान' के सपने को साकार करे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत, मंत्रीजी, मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं ...(व्यवधान)

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत, मंत्रीजी, एक मिनट, मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक व्यक्ति की आंखों के आपरेशन के दौरान मृत्यु हो गयी थी, राज्य स्तरीय कमेटी 14 सितम्बर को बन गयी है तो वह कब तक अपना, उसको टाइम बाउंड तो कर दीजिए Because, Justice delayed is justice denied. ऐसा नहीं हो कि आम व्यक्ति को न्याय ही नहीं मिले? राज्य स्तरीय कमेटी बनाई। मैं

(श्रीमती अलका सिंह)

सरकार के इस फैसले का सम्मान करती हूं और बधाई देती हूं लेकिन एक टाइम उसका फिक्स कर दीजिए ताकि जो भी पीड़ित है उसको न्याय तो मिले।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं सम्मान में एक शेर पढ़ दूं? (व्यवधान) .

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पढ़ो-पढ़ो।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): भिण्डाजी, प्लीज पहले वह निर्णय हो जाने दीजिए, बहुत ही गम्भीर विषय है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह लिखकर ही नहीं लाये तो कैसे जवाब देंगे? यह लिखकर देते अधिकारी दीर्घा से तब तो यह जवाब दे देते, ऐसे कहां से देंगे बताओ आप?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सबका जवाब था पर क्योंकि अब समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मांग पारित की जाए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आप सिर्फ टाइम बता दीजिए, पांच महीने से कमेटी बनी हुई है, राज्य स्तरीय कमेटी है, गरीब आदमी को न्याय का इंतजार है, आप टाइम बाउंड कर दीजिए न, पांच महीने में, दस महीने में दे देंगे, ग्यारह महीने में दे देंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मंत्रीजी के सम्मान में एक शेर। माननीय सदस्य, एक शेर है, एक मिनट। शेर पढ़ रहा हूं न।

''इंतहा-ए लाकरी से जब नजर आया नहीं तो हंस कर वो कहने लगे बिस्तर को झाड़ा चाहिए।'' ऐसी स्थिति ही विराटनगर की है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से यह चाहती हूं कि आप टाइम बता दीजिए न।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भाई, मैं कर दूंगा। (व्यवधान) .

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों ही चीजें हो गईं, न तो मंत्रीजी का इतनी देर का स्पीच किसी के समझ में आया और न माननीय गुरुजी की बात समझ में आई।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): दुबारा कह दो, खड़े होकर।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दुबारा कह देता हूं मैं। इंतहा-ए लाकरी से जब नजर आया नहीं, मतलब सहयोग से, वैसे तो यह एक ऐसे टाइम का है, जब बिहारी की नायिका, वियोग में ज्यादा व्याकुल हो गया, वैसी स्थिति कांग्रेस की थी लेकिन आज मेरी भी स्थिति ऐसी हो गयी। इंतहा-ए लाकरी से जब नजर आया नहीं, वह विराटनगर नजर नहीं आया। तब हंस कर वह कहने लगे कि बिस्तर को झाड़ा चाहिए, इसका मतलब, कहीं खटमल तो नहीं हो गया, सिकुड़कर ऐसी मेरी स्थिति है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी वाला भी दुबारा पढ़वायें क्या? समझ में नहीं आया कुछ। मंत्रीजी से भी दुबारा पढ़वा दें पूरा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मांग पूरी करवाइये, सर।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं कर दूंगा, यह घोषणा की जरूरत नहीं थी। (व्यवधान) .

श्री उपाध्यक्ष: अगर सदन की अनुमति हो तो मांग पारित कर ली जाए?

मांग संख्या 26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,66,32,25,000/- (एक सौ एक अरब छियासठ करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 05 मार्च 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.21 बजे सोमवार, दिनांक 05 मार्च 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश की डिस्काम कम्पनियों द्‌वारा विद्‌युत की छीजत के रोकथाम के उपाय

300. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डिस्काम द्‌वारा बिजली उपभोक्ताओं व डिस्काम के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच आए दिन नये कनेक्शन लेने, बिल अधिक आने या मीटर खराब होने और औसत के नाम पर उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूल करने के विवादों को निपटाने के लिए उपभोक्ता सेवा नियमों में बदलाव किया गया है? यदि हां, तो क्या? क्या उक्त नियमों को लागू कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश की सभी डिस्काम कम्पनियों (जयपुर, जोधपुर व अजमेर) में बिजली चोरी व छीजत के प्रकरण व प्रतिशत बढ़ रहा है? यदि हां, तो सरकार व बिजली कम्पनियों ने इसकी रोकथाम हेतु कब-कब व क्या-क्या प्रयास किए तथा इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान ऊर्जा विनियामक आयोग द्‌वारा संशोधित नियमों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है एवं ये नियम दिनांक 10.10.2017 से प्रभावी है।

(2) जी नहीं। राज्य की तीनों विद्‌युत वितरण निगमों में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्‌युत छीजत/चोरी का प्रतिशत घटा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में युवा उद्‌यमिता को बढ़ावा देने की योजना

301. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या उद्‌योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्‌वारा प्रदेश में गत 04 वर्षों में जिला उद्‌योग केन्द्रों के माध्यम से युवा उद्‌यमिता को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) सरकार द्वारा प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु गत 04 वर्षों में कुल कितना ऋण दिया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला उद्योग केन्द्रों को युवा उद्यमिता हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने आवेदकों को ऋण दिया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विगत 04 वर्षों में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (भारत सरकार की योजना) एवं भामाशाह रोजगार सृजन योजना (राज्य सरकार की योजना, दिनांक 13.12.2015 से लागू) का क्रियान्वयन किया गया है। उक्त दोनों ही योजनाओं में स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से सेवा क्षेत्र उद्यम हेतु अधिकतम 10 लाख रु. एवं विनिर्माण क्षेत्र उद्यम हेतु अधिकतम 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रति परिशिष्ट-1 पर तथा भामाशाह रोजगार सृजन योजना की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विगत 4 वर्षों में जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु बैंकों के माध्यम से निम्नानुसार ऋण उपलब्ध कराया गया है-

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत विगत 4 वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2016-17) में कुल 29456.90 लाख रु. ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
2. भामाशाह रोजगार सृजन योजना दिनांक 13.12.2015 से लागू है। योजना अन्तर्गत विगत 2 वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2016-17) में कुल 18114.16 लाख रु. ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) जिला उद्योग केन्द्रों को विगत 4 वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2016-17) में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत कुल 24516 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 4776 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

जिला उद्योग केन्द्रों को विगत 2 वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2016-17) में भामाशाह रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत कुल 57698 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 15982 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नई तहसील खोलने के मानदण्ड

302. श्री हीरालाल (निवाई): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नई तहसील व उप तहसील खोलने के क्या मानदण्ड/ नियम निर्धारित हैं? मानदण्ड/नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् प्रदेश में कहां-कहां नई तहसीलें व उप तहसील सृजित की गयी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के झिराना एवं राहोली में उप तहसील सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 15 में उप तहसील बनाये जाने के प्रावधान हैं। राजस्व मण्डल, अजमेर के पत्र दिनांक 19.04.07 द्वारा राजस्व इकाइयों के गठन के संबंध में मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। नियम एवं मापदण्ड की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(2) प्रदेश में वर्ष 2014 के पश्चात निम्न नवीन तहसील सृजित की गई हैं:-

क्र.सं.	नाम जिला	नवसृजित तहसील का नाम
1.	श्री गंगानगर	1. रावला
2.	झालावाड़	2. सुनेल
		3. बकानी
3.	बाड़मेर	4. धनाउ
4.	दौसा	5. मण्डावर

(राज्य मंत्री, राजस्व)

क्रं.सं.	नाम जिला	नवसृजित तहसील का नाम
5.	जोधपुर	6. बापिणी
		7. देचू
6.	उदयपुर	8. भिण्डर
7.	बीकानेर	9. बज्जू

वर्ष 2018 में मण्ड्रेला जिला झुंझनूं नवीन उप तहसील सृजित की गई है।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील निवाई में राहौली तथा तहसील पीपलू में झिराना भू-अभिलेख निरीक्षक वृत है जो उप तहसील बनाये जाने के निर्धारित मापदण्ड पूरे नही करते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रॉयल राजस्थान रेलगाड़ी में मुफ्त यात्रा की शिकायतें

303. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा रॉयल राजस्थान रेलगाड़ी चलाई जा रही है? यदि हां, तो किस उद्देश्य से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 6 वर्षों में उक्त रेलगाड़ी से कितना लाभ/हानि हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रेलगाड़ी में अधिकारियों द्वारा मुफ्त यात्रा करवाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब? क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपारेशन द्वारा चलाई जा रही रॉयल राजस्थान आन व्हील्स को वर्ष 2017-18 से बन्द कर दिया गया।

प्रदेश में रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त शाही रेलगाड़ी को पैलेस आन व्हील्स के नाम से परिवर्तित कर माह सितम्बर, 2017 से संचालित किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(2) गत 6 वर्षों में रॉयल राजस्थान आन व्हील्स से हुई लाभ/हानि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	**वर्ष**	**पर्यटकों की संख्या**	**आय**	**व्यय**	**लाभ/हानि**
1	2011-12	761	1653.23	1460.54	192.69
2	2012-13	928	2132.00	1744.58	387.42
3	2013-14	679	1792.28	1695.48	96.80
4	2014-15	650	1730.66	1768.23	-37.57
5	2015-16	493	1483.19	1778.65	-295.00
6	2016-17 (अनअंकेक्षित)	237	793.98	796.94	-02.96

(3) जी नहीं।

प्रदेश में बच्चों के प्रति अपराध के दर्ज प्रकरण

304. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण व हत्या के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज किये गये प्रकरणों में पोक्सो एक्ट के तहत कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा उनमें से कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं कितने प्रकरणों में अब तक जांच लम्बित है? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दर्ज प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने बच्चों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत राहत पहुंचाने की कार्यवाही की गई? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में बलात्कार, शारीरिक शोषण व हत्या के दर्ज अभियुक्तों के विरुध क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2015 से दिसम्बर 2017 तक राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार के 3897 मामले शारीरिक शोषण के 1877 मामले तथा हत्या के 139 मामले दर्ज किये गये।

वर्ष 2015 में बलात्कार के 1232 शारीरिक शोषण के 539 तथा हत्या के 54 मामले दर्ज किये गये।

वर्ष 2016 में बलात्कार के 1347 शारीरिक शोषण के 577 तथा हत्या के 38 मामले दर्ज किये गये।

वर्ष 2017 में बलात्कार के 1318 शारीरिक शोषण 761 तथा हत्या के 47 मामले दर्ज किये गये।

वर्षवार जिलेवार एवं प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार/शारीरिक शोषण/हत्या के कुल 5913 मामले दर्ज किये गये जिनमे से 4952 प्रकरणों में 6615 अभियक्तों को गिर0 कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किये गये तथा 137 प्रकरणों में अभी जाँच चल रही है जिसकी सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

कुल दर्ज प्रकरण	5913
चालान पेश किये गये प्रकरणों की संख्या	4952
एफआर दिये गये प्रकरणों की संख्या	824
पैंडिंग अनुसंधान प्रकरणों की संख्या	137

(3) दर्ज प्रकरणों में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर उच्च न्यायालय के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत राहत पहुंचाने की कार्यवाही के तहत जारी दिशा निर्देश भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 357 क एवं उसके अधीन बनाई गई राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 एवं संशोधित 2015 के अनुकूल दर्ज प्रकरणों में नियमानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही की जाती है। नियम/दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-ब पर सलग्न है।

(गृह मंत्री)

(4) जनवरी 2015 से दिसम्बर 2017 तक राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार/शारीरिक शोषण/हत्या के कुल 5913 मामले दर्ज किये गये जिनमे से 4952 प्रकरणों में 6615 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके हैं।

वर्षवार, जिलेवार एवं प्रकरणवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

305. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर उपखण्ड के हजारों छात्र/छात्राओं को सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च अध्ययन हेतु राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन हेतु सीकर/जयपुर अथवा अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है या निजी महाविद्यालयों में प्रवेश होना पड़ता है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्र/छात्राओं में से अधिकांश किसान के, दलित के, अनुसूचित जाति/जनजाति के व कमजोर तबके एवं अल्प आय वर्ग के होते हैं?

(3) क्या श्रीमाधोपुर उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु विभिन्न संगठनों से मांग पत्र भी प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब व उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर श्रीमाधोपुर उप खण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। उक्त छात्र/छात्राओं में सभी वर्गों के छात्र/छात्राएं होते हैं।

(3) जी हां। श्रीमाधोपुर उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने

(उच्च शिक्षा मंत्री)

हेतु विभिन्न संगठनों से मांग पत्र प्राप्त होते रहे हैं। इन मांग पत्रों पर निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) जी हां। राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) श्रीमाधोपुर उप खण्ड से लगभग 17 किमी की दूरी पर राजकीय कन्या महाविद्यालय, होद तथा वर्तमान में श्रीमाधोपुर उप खण्ड में निजी क्षेत्र में 28 महाविद्यालय संचालित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर उप खण्ड मुख्यालय श्रीमाधोपुर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण

306. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मावली में नवीन घोषित ग्राम पंचायत तुलसीदास की सराय, धुणीमाता जिंक स्मेल्टर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से नामांकन बढ़ जाने के कारण छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय माध्यमिक विद्यालय धूणीमाता तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय जिंक स्मेलटर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) जी हां। क्रमोन्नत विद्यालयों में छात्रों को बैठने हेतु कक्षा-कक्ष उपलब्ध है, किन्तु जिन विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है, उन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु विभागीय योजनाओं तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पास उपलब्ध वित्तीय बजट प्रावधान एवं गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

विराटनगर की पंचायतों में स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की जांच

307. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा पंचायत समिति विराटनगर, पावटा व शाहपुरा में वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत एवं मौके पर हुए कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या कदम उठाए गये तथा कौन-कौन-सी ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता का अभाव पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पंचायत समिति क्षेत्रों में स्वीकृत हुए कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर जिले में मानदण्ड के अनुरूप निर्माण कार्य न होने के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा कितनी शिकायतों की जांच कर उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक विभिन्न योजनाओं में पंचायत समिति विराटनगर, पावटा व शाहपुरा में स्वीकृत कार्यों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता तथा जिला परिषद के अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। कार्यों की गुणवत्ता हेतु तृतीय पक्ष से भी जांच करायी जाती है।

(पंचायती राज मंत्री)

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत समिति शाहपुरा में प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। उक्त अवधि में पंचायत समिति विराटनगर की ग्राम पंचायत बागावास अहिरान में 4, बजरंगपुरा में 6, ढाणी गेसकान में 1, केरली में 1 कुल 4 ग्राम पंचायतों में 12 निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाया गया। पंचायत समिति पावटा व शाहपुरा की ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव नहीं पाया गया है।

(2) उक्त पंचायत समिति क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2 व परिशिष्ट-3 में अंकित है।

(3) जयपुर जिले में मानदण्ड के अनुरूप निर्माण कार्य न होने के विरुद्ध कुल 49 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से कुल 25 शिकायतों की जांच की जा चुकी है एवं शेष 24 शिकायतें लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

308. श्रीमती अनीता (नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर को क्रमोन्नत कर 100 बैड का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान क्षेत्र नगर के बेरू व सैमली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कस्बा नगर जिला भरतपुर में वर्तमान में 30 शय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं का वर्ष 2016 में 162.57 एवं वर्ष 2017 में 137.99 प्रतिशत उपयोगिता (बी.ओ.आर.) रही है।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर की शय्याओं में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) ग्राम बेरू एवं सैमली पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

रायसिंहनगर में लम्बित कृषि कनेक्शन

309. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किसानों को कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन कई वर्षों से नहीं मिल रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्ववित्त पोषित योजना के तहत कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार किसानों को थ्री फेज बिजली दिन में 10 घंटे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में भी सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिये समय-समय पर जारी कट-आफ-डैट के अनुसार मांग पत्र जारी कर कृषि कनेक्शन दिये जा रहे हैं। हाल ही में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों हेतु कट-आफ-डैट को माह जनवरी, 2012 तक बढ़ाये गये जाने की घोषणा की है।

(2) राज्य में बून्द-बून्द/फव्वारा/डिग्गी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा विद्युत तंत्र का पूर्ण खर्चा वहन करने पर कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। उक्त संदर्भ में हाल ही में जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं। विद्युत वितरण आधारभूत ढांचे की उपलब्धता के मद्देनजर वर्तमान में किसानों को कृषि कार्य हेतु दिन में 10 घंटे विद्युत आपूर्ति किया जाना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 310

(स्थगित)

ग्राम फोजावाली (कोटपूतली) के विद्यालय को खेल मैदान हेतु भूमि का आबंटन

311. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1963 में ग्राम बासड़ी, तहसील कोटपूतली के ग्राम फोजावाली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को खसरा नं. 974 रकबा 0.34 एयर, खसरा नं. 975 रकबा 0.27 एयर व खसरा नं. 976 रकबा 1.04 हैक्टेयर में से 0.97 एकड कुल 1.58 हैक्टेयर भूमि सवाई चक भूमि में से राजकीय विद्यालय हेतु आबंटित की गई थी? यदि हां, तो उक्त भूमि में से किन कारणों से 69 एयर भूमि बिना स्कूल के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के किसी निजी व्यक्ति को आबंटित कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फोजावाली कोटपूतली के खेल मैदान की 69 एयर भूमि, जो व्यक्ति विशेष के नाम पर आबंटित कर दी गई है, को निरस्त कर पुनः स्कूल के नाम नामान्तरण खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फोजावाली को ख.नं. 974 रकबा 0.34 है., ख.नं. 975 रकबा 0.27 है. व ख.नं. 976 रकबा 1.04 है. में से 0.97 है. कुल 1.58 है. भूमि का आबंटन किया गया था।

उक्त आबंटन राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.5-(109)राज./

(राज्य मंत्री, राजस्व)

ख/60 दिनांक 20.07.1963 की अनुपालना में जिला कार्यालय के आदेश क्रमांक: राजस्व-।। (8)9/9818-22 दिनांक 21.08.1991 से किया गया था। उक्त भूमि का आबंटन किये जाने के पश्चात विधान सभा आश्वासन संख्या 45/94 की पालना में राजस्व ग्रुप-3 विभाग के आदेश क्रमांक प.4(69)/ ग्रुप-3/95 दिनांक 26.02.1998 के द्वारा आराजी ख.नं. 976 में 0.37 है. भूमि देवीसहाय कीर को पहले ही दिनांक 02.11.1977 को नियमन हो जाने के कारण जिला कलक्टर को संशोधित भू आबंटन आदेश जारी करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर द्वारा आदेश क्रमांक आर-1/18ए/81/91/1973 दिनांक 30.03.1998 से संशोधित आदेश जारी किये गए जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 397 मौजा बासडी दर्ज कर स्कूल को आबंटित भूमि में से आराजी ख.नं. 976 में से 0.37 है. भूमि को कम किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02-07-2004 के आधार पर आराजी ख.नं. 976 में से 0.32 है. भूमि पर दलीप सिंह वगैरहा को खातेदार घोषित किया गया जिसकी प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फोजावाली द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां अपील संख्या 135/2004 दायर की जो दिनांक 19.03.2010 को खारिज हो चुकी है, जिसकी शिक्षा विभाग द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।

राज्य सरकार के आदेश परिशिष्ट "अ" पर एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली का निर्णय दिनांक 02-07-2004 परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) ख.नं. 976 में से 0-37 है. भूमि विधान सभा आश्वासन संख्या 45/94 के आधार पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.1998 के संशोधित आवंटन आदेश द्वारा खातेदार के नाम दर्ज की गई है।

ख.नं. 976 में से 0.32 है. भूमि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.07.2004 की पालना में खातेदार के नाम दर्ज की गई है। मा. राजस्व मण्डल, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा शिक्षा विभाग को सुना जाकर निर्णय किए हैं। राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर

(राज्य मंत्री, राजस्व)

में शिक्षा विभाग द्वारा अपील की गई जो खारिज हो चुकी है तथा वर्तमान में कोई अपील दायर नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हर्ष पहाड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

312. श्री गोरधन (धोद): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की विधान सभा क्षेत्र धोद में स्थित हर्ष पहाड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त हर्ष पहाड़ के ऊपर रोप-वे एव रेस्टोरेंट बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका संचालन व रख-रखाव किसके द्वारा किया जायेगा व उस पर सरकार का स्वामित्व किस प्रकार रहेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार हर्ष पहाड़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2016-17 में ईको-ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट हर्षनाथ राशि रुपये 101.00 लाख रुपये का स्वीकृत हुआ था। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2013-14 से माह जनवरी, 2018 तक राशि रुपये 96.88 लाख से निम्न कार्य करवाये गये हैं:-

- ईको ट्रेल्स कैम्पिंग साइट का निर्माण
- वाच टावर निर्माण
- झोपा निर्माण
- दृश्य स्थल
- द्वितीय फेज की डीपीआर तैयार करना
- साईनेजेज
- हर्ष पर्वत पर स्थित पुराने भवनों की मरम्मत एवं रेस्ट हाउस के रूप में विकसित किया गया है।

शेष राशि 4.12 लाख रुपये से भवन संधारण साईनेजेज, ईको ट्रेल्स संधारण एवं वन सुरक्षा समितियों का प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों इत्यादि कार्य इसी वित्तीय वर्ष करवाए जा रहे हैं।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

वर्तमान में 8 कमरें\पर्यटकों\धार्मिक यात्रियों के ठहरने के लिये तैयार किये जा चुके हैं, जिनका लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा दिनांक 08.01.2017 को किया जा चुका है।

हर्ष प्रोजेक्ट की द्वितीय फेज की डीपीआर तैयार कर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ईको ट्यूरिज्म को भिजवाई गयी है।

ईको ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट हर्षनाथ द्वितीय फेज की डीपीआर में निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं :-

- सड़क निर्माण
- रोप-वे
- कैफेटेरिया
- वृक्षारोपण
- जल संरक्षण संरचनायें
- पानी की व्यवस्था
- हर्ष एवं आंतरी ग्राम की गैर वन भूमि पर पर्यटन गतिविधियां

डीपीआर स्वीकृति पश्चात उपरोक्त गतिविधियां सम्पादित करवाई जायेंगी।

(2) जी हां। हर्ष पर्वत पर रोप-वे एवं रेस्टोरेन्ट बनाने की योजना को हर्ष प्रोजेक्ट की द्वितीय फेज की डीपीआर में पीपीपी मोड पर करवाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

हर्ष पर्वत पर रोप-वे एवं रेस्टोरेन्ट बनाने की गैर वानिकी गतिविधियां होने के कारण इस पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते है। किसी तकनीकी एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर आनलाइन डाईवर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्ति में टंकण परीक्षा में छूट

347. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार मृतक आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति में टंकण परीक्षा समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) यदि मृतक आश्रित राज्य कर्मचारी दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को नियुक्त हुआ है और 2017-2018 में उक्त कर्मचारी द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो कर्मचारी की पदोन्नति में वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से मानी जायेगी या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना मृतक आश्रित राज्य कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति लाभ दिया जा सकता है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 7(1) के अनुसार आश्रित को संबंधित सेवा नियमों के अधीन पद के लिए नियुक्ति के समय विहित अर्हताएं होनी चाहिए। मंत्रालयिक सेवा नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर भर्ती दो चरणों में परीक्षा आयोजित कर, की जाती है जिसमें द्वितीय चरण में टंकण परीक्षा लिये जाने का प्रावधान है।

चूंकि अनुकम्पा नियमों के तहत नियुक्त कर्मचारी की कार्यकुशलता के दृष्टिगत इन्हें नियुक्ति के पश्चात पद से संबंधित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा का प्रावधान किया जाना उचित समझा गया है। इस हेतु टंकण परीक्षा समाप्त किये जाने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(2) मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्ति नियमित नियुक्ति होती है। नियमों के अन्तर्गत मृतक आश्रित को 01 वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता एवं 03 वर्ष में कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

सभी सेवा नियमों में वरिष्ठता का निर्धारण नियमित नियुक्ति तिथि से किये जाने का प्रावधान है। इन पर संबंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधान

(कार्मिक मंत्री)

ही लागू होते हैं। अत: इनकी वरिष्ठता कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जाती है चाहे मृतक आश्रित द्वारा निर्धारित अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई हो। दिनांक 01/04/12 को कनिष्ठ लिपिक (वर्तमान में लिपिक ग्रेड-द्वितीय/कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्त मृतक आश्रित की वरिष्ठता उसकी कार्यग्रहण दिनांक से ही मानी जावेगी तथा कार्मिक को पदोन्नति, पद की योग्यता/पात्रता रखने एवं उस वर्ष में उसकी श्रेणी के अनुसार रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में ही नियमानुसार देय होगी। नियम की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम-9 के अनुसार मृतक आश्रित को 03 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर नियमानुसार उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। जब तक वे ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होती है तथा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जाती हैं किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जाता है।

अत: तद्नुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना मृतक आश्रित कर्मचारियों को नियमानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं है। चूंकि नियमों के अनुसार कार्मिक का स्थायीकरण एवं वार्षिक वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है। अत: पदोन्नति भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही देय होगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के आवासों में नियम विरुद्ध रहने वालों पर कार्यवाही

348. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान के आवासों में नियम विरुद्ध रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त संस्थान के आवासों में नियम विरुद्ध रहने वाले अधिकारियों से बाजार दर पर किराया वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के आवासों में निवासरत अधिकारियों को सक्षम स्तर से आबंटन हुआ है तथा बिना सक्षम आबंटन कोई अधिकारी निवास नहीं कर रहा है परन्तु संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर परिसर स्थित आवास संख्या आर-66 जो कि पूर्व में संस्थान में पदस्थापित तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (लेखा) मोहम्मद आबिद खान को आबंटित किया गया था, उनके स्थानान्तरण के पश्चात उक्त आवास उनके द्वारा रिक्त नहीं किया गया है। जिसके बाबत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(2) बिन्दु संख्या एक के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या 349

(स्थगित)

जयपुर डिस्काम में स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध

350. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसम्बर, 2018 तक जयपुर विद्युत वितरण निगम में कब-कब स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगाये गये? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानान्तरण, पदस्थापन व वर्किंग अरेजमेन्ट किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रतिबंध की अवधि में कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यभार व दायित्व में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार के प्रतिबन्ध के उपरान्त भी जयपुर डिस्काम में समय-समय पर वर्किंग अरेजमेन्ट के आधार पर कर्मचारियों व अधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? दोषी अधिकारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम के आम जन उपयोगी सेवा प्रदाता उपक्रम होने के कारण सभी संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन/वर्किंग अरेजमेन्ट अति आवश्यक होने पर ही किया गया है।

(3) जी हां। निगम आवश्यकताओं व लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों के कार्यभार व दायित्व में प्रशासनिक व तकनीकी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया गया है।

(4) उपरोक्तानुसार। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन/ वर्किंग अरेंजमेन्ट विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखने, दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं निगम के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाल अपराधियों के दर्ज प्रकरण

351. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में होने वाले अपराधों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2015-16 से 31 दिसम्बर, 2017 तक होने वाले बाल अपराधियों की संख्या कितनी है? जिलेवार व वर्षवार बाल अपराधियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बच्चे किस प्रकार के अपराधों में लिप्त पाये गये/पकड़े गये? वर्ष 2015-16 से 31 दिसम्बर, 2017 तक जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बाल अपराधियों के आयु वर्ग 11-14 वर्ष व 14-18 वर्ष की आयु वर्ग के आधार पर उक्त अवधि में जिलेवार व वर्षवार बाल अपराधियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में होने वाले अपराधों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होते हैं। वर्ष 2015, 2016 से दिसम्बर 2017 तक शामिल बाल अपचारियों (बाल अपराधियों) की कुल संख्या 9827 है।

(गृह मंत्री)

जिलेवार व वर्षवार बाल अपराधियों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के पेज संख्या 1 से 3 पर अंकित हैं।

(2) वर्ष 2015, 2016 से दिसम्बर 2017 तक बाल अपराधों में लिप्त पाये गये/पकडे गये बाल अपचारियों (बाल अपराधियों) का जिलेवार व वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब के पेज संख्या 1 से 19 में अंकित है।

(3) बाल अपचारियों (बाल अपराधियों) की आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष व 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के आधार पर संख्या का जिलेवार व वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-स के पेज संख्या 1 से 3 में अंकित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में नये पुलिस थाने व चौकियां खोलने की योजना

352. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में वर्तमान में कितने पुलिस थाने, चौकियां स्थाई/ अस्थाई रूप से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में सरकार द्वारा नये पुलिस थाने एवं चौकियों के सृजन हेतु कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मारवाड़ जंक्शन पुलिस थाने के थाना अधिकारी का पद उप निरीक्षक से निरीक्षक श्रेणी में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्तमान में 27 पुलिस थाने, 46 स्थाई पुलिस चौकियां एवं 4 अस्थाई पुलिस चौकियां संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला पाली में नये पुलिस थाने व चौकियों के सृजन के संबंध में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(3) राज्य में पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हेतु पुलिस निरीक्षक के पद का सृजन प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाल अपराधों की लम्बित जांच

353. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों (दिसम्बर, 2017 तक) प्रदेश में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण, हत्या के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज किये गये प्रकरणों में से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा कितने प्रकरणों में वर्तमान में जांच चल रही है? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दर्ज प्रकरणों में 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने बच्चों को राहत पहुंचाकर अभियुक्तों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों (जनवरी 2013 से दिसम्बर 2017 तक) में राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण एवं हत्या के कुल 9,622 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जो निम्नानुसार है:-

बलात्कार	**शारीरिक शोषण**	**हत्या**	**कुल दर्ज प्रकरण**
6,519	2,851	252	9,622

जिनका वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ, ब, स पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों (जनवरी 2013 से दिसम्बर 2017 तक) में राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण एवं हत्या के कुल 9,622 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें 8,154 प्रकरणों में 11,926 अपराधियों को गिरफतार कर उनके विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा 159 प्रकरणों में जांच चल रही है, जो निम्नानुसार है:-

शीर्षक	**दर्ज प्रकरणों की संख्या**	**गिरफ्तार अपराधियों की संख्या**	**चालान**	**एफ.आर.**	**पैण्डिंग**
बलात्कार	6519	8434	5671	742	106
शारीरिक शोषण	2851	3188	2285	524	42

(गृह मंत्री)

शीर्षक	दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार अपराधियों की संख्या	चालान	एफ.आर.	पैण्डिंग
हत्या	252	304	198	43	11
कुल योग	9622	11926	8154	1309	159

दर्जशुदा प्रकरणों का वर्षवार प्रकरणवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ ब स के कॉलम संख्या 12 में दर्ज है।

(3) गत पांच वर्षों (जनवरी 2013 से दिसम्बर 2017 तक) राज्य में बच्चों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण एवं हत्या के कुल 9,622 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनमें 8,154 प्रकरणों में चालान पेश किया जाकर 5,075 बच्चों को राहत पहुंचाई गई है, जो निम्नानुसार है:-

शीर्षक	दर्ज प्रकरणों की संख्या	राहत पहुंचाने गये बच्चों की संख्या
बलात्कार	6519	3210
शारीरिक शोषण	2851	1825
हत्या	252	40
कुल योग	9622	5075

दर्जशुदा प्रकरणों का वर्षवार, प्रकरणवार व जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ, ब, स" के कालम संख्या 13 में दर्ज है। बच्चों को अन्य राहत पहुंचाने के मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा में नये पुलिस थानों की स्थापना

354. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये पुलिस थाने खोलने के क्या नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नये पुलिस थाने खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नये पुलिस थाने खोले जाने के बाबत थाने की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, साम्प्रदायिक स्थिति, कानून एवं व्यवस्था, वृहत-लघु औद्योगिक इकाइयाँ एवं धार्मिक/पर्यटक स्थलों तथा प्रस्तावित थाना क्षेत्र के आपराधिक परिदृश्य के आधार पर औचित्य सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक निर्णय लिया जाता है।

(2) क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नये पुलिस थाने खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

सलूम्बर की पंचायतों में जर्जर सरकारी भवनों की मरम्मत

355. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधीन पुराने सरकारी जर्जर भवनों की मरम्मत करवाकर उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की ग्राम पंचायतों के अधीन पुराने सरकारी जर्जर भवनों की नियमानुसार मरम्मत करवाकर उपयोग में लेने का विचार रखती है।

गांवों में मूलभूत सुविधाओं के सृजन एवं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है। उपलब्ध राशि का उपयोग किस कार्य पर किया जाना है, बाबत निर्णय संबंधित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ही लिया जाकर कार्य योजना (जीडीपी) तैयार की जाती है एवं तदनुसार कार्यों का सम्पादन कराया जाता है।

ग्राम पंचायतों के पट्टों का नामान्तकरण

356. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि के पट्टों के नामांतकरण करने के कोई नियम/प्रावधान हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में किस-किस ग्राम पंचायत द्वारा कहां -कहां कितनी-कितनी भूमि के पट्टों का नामांतकरण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षैत्र बांदीकुई में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा भूमि के पट्टों का नामांतकरण नहीं किया गया है।

स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार-प्रसार पर व्यय राशि

357. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या पंचायती राज राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार-प्रसार पर 31 दिसम्बर, 2017 तक कितनी राशि व्यय की गई है? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में व्यय की गई राशि के विरुद्ध सरकार को कितनी सफलता मिली है? क्या सरकार व्यय राशि व अभियान की सफलता की प्रगति की जांच स्वतंत्र एजेन्सी से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रचार-प्रसार सहित दिनांक 12.02.2018 तक रुपये 1467 करोड़ जिसमें मदवार शौचालय की प्रोत्साहन राशि हेतु 1459 करोड़ एवं अन्य मद (प्रचार-प्रसार/एसएलडब्लयूएम/प्रशासनिक) में 8.30 करोड़ राशि व्यय की गई है। मदवार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियान में व्यय की गई राशि के विरुद्ध सरकार को अपेक्षित सफलता मिली है। सरकार द्वारा विधानसभा सत्र 2014 में की गई घोषणा ''राज्य को मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जायेगा'' की उपलब्धि 97.81 प्रतिशत हो चुकी है। तथा 33 जिलों में से 24 जिलो को ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित किया जाकर शेष 9 जिले भी मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त हो जाएगें। इस प्रकार विधान सभा सत्र 2014 की घोषणा के अनुरूप शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करते हुए राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जायेगा। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अभियान की सफलता की प्रगति की जांच भारत सरकार द्वारा नेशनल लेवल मानिटर एवं स्वतंत्र एजेन्सी से करवाई जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

358. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में गत तीन वर्षों में कितने नये उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं? वर्षवार, नामवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किये गये? वर्षवार, नामवार एवं ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17) में विधान सभा क्षेत्र धरियावद में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) गत तीन वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17) में विधान सभा क्षेत्र धरियावद में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

प्रदेश के संविदा आयुष चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि

359. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संविदा आयुष चिकित्सकों का मानदेय 16800 रुपये निर्धारित है? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों में आयुष चिकित्सकों को अन्य संवर्गों के कार्मिकों के अनुपात में दिये जाने वाले वेतन के अनुसार राज्य के भी उक्त चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों का मानदेय 8000 रुपये से बढाकर 16800 किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आयुष चिकित्सकों का मानदेय सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) क्या सरकार संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों को नियमित भर्ती के समान सभी मानदंडो यथा लिखित परीक्षा, मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन आदि से चयन के बाद पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को 16800/- प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। एनआरएचएम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमानित पीआईपी 2017-18 में उल्लेखित मासिक मानदेय दर के अनुसार मानदेय दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन प्रतिवर्ष भारत सरकार की स्वीकृति के अध्यधीन वार्षिक मानदेय वृद्धि दी जाती है।

(2) जी नहीं। वित्त विभाग राजस्थान सरकार की स्वीकृति के अनुसरण में दिनांक 13.04.2010 को राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सकों का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 16800 रुपये किया गया था।

एनआरएचएम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कैडर के कार्मिक, संविदा कार्मिक है, जो नियमित कार्मिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत एनआरएचएम के संविदा कार्मिकों को कोई लाभ देने का प्रावधान नहीं है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला चिकित्सालय, झुन्झुनूं में आधुनिक मशीनों की स्थापना

360. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला चिकित्सालय झुंझुनूं में रेडियोग्राफी की आधुनिक मशीनें सीटी स्कैन/एमआरआई आदि लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(3) उक्त चिकित्सालय में कितने बैड स्वीकृत हैं? क्या सरकार बैडों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय, झुंझुनूं में निजी जनसहभागिता के माध्यम से सीटी स्कैन मशीन संचालित है। निजी जनसहभागिता के माध्यम से एमआरआई मशीन स्थापित कर संचालन करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जिला चिकित्सालय, झुंझुनूं में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) जिला चिकित्सालय, झुंझुनू में वर्तमान में 200 शय्याएं स्वीकृत हैं।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.12.2017 के द्वारा जिला चिकित्सालय झुंझुनूं में 50 अतिरिक्त शय्याओं में वृद्धि किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निःशुल्क दवा व जांच के लाभार्थी

361. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं किस प्रक्रिया के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में नि:शुल्क दवा और जांच योजना लागू है? यदि हां, तो कब से व 31 दिसम्बर, 2017 तक उक्त योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। प्रदेश में दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से सभी राजकीय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थानों में 'नि:शुल्क दवा योजना' लागू की गई है। योजना प्रारम्भ से 31 दिसम्बर, 2017 तक लाभान्वित व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

प्रदेश में नि:शुल्क जांच योजना चरणबद्ध रूप से 7 अप्रैल, 2013 से राजकीय चिकित्सा संस्थानों में लागू की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

जांच योजना प्रारम्भ से 31 दिसम्बर, 2017 तक योजना से लाभान्वित व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैसलमेर जिले में बड़े उद्योग लगाने की कार्ययोजना

362. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले में कौन-कौनसे बड़े उद्योग लगाने की कार्ययोजना सरकार के विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में स्थानीय निवासियों को स्थानीय उद्योग धंधों में स्थाई रोजगार प्रदान करने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लेने का विचार रखती? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में आगामी वर्षो में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने की कार्ययोजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) सम्पूर्ण राजस्थान में जिसमें जैसलमेर जिला भी शामिल है, में स्थानीय उद्योग धंधों में स्थानीय निवासियों को रोजगार प्रदान करने बाबत प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजागार देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महो. के बजट 2018-2019 के भाषण अनुसार राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिए Employment subsidy की प्रत्येक श्रेणी में 5000 रुपये की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में most backward Area तथा backward Areas में स्थापित उद्योगों में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने पर अनुदान की

(उद्योग मंत्री)

वर्तमान श्रेणीवार सीमा 40,000 रुपये तथा 35,000 रुपये को बढ़ाकर क्रमश: 45,000 रुपये व 40,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा, जोधपुर में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

363. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा, जोधपुर में ई.पी.आई.पी. क्षेत्र में हेण्डीक्राफ्ट व ग्वारगम उत्पादनों पर रिसर्च करने व दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने हेतु दिनांक 08 अगस्त, 2007 को रीको द्वारा विभाग को 5 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त निर्धारित शर्तों की पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि को अन्य उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा, ई.पी.आई.पी. (जोधपुर) में हेण्डीक्राफ्ट व ग्वारगम उत्पादनों पर रिसर्च करने व दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने हेतु रीको द्वारा आयुक्त (उद्योग एवं निर्यात) उद्योग विभाग, उद्योग भवन, जयपुर को दिनांक 08.08.2007 को 5 एकड़ भूमि का आवंटन 99 वर्षों की लीज पर नि:शुल्क किया गया है। रीको द्वारा उक्त भूखण्ड के चारों तरफ चारदीवारी का निर्माण डिपोजिट कार्य के आधार पर करवाया जा चुका है। केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु ब्रहमगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया है। समिति से प्रस्तावित परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त केन्द्र के बेसिक भवन के निर्माण हेतु कार्यवाही आरम्भ की जावेगी।

उपखण्ड मुख्यालय कपासन व भोपालसागर में महाविद्यालय की स्थापना

364. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय कपासन व भोपालसागर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। उपखण्ड मुख्यालय कपासन में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का 01 राजकीय महाविद्यालय, कपासन संचालित है।

उपखण्ड मुख्यालय भोपालसागर से लगभग 15 किमी दूरी पर राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का 01 राजकीय महाविद्यालय संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर उपखण्ड मुख्यालय भोपालसागर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में आई.टी.पी.आई. डिग्री की मान्यता

365. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स आफ इंडिया (ITPI) द्वारा कर्नाटक राज्य ओपन यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध होकर प्रदान की गयी दोहरी प्रमाणन पाठ्यक्रम डिग्री किसी भी सरकारी या निजी विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्षीय नियमित पाठ्यक्रम के रूप में प्रदान की गयी मास्टर आफ प्लानिंग (M Plan) की स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त ITPI द्वारा प्रदान की गयी दोहरी प्रमाणन पाठ्यक्रम डिग्री धारक को राजकीय सेवा या कालेज में व्याख्याता की आवश्यक की निर्धारित योग्यता के समतुल्य माना जा सकता है या मान्यता दी जा सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त ITPI द्वारा प्रदान की गयी दोहरी प्रमाणन पाठयक्रम डिग्री धारक को Phd करने के योग्य माना जा सकता है? यदि हां, तो UGC के किस नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ITPI क्या है, इनको क्या वैधानिक अधिकार प्राप्त है? इनकी

(श्री राम लाल गुर्जर)

कार्य करने की क्या सीमाएं हैं तथा क्या इसकी वैधानिक मान्यता किसी भी पाठ्यक्रम को अनुमोदित करने की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को मानने के लिए बाध्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ITPI के एकाधिकार को बन्द कराने का विचार रखती? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अधिसूचना के अनुसार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र की डिग्रियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित करने की अनुमति नहीं है। राज्य के अधिनियम से स्थापित विश्वविद्यालयों को सिर्फ राज्य के क्षेत्राधिकार में ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रमसंचालित करने की अनुमति है। इंस्टीट्यूट आफ टाउन प्लानर्स को किसी प्रकार की डिग्री देने का अधिकार नहीं है। मास्टर आफ प्लान की डिग्री स्नात्कोत्तर डिग्री है। यदि कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा कर्नाटक राज्य के क्षेत्राधिकार में नियमित माध्यम द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार व नियामक संस्थाओं के नियमानुसार मास्टर आफ प्लानिंग डिग्री दी जाती है तो यह डिग्री मान्य होगी तथा स्नातकोत्तर डिग्री होने के कारण स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष होगी।

(2) राजकीय सेवा या कालेज व्याख्याता पद हेतु योग्यताएं राज्य सरकार व विनियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिनमें वैध डिग्रियों को ही मान्य माना जाता है। चूंकि ITPI को डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। अत: यदि इस संस्था द्वारा कोई डिग्री जारी की जाती है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 या अन्य डिग्री प्रदान करने का अधिकार प्रदान करने वाली केन्द्रीय अधिनियम के स्थापित नहीं होने पर ITPI द्वारा प्रदान गई डिग्री मान्य नहीं है।

(3) ITPI को डिग्री प्रदान करने के अधिकार के संबंध में कोई अधिनियम विभाग के संज्ञान में नहीं है। अत: इसके द्वारा यदि कोई डिग्री प्रदान की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी। इस कारण ITPI द्वारा प्रदान की गई डिग्री को पीएच.डी. का आधार नहीं माना जा सकता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(4) ITPI तकनीकी शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। ITPI को डिग्री प्रदान करने अथवा पाठ्यक्रमों को अनुमोदित करने को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकार ITPI के डिग्री की मान्यता संबंधी निर्णय मान ने के लिए बाध्य नहीं है।

(5) संस्था इस विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अत: ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रमिक कार्ड बनाने हेतु ग्राम पंचायतों पर शिविर लगाने की योजना

366. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर श्रमिक कार्ड बनाने हेतु कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार श्रमिकों को लाभ दिलाने के लिये विधान सभा क्षेत्रवार कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार समय-समय पर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर श्रमिकों को इससे होने वाले लाभों की जानकारी देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों की सुविधा व सुगमता की दृष्टि से पंजीयन के कार्य को विकेन्द्रीकृत करते हुए समस्त विकास अधिकारियों को दिनांक 5.8.2013 को पंजीयन हेतु अधिकृत किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर" व "न्याय आपके द्वार" शिविरों में विभागीय कर्मचारियों द्वारा निर्माण श्रमिकों को पंजीयन एवं योजनाओं की जानकारी दी जाती है।

मालपुरा में दर्ज सरकारी भूमि

367. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैयालाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्तमान में कितनी-कितनी गोचर एवं सिवाय चक भूमि स्थित है? नगरपालिकावार, ग्राम पंचायतवार व ग्रामवार खसरा नम्बर एवं क्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी सरकारी भूमि कहां-कहां स्थित है तथा उक्त भूमि किस उपयोग में ली जा रही है व उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की तहसीलवार स्थित सिवायचक एवं चरागाह भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**नाम तहसील**	**स्थित ग्रामों की संख्या**	**स्थित सिवायचक भूमि**	**स्थित चरागाह भूमि**
1	मालपुरा	169	10952.27 है.	10141.00 है.
2	टोडारायसिंह	84	6201.80 है.	5724.01 है.
	कुल योग	**253**	**17154.07 है.**	**15865.01 है.**

तहसील मालपुरा का विवरण परिशिष्ट-अ एवं तहसील टोडारायसिंह का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में स्थित तहसील क्षेत्र मालपुरा की सरकारी भूमि की सूचना परिशिष्ट-अ एवं तहसील टोडारायसिंह की सरकारी भूमि की सूचना परिशिष्ट "ब" में ही समाहित है।

तहसील मालपुरा में ग्रामवार अतिक्रमित भूमि, उपयोग व की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" एवं तहसील टोडारायसिंह का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

अतिक्रमियों के विरुद्ध समय-समय पर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम केशवपुरा (सांगानेर) में मंदिर माफी की भूमि

368. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री फूलसिंह मीणा)

(1) ग्राम केशवपुरा (केशोपुरा) तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में किन -किन खसरा नं. की भूमि मंदिर माफी के नाम दर्ज है? पुराना खसरा नम्बर, नवीन खसरा नम्बर, रकबा, खातेदार का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एन.एच. 08 जयपुर से किशनगढ़ के मध्य फोर लेन सड़क निर्माण हेतु ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर की मंदिर माफी की भूमि अवाप्ति कर मुआवजा दिया गया था? यदि हां, तो कब और किन नियमों के अन्तर्गत व कितने मुआवजे का भुगतान किसको किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम केशोपुरा में मंदिर माफी की भूमि की खातेदारी, खातेदार के नाम दर्ज कर दी है? यदि हां, तो कब एवं किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्राम में मंदिर माफी की भूमि कितनी है और उन पर कौन-कौन अवैध कब्जा कर काश्त कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम केशवपुरा (केशोपुरा) की जमाबंदी संवत 2070-2073 के अनुसार माफी मंदिर के नाम दर्ज भूमि की सूचना परिशिष्ट-'क' संलग्न है।

(2) जी हां। एन.एच. 08 जयपुर से किशनगढ़ के मध्य 4 लेन सड़क निर्माण हेतु ग्राम केशवपुरा (केशोपुरा) के मंदिर श्री सीताराम जी के खसरा नं. 697 रकबा 0.0144, खसरा नं. 574 रकबा 0.0020 हैक्टे. किता 2 रकबा 0.0164 हैक्टे. भूमि अवाप्ति की गई है।

अवाप्ति का गजट नोटिफिकेशन, अवार्ड की छाया प्रति व मुआवजा वितरण का विवरण परिशिष्ट-'ख' संलग्न है।

(3) जी हां।

1. ग्राम केशवपुरा (केशोपुरा) के गत ख.नं. 196, 197, 198, 200, 201, 202 किता 6 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2015-2034 में माफी देन बड़ा राज मंदिर श्री गोपालजी विराजमान देह हाजा पुजारी भौंरा पुत्र शंकर कौम ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त दर्ज रही है जो संवत 2020 की जमाबंदी में भौंरा पुत्र शंकर कौम ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज की गई है। जिसके हाल ख.नं. 649, 652, 653, 655 किता 4 कुल रकबा 2.33 हैक्टे. खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसका रेफरेंस सं. 23/2016 उनवान जगदीश प्रसाद

(राज्य मंत्री, राजस्व)

बनाम सरकार व अन्य मा. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जयपुर में विचाराधीन है। प्रति परिशिष्ट-ग संलग्न है।

2. गत ख.नं. 285, 315, 316 किता 3 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा भूमि संवत 2015 में माफी मंदिर श्री सीताराम जी खुदकाश्त दर्ज रही है। जिसको हाल भू प्रबन्ध सर्वेक्षण के दौरान जरिये नामान्तकरण सं. 09 निर्णय दिनांक 15.02.1988, नामान्तकरण सं. 16 दिनांक 14.10.1988, नामान्तकरण सं. 34 दिनांक 07.07.1988 के द्वारा मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी विलोपित करते हुए खातेदारों के नाम दर्ज कर दी गई। (नामान्तकरण सं. 9, 16, 34 की प्रति परिशिष्ट-घ संलग्न है।) जिसके हाल ख.नं. 575, 698, 698/943, 699 किता 4 रकबा 1.6548 हैक्टे. खातेदारों के नाम दर्ज है। जिसका रेफरेंस सं. 67/2016 राज. सरकार जरिये तहसीलदार बनाम गणेश मा. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जयपुर में विचाराधीन है। (परिशिष्ट-ड संलग्न है।)

(4) हाल जमाबंदी अनुसार ग्राम केशवपुरा (केशोपुरा) में रकबा 10.46 हैक्टे. भूमि माफी मंदिर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में पटवारी हल्का की दिनांक 23.02.2018 की मौका रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-च संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा (जयपुर) में भूमि की अवाप्ति

369. श्री कुंजीलाल (बामनवास): क्या नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा (जयपुर) की कालोनियों की जमीन अवाप्त कर बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किस-किस कालोनीं की कितनी-कितनी जमीन? कालोनी का नाम, प्लाट होल्डर का नाम, प्लाट नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मिथिला विहार प्रथम जगतपुरा की कालोनी भी उक्त कार्यवाही से प्रभावित हो रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसे प्लाटधारी प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की कितनी-कितनी

(श्री कुंजीलाल)

जमीनें उक्त कार्यवाही के तहत अवाप्त की जावेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कालोनियों व प्लाटधारियों के नाम से न की जाकर बल्कि अवाप्ति प्रक्रिया से प्रभावित राजस्व ग्राम के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारों/खसरा नम्बरान व प्रभावित रकबे से की जाती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित 02 भूमि अवाप्ति प्रकरण विचाराधीन है-

1- भारतीय विमानपत्तन के लिए अवाप्त की गई 59.69 एकड़ भूमि के बीच में अवाप्ति से छूट गये खसरा नम्बरों की अवाप्ति का प्रकरण, जिसका क्षेत्रफल 17348 वर्गमीटर है। इस अवाप्ति प्रकरण में सम्मिलित गांवों एवं उनके खसरा नम्बरों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

2- विमानपत्तन प्राधिकरण के लिये पैरेलल टैक्सी ट्रेक के विस्तारीकरण हेतु भूमि की अवाप्ति की आवश्यकता है, जिसका क्षेत्रफल 850X60=51000 वर्गमीटर भूमि है। इस अवाप्ति प्रकरण में सम्मिलित गांवों एवं उनके खसरा नंबरान का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(2) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कालोनियों व प्लाटधारियों के नाम से न की जाकर बल्कि अवाप्ति प्रक्रिया से प्रभावित राजस्व ग्राम के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारों/खसरा नंबरान व प्रभावित रकबे से की जाती है। कालोनियों/प्लाटधारियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्रबोधकों को पदोन्नति देने की योजना

370. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार 09 वर्षो से कार्यरत प्रबोधकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रबोधकों की योग्यता के आधार पर लेवल निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के नियम-29 के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबोधक के पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हत अनुभव रखने वाले प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में वरिष्ठ प्रबोधक नाम से पद सृजित/स्वीकृत नही है। प्रबोधकों की पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09.07.13 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया व इस अधिसूचना द्वारा प्रबोधक सेवा नियम की अनुसूची का संशोधन कर प्रबोधकों के निम्नानुसार पद सेवा नियमों में प्रविष्ट किये गये-

प्रबोधक

1. सामान्य शिक्षा

(क) कक्षा-1 से 5 के लिए स्तर-1

(ख) कक्षा-6 से 8 के लिए स्तर- 2

2. शारीरिक शिक्षा

वर्ष 2008 में प्रबोधक पद के नाम से भर्ती की गई है इन प्रबोधकों का लेवल-प्रथम व लेवल-द्वितीय का पृथक-पृथक लेवल निर्धारण नहीं किया गया है।

प्रदेश में शहीदों के नाम से विद्यालयों के नामकरण के लम्बित प्रस्ताव

371. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शहीदों के नाम से स्कूल के नामकरण करने के कितने प्रस्ताव लम्बित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा एकीकरण के नाम पर शहीदों के नामकरण वाले विद्यालयों को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे विद्यालयों को? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बंद किये गये शहीदों के नाम के विद्यालयों के स्थान पर अन्य विद्यालयों का नामकरण उक्त शहीदों के नाम से करने का

(श्री रतन लाल जलधारी)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में शहीदों के नाम से विद्यालय के नामकरण किये जाने के संबंध में 33 प्रस्ताव एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में शहीदों के नाम से विद्यालयों के नामकरण करने के 72 प्रस्ताव लम्बित है। विधानसभावार क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एकीकरण की कार्यवाही के तहत किसी भी शहीद के नामकरण वाले विद्यालय को बन्द नहीं किया गया है, अपितु अन्य राजकीय विद्यालयों में समन्वित किया है, जिनका विधानसभावार क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शहीद के नाम से संचालित 03 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समन्वय हो जाने से इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण शहीद के नाम से किया गया।

(3) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एकीकरण की कार्यवाही के तहत किसी भी शहीद के नामकरण वाले विद्यालय को बन्द नहीं किया गया है, अपितु अन्य राजकीय विद्यालयों में समन्वित किया है।

समन्वित विद्यालयों के नामकरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने नामकरण की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में समन्वित विद्यालय के शहीद के नाम से अन्य विद्यालय का नामकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बाड़मेर-जैसलमेर के किसानों को कर्ज माफी में विशेष रियायत

महोदय,

माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत बजट 2018 में प्रदेश के किसानों के हित के लिए पचास हजार रुपये तक के कर्ज माफी की घोषणा स्वागत योग्य है लेकिन इसमें दो हैक्टेयर भूमि तक की हद तय करने से गाड़मेर-जैसलमेर के किसानों को निराशा ही हाथ आई है। चूंकि बाड़मेर-जैसलमेर दोनों जिलों की भूमि मरुस्थलीय होने के साथ-साथ यहां का अधिकांश भाग असिंचित है और मात्र वर्षा ऋतु पर ही खेती का कार्य निर्भर करता है यहां के किसान मात्रात्मक रूप से अधिक भूमि रखते हैं किन्तु पैदावार के नाम पर यहां वर्ष भर में प्रदेश के अन्य जिलों के सीमान्त व लघु कृषकों से तुलनात्मक रूप से कम पैदावार प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में भूमि अधिक होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों की आर्थिक हालात विपन्न ही रहती है।

इस संबंध में बाड़मेर-जैसलमेर जिलों की विशेष पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए इन जिलों के किसानों को विशेष रियायत देते हुए कर्जमाफी हेतु भूमि उपलब्धता की हद बढ़ाने हेतु सरकार व सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

तरुण राय कागा

(चौहटन)

बीकानेर (पश्चिम) में नत्थूसर गेट से रानीसर बास तक क्षतिग्रस्त नाले की मरम्मत

महोदय जी,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में नत्थूसर गेट से रानीसर बास तक सन् 1977 में बने नाले में 10 वार्डों का गन्दा पानी बहता है। इस नाले पर निर्माण समय के बाद अब तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण नाले की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कभी भी गम्भीर हादसा होने का डर बना रहता है।

इस नाले में जगह-जगह पेड़ व अन्य पौधे उग आए हैं एवं इसके पास कई विद्युत पोल होने के कारण जन व पशु हानि का खतरा बना रहता है, बरसाती मौसम में तो स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो जाती है।

इस नाले की नियमित सफाई न होने के कारण इस नाले के पास रहने वालों को एवं इस रास्ते से होकर जाने वाले रामदेवरा मंदिर के दर्शनार्थियों को भी काफी परेशानी होती है।

प्रशासन के इस समस्या से अवगत होने पर भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस समस्या को गम्भीरता से लेते हुए, इस समस्या का निस्तारण करवाने की कार्यवाही की जाए।

गोपाल कृष्ण

(बीकानेर पश्चिम)

अकलेरा नगरपालिका में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का आबंटन

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अकलेरा नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान आवसन मण्डल की घरौन्दा योजना अन्तर्गत भोपाल रोड स्थित सरकारी जमीन पर मकान बनाकर मण्डल की योजना अन्तर्गत तय राशि जमा करा कर आबंटित करना था। जबकि वर्ष 2001 में मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, गरीब लोगों ने तय राशि भी जमा करवा दी। तब से आज दिनांक तक किसी को मकान आबंटन नहीं हुआ प्रार्थी सम्बन्धित कार्यालय के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं। बने बनाए मकानों में असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। उनके खिड़की दरवाजे निकाल कर बेच रहे हैं। घरौदा योजना में बने मकान खण्डर का रूप लेते जा रहें है। अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल राजस्थान आवसन मण्डल कि घरौंदा योजना के अन्तर्गत बने मकानों को गरीब जनता को आबंटन कराया जाए, ताकि गरीब लोगों को घर नसीब हो सके।

कंवर लाल

(मनोहरथाना)

केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंकों के वेतन समझौते की पालना

मान्यवर जी,

आज के युग में बैंकिंग प्रणाली आम आदमी के जीवन का अभिन्न अंग है। इन राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ ही राजस्थान प्रदेश में शीर्ष सहकारी बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं तथा उनकी हजारो शाखाएं हैं उनमें हजारों कार्मिक कार्यरत हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मियों को पांच वर्ष की अवधि हेतु वेतनमान/वेतन समझौता केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रकार राज्य की शीर्ष सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के कर्मियों को पांच वर्ष की अवधि के लिये वेतनमान/वेतन समझौते राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। इस वेतन समझौते से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ता है। बैंकिंग नियमानुसार बैंक अपने फण्ड से इन कर्मियों को वेतनमान अदा करतें हैं, इन बैंक कर्मियों को 14वां वेतनमान भी करीब 37 माह बाद यानी 01.02.2012 को स्वीकृत किया था। जो अभी तक बकाया चल रहा है यानी 60 माह की अवधि के लिये होने वाले इस समझौते के 50 माह पूर्ण हो चुके हैं एवं इस सम्बन्ध में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अभी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि सहकारी विभाग के अधिकारी स्वयं 10 वर्ष से होने वाले 7वें वेतनमान का परिलाभ ले चुके हैं। बैंकों के वेतनमान के लिये माननीय केन्द्र सरकार (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा जारी निर्देश क्रमांक डीओ नं. 4/2/2/15 आईआर दिनांक 21.03.2017 के अनुसार बैंकों को देय वेतनमान की तिथि से पूर्व ही कार्यवाही की जाए ताकि समय पर वेतनमान स्वीकृत किये जा सकें, जबकि राज्य में देय तिथि से 50 माह की देरी चल रही है। ऐसी स्थिति में इन शीर्ष सहकारी/ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के हजारों कर्मियों को 15वां वेतनमान स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

इस अति संवेदनशील जनहित व तुरन्त आवश्यकता व आम जन के हित के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान करावें।

जोगाराम पटेल

(लूणी)

चिमनपुरा एवं सवाई माधोपुर में पृथक् कृषि महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषय में प्रार्थना निम्न प्रकार है-

1. 35 वर्ष पूर्व 1978 में जनता पार्टी सरकार ने बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा तथा राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर में कृषि संकाय खोला गया था तथा इन संकायों में प्रवेश में प्रदेश स्तर की व्यवस्था है तथा उनियारा में वर्तमान सरकार द्वारा खोला गया है।
2. जिले में सरकारी क्षेत्र में एक भी सरकारी कृषि महाविद्यालय नहीं है, जिससे गरीब विद्यार्थी एस.सी. एस.टी., अन्य पिछडा वर्ग, एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
3. चिमनपुरा, उनियारा एवं सवाईमाधोपुर कालेजों के कृषि संकायों में संकाय शिक्षकों के अधिकांश पद भरे हुए हैं। अलग कृषि स्नातक महाविद्यालय का दर्जा देने पर स्टाफ का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

   केवल वरिष्ठ संकाय सदस्य को प्राचार्य बनाकर बिना वित्तीय भार के संचालन हो सकता है।
4. चिमनपुरा महाविद्यालय के पास तो विश्वविद्यालय के मापदण्ड अनुरूप 85 बीघा भूमि आबंटित है। चिमनपुरा गाव में विस्तार के लिए 82 हैक्टर सरकारी भूमि भी उपलब्ध हैं।
5. प्रदेश में पांच-पांच सरकारी कृषि विश्वविद्यालय हैं परन्तु सरकारी क्षेत्र में एक-दो ही अलग स्नातक कृषि एवं पीजी कक्षा युक्त कृषि महाविद्यालय नहीं हैं, जबकि 35 वर्ष से कृषि संकाय चल रहा है तथा भौतिक संसाधन भी है। अलग कृषि महाविद्यालय के अभाव में आई.सी.ए.आर. का करोड़ों का वार्षिक अनुदान भी प्राप्त हो सकेगा। जिससे क्षेत्र के किसानों को भी नवीन कृषि लकनीकी एवं अनुसंधान का भी लाभ प्राप्त होगा।

अत: आगामी बजट उत्तर में तीनों क्षेत्रों चिमनपुरा, उनियारा एव

सवाई माधोपुर की जनता को अलग कृषि महाविद्यालय का तोहफा देने की कृपा करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी का रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC), फागी को रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना प्रेषित कर रहा हूं।

दूदू विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फागी दो स्टेट हाई-वे के मध्य स्थित है। यहां पर वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है, जो कि यहां की जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। क्षेत्र की स्थानीय जनता द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी को रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है, जो कि उचित एवं आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू (जयपुर) के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी को रैफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का आग्रह करता हूं जिससे कि स्थानीय जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध हो सके।

प्रेमचन्द बैरवा

(दूदू)

कोटा शहर में स्पेशल कोचिंग थाना की स्थापना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर को पूरे देश में शिक्षा नगरी के रूप जाना जाता है। लगभग 1.5 से 2 लाख कोचिंग विद्यार्थी देश के कौने-कौने से आकर यहां के नामी कोचिंग संस्थानों में वर्ष पर्यन्त अध्ययन करते हैं लेकिन

आई.आई.टी और मेडिकल की परीक्षा में काफी कम्पटीशन होने से पढ़ाई के भारी बोझ के कारण विद्यार्थी मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। कई बार तनाव में आकर कोचिंग छात्र अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं, कई विद्यार्थी लापता हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है ये हैं कि कोटा शहर में पढ़ाई के तनाव को दूर करने के लिए कोई सुविधा नही है| कोचिंग छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए उनकी उचित काउंसलिंग मनोरजन और मार्गदर्शन के लिए एक स्टूडेन्ट फैसिलिटी सेन्टर खोले जाने की काफी आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक ऐसा फैसेलिटी सेन्टर स्थापित किया जाए जिसमें छात्रों के लिए लाईब्रेरी हो, जिसमें उपयोगी और प्रेरणादायी पुस्तकों से विद्यार्थी का ज्ञानवर्धन हो, विद्यार्थियों के लिए इनडोर गेम्स की सुविधा उपलब्ध हो, छात्रों की उचित काउंसलिंग वहां पर हो, मनोचिकित्सक और योग शिक्षकों का परामर्श नियमित रूप से विद्यार्थी को उपलब्ध हो। इस स्टूडेन्ट फैसिलिटी सेन्टर के निर्माण में कोटा शहर के कोचिंग संचालक भी सहयोग करने को तैयार हैं। कई बार ये छात्र-छात्राएं असामाजिक तत्वों का शिकार बन जाते हैं। जब ये कोचिंग छात्र अपनी फरियाद लेकर सम्बधित थानों में जाते हैं तो यहां उनकी शिकायतों पर समय पर कार्यवाही नही हो पाती। इसलिये आवश्यकता है कि कोटा शहर में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों की सुनवाई और उनकी शिकायतों और समस्याओं के लिये कोटा शहर में अलग से कोचिंग थाना खोला जाएं।

अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि कोटा के कोचिंग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कोटा में स्टूडेन्ट फैसिलिटी सेन्टर और स्पेशल कोचिंग थाना खुलवाने की कृपा करें।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

बी.एड. डिग्रीधारक आवेदक की अध्यापक पद पर नियुक्ति

महोदय,

चूरू जिले के सादुलपुर के निवासी श्री सुनील कुमार शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु अध्यापक पद पर 2002 में आवेदन किया था। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने इनकी बी.एड. डिग्री को अमान्य कर कनिष्ट लिपिक पद पर नियुक्ति दे दी, जबकि इनके बी.एड. सहपाठियों को इनसे पहले 1999 व इनके बाद 2005 में इस बी.एड. डिग्री को मान्य मानकर अध्यापक पद पर

नियुक्ति दी। प्रार्थी ने दस वर्षो तक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त करने हेतु लड़ाई लड़ी, जिसमें विभाग टाल-मटोल करते हुए अन्त में 2012 में इनकी बी.एड. डिग्री को मान्य माना गया। प्रार्थी द्वारा विभाग को बार-बार परिवेदनाएं दी गईं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अध्यापक पद पर नियुक्ति दिलवाकर न्याय प्रदान करें।

मनोज कुमार

(सादुलपुर)

बारां-अटरू में स्कूलों का एकीकरण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शिक्षा विभाग द्वारा एकीकरण किया गया था उसमें चार विद्यालय प्रा.वि. अरण्या खेड़ा को प्रा. वि. मेहला, प्रा.वि. को भोजू खेड़ी को प्रा.वि. बडोरा, प्रा.वि. कुकर तालाब को प्रा.वि. उग्रपुरा प.स. अटरु तथा नगर परिषद क्षेत्र बारां के, प्रा.वि. लक्ष्मीपुरा को प्रा. वि. बामन माता की झोपड़िया में मर्ज कर लिया गया है। जिससे इन गांवों के बच्चों को 3 से 5 किमी तक की दूरी तय करके विद्यालय जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चे दूर जाने के कारण प्रवेश लेने से वंचित हो रहे हैं। पूर्व में भी मेरे द्वारा विभाग को अवगत करवाया जा चुका है। परन्तु अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। बालकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त विद्यालयों को पुनः यथास्थान पर सुचारु करने का आदेश करवाएं, साथ ही मेरे क्षेत्र में उ.प्रा.वि. किशनपुरा मसाल दारान (अटरू) में स्थित है जो ग्राम पंचायत के केन्द्र शेरगढ़ से 40 किमी दूर है तथा पं.स खानपुर का मा.वि. विद्यालय भी 12 किमी से अधिक दूरी पर है। ऐसी स्थिति में बालक-बालिकाओं का 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद अधिकतर छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाने में परेशानी आती है और बालिकाएं तो आगामी शिक्षा हेतु प्रवेश ही नहीं ले पाती हैं।

माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इसे उच्च प्रा.वि. से मा. वि. में क्रमोन्नत करवायें एवं इसी प्रकार 3. प्रा.वि. खेडली गद्यान पं.स. (अटरू) में भी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु किमी दूरी पार कर कवाई जाना पड़ता है। अतः यूपीएस खरेडली गद्यान को मा.वि. में क्रमोन्नत करवाये एवं रा.मा.वि. मैं यूपीएस मन्याराण को रा.मा.वि. में क्रमोन्नत करवाये जाने से आमजन को काफी राहत मिलेगी साथ ही राज, 5. मा.वि. कवाई, कटावर व बडोरा में

विज्ञान संकाय तथा राज. 5. मा.वि. सहरोद में कला संकाय रा.मा.वि. कुर्जेड में भूगोल, ग्रह विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति प्रदान करें एवं मेरे क्षेत्र के रा.उ.मा.वि. किशनपुरा में विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है तथा कक्षा-कक्षों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक होने से बालकों को बाहर मैदान में बैठना पड़ता है। अतः शाला भवन निर्माण की स्वीकृति के आदेश फरमावें।

रामपाल

(बारां-अटरू)

करौली में इंजीनियरिंग व पोलीटैक्निक कालेज की स्थापना

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली में इंजीनियरिंग कालेज व पोलीटैक्निक कालेज राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में खोलने की घोषणा की गई थी जिनके भवनों का निर्माण भी करीब एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण हो चुका है परन्तु उक्त इंजीनियरिंग कालेज, अलवर में व पोलोटैक्निक कालेज, भरतपुर में संचालित किया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन है कि उक्त स्वीकृत शुदा कालेजों को शीघ्रतिशीघ्र नवीन भवनों में संचालित करवाने की कार्यवाही करावें। जिससे करौली जिले के विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके।

दर्शन सिंह

(करौली)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर उपतहसील हैडक्वार्टर है। इस उपतहसील बहादुरपुर के आसपास के परिक्षेत्र में लगभग 50 ग्राम आते हैं। इन ग्रामों से ग्रामीण ईलाज के लिए बहादुरपुर आते हैं लेकिन चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को बहादुरपुर से 25 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता है। जिससे ग्रामीणों को

काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इस क्षेत्र की काफी लम्बे समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग भी प्राथमिकता से रही है। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर, अलवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत की कृपा करें। जिससे ग्रामीणों को सही समय पर उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।

जयराम जाटव

(अलवर ग्रामीण)

ब्यावर के पेरिफेरी क्षेत्र में आबादी भूमि का विस्तार

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि व्यावर शहर के आसपास के क्षेत्र सेदरिया, सिंघाड़िया, गढ़ी थोरियान सहित अन्य पेराफेरी क्षेत्र में काफी समय से आबादी भूमि का विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन इन क्षेत्रों में आबादी में नारी वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में आबादी भूमि का विस्तार नहीं होने के कारण इन क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आबादी भूमि का विस्तार नहीं होने से शहर के भूमाफिया हावी हो रहे हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है ब्यावर के आसपास पेराफेरी क्षेत्र में आबादी भूमि का विस्तार करने की कृपा करें।

शंकर सिंह

(ब्यावर)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के भीण्डर व कानोड़ सी.एच.सी. में डिजीटल एक्स-रे मशीन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

2. प्रदेश में स्वाईन फ्लू की महामारी से पीड़ित व्यक्तियों की हो रही मौतें एवं स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना ग्राम पंचायत चाबा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत मशीन विद मैन (कम्प्यूटर आपरेटर) के मानदेय में वृद्धि करने, बकाया मानदेय का भुगतान करवाने एवं नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति सेखाला में नवीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. राष्ट्रीय राजमार्ग-125 के मध्य सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर में ट्रोमा सेन्टर व ब्लड बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

7. विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. विधान सभा क्षेत्र लूणी में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, 112 एवं 114 पर ग्राम कांकाणी, भाण्डू कलां एवं बम्बोर दर्जियान में 108 एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी के समस्त ग्रामों व ढाणियों में जहां ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. के पद स्वीकृत नहीं है अथवा स्वीकृत पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं है या पद रिक्त हैं, उन पदों को स्वीकृत करने व रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र लूणी में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झंवर में पी.एच.सी. के पदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दाड़ा में पी.एच.सी. के पदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाण्डू कलां में एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणी में पी.एच.सी. के पदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांकाणी में समायोजित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

12. अलवर शहर की सिटी डिसपेन्सरी नं. 1 (पुराना कटला) व मूंगसका डिसपेन्सरी को क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. अलवर में मेडीकल कालेज की घोषणा के पश्चात् जेल परिसर में भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् लम्बे समय से मेडिकल कालेज बनवाने की दिशा में प्रगति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के संबंध में।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन):

14. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सी.एच.सी. चौहटन को क्रमोन्नत करने एवं फफड़, भैरूड़ी व विसारनिया पर नई पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

15. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेटा-अलवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम पंचायत हाजीपुर तहसील अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ग्राम पंचायत भड़कोल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन):

19. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में पटोदा उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में सुरौठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में राजकीय सामान्य चिकित्सालय हिण्डौन को 200 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

22. विधान सभा क्षेत्र टोंक में सआयत चिकित्सालय, टोंक को 200 बैड से बढ़ाकर 300 बैड में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र टोंक में सआयत चिकित्सालय टोंक में हड्डी के आपरेशन हेतु सी-आर्म मशीन उपलब्ध कराने एवं एम.आर.आई. की मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र टोंक में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरवास को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र टोंक में सआयत चिकित्सालय टोंक में समुचित चिकित्सा सुविधायें एवं स्टाफ उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र टोंक में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा):

27. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के ग्राम गोठड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

28. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बासनी पंचायत में बासनी उप स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर सब डिवीजन पर डाक्टरों की कमी दूर करने एवं डेपूटेशन पर गये डाक्टरों को वापस लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

30. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सैटेलाइट चिकित्सालय में डाक्टरों के पद स्थापन के संबंध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर माईन्स के आस-पास पी.एच.सी. खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

32. प्रदेश में निजी नर्सिंग कालेजों में काउंसलिंग के समय निकाले गये नाम पर रोक लगाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना):

33. विधान सभा क्षेत्र मकराना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना में ब्लड बैंक स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

35. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सी.एच.सी. बानसूर एवं नारायणपुर में महिला चिकित्सक एवं बच्चों का डाक्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

36. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्ताना एवं इस्लामपुर को सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. जिला चिकित्सालय झुंझुनूं में बैड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीबासर पंचायत समिति झुंझुनूं के भवन की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

39. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डबली राठान के भवन की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

40. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सी.एच.सी. सिवाना, समदड़ी एवं सिणधारी में महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पादरू पी.एच.सी. को सी.एच.सी. एवं नवीन पी.एच.सी. सिणेर, डण्डाली में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभाग के रिक्त पद भरने एवं चिकित्सा सुविधा से वंचित राजस्व गांवों में चिकित्सा सुविधा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिणधरी सी.एच.सी. में ट्रोमा सैंटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. सिवाना उपखण्ड मुख्यालय के सी.एच.सी. को 30 बैड से 50 बैड का बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

45. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के बलौदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पी.पी. मोड पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

46. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के प. वृजसुन्दर शर्मा राजकीय चिकित्सालय, बून्दी में सुसज्जित आई.सी.यू. वार्ड सुगम स्थल पर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

47. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सामान्य चिकित्सालय, सलूम्बर को 100 बैड से 200 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ब्लाक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराडा को 20 बैड से 50 बैड का चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पी.एच.सी. चावण्ड, इण्टाली खेड़ा जावद, पलोदड़ा एवं उथरदा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सुरखण्ड का खेड़ा, गुडेल, इडाणा, खरका व टोड़ा में नयी पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्येक राजस्व ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

52. सी.एच.सी. बायतू (बाड़मेर) में ट्रोमा सेंटर की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र बायतू में ANM के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. सी.एच.सी. बायतू (बाड़मेर) में मेल नर्स-II के दो पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पी.एच.सी. गिडा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बायतु में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

57. विधान सभा क्षेत्र सांचौर के सांचौर व चितलवना सी.एच.सी. के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

58. बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समरानियां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में संचालित पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. पर चल रहे चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़-अलवर)

60. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम बूटोली ग्राम पंचायत बूटोली में पी.एच.सी. की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़):

61. श्री सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ को 300 शय्या से 500 शैय्या में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. चित्तौड़गढ़ में नवीन मेडिकल कालेज की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

63. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप एवं फलौदी में सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. राजकीय चिकित्सालय फलौदी में ब्लड बैंक की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. राजकीय चिकित्सालय फलौदी को जिला अस्पताल का दर्जा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. उपखण्ड मुख्यालय फलौदी एवं बाप में ट्रोमा सेंटर की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

67. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की तहसील कोटखावदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

68. मेडिकल कालेज बाड़मेर के निर्माण कार्यों में तेजी लाने एवं नियमित कक्षायें शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. बाड़मेर शहरी क्षेत्र गेहूं रोड, इंदिरा कालोनी में सिटी डिस्पेंसरी स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम कुड़ला में बाड़मेर शहर से आने वाले गंदे पानी के भराव से फैल रही बीमारियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

71. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पी.एच.सी. भीलूड़ा को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र ठाकरडा को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र पादरड़ी बड़ी को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में रोगी वाहन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

75. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक स्टाफ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सक/ नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में मरीजों के इलाज हेतु उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

78. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत मुख्यालय कठार पर पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत दादिया में ANM सेंटर (उप स्वास्थ्य केन्द्र) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा):

80. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्राम पंचायत टमकोर एवं बिरमी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

82. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम चण्डावल, चाइवास व झूंठा ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

83. बीकानेर पी.बी.एम. अस्पताल के हल्दीराम मूलचंद हार्ट अस्पताल में कार्डिअक सर्जन की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

84. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में जांच के आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने एवं 100 बैड में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के वसई नवाव पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सैपऊ चिकित्सालय को 30 बैड से 50 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सामान्य चिकित्सालय बाड़ी को 100 बैड से 150 बैड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में ब्लड बैंक खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

89. विधान सभा क्षेत्र नागौर की जवाहर लाल नेहरू राजकीय अस्पताल में सर्जन व एम.डी. डाक्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल):

90. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम पंचायत धारणा मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र जायल के उप स्वास्थ्य केन्द्र सोनेली/दुगस्ताव के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

92. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम पंचायतों गुडा कला, धुरासनी, बिलावास, शिवपुरा एवं खारीया सोडा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

93. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर (अजमेर) के सरकारी अस्पतालों में डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करने एवं अस्पतालों में मरीजों को नि:शुल्क वितरण भोजन की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

94. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बन्जारी, टांचा, झन्झनी, रांई, कडैया नोहर, भुवा खेड़ी एवं मोरेली में नवीन पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी):

95. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के उप स्वास्थ्य केन्द्र मानगढ़ खोरवाला को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम दनाऊ कला के उप स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बस्सी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

99. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में मौसमी बीमारियों स्वाइन फ्लू, डेंगू, हैजा एवं मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की चिकित्सा केन्द्रों से वंचित ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में डाक्टरों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

102. विधान सभा क्षेत्र भीम में पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र भीम की सी.एच.सी. भीम में बन्द पड़ी ट्रोमा यूनिट को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र भीम में सी.एच.सी. भीम में चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र भीम में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

106. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी मुख्यालय पर स्थित मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हाउसिंग बोर्ड, किशनगढ़ में बढ़ते आउटडोर एवं मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए सिटी डिस्पेन्सरी में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) शहरी क्षेत्र में स्थित राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे विभिन्न संवर्ग के नर्सिंग स्टाफों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में गत 2-3 वर्षों में बढ़े आउटडोर एवं इन्डोर मरीजों की

संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यहां संचालित मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना की दुकानों में वृद्धि कर फार्मासिस्ट के नवीन पदों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्राम पंचायत मुख्यालय ढसूक, छोटालांबा, आकोडिया, मनोहरपुरा व डबरेला पंचायत समिति अंराई एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय सिलोरा एवं बान्दर सिंदरी पंचायत समिति किशनगढ़ पर स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई):

110. विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय चिकित्सालय झिलाय, राहोली को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय निवाई को 50 बैड से बढ़ाकर 75 बैड का करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र निवाई में बदोनी से निवाई गुन्सी के बीच एन.एच. 12 पर ट्रोमा अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र निवाई में तहसील पीपलू में बोरखण्डी, डोडवाडी, प्यावडी व तहसील निवाई में सिरोही, झिराना के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र निवाई में पंचायत मुख्यालय नटवाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

115. प्रदेश में कार्यरत आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंगलराम (कठूमर):

116. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त कार्मिक पद स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पी.एच.सी. भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खेडली सी.एच.सी. में 50 बैड स्वीकृत होने पर पर्याप्त स्टाफ एवं गायनी एवं नेत्र रोग चिकित्सक शीघ्र लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सी.एच.सी. जटवाड़ा व अन्य सी.एच.सी. के नवीन भवन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

120. विधान सभा क्षेत्र मावली में नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ में ए.एन.एम. स्कूल/महिला नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की स्वीकृति जारी कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र मावली की 62 ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ में संचालित सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालयों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र मावली की 62 ग्राम पंचायतों एवं संचालित चिकित्सालयों में सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

123. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सीएचसी समेजा कोठी में प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाने एवं मुकलावा में नवीन पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

124. विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायतों के उप स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

125. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सीएचसी रायसिंहनगर में रेडियोलोजिस्ट डाक्टर एवं समस्त चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय स्वास्थ्य भवन में समस्त महिला व पुरुष रोगियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

127. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मगलवाड़ एवं बोहेड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगला ब्लाक डूंगला में डिजीटल एक्स-रे मशीन के लिए कम्प्यूटर सेट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सभी श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में आवश्यकता के अनुसार नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

132. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप केन्द्र देवली मांझी ब्लाक सांगोद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. न्यू हॉस्पिटल मेडिकल कालेज कोटा में मरीजों की बढ़ती संख्या एवं आईसीयू वार्ड की कमी को देखते हुये नवीन आईसीयू वार्ड खोलने एवं वेन्टीलेटर की संख्या 20 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. न्यू हॉस्पिटल मेडिकल कालेज कोटा में मरीजों एवं चिकित्सा यूनिट की बढ़ती संख्या को देखते हुये जनसहभागिता योजना या पीपीपी मोड पर डीलक्स, काटेज वार्ड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

136. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के झलपुरा में ट्रोमा अस्पताल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की पीएचसी डिग्गी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमंडी):

138. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित चिकित्सालयों में विधायक कोष से विभाग द्वारा मांगे जाने पर दी गई एम्बुलेंसों के संचालन के संबंध में चर्चा के लिये।

139. प्रदेश के चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप डाक्टरों व स्टाफ की नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नेशनल हाईवे नं. 12 पर प्रतिदिन होने वाली दुर्घटना में हुए घायलों को समय पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में चिकित्सा कर्मियों के अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यवहार खराब करने की दृष्टि से अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):

142. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम पंचायत उम्मेदपुर एवं शंखवाली में नवीन पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र आहोर की सीएचसी सियाणा में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र आहोर के बागरा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र आहोर की उप तहसील भाद्राजून की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

146. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में गांवों के उप स्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. जैसलमेर में बने ट्रोमा सेंटर को प्रारम्भ करने एवं जैसलमेर मुख्यालय हॉस्पिटल में टेक्नीकल स्टाफ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. जैसलमेर जिले में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. राजकीय चिकित्सालय रामगढ़ को 200 बैडों में क्रमोन्नत करने एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में आदर्श ग्राम पंचायत बडोड़ा गांव में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

151. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के समस्त अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सीएचसी घड़साना में निर्मित आवासों की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पुरानी मण्डी घड़साना (1जीडी) में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

155. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित आयुर्वेद चिकित्सा अस्पतालों में नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा के वाहन खराब स्थिति में होने अथवा कई स्थानों पर 108 सेवा नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

157. बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में चिकित्सकों व अन्य कार्मिकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

158. बांसवाड़ा जिले में आदर्श पीएचसी में IInd ग्रेड नर्स के पद समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की सीएचसी परतापुर में स्त्री रोग विशेषज्ञ एसटी को प्रति नियुक्त पर एम.जी. हॉस्पिटल में लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के पीएचसी, सीएचसी में डाक्टर के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

161. बांसवाड़ा जिले में आदर्श पीएचसी में IInd ग्रेड नर्स के पद पुन: सृजित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

162. बांसवाड़ा जिले में नये उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

163. उप स्वास्थ्य केन्द्र दीवाली को पीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

164. जिला मुख्यालय पर सर्जन सहित खाली पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र बारां अटरू में सीएचसी अटरू में एक-एक सर्जन एवं गायनिक चिकित्सक लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

166. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा में बैडों की संख्या 1000 तक बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

167. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्वीकृति के बाद बजट आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में मुख्यमंत्री आदर्श गांव, कानुपर, कुण्डा एवं (असारीवांडा-थाना) संयुक्त को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा को सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साधिकारी एवं नर्स ग्रेड II, ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

171. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय उप केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय चिकित्सा इकाइयों में, ओ.टी., ब्लड बैंक, जांच मशीनों, एक्स-रे, एम्बुलेन्स सुविधा गैर मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय चिकित्सा इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में रोगी भर्ती शय्या संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

174. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में चौमूं सीएचसी को सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में संचालित 104 एवं 108 एम्बुलेन्स के नवीन वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के उदयपुरिया ग्राम में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

177. सीकर में बनाई जा रही मेडिकल कालेज को शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ में स्थित सीएचसी पर गायनिक चिकित्सक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

179. सीकर जिले के फतेहपुर में स्थित ट्रोमा सेंटर में चिकित्सकों की पोस्ट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. प्रदेश में झोलाछाप चिकित्सकों पर कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा के लिये।

181. प्रदेश में चिकित्सकों की कमी दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

182. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद (अजमेर) के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी एवं चिकित्सकों के द्वारा रात्रि में नहीं बैठने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र (डग):

183. विधान सभा क्षेत्र डग के उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र डग में सीएचसी में विशेषज्ञों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र डग में पंचायत हैडक्वार्टर पर सबसेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

186. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की अनाजमण्डी जैतसर में पीएचसी को क्रमोत्तर कर सीएचसी का दर्जा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. सूरतगढ़ शहर के सीएचसी को 50 बैड से 100 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. सूरतगढ़ शहर के ट्रोमा सेंटर में पूरा स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

189. विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम हलेना की आदर्श पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र वैर की तहसील वैर व भुसावर के स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण (नसीराबाद):

191. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के चिकित्सालय में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

192. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में संचालित पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में पी.एच.सी. बीबीरानी को क्रमोन्नत कर सी.एच.सी. बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में बुढ़ीबावल एवं बिलाहेड़ी में नई पी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

195. प्रदेश में कार्यरत आशा सहयोगिनियों को चिकित्सा क्षेत्र से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

196. प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू रोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं 500 से ज्यादा की आबादी वाले राजस्व गांवों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

198. प्रदेश में कार्यरत एनएचएम संविदा कार्मिकों का वेतन 7वें वेतन आयोग के अनुरूप मानदेय न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आवश्यकतानुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

200. कोटा जिले में संचालित पैथोलोजिकल लैब पर एम.डी. पैथोलोजिस्ट के बिना रिपोर्ट के जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने एवं चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. कोटा जिले के चिकित्सालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा में एमआरआई मशीन लगाये जाने एवं बैडों की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. कोटा जिले के महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में पार्किंग स्थल पर बची हुई भूमि पर मल्टीस्टोरी ओपीडी ब्लाक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

205. अतिवृष्टि में बह गए उप-स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ा (पांचला), लुणियासर को पुन: प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतडी):

206. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के सी.एच.सी. खेतड़ी में बैड बढ़ाने एवं ट्रोमा सेंटर स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम प्रतिभानगर में नया स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के ग्राम-संजयनगर में नया उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बबाई सीएचसी को रैफरल अस्पताल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

210. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के आदर्श पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. चिकित्सालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सी.एच.सी. सिकन्दरा, गीजगढ़, सिकराय

एवं भाण्डारेज में स्टाफ एवं चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

212. अलवर शहर के सामान्य चिकित्सालय में कार्डियोलोजी व न्यूरो से संबंधित चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

213. राज्य में फैल रहे स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतें व स्वाइन फ्लू के डर से आमजन को राहत दिलाने के लिए किये जाने वाले उपायों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

214. डूंगरपुर में भ्रष्ट चिकित्साधिकारियों को पद से हटाने, वरिष्ठ चिकित्सकों को अधिकारी पद पर बैठाने तथा स्थानीय मूल निवासी चिकित्सकों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

215. डूंगरपुर में राजीव गांधी मोबाइल मेडिकल यूनिट में वर्ष 2008 से डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व लेब टेक्निशियन के बिना चलाई जा रही मोबाइल यूनिट का भुगतान रोकने एवं जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. डूंगरपुर शहर के घाटी मोहल्ला एवं ग्राम पंचायत महिपालपुरा में पीएचसी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. डूंगरपुर में अनुसूचित क्षेत्र के बाहर से आने वाले डाक्टरों द्वारा पीएचसी/सीएचसी मुख्यालयों पर नहीं रहकर महीने में एक बार आकर वेतन लेने की परिपाटी पर रोक लगाने तथा क्षेत्र के मरीजों के लिए सेवाएं देने हेतु पाबन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. डूंगरपुर में अधिशेष नर्स ग्रेड I व II तथा LHV सहित सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

219. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के घोषित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियों में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

221. सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी के लिए भवनों पर भारी खर्च के बावजूद उनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों को त्वरित गति से न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

222. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सीएचसी अकोला व पीएचसी आरनी में एनआरएचएम के माध्यम से नवीन भवन बनवाने की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र कपासन के समाप्त किये गये जीएनएम के पदों को पुन: सृजित कर पद स्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सीएचसी राशमी, कपासन, भोपालसागर, आकोला एवं मणपिया में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

225. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम खजुरी, शक्करगढ़, अमरगढ़ व अमरवारी में मौजूदा चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित सभी श्रेणी के एलोपैथिक व आयुर्वेदिक संस्थानों में स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सक, कम्पाउण्डर, एएनएम आदि स्टाफ का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के चिकित्सालयों में बन्द पड़ी बल्ड स्टोरेज यूनिट एवं आटोक्लेव मशीनों को ठीक करवाकर पुन: चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

228. राज्य के चिकित्सकों को अधिक वेतन व पदोन्नति की सुविधाएं देने के संबंध में चर्चा के लिये।

229. प्रदेश में चिकित्सकों की हड़ताल के दौरान हुई मौतों के संबंध में जवाबदेही तय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

230. प्रदेश में चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

231. राज्य में स्वाइन फ्लू के कारण हो रही मौतों तथा स्वाइन फ्लू के उपचार में राज्य सरकार की विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

232. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के भ्रष्टाचार एवं अनियमित नियुक्तियां करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

233. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रायपुरिया में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के देवली आऊवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के जाणुदा में भामशाह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की घोषणा के उपरान्त भी स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़):

236. प्रदेश में एम्बुलेंस गाड़ी 108 में मृत शरीर को भी ले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

237. प्रदेश में एनआरएचएम योजना में शर्तें व राइडर लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों का पदस्थापन व नर्सिंग कर्मियों का स्थानीय स्टाफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

239. भामाशाह कार्ड धारकों को फोर्टिस, मैट्रोमास व अन्य बड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. भीलवाड़ा व अन्य मेडिकल कालेजों में इसी वर्ष सत्र प्रारम्भ कराने व भीलवाड़ा नर्सिंग कालेज को मान्यता प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल):

241. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के महात्मा गांधी अस्पताल में डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

242. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नरायना स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा किशनगढ-रेनवाल सीएचसी में तथा नरायना

पीएचसी में स्थायी महिला चिकित्सक का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में नई 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

245. जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

246. विधान सभा क्षेत्र दूदू पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र दूदू की पीएचसी एवं सीएचसी में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र दूदू के पीएचसी एवं सीएचसी चिकित्सालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

249. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ (चूरू) में ब्लड बैंक एवं सोनोग्राफी सेंटर यथाशीघ्र शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ (चूरू) में ट्रोमा सेंटर खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

252. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा सीएचसी में ईसीजी व एक्स-रे मशीन लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पुदापाडा पीएचसी का भवन जलालपुरा पुदरवाड़ा में बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

254. बांदीकुई अस्पताल को सिटी डिस्पेंसरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. बांदीकुई सीएचसी को 108 एम्बुलेंस स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. बांदीकुई सीएचसी में ब्लड बैंक शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

257. प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

258. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूलवा पंचायत समिति मसूदा के भवन की स्वीकृती जारी कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में संचालित उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त होने से रोगियों को चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरवा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

261. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उप-स्वास्थ्य केन्द्र कठार पंचायत समिति बड़गांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. सीएचसी गोगुन्दा को 30 बैड से 50 बैड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

263. प्रदेश में बिगड़ी चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

264. आयुष चिकित्सकों के वेतन बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा):

265. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर में सोनोग्राफी मशीन लगाने व रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक की उपलब्धता कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

266. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ब्लाक सहाड़ा, रायपुर व सुवाणा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सब-सेंटर पर चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में ब्लाक रायपुर, सहाड़ा व सुवाणा में नव स्वीकृत चिकित्सा सब-सेंटर के संबंध में चर्चा के लिये।

268. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ब्लाक रायपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर को ग्रामीण सीएचसी से परिवर्तित कर शहरी क्षेत्र के वर्गीकरण में शामिल कर नव-नियुक्त चिकित्सकों को ट्रेनिंग का लाभ देने के संबंध में चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवी चिकित्सकों के चिकित्सा शिविर लगाकर ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधाओं की सुगम उपलब्धता प्रदान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

270. कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल परिसर में जे.के. लोन अस्पताल आरम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

271. कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल में उप-अधीक्षक का पद सृजित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

272. कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

273. कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल में जोईन्ट रिप्लेसमेंट सेंटर और मोडुलर आपरेशन थियेटर आरम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

274. कोटा शहर के न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक के निर्माण कार्य की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

275. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय पर आयोजित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाकर राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सर्जन एवं निश्चेतन चिकित्सकों का पदस्थापन कर आमजन को सर्जरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए आवश्यक नियम-कानून बनाकर आमजन को विधिवत इस चिकित्सा पद्धति का लाभ दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के भवन विहिन उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में चर्चा के लिये।

279. उपखण्ड मुख्यालय श्रीमाधोपुर (सीकर) पर राजकीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

280. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सेटेलाइट अस्पताल प्रताप नगर में संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय चिकित्सालय चांदपोल एवं राजकीय चिकित्सालय सूरसागर के क्रमोन्नयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. एड पोस्ट कालीबेरी, सूरसागर को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. प्रदेश में जिला एवं सैटेलाइट स्तर के अस्पतालों में स्वीकृत आयुर्वेद चिकित्सकों को रोगियों हेतु नि:शुल्क औषधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. प्रदेश में रोग प्रतिरक्षा चेतना वृद्धि हेतु चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

285. राज्य में नर्सिंग संस्थानों में सृजित-नर्सिंग ट्यूटर के पदों को अराजपत्रित से राजपत्रित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

286. राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जयपुर में रिक्त नर्सिंग शिक्षकों के पद भारतीय नर्सिंग परिषद के मापदण्डों के अनुसार भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

287. प्रदेश में राजकीय कालेज आफ नर्सिंग एवं नर्सिंग स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आहरण एवं वितरण की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

288. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर में निर्मित गेस्ट हाउस को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया):

289. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ढाबा के भवन के संबंध में चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालारामपुरा में स्टाफ के क्वार्टरों के संबंध में चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अस्पतालों में स्टाफ व चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

292. उप-केन्द्र मेहरवाला तहसील टिब्बी हनुमानगढ़ को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के उप-केन्द्र कुलचन्द को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

294. प्रदेश में स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया व डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के विभिन्न ग्रामों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के पांचोड़ी ग्राम में सीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में खरनाल, जनाना व शीलगांव में पीएचसी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

298. नागौर के जेएलएन अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

299. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारियों व अन्य सहायक कर्मचारियों के लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झाड़ौल व फलासिया तथा कोटड़ा पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

301. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों पर आवश्यक सुविधा, संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के खराब व नकारा एम्बुलेंसों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

303. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के सुदूर आदिवासी इलाकों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

304. विधान सभा क्षेत्र दौसा में जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के आवश्यकतानुसार पद सृजित कर उन्हें भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

305. विधान सभा क्षेत्र दौसा में शिशु गहन चिकित्सा इकाई में बैड संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

306. दौसा चिकित्सालय को 250 से 300 बैड कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र दौसा के बनियाना, चान्दराना, भन्डाना एवं काजोता में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. विधान सभा क्षेत्र दौसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डल एवं नांगल राजावतान को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

लिखित वक्तव्य

माननीय सदस्या श्रीमती अंजू देवी धानका का मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर लिखित वक्तव्य

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से अधिकतर योजनायें पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं है अधिकतर योजनायें सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं चाहे वो मुफ्त दवाईया, हों या किसी प्रकार की जांच। सामु. स्वा. केन्द्र बस्सी में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि मुफ्त दवाइयों का काउन्टर अधिकतर समय बन्द रखते है और कहते है कि दवाइयों का स्टाक समाप्त हो गया है। एसे ही जितनी भी जांचे सरकार की तरफ से मुफत है उनमे से अधिकतर जांचे डाक्टरों द्वारा बाहर से करवाई जाती है क्योकि डाक्टरों का कमीशन बंधा हुआ है। सामु. स्वा. केन्द्र बस्सी में सोनोग्राफी की मशीन नहीं है लेकिन सोनोग्राफी करने वाला चिकित्सक उपलब्ध है जब सोनोग्राफी मशीन ही नहीं है तो चिकित्सक किस आधार पर लगा रखा है। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जितने भी सामु. स्वा. केन्द एवं प्राथमिक स्वा. केन्द्र हैं उनमें अव्यवस्थाओं का इताना आलम है कि किसी भी स्वा. केन्द का मुआयना कर लो सभी स्वा. केन्द्र राजनीति का अखाड़ा बने हुये हैं क्योंकि अधिकतर चिकितसक लम्बे समय से उक्त स्वा. केन्द्रों पर कार्यरत है चिकित्सक अपनी ओ.पी.डी. मे मरीजों को नहीं देखकर अपने निवास स्थान पर ही मरीजों को देखते है हैं जिससे उन्हें सुविधा शुल्क मिल जाये। चिकित्सक बिना फीस लिये किसी भी मरीजों को नहीं देखते और विभाग के अधिकारी जब भी विजिट पर आते हैं तो उन्हें अव्यवस्था मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करते जिससे चिकित्सकों के हौंसले इतने बुलन्द हो चुके हैं कि अब वो किसी भी अधिकारी से नहीं डरते खुलेआम अपने छोटे-छोटे क्लीनिक खोलकर बैठे हैं।

मानगढ़ खोखावाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। उक्त स्थान पर उप स्वा. केन्द्र होने से समय से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता जिससे कभी-कभी तो मरीजों की इतनी बड़ी क्षति हो जाती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती इस कारण से उप स्वा. केन्द्र मानगढ़ खोखावाला को प्राथमिक स्वा. केन्द में

कमोन्नत करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आदर्श प्राथमिक स्वा. केन्द्र बडवा में बना हुआ है उसके आसपास लगभग 30 कि.मी. तक कोई भी सामु. स्वा. केन्द्र नहीं है जिससे ग्रामीण वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त प्राथमिक स्वा. केन्द्र का ग्राम पंचायत जटवाड़ा, बड़वा, पडासौली, टहटडा इत्यादि ग्राम पंचायतों का जुड़ाव है। उक्त स्थान पर कोई सामु. स्वा. केन्द्र नहीं होने के कारण ग्रामीण वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम पंचायत दनाउ कलों के ग्राम दनाउ के उप स्वा. केन्द्र को क्रमोन्नत करने की अति आवश्यकता है क्योंकि उक्त ग्राम पंचायत के आसपास कोई भी प्राथमिक स्वा. केन्द नही है जिसके कारण मौसमी बीमारियों के समय पर ग्राम पंचायत दनाउ के उप स्वा. केन्द्र दनाउ कलां मे प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता जिसके कारण मरीजों को तुंगा या बस्सी जाना पड़ता है जोकि अधिक दूरी होने के कारण ग्राम वासियों को झोलाछाप डाक्टरों से इलाज लेना पड़ता जिसके कारण जान माल से भी नुकसान उठाना पड़ता है।

सामु. स्वा. कन्द्र बस्सी के सामु. स्वा. केन्द्र को सैटेलाइट अस्तताल मे कमोन्नत करवाने की आवश्यकता है क्योंकि ग्राम पंचायत बस्सी की आबादी लगभग 35000 के आसपास है और साथ साथ ही ग्राम पंचायत मोहनपुरा, देवली, सुजानपुरा, टोडा भाटा, मनोहरपुरा, कचौलिया, आदि का जुडाव है। जिसके कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने के कारण सामु. स्वा. केन्द्र बस्सी में मौसमी बीमारियों में स्वाइन फ्लू डेंगू हैजा एवं मलेरिया जैसी बीमारियों के सम्बन्ध में चिकित्सक को उचित दवाइयां एवं जांच करने वाली मशीन उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीणों को चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामु. स्वा. केन्द बस्सी का राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बस्सी लालसोट राज्य मार्ग पर थित होने के कारण प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है सामु. स्वा. केन्द्र में उपचार हेतु उचित उपकरण एवं जांच की मशानें नहीं होने से मरीजों को जयपुर रैफर किया जाता जिसके कारण मरीजों को जयपुर पहुंचने तक काफी देर हो चुकी होती है। सामु. स्वा. केन्द्र बस्सी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करवाया जाना अति आवश्यक है। मेरा मत्री जी से निवेदन है कि सामु. स्वा केन्द्र बस्सी को क्रमोन्न्त करवाकर सैटेलाइट अस्पताल बनवा देते हैं तो मेरे क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिल सकेगी।

सम्पूर्ण विश्व में इलेक्ट्रोपेथी चिकित्सा पद्धति अनेक रोगों में कम खर्च में कारगार व महत्वपूर्ण हुई है। राज्य में भी इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो होम्योपैथी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक व चिकित्सकीय विश्लेषण हेतु कमेटी का पूर्व में गठन किया गया था, इस कमेटी द्वारा इस पद्धति की वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय उपयोगिता की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है। इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को राजकीय मान्यता प्रदान कर राजकीय चिकित्सालयों में इस चिकित्सा पद्धति को सम्मिलित करवा सकें तो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों को राहत मिल सके।

माननीय सदस्य श्री भंवरसिंह भाटी का मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर लिखित वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-26 पर मैं आपके माध्यम से निम्न बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रिक्त पदों को भरने बाबत:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बीकानेर जिले में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सकों के पचास प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होने के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तादात उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद पड़े हैं, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी पद रिक्त होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीकानेर जिले में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सभी तरह के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।

प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाए:- विधान सभा क्षेत्र कोलायत में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों को बीकानेर जिले में व राज्य के अन्य जिलों में प्रतिनियुक्ति पर विभागीय अधिकारियों द्वारा लगवाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलायत में कार्यरत चिकित्सक को जोधपुर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। वहीं बज्जू, गजनेर आदि अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों को मूल पद से हटाकर अन्य स्थानों पर लगा दिया गया है। अतः कोलायत विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल पद पर लगाया जाए।

नई भर्ती निकाली जाए:- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा नर्सिंग स्टाफ की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन गत चार वर्षों में एएनएम व जीएनएम के पदों पर भर्ती नहीं निकाली गई। जिससे चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ गई है। कोलायत विधान सभा क्षेत्र में चालीस उप स्वास्थ्य केन्द्र नर्सिंग स्टाफ

के अभाव में बंद पड़े है। वहीं चिकित्सकों के भी पद रिक्त हैं। अतः प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ व चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय भर्ती निकालकर आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावे।

नवीन चिकित्सा संस्थान खोले जाए:- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा राज्य में 800 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए, वहीं 200 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 2000 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा चार सालों में नाममात्र के चिकित्सालय खोले गए। अत: आम जन को नजदीकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाए।

स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण किया जाए:- प्रदेश में कई महीनों से स्वाइन फ्लू महामारी के रूप में फैल रहा है। सैकड़ों लोगों की इस बीमारी से मौतें हो गई हैं। अत: स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए।

भामाशाह योजना:- राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में भामाशाह योजना के तहत नि:शुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है। लेकिन भामाशाह योजना का सही लाभ लोगों को नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई नि:शुल्क दवा योजना की तर्ज पर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जाए।

डॉक्टरों की हड़ताल:- प्रदेश में वर्ष 2017-18 में दो बार चिकित्सकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई। प्रथम बार हड़ताल में तय की गई शर्तों को पूरा नहीं करने की वजह से दूसरी बार चिकित्सक हड़ताल पर चले गए, इस हड़ताल में शामिल चिकित्सकों के प्रतिनिधियों के साथ चिकित्सा मंत्रीजी के द्वारा सही वार्तालाप नहीं किए जाने से यह हड़ताल लम्बे समय तक चली जिससे सैकड़ों मरीजों की मौत हुई।

108 एम्बुलेंस की खराब स्थिति:- प्रदेश में पिछले कई सालों से 108 एम्बूलेंस सेवा शुरू की गई है। इस 108 एम्बुलेंस सेवा में चलने वाले वाहन अत्यन्त पुराने व खराब स्थिति के हो गए हैं। अधिकांश गाड़ियां प्रतिदिन बीच रास्ते में खराब हो जाती हैं। जिससे दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः बीकानेर जिले में चलने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा में पुराने वाहनों के स्थान पर नवीन वाहन लगाए जाएं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के तहत गजनेर, दियातरा व बज्जू में 108 एम्बुलेंस वाहन लगाए जाएं।

PBM अस्पताल बीकानेर:- बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां बीकानेर सहित हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों से भी मरीज इलाज करवाने आते हैं। इस अस्पताल में चिकित्सकों व नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जावे व आवश्यक सुविधाओं हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित किया जाए।

ट्रोमा सेंटर:- बीकानेर में दुर्घटना ग्रस्त मरीजों के इलाज हेतु ट्रोमा सेंटर बनाया गया है। यहां मरीजों का सीटी स्कैन व एमआरआई करवाने की सुविधा नहीं है। यहां आने वाले मरीजों को सीटी व एमआरआई करवाने हेतु 500 मीटर दूर जाकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि PBM अस्पताल में एक मात्र सीटी व एमआरआई सेंटर है। जहां दो-तीन दिन बाद मरीजों का नंबर आता है। अतः ट्रोमा सेंटर बीकानेर में एक नवीन सीटी स्केन व एमआरआई मशीन लगाई जाए। जिससे ट्रोमा सेंटर में आने वाले दुर्घटना ग्रस्त मरीजों की तत्तकाल जांच करवाई जा सके।

ट्रोमा सेंटर में प्रतीक्षालय बनाया जाए:- बीकानेर जिले के एक मात्र ट्रोमा सेंटर में प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं। वही करीब 200 से अधिक मरीज यहां भर्ती रहते हैं। मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए बैठने व रात्रि के समय आराम करने हेतु कोई सामुदायिक भवन अथवा अन्य स्थान नहीं है जिससे साथ आने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः बीकानेर के ट्रोमा सेंटर में मरीजों के साथ आने वाले लोगों की सुविधा हेतु प्रतीक्षालय अथवा सामुदायिक भवन बनवाया जाए।

भवन निर्माण:- पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के हदां. दासूडी व केशरदेसर जाटानं में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए लेकिन अभी तक इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन नहीं बनाया गया है। वहीं कोलायत क्षेत्र के गांवों में 13 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए। इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भी भवन निर्माण आज तक नहीं करवाया गया है। अतः कोलायत विधान सभा क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अतिशीघ्र भवन निर्माण करवाने हेतु राशि आबंटित की जाए।

धर्मशालाएं:- कोलायत विधान सभा क्षेत्र में गजनेर, कोलायत सहित अन्य स्थानों पर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए धर्मशालाएं बनाई गई लेकिन इन धर्मशालाओं का विभागीय अधिकारियों

के द्‌वारा उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। निर्माण के बाद उक्त धर्मशालाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त धर्मशालाओं का सुचारु संचालन शुरू किया जाए। जिससे मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

पीपीपी पर दिए गए अस्पताल:- राज्य में अनेक स्थानों पर पीपीपी पर राजकीय चिकित्सालयों का संचालन करने हेतु निजी सहभागिता के आधार दिया गया है। लेकिन निजी क्षेत्र में संचालन हेतु दी गई अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। निजी सहभागिता में दी गई अस्पतालों का संचालन सुव्यवस्थित किया जाए तथा पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए।

आयुर्वेद:- बीकानेर जिले में सैंकड़ों आयुर्वेद चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सलयों में भवन सहित अन्य संसाधनों का अभाव है। आयुर्वेद चिकित्सकों के पद रिक्त होने से इन चिकित्सा संस्थानों से स्थानीय जनता को आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता है। अत: आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए व आयुर्वेद चिकित्सालय भवनों का निर्माण करवाने हेतु राशि स्वीकृत की जाए।

सफाई:- बीकानेर नगर निगम व देशनोक नगरपालिका में जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारियों का अभाव है। अतः संभाग मुख्यालय बीकानेर में स्वच्छता रखने हेतु जनसंख्या के अनुसार सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए। वहीं देशनोक में विश्वविख्यात करणीमाता का मंदिर है। यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। अतः धार्मिक महत्व के देशनोक नगरपालिका में अतिरिक्त सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए।